षोडश माला, खंड 06, अंक 21 **सोमवार, 22 दिसंबर 2014**

1 पौष, 1936 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र

(सोलहवीं लोक सभा)

(खंड 6 में 11 से 22 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

© 2014 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

अस्वीकरण

इस वेबसाइट पर उपलब्ध 16वीं और 17वीं लोक सभा की वाद- विवाद के मूल पाठ का हिन्दी अनुवाद कृत्रिम मेधा (AI) साधनों के माध्यम से केवल संदर्भ हेतु किया गया है। यद्यपि सटीक अनुवाद उपलब्ध करने का हर संभव प्रयास किया गया है, उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे पूर्ण प्रामाणिक संस्करण हेतु लोक सभा की वेबसाइट पर "वाद-विवाद" वेबलिंक के तहत उपलब्ध लोक सभा वाद-विवाद के आधिकारिक मूल संस्करण का संदर्भ लें।

विषय-सूची

षोडश माला, खंड 6, तीसरा सत्र, 2014 / 1936 [शक]

अंक 21, सोमवार, 22 दिसंबर, 2014 / 1 पौष, 1936 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
निधन संबंधी उल्लेख	15
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 401 से 405	17-45
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 406 से 420	**46**
अतारांकित प्रश्न संख्या 4601 से 4830	

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

सभा पटल पर रखे गए पत्र 47-66

राज्य सभा से संदेश 67

कार्य मंत्रणा समिति 68

दसवां प्रतिवेदन

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति 69

अध्ययन दौरा संबंधी प्रतिवेदन

सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति 70

पहला और दूसरा प्रतिवेदन

कृषि संबंधी स्थायी समिति 70

पांचवां प्रतिवेदन

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति 71

पहले से चौथा प्रतिवेदन

रक्षा मामलों संबंधी स्थायी समिति 72

दूसरे से पांचवाँ प्रतिवेदन

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति 73

पहले से तीसरा प्रतिवेदन

विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति 74

तीसरा और चौथा प्रतिवेदन

वित्त संबंधी स्थायी समिति 74

चौथा, आठवां और नौवां प्रतिवेदन

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति 75

पहला और दूसरा प्रतिवेदन

श्रम संबंधी स्थायी समिति 76

तीसरा प्रतिवेदन

कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति 77

पहले से छठा प्रतिवेदन

वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति 78

115वां और 116वां प्रतिवेदन

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति 79

182वां और 183वां प्रतिवेदन

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित 'प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का कार्यकरण' के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 251वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति 80

श्री कलराज मिश्र

(दो) जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र ढांचागत अभिसमय के अंतर्गत लीमा (पेरू) में 1 से 14 दिसम्बर, 2014 तक आयोजित पार्टियों के सम्मेलन (सीओपी) में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

श्री प्रकाश जावड़ेकर 81

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना **87-107**

उत्तर प्रदेश तथा देश के अन्य भागों में 'इनलसेफेलाइटिस' के फैलने से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम

योगी आदित्यनाथ 87, 94-105

श्री जगत प्रकाश नड्डा 87-114

श्री जगदम्बिका पाल 102-102

श्री अश्विनी कुमार चौबे 103-107

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक)देश में किसानों का ऋण माफ किए जाने, विदेश से काला धन वापस लाए जाने और भारतीय राज्य क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान द्वारा कथित घुसपैठ के बारे 23-24

(दो) देश में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन के बारे में 112-117

(तीन)देश में धर्म परिवर्तन के बारे में प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य दिए जाने की मांग 152-159

नियम 377 के अधीन मामले 119-137

(एक) दिल्ली में किराए की व्यावसायिक संपत्तियों के विवादास्पद मुद्दे के समाधान किए जाने की आवश्यकता

श्री महेश गिरी 119

(दो) मध्य प्रदेश के बैतूल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बोरदेही रेलवे स्टेशन पर पातालकोट एक्सप्रेस का ठहराव किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती ज्योति धुर्वे 121

(तीन) राजस्थान के नागौर संसदीय क्षेत्र में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल परियोजना के अंतर्गत पेयजल उपलब्ध कराने हेतु विशेष पैकेज उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री सी. आर. चौधरी 123-127

(चार) देश में, विशेषकर बिहार के दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बीएसएनएल की मोबाइल टेलीफोन सेवा में सुधार लाए जाने की आवश्यकता

श्री कीर्ति आजाद 125

(पाँच) उत्तर प्रदेश में सहारनपुर या मेरठ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री राघव लखनपाल 126

(छः) मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 और 7 की मरम्मत और रखरखाव किए जाने की आवश्यकता

श्री गणेश सिंह 127

(सात) असम के जोरहाट जिले में मरियानी रेलवे जंक्शन में एक बाइपास रेल लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री कामाख्या प्रसाद तासा 128

(आठ) बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में छोड़ादानों में सीमा शुल्क विभाग की चौकी स्थापित किए जाने की आवश्यकता

डॉ. संजय जायसवाल 129

(नौ) मुल्लापेरियार बाँध मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के अंतिम निर्णय को लागू किए जाने की आवश्यकता

श्री ए. अनवर राजा 130

(दस) केन्द्र सरकार की नौकरी में भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ाए जाने तथा सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष किए जाने की आवश्यकता

श्री तापस पाल 131

(ग्यारह) ओडिशा के कालाहांडी जिले में भवानी-पटना कस्बे में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 के बाईपास का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री अर्का केशरी देव 132

(बारह) मराठी भाषी बहुल बेलगाम जिले को महाराष्ट्र में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री चंद्रकांत खैरे 133

(तेरह) आंध्र प्रदेश में गुंटूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मंगलागिरि और पेदाकाकनी में रेलवे स्टॉपेज को स्थायी स्टॉपेज बनाए जाने की आवश्यकता

श्री जैदेव गल्ला 134-135

(चौदह) तेलंगाना के करीमनगर जिले में रामागुंडम उर्वरक संयंत्र का पुनरुद्धार किए जाने तथा इसे फिर से चालू किए जाने की आवश्यकता

श्री बलका सुमन 136-137

लोकपाल और लोकायुक्त तथा अन्य संबंधित विधि (संशोधन) विधेयक, 2014 **140-169**

विचार करने के लिए प्रस्ताव 140

डॉ. जितेंद्र सिंह 140-142

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी, एवीएसएम 143-148

श्री बी. सेनगुट्टुवन 160-165

श्री रवीन्द्र कुमार जेना 166-167

डॉ. रविन्द्र बाबू 168-169

प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (संशोधन) विधेयक, 2014 178-228

विचार करने के लिए प्रस्ताव 170

श्री जयंत सिन्हा 170-174, 213-224

श्री टी. जी. वेंकटेश बाबू 175-178, 179-180

श्री निशिकान्त दुबे 180-197

श्री भर्तृहरि महताब 193-201

श्रीमती कविता कलवकुंतला 202-205

श्री आनंदराव अडसुल 206-207

श्री वराप्रसाद राव वेलगापल्ली 208

श्री जैदेव गल्ला 214-218

खंड 2 से 7 और 1 219-224

पारित करने के लिए प्रस्ताव 225-228

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

उपाध्यक्ष

डॉ. एम. तंबिदुरै

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रह्लाद जोशी

डॉ. रत्ना डे (नाग)

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

श्री के.एच. मुनियप्पा

डॉ. पी. वेणुगोपाल

महासचिव

श्री अनूप मिश्र

लोक सभा

<u>सोमवार, 22 दिसंबर, 2014 / 1 पौष, 1936 (शक)</u>

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुईं*]

निधन संबंधी उल्लेख

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को श्री एच.ए.डोरा के दुःखद निधन के बारे में सूचित करना है। वे आठवीं लोक सभा के सदस्य थे। उन्होंने आन्ध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री डोरा आठवीं लोक सभा के दौरान विशेषाधिकार समिति; याचिका समिति; अधीनस्थ विधान संबंधी समिति और लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के सदस्य रहे। श्री डोरा ने गरीब लोगों और समाज के वंचित वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य किया। श्री एच.ए. डोरा का निधन 5 सितम्बर, 2014 को श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश में 79 वर्ष की आयु में हुआ। हम श्री एच.ए. डोरा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। अब सभा दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़ी रहेगी।

पूर्वाह्न 11.01 बजे।

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब प्रश्नकाल।

… (*व्यवधान*)

<u>पूर्वाह्न 11.02 बजे</u>

इस समय श्री धर्मेन्द्र यादव, श्री कल्याण बनर्जी, श्री जय प्रकाश नारायण यादव तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : सस्पेंशन ऑफ क्वेश्चन ऑवर नहीं होता है। जो एडजरनमेंट मोशन मुझे मिला है, उसे आप जीरो ऑवर में उठाइएगा।

... <u>(व्यवधान)</u>

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: आप अपने मामलों को 'शून्य काल' में उठा सकते हैं।

… (*व्यवधान*)

पूर्वाह्न 11.04 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर*

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न 401 – डॉ. अंबुमणि रामदास।

… (*व्यवधान*)

(प्रश्न संख्या **401)**

[अनुवाद]

डॉ. अंबुमणि रामदास: माननीय अध्यक्ष महोदया, हम सभी जानते हैं कि भारत की कुल जनजातीय आबादी कुल जनसंख्या का लगभग 8.4 प्रतिशत है और संख्या में यह लगभग 8.5 करोड़ है।... (*व्यवधान*) 8.5 करोड़ की यह आबादी कभी-कभी जर्मनी, ईरान, मिस्र आदि जैसे कुछ देशों की आबादी से अधिक होती है।... (*व्यवधान*) लेकिन जनजातीय आबादी के लिए विकास की गति चिंताजनक रूप से बहुत कम है। पिछले 60 या 70 दशकों में हमारे यहां अनेक कार्यक्रम हुए हैं। हमारे संविधान में अनेक अनुच्छेद हैं जैसे 342, 164, 244 - 5वीं अनुसूची, 275, 330, 332 इत्यादि।... (*व्यवधान*)

हमने आदिवासी आबादी पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लेकिन आज नतीजे नहीं दिख रहे हैं। विकास की गति बहुत धीमी है। मैं मंत्री जी से विशेष रूप से पूछूंगा कि क्या सरकार के पास आदिवासी आबादी की साक्षरता दर को आज के 47 प्रतिशत से बढ़ाकर पांच साल में 60 प्रतिशत से ऊपर करने और शिशु मृत्यु दर को आज के 82 से घटाकर पांच साल में 1,000 जीवित जन्मों पर लगभग 60 तक लाने के लिए कोई मिशन मोड पर कोई समयबद्ध कार्यक्रम है।...(*व्यवधान*)

---

* प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय मेरे इस विशिष्ट प्रश्न का उत्तर दें कि क्या सरकार मिशन मोड पर है और क्या सरकार जनजातियों के विकास कार्यक्रमों को सुलझाने के लिए कोई तत्परता दिखाती है, जो भारत के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री जुएल ओराम : अध्यक्ष महोदया, भारत सरकार को ट्राइबल्स की गंभीर चिंता है, इसलिए इनके लिए अलग से एक मंत्रालय बनाया गया है। इंटीग्रिटेड ट्राइबल डेवलपमैंट प्रोजैक्ट/एजैंसी के क्रू में हम बहुत सारे काम करते हैं, खासकर महिलाओं में शिक्षा का विकास आदि। महिलाओं में लो लिट्रैसी होने के कारण हम अलग से स्पेशल योजना बनाते हैं। इसके कारण दसवर्षीय ग्रोथ में काफी राहत आयी है।

मैं माननीय सदस्य की चिंता से सहमत हूं कि हम इसका जितना वांछित विकास चाहते हैं, उतना नहीं हुआ है, लेकिन सरकार इस बारे में निरन्तर काम कर रही है। हम शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए मिशन मोड में काम कर रहे हैं। उनकी आजीविका के लिए भी हम काम कर रहे हैं। इसके लिए हम स्वतंत्र योजना चला रहे हैं।

[अनुवाद]

डॉ. अंबुमणि रामदास: महोदया, माननीय मंत्री जी ने मेरे इस विशिष्ट प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है कि क्या सरकार कोई मिशन मोड कार्यक्रम शुरू करने में तत्परता दिखाती है। फिर भी, महोदया, हमें देश के उत्तर पूर्वी भाग से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, उदाहरण के लिए, उनका प्यार और करुणा, महिलाओं और बच्चों के प्रति उनका प्यार। … (*व्यवधान*)

महोदया, आंकड़े बताते हैं कि पूरे देश में महिला लिंगानुपात बहुत कम है। पंजाब में महिला लिंग अनुपात लगभग 850 महिलाएं/1,000 पुरुष है। दक्षिण दिल्ली में महिला लिंगानुपात बहुत ही निराशाजनक है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा में महिला लिंगानुपात बहुत कम है। लेकिन उत्तर-पूर्वी राज्यों में महिला लिंग अनुपात पुरुष लिंग अनुपात से अधिक है। इसलिए, हमें उत्तर पूर्वी राज्यों से सीखना होगा।

फिर भी महोदया, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या मंत्रालय अन्य मंत्रालयों के कार्यक्रमों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए अपने मंत्रालय में कोई नोडल एजेंसी रखने का विचार रखता है। उदाहरण के लिए, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 60,000 जनजातीय आबादी है। चिटलिंग, चिथेरी, पालमलाई, वट्टलमलाई जैसे क्षेत्रों में लोग बिजली और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं के बिना रह रहे हैं। जब मैंने अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि समस्या वन क्षेत्र में है। ... (*व्यवधान*) महोदया, हमें वनों और बस्तियों के बीच बेहतर संतुलन कायम करना होगा। लेकिन फिर, मैं मंत्री जी से एक विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहूंगा कि क्या वह अपने मंत्रालय में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, पेयजल मंत्रालय जैसे अन्य मंत्रालयों के साथ समन्वय करने के लिए एक नोडल एजेंसी रखने के लिए तैयार हैं, ताकि इन सभी समस्याओं का त्वरित स्तर पर समाधान किया जा सके। ...

[हिन्दी]

श्री जुएल ओराम : अध्यक्ष महोदया, भारत सरकार ने वनबन्धु कल्याण योजना को मिशन मोड में लिया है, जिसके लिए सौ करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित है। पी.एस.पी. एरिया में, फिफ्थ शैडयूल एरिया के दस प्रदेशों के दस ब्लाक्स को हमने इस बार लिया है। सभी का विकास हो सके, इसके लिए हम कन्वर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं।...(व्यवधान)

जहां तक सैक्स रेश्यो की बात है, माननीय सदस्य ने ठीक कहा है कि नार्थ-ईस्ट में सैक्स रेश्यो अच्छा है लेकिन हरियाणा, पंजाब राज्यों में कम है। ये राज्य ट्राइबल नहीं हैं। कोआर्डिनेशन कमेटी हैडेड बाए सैक्रेट्री है, जिसमें हम पैसा आबंटित करते हैं। नोडल मिनिस्ट्री स्वयं मिनिस्ट्री है, इसलिए अलग से नोडल मिनिस्ट्री एपाइंट करने की आवश्यकता नहीं है। हम इस काम को हर मंत्रालय के साथ समन्वय करके करते हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपके भी हित की बात चल रही है। आदिवासियों के बारे में प्रश्न चल रहा है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सिर्फ आकर हल्ला नहीं किया जाता है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ऐसे चिल्लाने से काम नहीं होता है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मैं आपसे अनुरोध कर रही हूं। कृपया अपने स्थान पर वापस जाएं।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: ऐसा नहीं होगा।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : मुलायम सिंह जी, मैं क्वैश्चन आवर के बाद आपको बोलने का मौका दूंगी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अभी नहीं होता है। ऐसे रोज़-रोज़ बिना विषय के बात नहीं होती है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कोई पर्टीकुलर विषय नहीं दिया है। ऐसे नहीं होता है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी सीट पर जाइए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मुलायम सिंह जी, प्रश्नकाल के बाद मैं आपको बुलाऊंगी।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कृपया अपनी सीटों पर वापस जाएं।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मुझे खेद है; यह ठीक नहीं है।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : मैं बाद में आपको बोलने का मौका दूंगी। ऐसे नहीं होता है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कृपया ऐसा मत कीजिए।

... (व्यवधान)

श्री चिन्तामन नावाशा वांगा : माननीय अध्यक्ष जी, स्वतंत्रता के बाद भी आदिवासियों में एजुकेशन का प्रतिशत 50 से ऊपर नहीं गया है। आज भी आदिवासियों में पढ़ने वाले बच्चे 10वीं तक पढ़ते हैं। 10वीं के बाद एजुकेशन का परसेंटेज बहुत कम है। केंद्र सरकार के माध्यम से आश्रम स्कूल चलाए जाते हैं, लेकिन वे 10वीं तक हैं। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि आश्रम स्कूल 10वीं तक हैं, क्या इन्हें 12वीं के बाद कॉलेज तक आप शुरु कर सकते हैं?...(व्यवधान)

श्री जुएल ओराम: माननीय अध्यक्ष जी, अभी तक एकलव्य मॉडल रेजीडेंशियल स्कूल नवोदय की तरह का स्कूल है, इसे हम चला रहे हैं और यह प्लस टू तक है। 10वीं तक आश्रम स्कूल और बाकी स्कूल हैं। भारत सरकार ने अभी तक प्लस थ्री यानी ग्रेजुएशन के लिए विचार नहीं किया है।...(व्यवधान)

श्री गोडम नगेश : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आर्टिकल 275(1) में राज्यों की जनसंख्या के आधार पर ग्रांट्स का एलोकेशन होता है। 2013-14 में यूनाइटेड आंध्र

प्रदेश में केवल 3.50 करोड़ रुपये का एलोकेशन हुआ है, रिलीज़ हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वर्ष 2014-15 में आर्टिकल 275(1) में कितना आबंटन तेलंगाना राज्य के लिए किया गया है, क्या इसके बारे में जानकारी देंगे?...(व्यवधान)

श्री जुएल ओराम : माननीय अध्यक्ष जी, तेलंगाना राज्य अभी बना है। हमने पहले जो आबंटन किया था, वह आंध्र प्रदेश के लिए था। अभी तक इस साल के आबंटन का आंकड़ा नहीं है, क्योंकि, यह रिलीज़ स्टेज में है। मैं माननीय सदस्य को पूरा रिलीज़ होने के बाद अलग से जानकारी दे दूंगा।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मुलायम सिंह जी, आप क्या कहना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सब अपनी सीट पर जाइए। तब मैं उन्हें बोलने का मौका दूंगी।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कृपया अपनी सीटों पर वापस जाएं। तो, मैं मुलायम सिंह जी को सुनूंगी।

… (*व्यवधान*)

पूर्वाह्न 11.15 बजे

इस समय श्री जय प्रकाश नारायण यादव, श्री धर्मेंद्र यादव, श्री राजेश रंजन, श्री कल्याण बनर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने स्थान पर वापस चले गए।

पूर्वाह्न 11.15 ½ बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

देश में किसानों का ऋण माफ किए जाने, विदेश से काला धन वापस लाए जाने और भारतीय राज्य क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान द्वारा कथित घुसपैठ के बारे में निवेदन।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (आज़मगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदया, कहने को तो बहुत सारी बातें हैं। ...(व्यवधान) प्रधानमंत्री जी ने चुनाव में जनता के सामने यह वायदा किया था कि 15 हजार रुपए तक का कर्जा सारे किसानों का माफ कर देंगे। ...(व्यवधान) दूसरी बात उन्होंने कही कि जो जमीनें चीन और पाकिस्तान ने दबा रखी हैं, उसे वापस लेंगे। इसके अलावा कई ऐसी बातें हैं, जिनके बारे में उन्होंने कहा था, लेकिन एक भी वायदा पूरा नहीं किया। ...(व्यवधान) मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आ गये हैं। ...(व्यवधान) फिर उन्होंने कहा कि नौज़वानों को रोज़गार देंगे और नौकरी देंगे। ...(व्यवधान) उन्हें भड़काकर, सारे लोगों से वोट लिया और आप प्रधानमंत्री बन गये। ...(व्यवधान) अब कोई एक काम तो करके दिखाइए। ...(व्यवधान) चीन और पाकिस्तान का कब्जा हमारी जमीनों पर से हटाइए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री मुलायम सिंह जी अभी एडजर्नमेंट मोशन के लिए नहीं हो सकता है।

... (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : आपने एक भी काम नहीं किया है। ...(व्यवधान) प्रधानमंत्री जी आ गये, मुझे खुशी है। प्रधानमंत्री जी इसका जवाब दे दें। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं ऐसे नहीं होता है। मुझे खेद है।

... (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : आप जवाब दे दें और अच्छी तरह से सदन चलाइए। ...(व्यवधान) प्रधानमंत्री जी इसे बतायें। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इस प्रकार से सवाल-जवाब नहीं होता है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मुलायम सिंह जी आपने अपनी बात कह दी। अब बैठिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया है, ...(व्यवधान) तो प्रधानमंत्री जी ले जाएंगे। आज लाखों लोग सड़कों पर हैं, ...(व्यवधान) ये जिलों-जिलों में और गांव-गांव में होंगे। ...(व्यवधान) इसलिए हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का कोई संतोषजनक जवाब आ जाए। ...(व्यवधान) हम प्रधानमंत्री जी से जवाब सुनना चाहेंगे। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, ऐसा नहीं होता है।

... (व्यवधान)

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) : माननीय अध्यक्ष जी, श्री मुलायम सिंह यादव जी बहुत अनुभवी हैं।...(व्यवधान) उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है। हमने जो वायदे किये हैं, ...(व्यवधान) उनमें से मैक्सिमम वायदे निभाये हैं। ...(व्यवधान) यदि नहीं निभाया है, तो हम जनता के पास जाकर बताएंगे। ...(व्यवधान) यह कोई तरीका नहीं है। ...(व्यवधान) यह आम सभा नहीं है। जब वक्त आएगा, तो हम जवाब देंगे। ...(व्यवधान) हम अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे देशवासी खुश हैं। ...(व्यवधान) आप झारखण्ड में भी देखेंगे, जम्मू-कश्मीर में भी देखेंगे और दिल्ली में भी देखेंगे।...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.18 बजे

प्रश्नों के मौखिक जवाब.... जारी

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या .402, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत - उपस्थित नहीं।

(प्रश्न संख्या 402)

कर्नल सोनाराम चौधरी: माननीय अध्यक्ष जी, कुछ वर्ष पहले बाड़मेर और जैसलमेर में समृद्ध तेल क्षेत्रों की खोज की गई थी। (*व्यवधान*) आज की तारीख में मेरे निर्वाचन क्षेत्र से लगभग 25-30 प्रतिशत तेल बनता है। ... (*व्यवधान*) वे तेल क्षेत्र मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हैं। ओ.एन.जी.सी. और केयर्न इंडिया दोनों ही वहां परिचालन कर रही हैं। केयर्न इंडिया को 70 प्रतिशत और ओ.एन.जी.सी. को 30 प्रतिशत हिस्सेदारी मिली है। ... (*व्यवधान*) जैसा कि आप जानते हैं, तेल की कमी को कम करने तथा विदेशी मुद्रा बचाने के लिए अभी भी बहुत सारे ब्लॉकों का पता लगाया जाना बाकी है। तो, मेरा प्रश्न यह है। क्या सरकार शेष ब्लॉक ओ.एन.जी.सी. और केयर्न इंडिया को आवंटित करने की योजना बना रही है? ... (*व्यवधान*) लेकिन मुझे लगता है कि ओ.एन.जी.सी. के लिए 30 प्रतिशत हिस्सेदारी कम है। मेरा कहना है कि शेष जो भी ब्लॉक वे आवंटित करना चाहते हैं, उनमें से ओंजीसी का हिस्सा बढ़ाया जाना चाहिए। ... (*व्यवधान*) क्या मंत्री जी कहेंगे कि इसे बढ़ा देंगे? मान लीजिए कि काम पूरा होने के बाद वे इसे केयर्न इंडिया और ओ.एन.जी.सी. को नहीं दे रहे हैं, तो क्या सरकार नीलामी करेगी या इसे निजी पार्टियों को देगी? दो प्रश्न हैं, (अ) और (ब)

[**हिन्दी**]

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : माननीय अध्यक्ष महोदया, मूलतः यह प्रश्न मुम्बई हाई के रिडेवलपमेंट के बारे में है, यह एक अलग प्रश्न है। ...(व्यवधान) मैं माननीय सदस्य को इस प्रश्न में बारे में मिलकर जानकारी दे दूंगा। ...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे : माननीय अध्यक्ष महोदया, वर्ष 1990 में मुम्बई हाई में जितना प्रोडक्शन हो रहा था, आज उसका 85 प्रतिशत प्रोडक्शन हो रहा है। ...(व्यवधान) मंत्री जी ने अपने जवाब में जो उत्तर दिया है, उसमें

उन्होंने कहा है कि कोई लॉस नहीं हो रहा है ...(व्यवधान) और किसी भी केस की इन्क्वायरी पेंडिंग नहीं है ...(व्यवधान) जबकि मुम्बई हाई में आग लग गयी थी और उसके कारण भारी नुकसान हो गया था। ...(व्यवधान) मंत्री महोदय का जवाब नम्बर एक, जो एम.एच.एस.आर.[हिन्दी] डी. फेज-वन से संबंधित है, उसमें उन्होंने कहा है कि ...(व्यवधान) यह स्कीम ऑरिजनली वर्ष 2001 में अप्रूव्ड हुई।...(व्यवधान)इसकी फिजीबिल्टी रिपोर्ट जनवरी, 2006 में आई, इस तरह इसमें छः साल का डिले हुआ। दूसरा, उन्होंने एम.एच.एस.आर.डी. चरण-1 के संबंध में कहा गया है कि इसे अक्टूबर, 2001 में मंजूरी दी गई थी तथा इसे वर्ष 2005 में मंजूरी दी गई। तीसरे जवाब में उन्होंने कहा कि स्कीम वर्ष 2009 में एप्रूव हुई और वर्ष 2014 में पूरी हुई। यह उन्हीं का जवाब है। उन्होंने कहा कि एमएचएसआरडी चरण-2 योजना अक्टूबर, 2007 में स्वीकृत हुई और वर्ष 2009 में इसे संशोधित किया गया था। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जब पांच-पांच साल, छः-छः साल प्रोजेक्ट्स डिले चल रहे हैं, उसके बाद भी आपको लगता है कि कोई घाटा नहीं हो रहा है तो क्या आपने प्रिपोन करके इन प्रोजेक्ट्स को एप्रूव किया था या उसकी कोई टाइम-लाइन बनाई थी, जिसके आधार पर आप बताएंगे कि घाटा हो रहा है या नहीं?

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: अध्यक्ष जी, बॉम्बे रिडेवलपमेंट प्लान का तीसरा फेज अभी होने वाला है। चरण- 1वर्ष 2000 से शुरू हुआ, चरण-2 वर्ष 2007 से शुरू हुआ। माननीय सदस्य ने चरण-1 के बारे में जो प्रश्न पूछा है, उसकी हम निगरानी करके देखेंगे। रिवाइज्ड फिजीबिल्टी रिपोर्ट के बारे में इसमें लिखा है। कुल मिलाकर, जो रिडेवलपमेंट प्लान हुआ, उसमें कोई आर्थिक हानि नहीं हुई है। उसका विवरण मैं सदन के पटल पर रखकर उनको अवगत कर सकता हूं। प्रोजेक्टवाइज कुल मिलाकर जो आकलन किया गया था, जो टेंडर वैल्यू हुई, उससे कम खर्च पर लगभग 100 प्रतिशत परफार्मेंस पिछले चौदह सालों में मुंबई रिडेवलपमेंट फेज-1 और फेज-2 की रही है और फेज-3 की प्रक्रिया अभी जारी है।

(प्रश्न संख्या403)

डॉ. किरीट सोमैया: अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि गत तीन-चार वर्षों में, विशेषकर वर्ष 2009 के पश्चात् स्टील इंडस्ट्री में काफी गिरावट आई है, अनेक कंपनियां बंद होने लगी

हैं, कोल सप्लाई के लिए जो कैप्टिव कोल ब्लॉक्स दिए गए थे, कोल सप्लाई कम होने के कारण हिन्दुस्तान में स्टील प्रोडक्शन कम होने के कारण आज चाइना से स्टील इम्पोर्ट करना पड़ रहा है।

[पूर्वाह्न 11.22 बजे

इस समय श्री राजेश रंजन, श्री धर्मेन्द्र यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इसके कारण इंप्लायमेंट में भी गिरावट आ रही है। क्या मंत्री महोदय इस विषय पर ध्यान देंगे कि हिन्दुस्तान की प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर की स्टील इंडस्ट्रीज में एन.पी.ए. बढ़ रहा है? उनकी कोल सप्लाई थोड़ा बढ़े, कोल मिनिस्ट्री से इस संबंध में बात करके, इस विषय में ध्यान देने के लिए मंत्री महोदय क्या करेंगे?

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है, सरकार उनकी चिन्ता से अवगत है और निश्चित रूप से सरकार इस दिशा में प्रयत्नशील है। यह सच है कि पिछले दिनों स्टील के उत्पादन में संकट खड़ा हुआ है, उसके कुछ कारण हैं। मुख्य रूप से देश में अवैध उत्खनन की बात बड़ी तेजी से आई थी, उसकी वजह से शाह कमीशन द्वारा इनक्वायरी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया और बहुत सारी माइन्स के बारे में निर्णय आए। निर्णय के कारण उत्खनन की प्रक्रिया अवरूद्ध हुई। आज निश्चित रूप से आयरन ओर की जो पर्याप्त उपलब्धता होनी चाहिए, उसके उत्पादन में भी कमी है और कोयले के उत्पादन क्षेत्र में भी निश्चित रूप से कमी है। आप सभी के ध्यान में है कि पिछले दिनों माननीय न्यायालय ने 24.09.2014 को निर्णय दिया, उस निर्णय के अनुसार 204 कोल ब्लॉक्स के आबंटन निरस्त कर दिए गए। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि भारत सरकार ने तत्काल इस बात का संज्ञान लिया और बहुत ही कम समय में 21.10.2014 को स्पेशल प्रॉविजन आर्डिनेंस जारी किया। उसके आधार पर कोकिंग कोल और गैर-कोकिंग कोल की आपूर्ति ठीक ढंग से हो सके, पारदर्शी प्रक्रिया बन सके और हर सेक्टर में कोयले का आबंटन ठीक

प्रकार से किया जा सके और इस दिशा में सरकार ने प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया है, जल्दी ही उसके परिणाम सामने आने वाले हैं।

डॉ. किरीट सोमैया : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं मानता हूं कि गत् कुछ महीनों में, मोदी सरकार, कोल मिनिस्ट्री और स्टील मिनिस्ट्री ने कुछ अच्छे कदम उठाए हैं, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। लेकिन साथ ही मैं उनका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित कराना चाहूंगा कि जिस प्रकार से चाइना, इंडिया में स्टील डम्पिंग कर रहा है, उसके कारण यहां की स्टील इंडस्ट्रीज बंद होने लगी हैं। हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी आह्वान कर रहे हैं कि "मेक इन इंडिया" का आभियान शुरु करें। इस " मेक इन इंडिया" आभियान को प्रोटैक्ट करने के लिए, जो स्टील इंडस्ट्री बीमार हो रही है, तो जिस प्रकार से आप पावर इंडस्ट्री का ध्यान रख रहे हैं, उसे बैलेंस कर रहे हैं, उसी प्रकार से स्टील इंडस्ट्री को भी प्रोटैक्शन मिले। इसके लिए क्या कोल मिनिस्ट्री, स्टील प्रोड्यूसर एसोसिएशन और स्टील मंत्रालय जॉइंट-मीटिंग करेगी और चाइना के डम्पिंग से इंडिया की इंडस्ट्री को बचाएगी?

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य की चिंता निश्चित रूप से वाजिब है। चाइना के पास स्टील का सरप्लस उत्पादन है, वह बाजार ढूंढ रहा है और बाजार हिंदुस्तान में उपलब्ध है। इस कारण चाइना से स्टील इम्पोर्ट हो रहा है। लेकिन भारत सरकार और स्टील मंत्रालय इस दिशा में पूरी तरह सजग हैं। किसी भी प्रकार से स्टील इंडस्ट्री को नुकसान न हो, इस दृष्टि से हम लोग वित्त मंत्रालय से चर्चा कर रहे हैं और उस विषय को उठा रहे हैं। जहां तक कोकिंग-कोल और बाकी पावर इंडस्ट्री को प्रोटैक्ट करने का सवाल है, तो देश के विकास में और आम-जनता की उपयोगिता की दृष्टि से, पावर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कोयला मंत्रालय भी, इस दृष्टि से, जो नीति बना रहा है, उसमें वह पावर इंडस्ट्री को प्रोटैक्शन दे रहा है। स्टील इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री तथा बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं, उन्हें जो सहूलियतें देनी चाहिए, उस दृष्टि से कोयला मंत्रालय कार्रवाई कर रहा है।

<u>पूर्वाह्न 11.27 बजे</u>

इसके बाद श्री मुलायम सिंह यादव, श्री राजेश रंजन और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैंने मंत्री जी द्वारा रखे गए उत्तर को पढ़ लिया है और उस उत्तर को भी पढ़ लिया है जो इसके अंतिम भाग में शुरू किया गया है।

पिछले एक दशक में, ओडिशा इस्पात उद्योग में काफी निवेश आकर्षित करने में सक्षम रहा है और ओडिशा में कई इस्पात संयंत्रों के साथ-साथ संबद्ध कैप्टिव विद्युत संयंत्र भी स्थापित किए गए हैं। इन संयंत्रों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ओडिशा के लाखों लोगों को रोज़गार दिया है। इस वर्ष 18 दिसंबर के आदेश के अनुसार, 65 कोयला ब्लॉक नीलामी के लिए चिह्नित किए गए हैं और इनमें से नौ ओडिशा में हैं। गैर-विनियमित क्षेत्र, अर्थात् इस्पात, सीमेंट एवं अन्य संयंत्रों के लिए केवल एक ब्लॉक निर्धारित किया गया है। शेष आठ ब्लॉक विद्युत संयंत्रों के लिए हैं तथा केवल एक ब्लॉक इस्पात, सीमेंट और अन्य उद्योगों के लिए निर्धारित किया गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि क्या कोयला ब्लॉक, जो पहले इस्पात और अन्य गैर-पंजीकृत उद्योगों के लिए आवंटित किए गए थे, बरकरार रखे जाएंगे और क्या मंत्री जी कोयला मंत्री जी पर इस बात के लिए दबाव डालेंगे कि वे इस्पात क्षेत्र, विशेष रूप से ओडिशा के लिए कोयला ब्लॉकों को बरकरार रखें और ओडिशा में परिचालनरत और मूल्य संवर्धन कर रहे इस्पात संयंत्रों और कैप्टिव विद्युत संयंत्रों के लिए कोयला ब्लॉकों को चिह्नित करने के लिए क्या अन्य कदम उठाए गए हैं।

[हिन्दी]

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने 18 तारीख के परिपत्र का जो उल्लेख किया है, वह सही है। कोयला मंत्रालय ने इस प्रक्रिया को दो भागों में विभक्त किया है, एक रैगुलेटरी और दूसरी डी-रैगुलेटरी। पीएसयूज में उन्होंने आबंटन करने की स्थिति बनाए रखी है तथा यह बात भी सही है कि स्टील के एक सार्वजनिक उपक्रम सेल को उन्होंने एक ब्लॉक आबंटन करने की बात कही है। हम लोगों ने उसका

संज्ञान लिया है और कोयला मंत्रालय से उस दृष्टि से चर्चा कर रहे हैं। लेकिन डिरेगुलेटिड सेक्टर्स में जो माइन्स हैं, उसमें स्टील उद्योग और सीमेंट भी शामिल है। उस सैक्टर में जब ऑक्शन होगा तो स्टील उद्योग को निश्चित रूप से कोई परेशानी नहीं आएगी, ऐसा कोयला मंत्रालय का मानना है। लेकिन स्टील उद्योग के संरक्षण की दृष्टि से स्टील मंत्रालय पूरी तरह से चिंतित है और हम कोयला मंत्रालय से लगातार उस विषय में बात कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री के. एन. रामचंद्रन: माननीय अध्यक्ष महोदया, धन्यवाद। हमारे इस्पात क्षेत्र में वास्तव में बहुत अधिक विकास हुआ है, यद्यपि इसमें देरी हुई है। भविष्य में इस्पात क्षेत्र में अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए भारत सरकार ने क्या नीति बनाई है?

[हिन्दी]

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : अध्यक्ष महोदया, स्टील उद्योग देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है। देश की ग्रोथ बढ़ाने में और रोजगार सृजन में भी इसका बहुत योगदान है। स्टील उद्योग को बढ़ावा मिले, इसके लिए सरकार पूरी तरह से प्रयत्नशील है। सरकार का जो उपक्रम है, उसमें सेल ने एक्सपेंशन का निर्णय लिया है। इसके लिए 61 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया है। दो प्लांटों का काम पूरा होने की स्थिति में है और बाकी का काम वर्ष 2015 तक पूरा हो जाएगा। इससे स्टील का उत्पादन बढ़ेगा और रोजगार का सृजन भी होगा।

[अनुवाद]

श्री कल्याण बनर्जी: धन्यवाद, महोदया। दशकों से, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और इस्पात उद्योग में अन्य सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पी.एस.यू.) निजी संगठनों के साथ प्रतिस्पर्धा करके हमारे देश में इस्पात उद्योग के अग्रणी के रूप में उभरे हैं। हमें सेल और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रदर्शन की सराहना करनी चाहिए कि उन्होंने हमारे देश में भी अच्छा प्रदर्शन किया है।

महोदया, अभी हाल ही में एक नया विधेयक आया है और यह विधेयक इस सभा से पारित भी हो गया है। सेल कुछ वर्षों से अपने उद्देश्यों तथा इस्पात उद्योग के लिए आस्ट्रेलिया से कोयला आयात कर रहा है। महोदया,

आपके माध्यम से मुझे एक प्रश्न पूछना है और साथ ही/तदनुरूप अनुरोध भी करना है। क्या माननीय मंत्री जी ने नीलामी प्रणाली मौजूद होने के बावजूद सेल और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कोयला और लौह अयस्क की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाया है? इसके अलावा, यदि वे इसे नीलामी प्रणाली के तहत नहीं दे सकते हैं, तो कोयला और लौह अयस्क प्राप्त करने के उद्देश्य से इस्पात उद्योग को चलाने के लिए माननीय मंत्री जी द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

[हिन्दी]

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : अध्यक्षा जी, मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे स्टील के प्रति काफी चिन्तित हैं। उन्होंने अच्छे काम को सराहा भी है। जब हम कोयले की उपलब्धता को देखते हैं तो स्टील सैक्टर, पावर सैक्टर और सभी सैक्टर्स के लिए देश में कोयले की उपलब्धता की काफी कमी है। हमारे देश में झरिया कोल फील्ड में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है। उसके लिए भी कोल मंत्रालय लगातार प्रयत्न कर रहा है। पिछले दिनों में काफी प्रयत्न किए गए हैं और अभी मुझे लगता है कि झारखण्ड के चुनावों के बाद भारत सरकार उस दिशा में कदम बढ़ाएगी, लेकिन अभी कुल मिलाकर स्टील सैक्टर में जितने कोयले की आवश्यकता है, उसका 70 प्रतिशत हम आयात करते हैं। अभी सेल, आर.आई.एन.एल. और एम.एन.डी.सी. ने मिलकर एक कम्पनी बनायी है, जिसके द्वारा हम इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। विदेश में जहां भी कोल की उपलब्धता है, जैसे कि मोजाम्बिक में भी अभी माइन्स का आधिग्रहण किया गया है। वहां से उत्पादन शुरू हो गया है और कुछ दिन में वहां से कोयला आना शुरू हो जाएगा। इस दिशा में हम लोग चिंतित हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कोयले की उपलब्धता बढ़े।

[अनुवाद]

डॉ. शशि थरूर: धन्यवाद, अध्यक्ष महोदया। मंत्रालय द्वारा उत्तरों के तौर-तरीके में एक परेशान करने वाला आत्मसंतोष उभर रहा है। आज माननीय मंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोयला ब्लॉकों के आबंटन रद्द किये जाने के कारण कोयले की आपूर्ति बाधित नहीं हुई है।

इस माह की 8 दिसंबर तारीख के अतारांकित प्रश्न संख्या 2,375 में सरकार ने दावा किया है कि 2013-2014 में लौह अयस्क का कुल उत्पादन 152.43 मिलियन टन था। इसके विपरीत, अनुमानित खपत केवल 110.5 मिलियन टन है। दूसरे शब्दों में, वे हमें आश्वस्त कर रहे हैं कि लौह अयस्क की कोई कमी नहीं है, तथा प्रमुख इस्पात संयंत्र ठीक काम कर रहे हैं, आदि। ऐसी स्थिति में, एक बुनियादी मुद्दा सामने आता है: ऐसा क्यों है कि सरकार के अपने आंकड़ों के अनुसार, इस वित्तीय वर्ष के पहले सात महीनों में भारत का लौह अयस्क आयात बढ़कर रिकॉर्ड 6.76 मिलियन टन हो गया है? इसके अलावा, टाटा स्टील ने 100 वर्षों में कभी भी लौह अयस्क का आयात नहीं किया था; इस बार, 100 वर्षों में पहली बार, उन्हें लौह अयस्क का आयात करना पड़ा। जेएसडब्ल्यू और अन्य जैसे प्रमुख इस्पात उत्पादकों के साथ भी यही स्थिति है। यह स्पष्ट है कि भारत दुनिया के अग्रणी लौह अयस्क उत्पादकों और आपूर्तिकर्ताओं में से एक होने के बावजूद, इस्पात उद्योग को घरेलू खदानों से पर्याप्त लौह अयस्क की आपूर्ति नहीं मिल पा रही है।

इसलिए, माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न यह है कि क्या भारत सरकार ने इस विसंगति के कारणों की पहचान करने के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण लौह अयस्क का उत्पादन बढ़ाने के लिए सुधारात्मक उपाय करने हेतु कोई कदम उठाए हैं। हम ऐसा देश नहीं बन सकते जो चीन जैसे देशों को कच्चा माल निर्यात करता हो और बाहर से लौह अयस्क का आयात करता हो। मुझे लगता है कि हम अपने देश को विफल कर रहे हैं, महोदया। मैं मंत्री जी के स्पष्टीकरण की सराहना करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: माननीय अध्यक्षा जी, मैंने पूर्व में भी यह बात कही कि स्टील उद्योग अगर संकट में है तो उसका सबसे बड़ा कारण आयरन ओर की अनउपलब्धता है और उसके कारण पिछले दिनों जो भी परिस्थितियां बनीं, उसके कारण बहुत सारी माइन्स बंद हुई। उसके कारण निश्चित रूप से उपलब्धता में कमी आई है और इसके कारण स्टील उद्योग संकट में है। लेकिन लगातार हम लोग इस दिशा में प्रयत्नशील हैं कि माइनिंग ज्यादा से ज्यादा हो, आयरन ओर की उपलब्धता बढ़े और इसके लिए हम लोगों ने नयी गाइडलाइन्स भी जारी है जिसके कारण काफी कुछ हुआ है। सरकार के जो उपकरण एनएनडीसी हैं, उसके साथ भी हम लोग

बैठे हैं और उसका उत्पादन बढ़े, वह बाजार में आए, इस दृष्टि से भी हम प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य कुछ कदम भी स्टील मंत्रालय और माइनिंग मंत्रालय ने इस दिशा में उठाए हैं।

(प्रश्न संख्या 404)

[अनुवाद]

श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन: माननीय अध्यक्ष महोदया, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 स्वतंत्र भारत में श्रमिकों के लिए पहला प्रमुख सामाजिक सुरक्षा कानून है। लगभग तीन करोड़ कर्मचारी ईएसआई योजना से सीधे लाभान्वित होते हैं। पिछली यूपीए सरकार ने ई.पी. एफ पेंशनभोगियों को न्यूनतम 1,000 रुपये पेंशन का आश्वासन दिया था, साथ ही ईएसआई कवरेज के लिए कर्मचारियों की आय सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का निर्णय लिया गया था।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या पिछली सरकार के इन आश्वासनों या निर्णयों का इस सरकार द्वारा सम्मान किया जा रहा है और यदि हां, तो क्या ये आश्वासन पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होंगे।

श्री बंडारू दत्तात्रेय: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैंने पहले ही वक्तव्य सदन के पटल पर रख दिया है। हाल ही में, ईएसआईसी की 162वीं बैठक में हमने कुछ निर्णय लिए हैं। इनमें से एक प्रस्ताव प्रति वर्ष बीमित व्यक्ति के लिए अधिकतम सीमा 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये करने के बारे में है। दूसरा निर्णय अगले पांच वर्षों के दौरान, अर्थात् 2015-16 से, प्रति बीमित व्यक्ति प्रति वर्ष 150 रुपये की वृद्धि करना है। ईएसआई योजना की प्रभावी निगरानी के लिए हमने राज्य सरकारों को अधिकृत किया है; अनुमोदन के बाद हमने प्रधान सचिव और आयुक्त की सदस्यता वाली एक राज्य समिति गठित की है ताकि अधिक विकेन्द्रीकरण हो सके, और जब भी कोई स्थानीय समस्या उत्पन्न होती है, जिसमें बिस्तरों की उपलब्धता भी शामिल है, तो उन समस्याओं को हल करने का अधिकार इसे दिया गया है। राज्य कार्यकारी समिति को 200 बिस्तरों वाले ईएसआई अस्पतालों की विशेष मरम्मत के लिए 3 करोड़ रुपये तक तथा 200 से अधिक बिस्तरों वाले ईएसआई अस्पतालों की विशेष मरम्मत के लिए 5 करोड़ रुपये तक की शक्तियां होंगी। इसीलिए, ईएसआईसी योजना की प्रभावी निगरानी के लिए, हमने समिति में कई चरण बनाए हैं।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन: मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि हमारे देश के कोने-कोने में बड़ी संख्या में ईएसआईसी अस्पताल स्थापित हैं तथा लाखों कर्मचारी और उनके परिवार इन अस्पतालों से लाभान्वित हो रहे हैं। यूपीए सरकार द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में 50 नए ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सरकार द्वारा कोई ई.एस.आई.सी. मेडिकल कॉलेज भी स्थापित करने का प्रस्ताव है। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या श्रम विभाग द्वारा घोषित इन मेडिकल कॉलेजों में से किसी में भी प्रवेश शुरू हो गया है, जिसमें परिपल्ली भी शामिल है या कब शुरू होने की संभावना है।

श्री बंडारू दत्तात्रेय: मैंने पहले ही उन पहलों का उल्लेख किया है जो हमने की हैं। इसके अलावा, दो या तीन और पहल हैं जो हमने की हैं। दवाओं की गुणवत्ता और दवा परीक्षण नीति में सुधार के लिए इसमें भी बदलाव किया गया है और प्रत्येक विक्रेता द्वारा आपूर्ति की जाने वाली दवाओं के सभी बैचों का प्रयोगशाला परीक्षण किया जाता है। ... (*व्यवधान*)

मैं उस मुद्दे पर आ रहा हूं। दरअसल, मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। हमारी सेवाएं उन लोगों के लिए हैं जो श्रमिक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। हमारा मुख्य विषय चिकित्सा शिक्षा को देखना नहीं है। मैं इस विषय पर माननीय सदस्य के साथ अलग से चर्चा करूंगा। मैं ज्यादा बातें नहीं बताना चाहता क्योंकि एक निश्चित समय पर 20,000 करोड़ रुपये का अधिशेष था। उस समय तत्कालीन सरकार ने चिकित्सा शिक्षा को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। एक त्रिपक्षीय समिति है। कई माननीय सदस्य भी उस त्रिपक्षीय समिति के सदस्य हैं। उस समिति में कार्यकर्ताओं ने महसूस किया कि उनका योगदान चिकित्सा शिक्षा पर क्यों खर्च किया जाए, जो हमारा मुख्य विषय नहीं है। इसे देखते हुए, हमने राज्य सरकारों से इस परियोजना को आगे बढ़ाने को कहा है।

हम इस विषय पर केरल सरकार के साथ अलग से चर्चा कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री रवनीत सिंह : मैडम, सेहत एक ऐसा विषय है, जो क्वान्टिटी से नहीं बल्कि क्वालिटी से जोड़ा जाता है। ई.एस.[हिन्दी] आई. सहूलियतें हमारा गरीब मजदूर, जो एक सुई से जहाज तक बनाता है, वह इन सहूलियतों

को ज्यादा यूज करता है। इसके लिए मजदूर अपनी तनख्वाह में से 1.75 परसैन्ट कटवाता है और 4.75 परसैन्ट इंडस्ट्रीज या कारखाने का मालिक अपनी जेब से देता है। अगर मैं ई.एस.आई. हास्पिटल्स और डिस्पेन्सरीज की बात करूं तो ये लुधियाना में 12 हैं और एक हास्पीटल है। उसमें मजदूरों के लिए न तो डाक्टर्स हैं और न दवाइयां हैं। हम सब चाहे पैसे वाले लोग हों या बाकी लोग हों, वे सब अपनी मर्जी से अपोलो जा सकते हैं, मैक्स हास्पिटल जा सकते हैं और बड़े-बड़े हास्पिटल्स में जा सकते हैं। लेकिन जो मजदूर देश की तरक्की का चक्का चला रहा है, उसके लिए क्या हो रहा है। मैं समझता हूं कि मजदूर के लिए भी खास तौर पर मल्टीपल हैल्थ केयर कार्ड बनाया जाए, जिससे कि वह अपनी मर्जी से अपने परिवार का और अपना इलाज करा सके। हमने उसे सिर्फ ई.एस.आई. में क्यों बांध कर रखा है, जहां दवाई और डाक्टर्स उपलब्ध नहीं हैं, जबकि सारे काम मजदूर ही करने वाला है। फिर भी उसका अच्छा हास्पिटल्स में इलाज नहीं हो रहा है। इसके बारे में मंत्री जी एश्योर करें कि वह अपना और अपने परिवार का इलाज किसी भी अच्छे अस्पताल में करा सके। आप कहेंगे कि वह ई.एस.आई.सी. हॉस्पिटल से रैफर करता है, लेकिन कोई भी उसे रैफर नहीं कर रहा है। मैं ग्राउंड लैवल की सच्चाई आपको बता रहा हूँ।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: यह मल्टीपल कार्ड के बारे में है।

श्री बंडारू दत्तात्रेय: महोदया, बड़ी संख्या में सूचीबद्ध अस्पताल हैं। सुपर स्पेशियलिटी उपचार भी उन सूचीबद्ध अस्पतालों द्वारा प्रदान किया जाएगा। हम मरीजों को पैनल में शामिल अस्पतालों में भेज रहे हैं। हम विशेष रूप से अपने कुछ अस्पतालों में, जैसे मेरे निर्वाचन क्षेत्र सनातनगर में, एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल है और रेफरल अस्पताल हैं जिनमें हम रोगियों की देखभाल कर रहे हैं।

[हिन्दी]

डॉ. किरिट पी. सोलंकी : महोदया, जहां तक ई.एस.आई.सी. स्कीम की बात है, यह मज़दूरों के लिए काफी अच्छा कार्यक्रम है। एक जमाने में अहमदाबाद कपड़ा नगरी थी। इसे भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता

था। वहां काफी मज़दूर थे, वहां लाखों की संख्या में आईपीज़ थे। जब मिलें बंद हुई, उसके बाद गुजरात सरकार के विकास के कार्यों से कई नई प्रोडक्शन की ईकाइयां शुरू हुईं। जहां तक अहमदाबाद का सवाल है, यह मेरा संसदीय क्षेत्र है, वहां ई.एस.आई.सी. का मॉडल हॉस्पिटल कार्यरत है। अभी-अभी एक नया हॉस्पिटल बना है, वह बहुत अच्छा बना है, मगर वहां कोई सुविधा नहीं है। वे एक प्लेन एक्स-रे के लिए किसी अन्य हॉस्पिटल में भेजते हैं, कार्डियोग्राम के लिए अन्य हॉस्पिटल में भेजते हैं, सुपर-स्पेशियलिटी के लिए भेजते हैं। जहां तक स्टाफ का सवाल है, कर्मचारियों का सवाल है, वहां के कर्मचारियों के लिए गुजरात के वापी में एक नया हॉस्पिटल बनाया गया है। अहमदाबाद के हॉस्पिटल से वहां कर्मचारियों को भेजा जाता है, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, पैरामैडिकल स्टाफ हो या डॉक्टर्स हों, उनको वहां भेजते हैं। इस वजह से उनको बहुत तकलीफ होती है। मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि क्या आप ई.एस.आई.सी. के मॉडल हास्पिटल को सुविधायुक्त बनाएंगे? जो आपकी ट्रांसफर नीति है, वापी में एक नया हॉस्पिटल एस्टैबलिश करते हैं तो वहां नया स्टाफ रिक्रूट करना चाहिए, न कि अहमदाबाद के लोगों को वहां ट्रांस्फर करना चाहिए।...(व्यवधान) क्या आप वहां नया स्टाफ रिक्रूट करेंगे?

श्री बंडारू दत्तात्रेय : महोदया, माननीय सदस्य ने गुजरात के हॉस्पिटल्स के बारे में पूछा है। उनमें से कुछ में रेनोवेशन हो रहा है और कुछ में सर्विसेज़ भी दे रहे हैं। जहां पर डॉक्टर्स की कमी है, उसके लिए भी हमने प्रावधान किए हैं। आने वाले समय में हम दस साल की एक योजना बना कर पहले से ही डॉक्टर्स का भी एपॉइंटमेंट करने की नीति बनाएंगे। हमें सुपर-स्पेशियलिटी डॉक्टर्स मिलने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, उनको रिक्रूट करने के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जहां-जहां डॉक्टर्स की वैकेंसी है, वहां दो बातें ध्यान में आयी हैं। एक है कि सुपरस्पेशियलिटी में डॉक्टर्स कम मिल रह हैं और डॉक्टर्स प्राईवेट हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं। उसके लिए हम डॉक्टर्स की सुविधाएं बढ़ाने पर भी विचार कर रहे हैं।

श्रीमती बुट्टा रेणुका: महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि क्या कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी ईएसआई योजना के अंतर्गत कवर होती हैं, क्योंकि अधिकांश गरीब लोग इसका खर्च वहन नहीं कर सकते। इन बीमारियों का इलाज बहुत महंगा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये बीमारियां ईएसआई योजना के अंतर्गत कवर होती हैं।

श्री बंडारू दत्तात्रेय: महोदया, जहां-जहां भी नए क्षेत्र हैं, वहां-वहां हम सर्वेक्षण कर रहे हैं। एक बार आईएमपी संख्याएं कवर हो जाने के बाद, सर्वेक्षण का विवरण राज्य सरकार को दे दिया जाएगा। बदले में, राज्य सरकार इन चीजों की सिफारिश करेगी।

दूसरा, ई.एस.आई. अस्पतालों में भी कैंसर को हमारी योजना में शामिल किया गया है। विशेष अस्पताल भी उपलब्ध कराये गये हैं। इसके अलावा, मैं आईएमपी का दायरा बढ़ा रहा हूं।

(प्रश्न संख्या405)

[हिन्दी]

डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़ : महोदया, माननीय रेल मंत्री जी के जवाब से यह स्पष्ट है कि वर्ष-प्रतिवर्ष रेलवे लाइन पर होने वाली मौतों का आँकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। प्रतिवर्ष करीब 15 हजार लोग रेलवे लाइन पर हादसों का शिकार होते हैं। रेलवे लाइन पर अनाधिकृत रूप से प्रवेश की कई वजहें हैं। जैसे कि पर्याप्त मात्रा में पैदल पार पुलों की उपलब्धता न होना, सही मात्रा में प्लेटफार्म न होना, स्वचालित लिफ्ट का अभाव इत्यादि।

सरकार ने डॉ. आनिल काकोडकर जी की अध्यक्षता में यात्रियों की सुरक्षा के संबंध में समिति बनाई थी। इस समिति ने सरकार को सारे रेल रोड़ क्रासिंग को पुलों में परिवर्तित करने का सुझाव दिया था। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि इन सुझावों पर अमल कर अब तक कितना काम किया गया है और यदि इन सुझावों पर अमल नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया?

श्री सुरेश प्रभु : महोदया, यह बिल्कुल सही है कि सरकार ने डॉ. आनिल काकोडकर की अध्यक्षता में सुरक्षितता के लिए एक समिति बनाई थी, उस समिति की रिपोर्ट भी आ चुकी है। उनके बहुत सारे सुझावों के ऊपर चर्चा तो चल रही है, लेकिन जो ठोस कदम उठाने की जरूरत थी, वे ठोस कदम उठाने के लिए मैंने मंत्री बनने के बाद एक मीटिंग बुलाई है। उनके बहुत अच्छे सुझाव हैं, जल्द से जल्द जहाँ भी सम्भव होगा, हम उन सुझावों के ऊपर पालन करेंगे।

यह सही है कि सुरक्षितता रेल की प्रायोरिटी में होनी चाहिए। उसी प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए कि सुरक्षितता किस तरह से की जाए, हमने इसके लिए इसरो और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेन्टर (एन.आर.एस.सी.) जो है, उनको बुलाकर यह कहा है कि स्पेशल टेक्नॉलाजी यूज करते हुए, जो 11 हजार अनमैंड लेवल क्रासिंग्स हैं, उन्हें हम किस तरह से ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित कर सकते हैं। हमने यह भी तय किया है कि पूरे देश में जितने भी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, क्योंकि आपको पता है कि सुरक्षितता देखने के लिए एक तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है और एक जनरल रेलवे पुलिस है, जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है, उनके डायरेक्टर

जनरल ऑफ पुलिस की कभी मीटिंग नहीं बुलायी गई थी। एक खास मीटिंग के लिए मैं गृह मंत्री जी से विनती करूँगा और एक मीटिंग हम बुलाने वाले हैं, जहाँ पर हम इस पूरी भावना के ऊपर ध्यान देंगे।

इसके साथ-साथ जो ज्यादातर मौतें होती हैं, उसका एक बहुत अहम कारण है कि आज हमारे यहाँ इल्लीगल ट्रेसपासिंग होती है, लोगों की तरफ से काफी इनक्रोचमेंट रेल लाइन के ऊपर हो गयी है, उसकी वजह से भी काफी मौतें होती हैं और आबादी बढ़ने के कारण भी ऐसा होता है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस संख्या को किस तरह से कम किया जाए, इसके लिए जो वलनरेबल स्पॉट्स हैं, जैसे यहाँ से जाते हुए मुरादाबाद में काफी डेथ्स होती हैं। जो 18,725 डेथ्स हुई हैं, उनमें से 5,527 डेथ्स सिर्फ नॉदर्न इन्डिया के रेल क्षेत्र में हुई हैं। उसी क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, टारगेट करते हुए ज्यादा से ज्यादा फोकस करते हुए, हम वहाँ भी कदम उठाने जा रहे हैं।

डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़ : महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि प्रतिवर्ष इतनी बड़ी संख्या में हो रही मौतों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर आई.सी.यू. से लैस एक क्लीनिक खोलने का विचार कर रही है, ताकि रेलवे लाइन पर घायल व्यक्तियों को प्राथमिक उपचार दिया जा सके और उनकी जान बचायी जा सके? यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा दें और यदि नहीं तो क्यों नहीं?

श्री सुरेश प्रभु : महोदया, यह सुझाव तो बहुत अच्छा है, लेकिन रेल की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें कदम उठाने होंगे। वैलफेयर स्टेट बनना हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इससे पहले यह भी सोचना चाहिए कि हम कहाँ से शुरूआत कर रहे हैं। यह बहुत ही अच्छा सुझाव है कि हर स्टेशन के ऊपर एक अस्पताल खोला जा सके, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि आज की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह सम्भव है। हमने ये आदेश दे दिए हैं कि यदि कोई भी आदमी घायल हो जाता है तो उसे सबसे पहले निकटवर्ती अस्पताल में पहुँचाया जाए। जो पुलिए प्रोसेस है, उसको बाद में किया जाए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्राथमिकता देकर उसकी जान बचाने के लिए जो भी कदम उठाने की आवश्यकता होगी, वे कदम उठाने के लिए हमने कह दिया है। मैं मानता हूँ कि माननीय सदस्य का सुझाव बहुत अच्छा है, उसे ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि निकट भविष्य में हम उसे अमल में ला सकेंगे। यह बहुत अच्छा सुझाव है, यह मैं जरूर मानता हूँ।

श्री राम चरित्र निषाद : अध्यक्ष महोदया, आपका हृदय से धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि अभी इसी महीने में उत्तर प्रदेश में मऊ जिले में पाँच बच्चों की मानवरहित रेल क्रासिंग पर दुर्घटना हुई। आज पूरे भारतवर्ष में यह बहुत गंभीर विषय है। आये दिन ये घटनाएँ बढ़ रही हैं। आज हिन्दुस्तान भर में 11563 मानवरहित रेल क्रासिंग हैं और अभी मेरे ही मछलीशहर लोक सभा क्षेत्र में तीन महीने पहले लाईन बाज़ार में उत्तर प्रदेश के एक पूर्व मंत्री और उनके दो गनर्स की मानवरहित रेल क्रासिंग पर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जितने भी मानवरहित रेल क्रासिंग हैं, उनको मानवसहित फाटक बनाने के लिए क्या सरकार का कोई फंड है या ऐसी कोई योजना है जो जल्दी से जल्दी पूरी हो?

श्री सुरेश प्रभु : मैडम, वैसे मैंने पहले ही जवाब में कहा था कि हमारे यहाँ करीब 11 हज़ार मानवरहित रेल क्रासिंग हैं और वह भी एक कारण है जिससे लोगों की मौत होती है। माननीय सदस्य ने मऊ की बात की। माननीय सदस्य को इस बात का भी पता होगा कि आपने मुझे परमीशन दी और मैंने यहाँ सुओ-मोटो स्टेटमैंट किया। उसके फौरन बाद अपने राज्य मंत्री और चेयरमैन रेलवे बोर्ड को लेकर मैं वहाँ पहुँचा। वहाँ जाने के लिए यातायात के कोई साधन भी नहीं थे। हम अपने रक्षा मंत्री जी को विनती करके उनका चौपर लेकर वहाँ पहुँच गए। वहाँ से बच्चों की जान बचाने के लिए शायद पहले ऐसा नहीं हुआ होगा, हम खास एंबुलैन्स का प्रावधान करके एयरलिफ्ट भी करना चाहते थे, लेकिन उस समय स्थिति ठीक नहीं थी। इसलिए हम एंबुलैन्स में बैठाकर उन बच्चों को लाए और उसके कारण कुछ बच्चों की जान बच भी गई। यह बिल्कुल सही है। यह एक अनप्रिसिडैन्टेड कदम हमने उठाया, क्योंकि उस समय ज़रूरत थी कि हर बच्चे की जान बचे चाहे कोई भी कारण हो, क्योंकि यह हमारा फर्ज़ बनता है।

जो 11 हज़ार मानव रहित रेल क्रासिंग हैं, उनको मानव सहित फाटक बनाने के लिए जो धन की आवश्यकता है, वह किस प्रकार से जुटाया जाए, इस पर विचार किया जा रहा है। शायद बजट में भी हम इस पर कुछ कह पाएँगे, लेकिन उसके बनते हुए भी जैसे हमने कहा कि जियो स्पेशल टैक्नोलाजी से हमें सूचित हो सकता है कि किस तरह से बने। देश में जितने आई.आई.टीज़. हैं, जितने साइंस एंड टैक्नोलाजी इंस्टीट्यूशन

हैं, उनके हैड्ज़ की एक बैठक हमने बुलाई है। हम उनके सामने एक चुनौती रखेंगे कि किस तरह से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आज जो भी पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं, उनके द्वारा किस तरह से इस दुर्घटना को हम टाल सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री अशोक शंकरराव चव्हाण: माननीय अध्यक्ष महोदया, बड़ी संख्या में हो रही दुर्घटनाओं, विशेषकर मानवरहित रेलवे क्रॉसिंगों पर, को देखते हुए माननीय रेल मंत्री जी ने रेलवे की स्थिति को स्पष्ट करने का भरसक प्रयास किया है तथा इस मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त वित्तीय प्रावधानों का हवाला दिया है। फिर भी, उनके रेल मंत्री बनने के बाद हाल ही में हुई दुर्घटनाओं में, रेल पटरियों पर मासूम बच्चे मारे गए हैं। माननीय मंत्री जी ने स्वयं घटनास्थल का दौरा किया है और उन्होंने यह महसूस किया है।

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया है, मानवरहित रेलवे क्रॉसिंग पर मानव तैनात करने में वित्तीय बाधाएं हैं। क्या सरकार टोल या निजीकरण जैसी वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार करेगी? इसे हासिल करने के लिए कुछ समय सीमा होनी चाहिए। हम देखते हैं कि मानवरहित रेलवे क्रॉसिंग पर दुर्घटनाओं के आंकड़े साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं। यह प्रश्न सदन में कई बार पूछा गया है। क्या रेल मंत्री जी यह बता सकते हैं कि इस मामले को किस समय-सीमा के भीतर सुलझा लिया जाएगा और क्या इस मामले को एक निश्चित समय-सीमा में पूरा करने के लिए निजीकरण या टोल पर विचार किया जा रहा है?

श्री सुरेश प्रभु: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य को मानवरहित रेलवे क्रॉसिंग पर दुर्घटनाओं को रोकने में सरकार के अलावा अन्य संस्थाओं को शामिल करने की संभावना के संबंध में प्रश्न उठाने के लिए धन्यवाद देता हूं। हमने पहले ही निर्णय ले लिया है कि हम समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर सभी नागरिक समाज संगठनों - गैर सरकारी संगठनों, औद्योगिक या धार्मिक संगठनों और स्कूल प्राधिकारियों को दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए एक विशेष मानवरहित रेलवे क्रॉसिंग की सुरक्षा के लिए स्वयं को स्वयंसेवक के रूप में आमंत्रित करेंगे। इसके अतिरिक्त, हमने मानवरहित रेलवे क्रॉसिंग के बाहर चमकते सिग्नलों के साथ बड़े होर्डिंग्स लगाने

की योजना बनाई है, ताकि क्रॉसिंग के पास आने वाले व्यक्ति को खतरे के बारे में पता चल सके। इसके अलावा, हम यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम होमगार्ड को इसमें शामिल कर सकते हैं। हम सुरक्षा मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए डी.जी.पी. की बैठक बुला रहे हैं। राज्यों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि यह राज्य का विषय है। इसलिए हम मानवरहित रेलवे क्रॉसिंग को समाप्त करने के संदर्भ में इस चुनौती से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हम आपके द्वारा सुझाए गए टोल रोड के विकल्प पर भी विचार करेंगे। हम इसे बोर्ड पर ले जाने की कोशिश करेंगे।

मध्याह्न 12.00 बजे

डॉ. काकोली घोष दस्तीदार: तत्कालीन रेल मंत्री माननीय श्रीमती ममता बनर्जी जी द्वारा विजन 2020 दस्तावेज जारी किया गया था, जिसका उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, टक्कर रोधी उपकरण को शामिल करना, मानव रहित लेवल क्रॉसिंग पर मानव की तैनाती करना तथा यात्री आपातकालीन चिकित्सा रेलगाड़ी चलाना आदि था। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जहां तक इन प्रस्तावों का प्रश्न है, आज हम कहां खड़े हैं।

श्री सुरेश प्रभु: ये सभी प्रस्ताव कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। जैसा कि मैंने कहा, जिस गति से हम इस पर काम कर रहे हैं, उससे मैं बहुत संतुष्ट नहीं हूं। हम यह पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम किस प्रकार अधिक हस्तक्षेप कर सकते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हम इसे समयबद्ध तरीके से पूरा कर सकें, बजाय इसके कि हम इसके लिए धनराशि उपलब्ध होने का अनिश्चित काल तक इंतजार करें। हम अलग से, इससे स्वतंत्र होकर, बड़े संसाधनों को खोजने का प्रयास कर रहे हैं, केंद्रीय बजटीय सहायता के बाहर, जिस पर हम सामान्यतः निर्भर रहते हैं, ताकि संसाधन जुटाए जा सकें, यह सुनिश्चित किया जा सके कि हम इस चिंता का समाधान करें, तथा इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण आपदाओं को रोकने के लिए इसमें धन निवेश करने का प्रयास करें।

प्रश्नों के लिखित उत्तर*

(तारांकित प्रश्न संख्या 406 से 420
अतारांकित प्रश्न संख्या 4601 से 4830)

* प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

अपराह्न 12.02 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब पत्र रखे जाने हैं.

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री कलराज मिश्र) : अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर माइक्रो, स्मॉल एण्ड मीडियम इंटरप्राइजेज, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर माइक्रो, स्मॉल एण्ड मीडियम इंटरप्राइजेज, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1535/16/14)

(2) (एक) कॅयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कॅयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) कॅयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(4)कॅयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2013-2014 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1536/16/14)

(3) (एक) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(चार) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1537/16/14)

(4) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर इंटरप्रेन्योरशिप एण्ड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, नोएडा के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर इंटरप्रेन्योरशिप एण्ड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, नोएडा के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1538/16/14)

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल ओराम): मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के तहत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातियां वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 1539/16/14)

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): मैं निम्न लिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1540/16/14)

(2) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अंतर्गत शिक्षु (तीसरा संशोधन) नियम, 2014 जो 18 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 220 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 1541/16/14)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) : अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी आधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 1542/16/14)

(ख) (एक) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 1543/16/14)

(ग) (एक) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 1544/16/14)

(घ) (एक) गेल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गेल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 1545/16/14)

(2) (एक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1546/16/14)

(3) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड आधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइप लाइनों को बिछाने, उनका निर्माण, संचालन अथवा विस्तार करने के लिए निकायों को प्राधिकृत किया जाना) संशोधन विनियम, 2014 जो 8 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना संख्या पीएनजीआरबी/एनजीपीएल/रेग. /अमेंड-2014 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 1547/16/14)

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : अध्यक्ष जी, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत मूल (पहला

संशोधन) नियम, 2014 जो 17 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना संख्या सा0का0नि0 27 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 1548/16/14)

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): मैं सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) ईस्टर्न ज़ोन कल्चरल सेंटर, कोलकाता, के वर्ष 2013-2014, के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 1549/16/14)

(2) (एक) साउथ जोन कल्चरल सेंटर, तंजावुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साउथ जोन कल्चरल सेंटर, तंजावुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 1550/16/14)

(3) (एक) वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर, उदयपुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर, उदयपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गया, देखिए संख्या एल.टी. 1551/16/14)

(4) (एक)नॉर्थ ईस्ट जोन कल्चर सेंटर, दिमापुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ ईस्ट जोन कल्चर सेंटर, दिमापुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 1552/16/14)

(5) (एक) सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो)सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय रखी गई,, देखिए संख्या एल.टी. 1553/16/14)

(6) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एण्ड कैटेरिंग टेक्नोलॉजी, नोएडा के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो)नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एण्ड कैटेरिंग टेक्नोलॉजी, नोइडा के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 1554/16/14)

(7) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टूरिज्म एण्ड ट्रैवेल मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टूरिज्म एण्ड ट्रैवेल मैनेजमेंट ग्वालियर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 1555/16/14)

(8)निम्नलिखित संस्थानों के संबंध में वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे:

(1) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, हाजीपुर।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1556/16/14)

(2) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, गोवा।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1557/16/14)

(3) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नालॉजी तिरुवनंतपुरम।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1558/16/14)

(4) डॉ अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एंड न्यूट्रिशन, चंडीगढ़।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1559/16/14)

(5) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एंड न्यूट्रिशन, लखनऊ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1560/16/14)

(6) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, चेन्नई।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1561/16/14)

(7) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नालॉजी एंड अप्लाईड न्यूट्रिशन, अहमदाबाद।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1562/16/14)

(8) इंट्सीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाईड न्यूट्रिशन, जयपुर।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1563/16/14)

(9) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एंड न्यूट्रिशन, नई दिल्ली।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1564/16/14)

(10) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, गुवाहाटी।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1565/16/14)

(11) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, भुवनेश्वर।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1566/16/14)

(12) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, हैदराबाद।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1567/16/14)

(13) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, श्रीनगर।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1568/16/14)

(14) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एंड न्यूट्रिशन, शिमला।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1569/16/14)

(15) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नालॉजी एंड अप्लाईड न्यूट्रिशन, मुंबई।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1570/16/14)

(सौलह) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नालॉजी एंड अप्लाईड न्यूट्रिशन, बैंगलोर।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1571/16/14)

(16) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, भोपाल।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1572/16/14)

(अट्ठारह) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, ग्वालियर।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1573/16/14)

(उन्निस) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नालॉजी एंड अप्लाईड न्यूट्रिशन, गुरदासपुर।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1574/16/14)

(बीस) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन (कलकत्ता) सोसाइटी, कोलकाता।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1575/16/14)

(इक्कीस) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, शिलौंग।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1576/16/14)

(9) उपर्युक्त संस्थानों के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समेकित समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1577/16/14)

(10) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(क) (एक) इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो)इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली, वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 1578/16/14)

(ख) (एक) डोन्यी पोलो अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ईटानगर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) डोन्यी पोलो अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ईटानगर का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 1579/16/14)

(ग) (एक) उत्कल अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड, पुरी के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उत्कल अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड, पुरी का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 1580/16/14)

(घ) (एक) मध्य प्रदेश अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मध्य प्रदेश अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 1581/16/14)

(ड़) (एक) कुमाराक्रुपा फ्रंटियर होटल प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो)कुमाराक्रुपा फ्रंटियर होटल प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक - महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 1582/16/14)

(च) (एक) पांडिचेरी अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड, पांडिचेरी के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पांडिचेरी अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड, पांडिचेरी का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 1583/16/14)

(छ) (एक) रांची अशोक बिहार होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रांची अशोक बिहार होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड, रांची का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 1584/16/14)

(ज) (एक) पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड, चंडीगढ़ का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 1585/16/14)

(झ) (एक) असम अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो)असम अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 1586/16/14)

(11) (एक) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजा राममोहन राय ग्रंथालय फाउंडेशन, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 1587/16/14)

(12) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हिमालयन कल्चर स्टडीज, दाहंग के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हिमालयन कल्चर स्टडीज, दाहंग के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 1588/16/14)

(13) (एक) नार्थ जोन कल्चरल सेंटर, पटियाला के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नार्थ जोन कल्चरल सेंटर, पटियाला के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 1589/16/14)

(14) (एक) सालार जंग म्यूजियम, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सालार जंग म्यूजियम, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 1590/16/14)

(15) (एक) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 1591/16/14)

(16) (एक)नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 1592/16/14)

(17) (एक)कलाक्षेत्र फाउंडेशन, चेन्नई की वर्ष 2013-2014 की वार्षिक रिपोर्ट (हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखों सहित।

(दो)कलाक्षेत्र फाउंडेशन, चेन्नई, के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 1593/16/14)

(18) एयरपोर्ट्स इकोनामिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिंहा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 36 की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 726 (अ) जो 15 अक्टूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013" के उपबंधों का अनुपालन किया गया है तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 27 नवम्बर, 2014 की अधिसूचना सं. का.आ.. 2985 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 1595/16/14)

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(क) (एक) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2)इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 1596/16/14)

(ख) (एक)राइट्स लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राइट्स लिमिटेड, दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 1597/16/14)

(ग) (एक) मुंबई रेल विकास निगम लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मुंबई रेल विकास निगम लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 1598/16/14)

(घ) (एक) रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रकमहालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 1599/16/14)

(ड़) (एक) वर्ष 2013-2014 के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो)वर्ष 2013-2014 के लिए लेखापरीक्षित खातों और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के साथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1600/16/14)

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : अध्यक्ष जी, मैं कंपनी आधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, कोलार गोल्ड फील्ड के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, कोलार गोल्ड फील्ड के वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 1601/16/14)

अपराह्न 12.03 1/2 बजे

राज्य सभा से संदेश

महासचिव: माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है:-

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के प्रावधानों के अनुसार, मुझे विनियोग (संख्या .4) विधेयक, 2014, जिसे लोक सभा ने 10 दिसंबर, 2014 को अपनी बैठक में पारित किया था तथा राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा था, को यहां वापस भेजने का निदेश हुआ है तथा यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा के पास उक्त विधेयक के संबंध में लोक सभा को देने के लिए कोई सिफारिश नहीं है।"

<u>अपराह्न 12.04 बजे</u>

कार्य मंत्रणा समिति

10वां प्रतिवेदन

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): मैं व्यापार सलाहकार समिति की 10वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.04 1/4 बजे

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : अध्यक्ष जी, मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति द्वारा फरवरी, 2013 के दौरान भोपाल, पंचमढ़ी, मुम्बई और जयपुर के किए गए अध्ययन दौरों का प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

अपराह्न 12.04 ½ बजे

सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति

पहला और दूसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद): मैं सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

(1) सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति का पहला प्रतिवेदन (2014-2015)।

(2) समिति द्वारा अपने बारहवें और तेरहवें प्रतिवेदनों (पंद्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति (2014-2015) की दूसरा प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04 3/4 घंटा

कृषि संबंधी स्थायी समिति

पांचवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : अध्यक्ष जी, मैं कृषि मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभागफ़् की अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति का पांचवा प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.05 बजे

सूचना प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति

पहले से चौथा प्रतिवेदन

श्री केशव प्रसाद मौर्य (फूलपुर): अध्यक्ष जी, मैं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (201452015) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :-

(1) संचार और सूचना प्रौद्यागिकी मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014- 2015) के बारे में पहला प्रतिवेदन।

(2) संचार और सूचना प्रौद्यागिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में दूसरा प्रतिवेदन।

(3) संचार और सूचना प्रौद्यागिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में तीसरा प्रतिवेदन।

(4) संचार और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में चौथा प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.05 1/4 बजे

रक्षा मामलों संबंधी स्थायी समिति

दूसरे से 5वां प्रतिवेदन

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी एवीएसएम (गढ़वाल): महोदया, मैं रक्षा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) सामान्य रक्षा बजट से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का दूसरा प्रतिवेदन।

(2) थल सेना से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का तीसरा प्रतिवेदन।

(3) नौसेना और वायुसेना से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का चौथा प्रतिवेदन।

(4) आयुध निमारणियों और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का पांचवां प्रतिवेदन।

<u>अपराह्न 12.05 ½ बजे</u>

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

पहले से तीसरा प्रतिवेदन

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2014-2015) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं द्ध

(1) विद्युत मंत्रालय के वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों के बारे में पहला प्रतिवेदन।

(2) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों के बारे में दूसरा प्रतिवेदन।

(3) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के कार्यान्वयन के बारे में समिति के 41वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाई संबंधी तीसरा प्रतिवेदन।

———————

अपराह्न 12.05 3/4 घंटा

विदेश मामलों पर स्थायी समिति

तीसरा और चौथा प्रतिवेदन

डॉ. शशि थरूर (तिरूवनन्तपुरम): मैं विदेश मामलों संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण) प्रस्तुत करना चाहता हूँ:-

(1) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के वर्ष 2014-15 की अनुदानों की मांगों के बारे में तीसरा प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

(2)विदेश मंत्रालय के वर्ष 2014-15 की अनुदानों की मांगों के बारे में चौथा प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

अपराह्न 12.06 बजे

वित्त संबंधी स्थायी समिति

चौथा, 8 वां और 9वां प्रतिवेदन (प्रतिवेदन)

श्री एम. वीरप्पा मोइली (चिक्कबल्लापुर): मैं वित्त संबंधी स्थायी समिति (2014-15) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

(1) योजना मंत्रालय की अनुदान मांगों (2014-15) पर चौथा प्रतिवेदन।

(2) 'वर्तमान आर्थिक स्थिति और नीति विकल्प' विषय पर 59वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 8 वां प्रतिवेदन।

(3) 'प्राकृतिक गैस मूल्य में संशोधन का आर्थिक प्रभाव' विषय पर चौहत्तरवें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई पर 9वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.06 1/2 बजे

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण पर स्थायी समिति

पहला और दूसरा प्रतिवेदन

श्री जे. सी. दिवाकर रेड्डी (अनन्तपुर): मैं खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2014-15) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग) की अनुदान मांगों (2014-15) पर पहला प्रतिवेदन।

(2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामलों के विभाग) की अनुदान मांगों (2014-15) पर दूसर प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.06 3/4 बजे

श्रम संबंधी स्थायी समिति

3वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : महोदया, मैं 'कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2014' के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

अपराह्न 12.07 बजे

कोयला एवं इस्पात संबंधी स्थायी समिति

पहले से 6वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): मैं कोयला एवं इस्पात संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

(1) कोयला मंत्रालय की अनुदान मांगों (2014-15) पर पहला प्रतिवेदन।

(2) खान मंत्रालय की अनुदान मांगों (2014-15) पर दूसरा प्रतिवेदन।

(3) इस्पात मंत्रालय की अनुदान मांगों (2014-15) पर तीसरा प्रतिवेदन।

(4) कोयला मंत्रालय की 'कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों में ठेका श्रमिकों सहित श्रमिकों की सेवा शर्तें' पर समिति की पचासवां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में निहित टिप्पणियों / सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर चौथा प्रतिवेदन।

(5) इस्पात मंत्रालय से संबंधित 'सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनियों में कामगारों कीसेवा शर्तें' के बारे में समिति के 51वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्टटिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई-कार्रवाई संबंधी 5वां प्रतिवेदन।

(6) इस्पात मंत्रालय से संबंधित 'सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनियों द्वारा इस्पात का विपणन और परिवहन' के बारे में समिति के 52वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई-कार्रवाई संबंधी 6वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.07 1/2 बजे

वाणिज्य पर स्थायी समिति

115वां तथा 116वां प्रतिवेदन

श्रीमती कविता कलवकुंतला (निजामाबाद): मैं वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) भेषज क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के बारे में समिति के 110वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई-कार्रवाई संबंधी 115वां प्रतिवेदन।

(2) भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन की गतिविधियों और कार्यकरण के बारे में समिति के 114वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई-कार्रवाई संबंधी 116वां प्रतिवेदन।

<u>अपराह्न 12.08 बजे</u>

गृह मामलों संबंधी स्थायी समिति

182वां और 183वां प्रतिवेदन

श्री हरीश मीणा (दौसा): मैं गृह मामलों संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) जम्मू और कश्मीर में बाढ़ और भूस्खलन के बाद बचाव, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के बारे 182वां प्रतिवेदन।

(2) जम्मू-कश्मीर में शरणार्थियों और विस्थापितों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के बारे में 183वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.09 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित 'प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का कार्यकरण' के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 251वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति। [1]*

[**हिन्दी**]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री कलराज मिश्र) : महोदया, मैं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित 'प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का कार्यकरण' के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 251वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

[1]* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखें संख्या एल.टी 1602/16/14।

अपराह्न 12.09 1/2 बजे

[अनुवाद]

(2) जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र ढांचागत अभिसमय के अंतर्गत लीमा (पेरू) में 1 से 14 दिसम्बर, 2014 तक आयोजित पार्टियों के सम्मेलन में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर):माननीय अध्यक्ष महोदय, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यू.एन.एफ.सी.सी.सी.) और इसके क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन सम्मेलन इस वर्ष लीमा (पेरू) में आयोजित किया गया। दोनों पक्षों के बीच लंबे विचार-विमर्श और गहन बातचीत के बाद अंतिम निर्णय लिया गया। वर्तमान वार्ता का मुख्य फोकस निम्नलिखित था:-

(1)दिसम्बर, 2015 तक सभी के लिए प्रयोज्य "एक प्रोटोकॉल, अन्य कानूनी करार अथवा कानूनी बल सहित एक सहमत निष्कर्ष" को अंतिम रूप देने के लिए डरबन (सीओपी, 2011) निर्णय को ध्यान में रखते हुए 2015 के पैरिस समझौते हेतु वार्ता के प्रारूप पाठ की सामग्रियों को अन्तिम रूप दिया जाना;

(2) वार्सा सी.ओ.पी. (2013) निर्णय, जिसमें यह तय किया गया था कि इच्छुक देशों द्वारा मार्च, 2015 तक और अन्य देशों द्वारा यथासंभव शीघ्र अपने अभिप्रेत राष्ट्रीय अभिनिर्धारित अंशदान (आई.एन.डी.सी.) प्रस्तुत किए गए जाएंगे, के अनुसरण में आई.एन.डी.सी. के साथ प्रस्तुत की जाने वाली सूचना का अभिनिर्धारण; और

(3) पूर्व-2020 की कार्रवाईयों को बढ़ाना जो लीमा में आगे बढ़ाए जाने के लिए वार्सा अधिदेश का एक भाग था।

मुझे लीमा सम्मेलन में सहभागिता करने वाले भारतीय शिष्ट मंडल का नेतृत्व करने का सौभाग्य और दायित्व प्राप्त हुआ था। भारत ने इस सम्मेलन में एक रचनात्मक एवं सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ प्रतिभागिता

की। हमारा प्रमुख उद्देश्य भारत के दीर्घकालिक हितों की रक्षा करना और निर्धनता उन्मूलन, सभी के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराने और अन्य विकासात्मक प्राथमिकताओं का समाधान करने के लिए विकास की आवश्यकता पर बल दिया जाना था। इस प्रयास में हम सरकार और मंत्रिमंडल के अधिदेश के दृष्टिकोण से प्रेरित थे। इन वार्ताओं में हमारा दृष्टिकोण समता एवं साझा किन्तु भिन्न दायित्वों के सिद्धांत द्वारा भी प्रेरित था जो यू.एन.एफ.सी.सी.सी. का मूल सिद्धांत है।

इस पृष्ठभूमि में मुझे सभा को यह सूचित करने में हर्ष हो रहा है कि लीमा सम्मेलन में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए जो जलवायु संबंधी कार्रवाई हेतु लीमा घोषणा के रूप में सामने आये। भारत ने समान विचार धाराओं वाले विकासशील देशों के साथ रचनात्मक सहयोग करके विकाशील देशों के हितों का प्रतिनिधत्व करने में सक्रिय भूमिका निभाई है और अपनी राष्ट्रीय स्थिति को प्रभावी एवं प्रेरणास्पद ढंग से प्रस्तुत किया है।

सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि नया समझौता सम्मेलन के तहत होगा और – जो बहुत महत्वपूर्ण है - विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के आलोक में सामान्य लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं के सिद्धांत को दर्शाएगा। सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि नया करार कन्वेंशन के अंतर्गत होगा जिसमें विभिन्न राष्ट्रों की परिस्थितियों के आलोक में साझा किन्तु भिन्न-भिन्न उत्तरदायित्वों तथा संबंधित क्षमताओं के सिद्धांत को परिलक्षित किया जाएगा। पक्षकारों की वर्तमान प्रस्तुतियों और विचारों को अनुलग्नक के रूप में प्राप्त किया गया और एड-हॉक डरबन प्लेटफार्म (ए.डी.पी.) की भावी बैठकों में इस मुद्दे पर चर्चा को जारी रखने का निर्णय लिया गया। तथापि, इससे करार के विधिक स्वरूप अथवा पक्षकारों की बाद की प्रस्तुतियों अथवा विचारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। संलग्न मूल पाठ में प्रस्तुत प्रारूप को मई 2015 तक अंतिम रूप दिया जाना है ताकि इसे दिसम्बर 2015 में आयोजित होने वाले पेरिस सीओपी 21 में पक्षकारों के विचारार्थ और अंगीकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सके। सभी तत्वों को संतुलित तरीके से शामिल करने की जरूरत को मानना कॉन्फ्रेन्स का महत्वपूर्ण परिणाम रहा है क्योंकि कुछ विकसित देशों द्वारा कन्वेंशन के बुनियादी सिद्धांतों को कम आंकने के प्रयास किए गए थे।

एक अन्य मुख्य निर्णय कन्वेंशन के अनुच्छेद 2 में यथा प्रतिष्ठापित कन्वेंशन के उद्देश्य की प्राप्ति करने

हेतु आईएनडीसी के बारे में था। यहां यह निर्णय लिया गया था कि देशों को अपने मौजूदा संकल्पों से पीछे नहीं हटना चाहिए। यह कुछ देशों की कार्रवाई के मद्देनज़र विशेष रूप से प्रासंगिक है, जो क्योटो प्रोटोकॉल की अपनी प्रतिबद्धताओं से पीछे हट गए थे। लीमा सम्मेलन में इस पर सहमति जताई गई थी कि देशों का योगदान उनकी वर्तमान प्रतिबद्धताओं से अधिक होने चाहिए।

पक्षकारों से जल्दी से जल्दी (जो ऐसा करने के लिए तैयार हैं उनके लिए 2015 की पहली तिमाही तक) अपनी आई.एन.डी.सी. संसूचित करने का अनुरोध किया गया है। कुछ पक्षकार इन प्रक्रियाओं में आईएनडीसी के पूर्व आकलन अधिरोपित करने का प्रयत्न कर रहे थे। इसका अर्थ यह था कि आईएनडीसी न्यूनीकरण केंद्रित होंगे और यह कि देशों द्वारा अपने आईएनडीसी प्रस्तुत करने के पश्चात् इन्हें यह पता लगाने के लिए एकत्रित किया जाएगा कि योगदानों का संचयी योग शताब्दी के अंत तक पूर्व-औद्योगिक स्तरों से ताप वृद्धि 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे बनाए रखने के वैश्विक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। इन दोनों के बीच कोई भी अंतराल होने का अर्थ है कि इन देशों पर अपनी आईएनडीसी को पुनः प्रस्तुत करना अथवा अपने योगदानों को बढ़ाने का दबाव। हालाँकि, भारत और विश्व के अनेक अन्य विकासशील देश ऐसी किसी भी प्रकार की बाह्य अधिरोपित समीक्षा के पक्ष में नहीं थे क्योंकि ऐसा करना पक्षकारों की राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार उनका लक्ष्य निर्धारित करने में उनके आधिपत्य से समझौता करना होगा। हम सफलतापूर्वक यह सुनिश्चित करने में सक्षम रहे हैं कि देश अपनी आईएनडीसी में न्यूनीकरण के अतिरिक्त, अनुकूलन, वित्त पोषण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण आदि को भी शामिल कर सकते हैं और "प्रत्याशित-मूल्यांकन" से गुजरना नहीं पड़ेगा। अब देशों को आईएनडीसी से संबंधित संदर्भ बिंदु (आधार वर्ष), समय-सीमाओं, विस्तार क्षेत्र और योजना प्रक्रिया, मूल्यांकनों आदि से संबंधित निर्धारण योग्य जानकारी प्रस्तुत करनी है। इसे केवल यू.एन.एफ.सी.सी.सी. की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा और 1 अक्तूबर, 2015 तक अपनी आई.एन.डी.सी. संसूचित कर देने वाले पक्षकारों की आईएनडीसी के समग्र प्रभाव की संकलन प्रतिवेदन 1 नवम्बर, 2015 तक तैयार कर ली जाएगी।

अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा 2020 पूर्व की अवधि में कार्यों में संवर्धन था। यह निर्णय लिया गया कि 2020-पूर्व की कार्यवाहियों को बढ़ाने के लिए कार्यों में तेजी लाई जाए जैसे क्योटा नयाचार की द्वितीय वचनबद्धता अवधि का शीघ्र अनुसमर्थन, इससे जुड़े लक्ष्यों और शर्तों का पुनरावलोकन करना और वारसॉ निर्णयों के अनुरूप विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को वित्त, प्रौद्योगिकी एवं क्षमता निर्माण में सहयोग देना। वर्ष 2015-2020 की अवधि के दौरान आगे की कार्रवाई करने के लिए विकल्पों की जांच करने हेतु पक्षकार अतिरिक्त तकनीकी विशेषज्ञ बैठकें आयोजित करने के लिए भी सहमत हुए।

वित्त के मुद्दे पर यह निर्णय लिया गया था कि विकसित देश महत्वाकांक्षी उपशमन और अनुकूलन कार्यों हेतु विकासशील पक्षकार देशों के लिए संवर्धित वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे और जुटाने की व्यवस्था करेंगे। जैसे कि माननीय सदस्यों को ज्ञात हैं कि हरित जलवायु निधि स्थापित की जा चुकी है और इसमें लगभग 10 बिलियन अमेरिकी डालर पहले से ही प्रतिभूत किए गए हैं। हालांकि, वर्ष 2020 तक प्रति वर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने का लक्ष्य, अभी भी काफी दूर है। नवम्बर, 2014 तक की गई वचनबद्धताओं का कम से कम 50%, 30 अप्रैल, 2015 तक पूर्णतः निष्पादित योगदान करारों के रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह भी निर्णय लिया गया था कि पूर्णतः निष्पादित योगदान करारों के रूप में वचनबद्धताओं की पुष्टि करने के लिए योगदानकर्ताओं से आग्रह किया जाए।

अब यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे के संबंध में देश भर में राजनीतिक सर्वसम्मति ने हमारे इरादों को मजबूत किया है और हम 100,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्सर्जित करने, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के लिए कोयले पर उपकर को दो गुना करने, हरित भारत मिशन और राज्यों को काम्पा निधियों का अंतरण करने के माध्यम से तीव्र वनीकरण करने, पवन ऊर्जा का विस्तार करने और अन्य ऊर्जा दक्षता उपाय करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य सहित सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों को सफलतापूर्वक साकार करने में समर्थ हुए थे। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में जलवायु परिवर्तन के संबंध में भारत के सक्रिय प्रयासों की अनेक देशों ने सराहना की है।

हम जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को आधार वर्ष 2005 की तुलना में वर्ष 2020 तक 20-25 प्रतिशत तक कम करने के स्वैच्छिक राष्ट्रीय लक्ष्य पर कार्य कर रहे हैं। हाल की यूएनईपी उत्सर्जन अंतर प्रतिवेदन (2014) में भारत को स्वैच्छिक वचनों को पूरा करने वाले एक देश के रूप में पहचाना गया है। हम जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ऊर्जा दक्षता का संवर्धन करने और नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार करने के संबंध में सक्रिय कदम उठाने के लिए वचनबद्ध हैं। इसी दौरान कृषि, जल संसाधन और शहरी क्षेत्रों में अनुकूलन उपाय करना हमारी प्रमुख प्राथमिकता रहेगी।

आगामी वर्ष में नए 2015 करार को अंतिम रूप देने के लिए विभिन्न बैठकें आयोजित किए जाने की संभावना है। हम वार्ताओं में सक्रिय रूप से भाग लेते रहेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि यह इस कन्वेंशन और इनके सिद्धांतों तथा हमारे राष्ट्रीय हितों में स्थापित हो। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी, विशिष्ट मंत्रिमंडल सहकर्मियों और सदन के साथी सदस्यों के योग्य मार्गदर्शन और परामर्श से लाभ उठाया है और आशा करता हूं कि आप इन मुद्दों पर हमें अपना समर्थन देते रहेंगे। हम अपनी सरकार और माननीय संसद सदस्यों के बीच वार्ता जारी रखेंगे ताकि आने वाले दिनों में इस अत्यधिक महत्वपूर्ण मामले पर विचारों को शेयर और आदान-प्रदान कर सकें।... (*व्यवधान*)

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1603/16/14)

[हिन्दी**]**

माननीय अध्यक्ष : आपको भी नियम मालूम है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको भी बोलने के लिए समय दे दूंगी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कॉलिंग अटैंशन के बाद ही जीरो अवर शुरू होता है। मैं आपको अनुमति दूंगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : स्टेटमेन्ट के बारे में कोई चर्चा नहीं होती है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदया, अगले सत्र में हमें इस पहलू पर चर्चा करनी चाहिए... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : उसके लिए आप नोटिस दे दें।

अपराह्न 12.19 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

उत्तर प्रदेश तथा देश के अन्य भागों में "इन्सेफेलाइटिस" के फैलने से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): अध्यक्ष महोदया, मैं स्वास्थ और परिवार कल्याण मंत्री जी का ध्यान निम्नलिखित आविलम्बिनीय लोक महत्व के मामले की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं और अनुरोध करता हूं कि वे उस पर एक वक्तव्य दें।

"उत्तर प्रदेश तथा देश के अन्य भागों में इनसफलाइटिस के फैलने से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार के द्वारा उठाए गए कदम"

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा): माननीय सदस्यों को याद होगा कि मेरे पूर्ववर्ती तथा सम्मानित सदस्य ने 4 अगस्त, 2014 को माननीय सदस्यों को पूर्वी उत्तर प्रदेश और देश के अन्य भागों में इन्सेफेलाइटिस के फैलने से उत्पन्न स्थिति तथा सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों से अवगत कराया था। आज हम फिर इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो इस महत्वपूर्ण मुद्दे के महत्व को दर्शाता है, जिसने विशेषकर देश के पूर्वी भागों में हमारी जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को प्रभावित किया है।

यद्यपि कई माननीय सदस्य, मुझे विश्वास है, इसके बारे में जानते होंगे, फिर भी इस सम्मानित सभा को इन्सेफेलाइटिस, जो दिमागी बुखार के रूप में भी जाना जाता है, के कुछ बुनियादी तथ्यों से अवगत कराना उपयोगी होगा। इन्सेफेलाइटिस में दिमाग में सूजन हो जाती है जो विभिन्न रोगजनकों जैसे वॉयरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ के कारण उत्पन्न हो सकती है। जबकि जापानी इंसेफेलाइटिस एक वेक्टर जनित रोग है जो क्यूलेक्स समूह के मच्छरों के माध्यम से फैलता है, इंसेफेलाइटिस एंटरो-वायरस के कारण भी हो सकता है जो

जल जनित होते हैं। हाल ही में मुजफ्फरपुर और मालदा में, इंसेफेलाइटिस के लिए प्रतिवेदन किए गए मामले न तो जापानी इंसेफेलाइटिस के कारण थे और न ही एंटरो-विषाणु के कारण। आम तौर पर, इंसेफेलाइटिस 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रभावित कर रहा है। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में महामारी विज्ञान संबंधी आंकड़ों से पता चला है कि कई वयस्क भी इससे प्रभावित हो रहे हैं और असम तथा हाल ही में उत्तर बंगाल के जिलों में वयस्कों में रुग्णता और मृत्यु दर, विशेषकर जापानी इंसेफेलाइटिस के मामले देखे गए हैं।

इन्सेफेलाइटिस के सूचित मामलों की कुल संख्या 2010 में 5167, 2011 में 8249, 2012 में 8344, 2013 में 7825 तथा इस वर्ष 17 दिसंबर तक 9912 थी। मृत्यु दर आंकड़े 2010 में 679, 2011 में 1169, 2012 में 1256, 2013 में 1273 तथा इस वर्ष 17 दिसंबर तक 1495 थे। इस वर्ष मामलों के वितरण के संबंध में हमने पाया कि अधिकतम सूचित मामले उत्तर प्रदेश से थे जिनकी संख्या 3291 थी, जिसके बाद पश्चिम बंगाल में 2317, असम में 2194 और बिहार में 866 मामले थे। यदि हम जिलों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यतः प्रभावित जिले खुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, गोरखपुर और सिद्धार्थ नगर, बिहार में जिला मुज्जफरपुर; पश्चिम बंगाल में जिला जलपाईगुड़ी, बांकुरा, दार्जिलिंग, कुचबेहर बर्दवान और बांकुरा, तथा असम में जिला सोनितपुर, गोलाघाट, धीमाजी, शिवसागर, डिब्रुगढ़ कामरूप (मेट्रो) और तिनसुकिया है।

भारत सरकार ने 2012-13 के अंत में जेइ/एईएस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया था। इस कार्यक्रम में महामारी वाले पांच राज्यों नामतः असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में उच्च प्राथमकिता वाले 60 जिलों में बहुआयामी नीति अपनाने की परिकल्पना की गई है। इन जिलों में उत्तर प्रदेश के 20, बिहार के 15, असम 10, पश्चिम बंगाल के 10 और तमिलनाडु के 5 जिले शामिल हैं। भागीदार मंत्रालयों में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय को स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को अशक्त बच्चों को पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराने, महिला और बाल विकास मंत्रालय को प्रभावित जिलों में बच्चों को पोषाहार उपलब्ध कराने; आवास और गरीबी उपशमन मंत्रालय को शहरी मलिन बस्तियों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने; तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) को मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए विशेष पाठ्यक्रम तैयार

करने का कार्य सौंपा गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नोडल मंत्रालय है, जिसे महामारी वाले जिलों में बच्चों का टीकाकरण करने, जिला अस्पतालों में बाल चिकित्सा आईसीयु की स्थापना करके मामला प्रबंधन में सुधार करने, शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास विभागों की स्थापना करने और जेई/एईएस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सूचना-शिक्षा-संचार/व्यवहार-परिवर्तन-संचार सहित जन स्वास्थ्य उपायों को सुद्दढ़ करने का कार्य सौंपा गया है।

मैं माननीय सदस्यों को राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में बताना चाहूंगा। जेई टीकारण के लिए, उच्च प्राथमिकता वाले 60 जिलों में से 59 जिलों में टीकाकरण कार्य पूरा कर लिया गया है, शेष एक जिले (कानपुर देहात) को भी इस वित्तीय वर्ष के दौरान शामिल कर लिया जाएगा। 27 जिलों में बाल चिकित्सा आईसीयू की स्थापना के लिए निधियों जारी कर दी गई हैं। हम इन चिकित्सा आईसीयू की प्राथमिकता पर स्थापना करने और इनका संचालन संबंधी कार्य पूरा करने के लिए राज्य सरकारों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई कर रहे हैं। इसके लिए सिविल कार्य, उपकरणों की खरीद और जनशक्ति की भर्ती की आवश्यकता है। हालांकि बीरआरडी मेडिकल कॉलेज, गोररखपुर में शारीरिक और चिकित्सा पुनर्वास विभाग पहले से ही कार्यरत है, लेकिन के.जी. मेडिकल कॉजेल, लखनऊ; बीएचयू; वाराणसी; बांकुरा मेडिकल कॉलेज, उत्तरी बंगाल मेडिकल कॉलेज; गया मेडिकल कॉलेज तथा पटना मेडिकल कॉलेज यूनिटों का उन्नयन किए जाने की आवश्यकता है। असम में, असम मेडिकल कॉलेज, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में यूनिटों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता है। कुल 10 प्रस्तावित शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास यूनिटों में से, 2013-14 में 5 शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास यूनिटों के लिए 25 करोड़ रुपए पहले ही जारी कर दिए गए हैं और अन्य 4 यूनिटों के लिए 20 करोड़ रुपए जारी किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत वेक्टर नियंत्रण और निगरानी कार्यकलापों को सहायता दी जा रही है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र के अंतर्गत एकीकृत रोग निगरानी परियोजना के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है।

गैर-जेई रोगजनकों का पता लगाने के लिए, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बीआरडी इसके मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर में राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान की एक क्षेत्रीय यूनिट की स्थापना पहले ही कर

दी है। इसके अलावा आई.सी.एम.आर. अनुसंधान-सह-हस्तक्षेप परियोजनाएं भी आयोजित कर रहा है। एन.आई.वी., पुणे जेई मामलों का पता लगाने के लिए सेंटिनल प्रयोगशालाओं को एल.जी.एम. एलिसा किटों की आपूर्ति कर रहा है। इन किटों का वित्त पोषण राष्ट्रीय वेक्टर जनित नियंत्रण कार्यक्रम निदेशालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

मैं जे.ई. टीकाकरण के बारे में और विस्तार से बताना चाहूंगा। यह 2006 में आरंभ हुआ था और इन वर्षों के दौरान इसका चरणबद्ध ढंग से विकास किया गया है। जेई टीकाकरण की कार्यनीति के अंतर्गत एक-बारगी अभियान चलाया जाता है, जिसमें 1-15 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को लक्षित किया जाता है, जिसके बाद उस क्षेत्र में जेई टीकाकरण को नियमित टीकाकरण के एक भाग के रूप में शामिल किया जाता है। आरंभ में जेई टीके की सिर्फ एक खुराक 16 से 24 माह की आयु के दौरान प्रदान की जाती थी। अप्रैल, 2013 से जेई की दो खुराकें नियमित टीकाकरण के अंतर्गत दी जानी निर्धारित की गई हैं, पहली 9 से 12 महीने की उम्र में तथा दूसरी 16 से 24 महीने की उम्र में। देश में जापानी इंसेफेलाइटिस से प्रभावित 179 जिलों में से 152 जिलों को 2006 से 2014 तक टीकाकरण के दायरे में लाया गया है। इसके अतिरिक्त, इस अभियान और नियमित टीकाकरण के दौरान छूट गए बच्चों को शामिल करने के लिए, उत्तर प्रदेश के दस जिलों, बिहार के आठ जिलों के लिए 22-23 जून, 2014 को एक पुनः टीकाकरण अभियान चलाया गया। हाल में वयस्कों में जेई के पाए गए मामलों के कारण इस मुद्दे पर राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी सलाहकार समूह में विचार-विमर्श किया गया था। यह निर्णय लिया गया कि हम उन जिलों में से वयस्कों का टीकाकरण कर सकते हैं जहां पर ऐसे वयस्क मामले सामने आ रहे हैं। असम सरकार ने नौ जिलों में जे.ई. टीकाकरण के साथ वयस्कों को शामिल किया है। यह लाभदायक रहा है। यह महत्वपूर्ण है कि टीकाकरण का कवरेज उच्च स्तर पर बना रहे। हमारी रिपोर्ट से पता चलता है कि राज्यों द्वारा किए जाने वाले नियमित टीकाकरण का सभी लक्षित जिलों में उच्च कवरेज नहीं हो सकता है। इसलिए राज्यों को इस महत्वपूर्ण पहलू पर भी ध्यान देना चाहिए।

इस वर्ष 5 दिसंबर को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति ने कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने प्रभावित जिलों

में आई.एम.-2 हैंडपंप लगाने के संबंध में एक साप्ताहिक जागरूकता अभियान की शुरूआत की और जब तक 60 जिलों में से 75% जिलों को इस जागरूकता अभियान के तहत शामिल कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम की निगरानी करने के लिए एक उप-समिति का गठन किया गया है जो समय-समय पर प्रगति की समीक्षा करेगी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने औसत रूप से कुपोषित बच्चों के लिए एकीकृत बाल विकास सेवाओं क तहत घर पर राशन ले जाने का प्रावधान किया है तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित 15 जिलों में से 11 जिलों में अशक्तता पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की गई है। एन.सी.ई.आर.टी. जेई/एईएस के कारण अशक्त हुए बच्चों के लिए विशेष पाठ्यक्रम का विकास कर रहा है। असम राज्य ने सूचित किया है कि वयस्क जेई टीकाकरण के अंतर्गत अतिरिक्त 5 जिलों, अर्थात् बारपेटा, दारंग, नौगांव, सोनितपुर और उदालगिरी) की पहचान की गई है। पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा सूचित किया गया है कि महत्वपूर्ण देखभाल यूनिटें कार्य कर रही हैं और जिला अस्पतालों से चिकित्सकों को एसएसकेएम अस्पताल, कोलकाता में एक माह का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तमिलनाडु ने सूचित किया है कि जिला अस्पतालों के बाल चिकित्सा आईसीयू पहले से ही कार्य कर रहे हैं, यद्यपि राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत सुझााए गए विनिर्देशों के अनुसार इनका उन्नयन किए जाने की आवश्यकता है। राज्य ने आगे सूचित किया है कि मदुरै मेडिकल कॉलेज के पीएमआर विभाग के लिए उपकरण की खरीद प्रक्रिया चल रही है। तमिलनाडु में, जिला अस्पतालों के चिकित्सा अधिकारियों को बाल स्वास्थ्य संस्थान, एग्मोर में प्रमुख देखभाल प्रबंधन में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

वर्ष 2014-15 के दौरान राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत असम को 9.16 करोड़ रुपए, बिहार को 28.57 करोड़ रुपए, तमिलनाडु को 15.61 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश को 23.76 करोड़ रुपए और पश्चिम बंगाल को 18 करोड़ रुपए की निधियां जारी की गई थीं। इन निधियों का उपयोग वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए किया जाना है, जिसमें जेई/एईएस गतिविधियों का कार्यान्वयन भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर के जेई/एईएस वार्डों में संविदागत आधार पर मानव संसाधन को सहयोग प्रदान करने के लिए एनएचएम फ्लेक्सी पूल के तहत 5.35 करोड़ रुपए भी जारी किए गए

हैं। इसी प्रकार, वर्ष 2011-12 और 2012-13 में भी बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर में जनशक्ति स्थिति में सुधार करने के लिए एनएचएम के अंतर्गत 3.05 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई थी।

माननीय सदस्य इस बात को मानेंगे कि एईएस/जेई की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कार्यक्रम के तहत आधारभूत संरचना की शीघ्र स्थापना सहित ठोस और समन्वित कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। इसमें दोनों केन्द्र और राज्य सरकारों, स्थानीय स्वशासन सरकारों, चिकित्सक बिरादरी और गैर-सरकारी संगठनों सहित सभी हितधारकों द्वारा प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। एईएस की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल का प्रावधान महत्वपूर्ण है। जेई के लिए प्रभावी टीकाकरण कवरेज और वेक्टर नियंत्रण उपाय आवश्यक हैं। वेक्टर नियंत्रण उपायों में इसके स्रोत में कमी लाना, स्वच्छता और सुअर पालन पद्धति में सुधार लाना शामिल होगा। शीघ्र परिणाम प्राप्त करने के लिए चिकित्सकों, चाहे सरकारी हों अथवा किसी निजी संस्थान से, को न्यूरोलॉजिकल लक्षण वाले ज्वर के मामलों का आकलन करना चाहिए और रोगियों को बिना किसी देरी के उच्चतर स्वास्थ्य केन्द्र सुविधा केन्द्रों को रेफर करना चाहिए। एईएस/जेई की रोकथाम और नियंत्रण के कार्यक्रम की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है और मैं राज्य सरकारों से विशेष रूप से अपील करना चाहूंगा कि वे उन्हें पहले जारी की गई अथवा जारी की जा रही निधियों का उपयोग करें।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय स्थिति की लगातार गहन निगरानी करता रहेगा। मुझे इस मामले में आगे कोई कार्रवाई किए जाने के संबंध में किसी भी माननीय सदस्य से मार्गदर्शन प्राप्त करने में बेहद खुशी होगी। धन्यवाद।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने सदन में इस बीमारी के बारे में अपना वक्तव्य विस्तार से रखा है। कमोबेश मैं इससे मिलता-जुलता वक्तव्य पिछले 15-16 वर्षों से सुन रहा हूं। मुझे लगता है कि संसद का कोई सत्र ऐसा नहीं होगा जब लोक सभा संचालन के किसी न किसी नियम के तहत मैंने यह मुद्दा इस सदन में न रखा हो। इस देश में यह बीमारी पहली बार वर्ष 1956 में तमिलनाडु में आयी थी। यह बीमारी तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वैस्ट बंगाल होते हुए वर्ष 1978 में पूर्वी उत्तर में आयी। इन 36 वर्षों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में बच्चों की मौतों के आंकडे लगातार बढ़ते गये। मौत के आंकडे, जो मैं अभी इस सदन में प्रस्तुत करूंगा, वे इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश के मासूमों को जीने का आधिकार नहीं है? क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश के मासूम बच्चों को स्वस्थ जीवन जीने की आज़ादी नहीं है जो प्रति वर्ष इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। इस कारण शासन, प्रशासन की कार्य प्रणाली पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। मैं अगर सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात कहूं, पूरे देश में आतंकवाद स 20 वर्षो से इतनी मौतें नहीं हुई हैं जितनी एक बीमारी से पूर्वी उत्तर प्रदेश के सात जिलों में मासूम बच्चों की हुई हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इनसिफलाइटिस एक भय का प्रतीक हो गया है। प्रति वर्ष एक से 15 साल के बच्चों की मौत एक ही बी.आर.डी. मेडिकल कॉलेज में हुई। अगर समय पर किसी ने उपचार लेने का प्रयास करता है या वह ठीक भी हो जाता है तो जितनी मौतें होती हैं उतने ही बच्चे शारीरिक और मानसिक विकलांगता के शिकार होते हैं।

माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य यहां दिया है, मैं उन तथ्यों को भी सामने रखूंगा। शासन की जो योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं की सच्चाई क्या है, मुझे लगता है कि ये बातें भी सदन के सामने आनी चाहिए। मैं वर्षों से इसी मुद्दे पर सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा हूं। भारत सरकार के स्तर पर कुछ होता है तो राज्य सरकार की मशीनरी क्या कर रही है? यह बीमारी उनकी संवेदनहीनता की पराकाष्ठता दर्शाती है। मेरे पास स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पुराने आंकड़े हैं, मैं इसे आपके सामने रखना चाहता हूं। वर्ष 2005 में इस बीमारी से सवारधिक मौतें हुई थी। उस वर्ष दिमागी बुखार के 6061 मरीज भर्ती हुए थे जिनमें से 1500 बच्चों की मौत हुई थी। वर्ष 2006 में 2320 मरीज भर्ती हुए और 525 बच्चों की मौत हुई। वर्ष 2007 में 3024

मरीज भर्ती हुए थे और 995 की मौत हुई। वर्ष 2008 में 3015 मरीज भर्ती हुए और 684 की मौत हुई। वर्ष 2009 में 784 की मौत हुई। वर्ष 2010 में 3503 मरीज भर्ती हुए और 514 की मौत हुई। वर्ष 2011 में 3308 मरीज भर्ती हुए और 627 की मौत हुई। वर्ष 2012 में 2517 मरीज भर्ती हुए और 527 की मौत हुई। वर्ष 2013 में 2110 मरीज भर्ती हुए और 619 की मौत हुई। इस वर्ष अब तक सिर्फ बी.आर.डी मेडिकल कॉलेज में 2200 से आधिक मरीज भर्ती हो चुके हैं जिनमें कल तक 607 बच्चों की मौत हो चुकी है। एक ही मेडिकल कॉलेज में एक ही छत के नीचे 607 बच्चों की मौत हो जाए और कोई समाचार न बने, राज्य सरकार स्तर पर कोई कार्रवाई न हो? केंद्र सरकार के स्तर पर जो कार्रवाई होनी चाहिए वह जमीनी स्तर पर दिखाई न दे। 607 बच्चों की मौत के आंकड़े सिर्फ बी.आर.डी. मेडिकल कॉलेज के हैं। अन्य जिला चिकित्सालयों में सर्विलेंस की व्यवस्था बहुत खराब है। माननीय मंत्री जी ने सर्विलेंस की बात तो कही, उत्तर प्रदेश में एक भी सीएससी, पीएचसी, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल इस बीमारी का उपचार नहीं करता है। उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है और वह करना भी नहीं चाहते हैं। सर्विलेंस की व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है इसलिए एक बी.आर.डी. मेडिकल कॉलेज में 607 बच्चों की होती है तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, सीएससी, पीएचसी, निजी चिकित्सालयों में जाने वाले मरीजों की कोई सूचना और आंकड़े सरकार के पास नहीं है, यही बीमारी की भयावहता को प्रदर्शित करता है।

महोदया, यह केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। मैंने समाचार पत्रों में देखा कि जिला चिकित्सालय में बच्चों की मौत हुई। मैं उस जिले के चिकित्सालय में गया और मैंने सीएमओ से पूछा। मैंने कहा कि आखिर इन बच्चों की मौत कैसे हुई? वहां के मुख्य चिकित्साधिकारी का वक्तव्य था, उन्होंने कहा कि यह अज्ञात बीमारी है। मैंने कहा कि मेडिकल साईंस इतना आगे बढ़ चुका है, क्या आज भी कोई बीमारी अज्ञात रह सकती है? उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई पीडिट्रीशियन नहीं है, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यह उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था की सच्चाई है। इसलिए मैंने आपसे अनुरोध किया था, मैं और माननीय सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी आपके सामने आए थे और आपसे विनम्र अनुरोध किया था। एक ही छत के नीचे इतने बच्चों की मौत हो रही है और पाकिस्तान में आतंकवाद के शिकार 132 बच्चों की मौत पर आपकी संवेदना को हमने देखा है, पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा है। कम से कम पूर्वी उत्तर प्रदेश के उन

मासूम बच्चों के प्रति भी सदन में ही अपना वक्तव्य रख पाते हैं और भारत सरकार के स्तर पर थोड़े-बहुत कुछ प्रयास हो जाते हैं। उसके माध्यम से जब हम लोग अपनी बात रखते हैं, तो भारत सरकार थोड़ी-बहुत प्रयास करके आगे बढ़ती है, लेकिन ये प्रयास अपर्याप्त हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : इन्हें स्टेटमेंट देते हुए आठ मिनट हो गया।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इसके लिए दस मिनट तो देते हैं। समस्या भी गंभीर है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने परसों श्रीमती रंजीता को भी इतना ही अलाऊ किया था। यह विषय भी गंभीर है।

... (व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ : मुझे आश्चर्य होता है कि श्री खड़गे साहब हर मामले में क्यों खड़े हो जाते हैं।

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात कहें।

... (व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ: आश्चर्यजनक है कि इस बीमारी से मरने वाले बच्चे सबसे आधिक दलित अल्पसंख्यक और किसान परिवारों के 99 प्रतिशत बच्चे संबंधित हैं, यदि तब भी उन बच्चों की बातों को यहां पर रखा जाता है, तो खड़गे साहब को...(व्यवधान) ... [2*]मुझे आश्चर्य होता है। माननीय सदस्य इस मुद्दे पर भड़क जाते हैं। ये भड़कने का प्रश्न नहीं है। इस मुद्दे पर चर्चा कीजिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ऐसा आरोप रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

... (व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ : इस समस्या के समाधान का एक ठोस रास्ता निकालिए।...(व्यवधान)

[2*] कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

माननीय अध्यक्ष : श्री आदित्यनाथ जी, आरोप मत लगाइए, इस पर सभी को चिन्ता है।

... (व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ : मैं आरोप की बात नहीं कर रहा हूँ। ...(व्यवधान) मैं बीच में बोल रहा हूँ। ...(व्यवधान) यदि कोई एक मानक होगा, संसद का संचालन माननीय चेयर करेगी, न कि ये लोग बार-बार खड़े होकर किसी डिबेट के बीच में इंटरफेयर करेंगे। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपना प्रश्न पूछिए। क्लैरिफिकेशन पूछिए।

योगी आदित्यनाथ : महोदया, हम लोगों के 16 वर्षों के लगातार प्रयास से वर्ष 2005-06 में कुछ कार्य वैक्सिनेशन के हुए थे।

माननीय अध्यक्ष : पूरे डिटेल में मंत्री जी का स्टेटमेंट आया है, आप क्लैरिफिकेशन पूछिए।

योगी आदित्यनाथ : जापानी इंसेफेलाइटिस के वैक्सिनेशन हुए, उसके कुछ परिणाम भी सामने आए हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जे.ई. 36 प्रतिशत से घटकर चार प्रतिशत तक आयी है। जे.ई. कम हुआ है, लेकिन इंट्रोवायरस के मामले बढ़े हैं। ये दोनों मामले बढ़े हैं, इसीलिए 36 वर्षों की जो स्थिति है, इन मामलों में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि हमारे पास इंसेफेलाइटिस उन्मूलन के लिए कोई राष्ट्रीय स्तर पर ठोस दीर्घकालीन योजना होती तो इंसेफेलाइटिस के उपचार और उन्मूलन की दिशा में पूरे देश के अन्दर एक प्रभावी कार्यक्रम हो गया होता। लेकिन माननीय मंत्री जी ने जो आंकड़े यहाँ प्रस्तुत किये हैं, मैं स्वास्थ्य विभाग के पुराने आंकड़ों में जाना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष : कृपया रिपीट न करें।

योगी आदित्यनाथ: उसके अनुसार उत्तर प्रदेश के अंदर, माननीय मंत्री जी 20, जनपथ गये हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 34 ऐसे जिले हैं, जो इस बीमारी से प्रभावित हैं। देश के 19 राज्यों के लगभग 170 जिले ऐसे हैं, जो इस बीमारी से कम या ज्यादा प्रभावित हैं। इस बीमारी से लगातार पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ देश के विभिन्न भागों के मासूम दम तोड़ रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्ययोजना इस संबंध में किसी भी स्तर

पर बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में लगभग 4000 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का मासूम दवा के अभाव में दम तोड़ता है। यह विचित्र-सी स्थिति है। माननीय उच्च न्यायालय में वर्ष 2007 में रिट याचिका दाखिल हुई थी और उच्च न्यायालय ने प्रदेश और केन्द्र सरकार को आदेश दिया था कि इंसेफेलाइटिस से बचाव और इस बीमारी के पूर्ण उन्मूलन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर जे.ई. गोरखपुर मे स्थापित किया जाए। राज्य सरकार ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर जे.ई. को गोरखपुर मे स्थापित नहीं किया, एसजीपीजीआई लखनऊ में स्थापित किया। 75 से 80 प्रतिशत केसेज गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं, लेकिन इसका सेंटर स्थापित होता है एसजीपीजीआई लखनऊ में। यह स्थिति तब है जब सरकार के पास सारे आंकड़े हैं कि गोरखपुर एक केन्द्रीय स्थान है जहां पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलावा पश्चिमी-उत्तर बिहार और नेपाल की तराई के लोग आकर अपनी स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करते हैं। वर्ष 2007 में एनआईवी पुणे की तर्ज पर गोरखपुर में वायरल रिसर्च सेंटर स्थापित होता है। माननीय मंत्री जी ने वायरल रिसर्च सेंटर के बारे में अपनी बात यहां कही भी थी, लेकिन गोरखपुर में जो सेंटर स्थापित हुआ है, उसमें आप बेसिक जानकारी ले सकते हैं। वहां पर इस बीमारी या वेक्टर बोर्न डिजीजेज पर कोई बृहद शोध या कार्य हो सके, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी है। नई सरकार आने के बाद मैंने माननीय हर्षवर्धन जी से चर्चा की थी, उन्होंने इस बारे में बैठक बुलाई थी, दो-तीन बार वे हमारे साथ बैठे भी थे। उस संबंध में यह बात तय हुई थी कि गोरखपुर में एक रीजनल वायरोलॉजी सेंटर स्थापित होगा। यहां जे.ई. ही नहीं, यह नेपाल की तराई का क्षेत्र है, वहां डेंगू, कालाजार, इंसेफेलाइटिस, मलेरिया, फाइलेरिया आदि बीमारियां हैं। वहां पटना से लेकर लखीमपुर तक इस पूरी बेल्ट में ग्राउण्ट वाटर में फ्लोराइड, आसेरनिक बड़ी मात्रा में पाए जाने के कारण वहां किडनी फेल्योर के मामले हैं, लीवर कैंसर के मामले हैं और बहुत-से ऐसे मामले हैं जिनको देखते हुए वहां एक बृहद केन्द्र बनना अत्यंत आवश्यक है। रीजनल वायरोलॉजी सेंटर बनना वहां आवश्यक था, लेकिन वह सेंटर अब तक स्थापित नहीं हो पाया है। इस देश में जब जनजागरण की बात आती है, स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू के बारे में हम देखते हैं कि बड़े-बड़े प्रचार और विज्ञापन आते हैं। सरकार खूब प्रचार करती है, रेडियो, टेलीविजन एवं अन्य मीडिया का भी सहारा लिया जाता है, लेकिन जब पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में

मौतें होती हैं, जब 22-23 जुलाई को माननीय मंत्री जी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश को वैक्सीनेशन के लिए चुना था, उसे प्रचार का कोई कार्य नहीं हुआ। हम जागरूकता आभियान नहीं चलाएंगे, जनता को जागरूक नहीं बनाएंगे तो इस बीमारी के उपचार एवं उन्मूलन के लिए हम कोई ठोस रणनीति नहीं अपना सकेंगे। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस मामले में, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर में शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम हो जाने वाले बच्चों के उपचार एवं पुनर्वास की बाद आती है तो उसके लिए वर्ष 2010 में पीएमआर सेंटर खुला था। मुझे बताते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि वहां पर कार्यरत चिकित्सक, टेक्नीशियन एवं अन्य कर्मचारियों को वर्ष 2012 से कोई मानदेय नहीं मिला है। भारत सरकार कहती है कि हमने पीएमआर सेंटर खोला है, लेकिन वहां पर जो कर्मचारी कार्यरत हैं, उन लोगों को वर्ष 2012 से लेकर आज के दिन तक कोई मानदेय नहीं मिल पाया है। यह सरकार की योजना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में हम लोग देखते हैं कि सीडीसी एटलांटा की टीम जाती है, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की टीम जाती है, तमाम एनजीओज जाते हैं। मुझे लगता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के मासूम इन लोगों के लिए एक प्रयोगशाला के गिनी पिग्स हो गए हैं। वह उन लोगों की प्रयोगशाला बन चुकी है। पिछले 16 वर्षों से हम इस बात को देखते हैं, हमें केवल आश्वासन मिल जाता है कि हम वहां टीम भेजेंगे, टीम भेजकर उस समस्या का समाधान निकालेंगे, लेकिन पिछले 16 वर्षों में इस संबंध में सरकार कोई ठोस रणनीति नहीं निकाल पाई है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब आप बैठ जाइए, अन्य माननीय सदस्य भी बोलने वाले हैं।

योगी आदित्यनाथ : मैडम, मैं एक-दो प्वाइंट्स रखकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

इसके अलावा, जैसा इस बीमारी के बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा, वहां पर एपिडेमिक वार्ड भारत सरकार की मदद से बनाया गया। एपिडेमिक वार्ड के लिए एनआरएचएम के अंतर्गत जो कर्मचारी नियुक्त किए गए, उनके बारे में भारत सरकार की तरफ से जो मानदेय मिलना चाहिए था, वह अधोमानक है। जो फंड यहां से रिलीज़ हुआ है, उसके तहत, वहां एक डॉक्टर को एक महीने में मात्र 1500 रुपए मानदेय मिलेगा। एक टैक्नीशियन को मात्र 1500 रुपए मानेदय मिलेगा। क्या यह संभव है कि कोई चिकित्सक 1500 रुपए महीने में काम करे? क्या कोई टैक्नीशियन काम करेगा? फोर्थ क्लास का कर्मचारी भी 1500 रुपए में नहीं मिलेगा। वहां

अब तक 1500 रुपए एनसेफिलाइटिस, एपीडैमिक वार्ड के लिए रिलीज़ हुए हैं। मैंने पहले कहा है कि सर्विलांस की व्यवस्था बहुत खराब है, कोई सीएससी, पीएचसी, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल काम नहीं कर रहा है।

महोदया, इस समय वहां जो मौतें हो रही हैं।...(व्यवधान) पता नहीं इन लोगों को क्या परेशानी है।...(व्यवधान) वहां बच्चे मर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए।

... (व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ : इनके चेहरे इतने संवेदहीन हैं ...(व्यवधान) दलितों और अल्पसंख्यकों के मासूम बच्चे मर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष : आप अपना प्रश्न पूछिए।

... (व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ: इन लोगों को परेशानी हो रही है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब आप अपनी बात पूरी कीजिए।

... (व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ : इस समय मौतें एन्ट्रो-वॉयरस से हो रही हैं।...(व्यवधान) इससे मौतें हो रही हैं इसका कारण प्रदूषित जल है।

माननीय अध्यक्ष : जगदम्बिका जी ने भी बोलना है।

... (व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ : शुद्ध जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एनसेफिलाइटिस के उन्मूलन के लिए जैसे जेई के लिए वैक्सीनेशन हुआ था, एंट्रोवॉयरस के लिए भी वैक्सीन बनाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?

माननीय अध्यक्ष : आप कम्पलीट नहीं कर रहे हैं।

... (व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ : पूर्वी उत्तर प्रदेश में एनसेफिलाइटिस के उन्मूलन की दिशा में या अन्य जो बीमारियां डेंगू, कालाजार, मलेरिया, फाइलेरिया को देखते हुए भारत सरकार ने बजट में एम्स की घोषणा की थी। क्या सरकार पूर्वी उत्तर प्रदेश में एम्स की घोषणा करेगी?

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा जिनको आदित्यनाथ जी ने आंकड़ों के साथ कहा हैं। मैं पूर्वांचल और देश के 11 राज्यों की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं। जिन 11 राज्यों में, 1978 में गोरखपुर के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के, उस इलाके से इनसेफिलाइटिस की बीमारी शुरु हुई और जिसकी भयावहता बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, मणिपुर यानी देश के 11 राज्यों में देखी जा रही है। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा कोई मामला संवेदनशील नहीं हो सकता है।

मैं केवल दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि भारत सरकार उपाय कर रही है, इन राज्यों के अपग्रेडेशन के लिए पैसा रिलीज किया है, बच्चों के वार्ड बनाने के लिए पैसा रिलीज़ किया है। जब-जब यह मामला उठा तब-तब इस तरह के जवाब आए हैं। मै आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि वे वार्ड का पैसा न दें, अपग्रेडेशन का पैसा न दें। हम उनसे इस देश के पूर्वांचल में जिनके बच्चे मरे हैं या भविष्य में जापानी एनसेफिलाइटिस, एक्यूट एनसेफिलाइटिस सिंड्रोम से ग्रसित होकर विकलांग हो जाते हैं, उस वॉयरस का पता लगा लें। जेई का वैक्सीन निकला है और वह भी प्रिवेंटिव है, इलाज नहीं है। अगर इम्यूनाइजेशन 100 परसेंट हो तब हम जेई को रोक सकते हैं। 2005 का उल्लेख आदित्यनाथ जी ने किया कि 6000 बच्चे बीमार हुए। वर्ष 2005 में एक साल में 1500 बच्चे मर गए। उस समय मालूम हुआ कि ये जेई नहीं एईएस हैं, एक्यूट एनसेफिलाइटिस सिंड्रोम है। एक्यूट एनसेफिलाइटिस सिंड्रोम की न तो कोई वैक्सीन है, न कोई इलाज है। हम उन बच्चों को तिल-तिल मरते देखते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप

कभी गोरखपुर मेडिकल कॉलेज चलें, एक बिस्तर पर तीन-तीन बच्चे अपनी जिंदगी और मौत के बीच जूझते हैं। उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। वर्ष 2011 में इस बीमारी से 18 प्रतिशत बच्चों की मौत हो रही थी तो आज यह बढ़कर 36 प्रतिशत हो गयी है। उन उपायों के बारें में क्या किया जा रहा है, जिनके द्वारा वैक्सीन, वार्ड और पैसा भी दिया जा रहा है? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस बीमारी से बचाव के लिए यदि कोई प्रयास किया जा रहा है तो फिर इस बीमारी से मरने वाले बच्चों की संख्या में कमी की बजाय बढ़ोतरी क्यों हो रही है?...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपने अपनी बात कह दी है।

श्री जगदम्बिका पाल : महोदया, मैं कोई पुरानी बात नहीं कह रहा हूं। आप एक मां भी हैं और यह सब जानती हैं कि इस बीमारी से जो 30 प्रतिशत बच्चे बच जाते हैं, उनका या तो ब्रेन डैमेज हो जाता है या नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसके कारण ये बच्चे पूरी जिंदगी के लिए विकलांग हो जाते हैं। पूर्वांचल में गरीबी वैसे ही आभिशाप है और उनके बच्चे भी जब विकलांग हो जाते हैं तो वह परिवार एक जिंदा लाश की तरह हो जाता है। उनके लिए कोई रिहबलिटेशन की सुविधा नहीं है। क्या हम इस बीमारी के लिए कोई रिसर्च नहीं करेंगे? दुनिया आज मंगल पर पहुंच गयी है और हम तमाम तरह के आविष्कार कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि एक्यूट इन्सेफ्लाइटिस सिन्ड्रोम की रोकथाम के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? क्या इस पर कोई रिसर्च करने के बारे में सरकार विचार कर रही है? क्या इसके लिए कोई दवा दुनिया में है? यदि नहीं है तो क्या भारत सरकार इस बारे में कोई प्रयास करेगी कि बच्चे एईएस से न मरने पाएं? क्या सरकार इसके लिए कोई वैक्सीन का इज़ाद करेगी? मैं एक बात और कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा यदि देश में इबोला या चिकनगुनिया की बात आ जाती है...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपकी बात रिकार्ड में आ चुकी है।

श्री आश्विनी कुमार चौबे।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बार-बार वही बातें रिपीट कर रहे हैं। कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान) ... [*]

श्री आश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : अध्यक्ष महोदया, आज इन बच्चों की तरफ पूरे देश का ध्यान गया है...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है। आप बैठ जाइए।

(व्यवधान) ... [3*]

माननीय अध्यक्ष : चौबे जी, आपको केवल क्लैरीफिकेशन पूछना है।

श्री आश्विनी कुमार चौबे : अध्यक्ष महोदया, मैं केवल प्रश्न ही पूछूंगा, चूंकि उत्तर प्रदेश की चर्चा ज्यादा हुई है। मैं स्वयं भी गया था और इस बारे में आपसे भी मैंने आग्रह किया था। आपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलने का मुझे समय दिया है, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

महोदया, जो बातें कही गयी हैं, उनको न दोहराते हुए यही कहना चाहता हूं कि जब बिहार में लीची का सीजन होता है तो मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, गोपालगंज, सीवान, छपरा, बेतिया और पूर्वी चम्पारण इससे प्रभावित होते हैं। मैं वर्ष 2010 में बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री था तो मैंने गांव-गांव में एम्बुलेंस आदि की व्यवस्था की थी, गांव-गांव में छिड़काव किया था। मैंने तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जी से भी बात की थी। मैं उस समय की तत्कालीन केन्द्र सरकार से आग्रह करता रहा, जिसके बाद उन्होंने एक टीम पुणे से भेजी थी। उस टीम ने आज तक रिपोर्ट भी नहीं दी है। आज पाचवां साल चल रहा है। मुझे घोर आश्चर्य है। जब माननीय हर्ष वर्द्धन जी स्वास्थ्य मंत्री बने तो मेरे आग्रह पर उन्होंने तुरन्त बैठक बुलायी और वे दो बार बिहार गए। बिहार जा कर उन्होंने चीजों का अध्ययन किया। हमारे श्री जगत प्रकाश नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री

[3*] कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

बने हैं, उनका कथन आ चुका है और वह स्वयं भी बिहार को अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि बिहार में उनकी पैदाइश हुई है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह अभी बिहार के उन तमाम क्षेत्रों के दौरे पर चलें।...(व्यवधान) महोदया, मैंने तो अभी शुरू ही किया है।

माननीय अध्यक्ष : इतना लम्बा भाषण इसमें नहीं दिया जाता है। आप कॉलिंग अटेन्शन को समझ ही नहीं रहे हैं। आप केवल प्रश्न पूछिए।

श्री आश्विनी कुमार चौबे : महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से तीन-चार प्रश्न करना चाहूंगा।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपकी बात रिकार्ड में आ गयी है। आप समाप्त नहीं करेंगे तो मुझे समाप्त करना होगा। आप जल्दी प्रश्न पूछिए।

<u>अपराह्न 01.00 बजे</u>

श्री आश्विनी कुमार चौबे : माननीय अध्यक्षा जी, मैं चाहूंगा कि एक तो समग्र स्वास्थ्य नीति इसके लिए बननी चाहिए, यह मेरा सबसे बड़ा आग्रह है। मेरा दूसरा आग्रह यह है कि बिहार में एस.के.मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर, गया मेडिकल कॉलेज, भागलपुर मेडिकल कॉलेज और पटना मेडिकल कॉलेज में सौ बैड्स का एएससी के लिए वेंटीलेटर के साथ पूर्व स्वास्थ्य मंत्रियों ने भी इसके लिए कहा था लेकिन आज तक वह नहीं हो पाया।

दूसरे, एनआईबी की तर्ज पर मुजफ्फरपुर, गया, पटना और बिहार में कब तक क्षेत्रीय विषाणु जांच केन्द्र खुलेंगे? इसके बारे में भी मैं आग्रह करूंगा।

तीसरे, जो ब्रेन टिश्यूज, इन्होंने कहा कि ब्रेन टिश्यूज से ही पता चलेगा क्योंकि इस वायरल का पता नहीं चल रहा है। मैं चाहूंगा कि ब्रेन टिश्यूज की जांच करके इसके वायरल की जांच कराई जाए तथा इसके साथ ही चीन से आज हमारे जापानी एनसिफलाइटिस के लिए एएससी के आते हैं, वह टीका चीन से आता है, क्या हम भारत में वह टीका नहीं बना सकते? इस पर भी एक अनुसंधान होना चाहिए।...(व्यवधान)

इसके साथ ही, अंत में, मैं आग्रह करूंगा कि जो बच्चे विकलांग हो जाते हैं, उनके लिए भारत सरकार के द्वारा कुछ भी इंतजाम नहीं किया गया है। इसलिए मैं चाहूंगा कि बिहार में मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और पटना में ईएमआर सेंटर उसके लिए खुलें।

माननीय अध्यक्ष : अधीर रंजन जी, आपको केवल प्रश्न पूछना है।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : माननीय अध्यक्षा जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत आभारी हूं कि मेरा नाम नहीं रहते हुए भी आपने मुझे क्लेरिफिकेशन पूछने का यह मौका दिया है।

माननीय अध्यक्ष : मुझे मालूम है। मैं केवल दो लोगों को बोलने का मौका दे रही हूं क्योंकि प्रश्न बच्चों से संबंधित है और बहुत गंभीर है। इसलिए रूल नहीं होते हुए भी मैं आपको बोलने का मौका दे रही हूं।

श्री अधीर रंजन चौधरी : माननीय अध्यक्षा जी, यह मुद्दा गंभीर है और साथ ही साथ हमारी पार्टी इस मुद्दे पर संवेदनहीन नहीं है। हमारा यह कहना है कि घर वापसी से ज्यादा अगर हम बच्चों को उनकी जिंदगी वापस करने के लिए प्रयत्न करें तो ज्यादा अच्छा होगा। मंत्री जी ने स्वयं नॉर्थ-बंगाल के मालदा, बांकुरा जिले का जिक्र किया है। इस विषय पर पहले भी हर्षवर्धन जी जब स्वास्थ्य मंत्री थे, तब भी चर्चा हुई थी और मैंने हर्षवर्धन जी से दरख्वास्त की थी कि आप एक बार नॉर्थ-बंगाल विजिट करिए क्योंकि नॉर्थ-बंगाल एक डिस्ट्रिक्ट नहीं है। नॉर्थ बंगाल में सात डिस्ट्रिक्ट हैं और साथ ही साथ बांकुरा और बंगाल के और सारे जिले हैं जहां दो किस्म की एनसिफलाइटिस है। उसमें एक तो वैक्टीरियल है और दूसरी वायरल- एक्यूट और जापानीज। दोनों का यह प्रादुर्भाव है। आज मैं मंत्री जी से एक क्लेरिफिकेशन मांगना चाहता हूं।

पहले हमारी यह जानकारी थी कि हिन्दुस्तान में 19 ऐसे राज्य हैं जहां 171 एनडेमिक डिस्ट्रिक्टस हैं, क्या वे एनडेमिक डिस्ट्रिक्ट्स घट चुके हैं क्योंकि जो आपने ब्यौरा दिया है, उसमें 171 डिस्ट्रिक्ट्स नहीं हैं। 69 के आसपास आपने बताया है। दूसरे, जापानी एनसिफलाइटिस के लिए यू.पी.ए. सरकार के जमाने में जेनबैक नाम से एक देशी दवाई यू.पी.ए. के जमाने में प्रस्तुत की गई थी क्योंकि जापानीज एनसिफलाइटिस के लिए हमें चीन से दवाई इम्पोर्ट करनी पड़ती है। हमें सैल्फ सफिशिएंट होने के लिए इंडिजनसली डवलप्ड,

इंडिजनसली मैन्युफैक्चर्ड जो जेनबैक दवाई है, उसकी भी क्या हालत है? हम क्या अभी इंडिजनसली इम्युनाइजेशन करने में काबिल हैं? इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहूंगा कि नॉर्थ-बंगाल में नॉर्थ बंगाल मेडिकल इंस्टिट्यूट है जिसमें सात डिस्ट्रिक्टस के अलावा बगल में भूटान, सिक्किम, नेपाल सबको सेवा देते हैं लेकिन नॉर्थ-बंगाल मेडिकल इंस्टिट्यूट की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। उसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। वहां डॉक्टर्स नहीं हैं, सीट्स नहीं हैं और खासकर एनसिफलाइटिस, जापानी एनसिफलाइटिस के लिए कोई बॉयलॉजीकली लेबोरेट्री पूरे ईस्टर्न इंडिया में कहीं नहीं है। इसलिए मैं सरकार से इस गंभीर दशा को देखते हुए ईस्टर्न इंडिया में एक लेबोरेट्री स्थापित करने की दरख्वास्त करता हूं। इस विषय पर आप अपने जवाब में थोड़ा कहिएगा, ऐसा मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदया। यद्यपि यह नियम के विरुद्ध है, फिर भी एक विशेष मामले के रूप में आपने हमें इसमें भाग लेने तथा मंत्री जी से सीधे कुछ प्रश्न पूछने की अनुमति दी है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री महोदय इन प्रश्नों का उत्तर देंगे।

पहला प्रश्न जो मेरे मन में आया, वह यह कि इससे प्रभावित जिलों की संख्या कम क्यों हो गई है? क्या सभी राज्यों में इंसेफेलाइटिस में कमी आई है? दूसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य में ओडिशा का कोई उल्लेख नहीं है। मुझे पता है कि ओडिशा भी प्रभावित हुआ था। जैसा कि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, 1978 के बाद से ओडिशा में, विशेष रूप से ओडिशा के दक्षिणी भाग में आदिवासी बहुल जिलों में, यह बहुत ही खराब स्थिति बन गई।

महोदया, दो-तीन उपायों पर विचार किया गया है, जिन पर सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है। भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास इकाइयां लगाए जाने का प्रस्ताव है। लेकिन जैसा कि वक्तव्य में बताया गया है, केवल 10 ऐसी इकाइयां ही स्थापित की जाएंगी।

इस संबंध में, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे राज्य के दक्षिणी भाग के मध्य में महाराजा कृष्ण गजपति मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, बरहामपुर है। फिर, हमारे पास 1950 में स्थापित सरदार वल्लवभाई पटेल पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ पीडियाट्रिक्स, कटक है, जो ओडिशा में अद्वितीय शिशु रोग संस्थान है। इसलिए, मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ओडिशा के बरहमपुर में एमकेजीएम कॉलेज एवं अस्पताल में ऐसी भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास इकाइयां स्थापित करने पर विचार करने जा रही है। दूसरी बात, क्या एक और इकाई उन लोगों के लिए भी समर्पित होने जा रही है जो जापानी इंसेफेलाइटिस और इस तरह के अन्य मस्तिष्क बुखार से प्रभावित हैं। मैं यह इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ओडिशा में बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हैं। मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री जी के वक्तव्य में ओडिशा का कोई उल्लेख क्यों नहीं है; क्या प्रतिवेदन उनके पास नहीं आ रही है या फिर ओडिशा सरकार और केंद्र के बीच कोई गलतफहमी है।

इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि ओडिशा पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि यह देश के पूर्वी भाग में आता है; और ओडिशा के बड़े क्षेत्र, विशेषकर आदिवासी बहुल जिले, इस दिमागी बुखार से प्रभावित हैं।

[हिन्दी]

श्री जगत प्रकाश नड्डा: मैडम स्पीकर, अभी जो कालिंग अटेंशन मोशन जापानी इंसिफेलाइटिस के विषय को लेकर सदन में प्रस्तुत किया गया है और जिस तरीके से उसके इम्पैक्ट और अन्य सारी बातों पर चर्चा हुई है, मैंने अपने बड़े विस्तृत वक्तव्य में सारी बातों को विस्तृत तरीके से सदन में रखा है। जो भावनाएं सदस्यों ने रखी हैं, वे सच में चिंताजनक हैं और उनके प्रति सरकार सजग है। सरकार का प्रयास है कि हम इस बीमारी को कंट्रोल करें और निर्णायक मोड़ तक इससे निजात पा सकें, इस बात के लिए हम कृतसंकल्प हैं। जहां तक वक्तव्य का सवाल है, मैंने बहुत डिटेल में सारी बातों को रखा है। सैंटर की तरफ से फंडिंग का विषय, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने का, पालिसीज में मदद करने के विषय पर केन्द्र सरकार कार्यरत है। जहां तक इम्पलीमैन्टेशन का सवाल है, उसमें स्टेट गवर्नमैन्ट्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। मैं इसे कोई ब्लेम गम नहीं मानूंगा, लेकिन हां

हम सबको मिलकर ग्रासरूट लैवल पर इसके इम्पलीमैन्टेशन पर और ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि फंडिंग भी हो रही है, सरकार चिंतित भी है, लेकिन जो रिजल्ट्स आने चाहिए, वे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं।

एक बात जरूर है कि जो फिगर्स हमारे सामने आए हैं, उनसे थोड़ा यह स्पष्ट होता है कि जहां-जहां जनरल इम्युनाइजेशन में कमी है और जहां वाटर सेनिटेशन का सवाल है, जहां ग्राउंट वाटर कंटेमिनेटिड है, वह इसका एक बहुत बड़ा कारण रहा है, जिसकी वजह से इस बीमारी ने एक प्रगाढ़ रुप ले लिया है। इसलिए इसमें विषय सिर्फ स्वास्थ्य मंत्रालय का ही नहीं है, प्रमुख क्षेत्र स्वास्थ्य मंत्रालय का है लेकिन यह अन्य मंत्रालयों से भी संबंधित है। उन मिनिस्ट्रीज के साथ भी बहुत ही एग्जास्टिव एक्सरसाइज करते हुए इसे एक निर्णायक मोड़, कंक्लूसिव एंड तक ले जाने की जरूरत है।

कई अड़चनें हैं जो हुई हैं। इसलिए जैसा मैंने कहा कि जब मै अपने मंत्रालय में चर्चा कर रहा था, तो यह ध्यान में आया कि जहां-जहां नियमित टीकाकरण का कवरेज कम है, वहां-वहां इस बीमारी का प्रकोप ज्यादा है। रूटीन इम्यूनाइजेशन के लिए फंडिंग तो है, लेकिन उसके बॉटलनेक्स में शायद इंफ्रास्ट्रक्चर, इंप्लिमेंटेशन, उसके लिए मैन पॉवर, इन सारे विषयों के बारे में और ज्यादा डीटेल से चर्चा करने की जरूरत होगी और उसको थ्रैशआउट करने की जरूरत होगी। इसलिए जवाब तो मैंने डीटेल में दे दिया है और उसी को आगे बढ़ाऊंगा और उसको इंप्लिमेंट करने का प्रयास किया जाएगा। मैं सदस्यों को यह जरूर बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले इस सत्र के तुरंत बाद, जो अंतर-मंत्रालयी समिति है, जिसकी अध्यक्षता आम तौर पर स्वास्थ्य सचिव करते हैं, इस बार मैं खुद इस बैठक को लूंगा। सभी इंट्ररमिनिस्टीरियल दृष्टि से जो-जो कार्य हुए हैं और जहां-जहां कमियां हैं, उसको ठीक करने का प्रयास करूंगा, इस बात का मैं आश्वासन देता हूँ। दूसरी बात, इन पांचों राज्यों में, वहां के हैल्थ मिनिस्टर्स के साथ एक डीटेल डिस्कशन करते हुए, इसकी इंप्लिमेंटेशन क्यों नहीं हो रही है, इस पर चर्चा करूंगा। क्योंकि अगर मैं देखूं तो ध्यान में आया है कि फंड्स की इंप्लिमेंटेशन बहुत अच्छी नहीं है। असम को 12.66 करोड़ रुपये दिए गए, जिनमें से केवल 10 प्रतिशत का ही उपयोग किया गया है। बिहार में, केवल 0.95 प्रतिशत का ही उपयोग किया गया है। तमिलनाडु की स्थिति काफी अच्छी है, जहां 49.9 प्रतिशत का उपयोग हो चुका है। उत्तर प्रदेश ने अभी तक विस्तृत जानकारी नहीं दी है। अब अभी तक डीटेल्स

ही नहीं आए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? मैं दोषारोपण का नहीं कर रहा हूं, लेकिन निश्चित रूप से, हमें ऐसा करना होगा, जब हम वित्त पोषण कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में यह 0.06 प्रतिशत है।

<u>अपराह्न 01.12 बजे</u> (माननीय उपाध्यक्ष *पीठासीन हुए*)

इसलिए मैं यह कहता हूँ कि इस सैशन के तुरंत बाद करने वाली बात यह है कि मैं इन पांचों राज्यों में खुद जाऊंगा और वहां के हैल्थ मिनिस्टर्स के साथ बातचीत करते हुए, जो वहां की इंट्रिकेसीज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम थ्रैशआउट करेंगे तो ज्यादा लाभकारी होगा। यह मैं महसूस करता हूँ। कई माननीय सदस्यों ने कुछ बातें पूछी हैं, जगदंबिका पाल और आदित्यनाथ जी का बड़ा वैलिड क्वेश्चन रहा है कि आखिर यह एईएस के रिसर्च का विषय क्या चल रहा है? यह जो पता चला है, इसमें 17 तरह के वायरस मिले हैं। एक सिंगल वैक्सीन नहीं हो सकती है। हमने जेई को तो रैग्युलर इम्युनाइज़ेशन में ले लिया है, लेकिन इसकी कोई सिंगल वैक्सीन नहीं हो सकती है। इस पर रिसर्च कंटिन्यू चल रही है। आईसीएमआर भी कर रहा है, संजय गांधी इंस्टिट्यूट भी कर रहा है और मनिपाल मैडिकल कॉलेज में भी इसका रिसर्च चल रहा है। हम विषय पर हैं। हम यह कहेंगे कि जल्द से जल्द इसके लिए भी हम कोई एक्सरसाइज़ करेंगे। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी मैं यह मानता हूँ कि जितना पब्लिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए था और जितनी अवेयरनैस होनी चाहिए थी, वह अवैयरनेस नहीं हो पाई है। अब यह जो ग्राउंड वॉटर यूटिलाइज़ेशन का सवाल है, यह एईएस तुरंत रूक सकता है और इस पर कंट्रोल किया जा सकता है, अगर हम बॉइल्ड वॉटर पिएं। इसलिए हमारी कोशिश यह होगी कि जब हम टीकाकरण करेंगे और नियमित टीकाकरण और जेई टीकाकरणकरेंगे उसके साथ-साथ इसके बारे में डॉक्टर्स को भी हम जागरूक कर रहे हैं कि जो दिमागी बुखार होता है, जब उसके लक्षण दिखते हैं, तो उसको कैसे केयर किया जाता है और कैसे उसको सही हॉस्पिटल और सही मैडिकल सैंटर पर पहुंचाया जाए, इसकी चिंता करनी होगी। इसके लिए अवेयरनैस के प्रोग्राम भी चलाएंगे। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें। आप अपना उत्तर जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री जगत प्रकाश नड्डा : मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में जो प्रोग्राम्स किए जाएंगे, उसमें एमपीज़ को भी प्रदेश सरकार इंवाल्व करेगी, इस बात की भी मैं चिंता करूंगा। निश्चित रूप से मैं यह प्रयास करूँगा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, एम.एल.एज. आलसो, जो हमारी पंचायती राज संस्थाएं हैं, जो पंचायत प्रधान हैं, सरपंच हैं, सभी लोगों को हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे ताकि इसकी इफेक्टिविटी बन सके। इस बात की हम चिन्ता करेंगे।

हमारे आदरणीय सदस्य ने ओडिशा के बारे में कहा है, भगवान न करे अभी वह उन लक्षित जिलों में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी विशेष रूप से मैं इसे देखूँगा , यह नहीं कि वह आ जाए, यह कि उसकी क्या स्थिति है और अगर वहाँ भी कोई केसेज होंगे तो उन पर भी हम ध्यान देंगे।

सदन की चिन्ता को ध्यान में रखते हुए कि एक्शन प्रोग्राम और इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो, मैं इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1604/16/14)

<u>अपराह्न 01.16 बजे</u>

सदस्यों द्वारा निवेदन.... जारी

(2) देश में व्यापक स्तर पर हो रहे कथित धर्मांतरण के बारे में

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: अब 'शून्य काल' - श्री के. सी. वेणुगोपाल।

… (*व्यवधान*)

श्री के. सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर इस सम्मानित सभा का ध्यान आकर्षित करने का अवसर दिया। … (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: मैंने श्री वेणुगोपाल का नाम लिया है, आपका नहीं। कृपया अपनी सीट पर बैठें। उसे खत्म करने दो।

श्री के. सी. वेणुगोपाल: महोदय, बड़े स्तर पर जबरन धर्मांतरण हो रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों में दिन-प्रतिदिन हो रहे कथित बलपूर्वक धर्मांतरण के कारण लोगों के मन में बहुत पीड़ा और दुःख है। कल केरल में दो घटनाएं सामने आईं, एक चेप्पड़, अलप्पुझा - मेरे निर्वाचन क्षेत्र में और दूसरी कोल्लम जिले में, जो माननीय सदस्य श्री प्रेमचंद्रन का निर्वाचन क्षेत्र है। इसी प्रकार का धर्मांतरण समारोह गुजरात के वलसाड से भी प्रतिवेदन किया गया, जिस राज्य से माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं।

निश्चित रूप से, यह संघ परिवार के उद्देश्यपूर्ण आंदोलन को इंगित करता है जो इस प्रकार के बड़े पैमाने पर जबरन धर्मांतरण का आयोजन कर रहा है। प्रतिवेदनों के अनुसार, राज्य की राजधानी अहमदाबाद से 350 किलोमीटर दक्षिण में एक आदिवासी गांव में लगभग 100 ईसाइयों को हिंदू धर्म में परिवर्तित कर दिया गया।

महोदय, मैं इस तथ्य पर आ रहा हूं। तथ्य यह है कि अलप्पुझा में विश्व हिंदू परिषद की चेंगन्नूर इकाई ने स्वयं एक समारोह में आठ परिवारों के 30 ईसाइयों को हिंदू धर्म में वापसी कराने का दावा किया है।

हर किसी को अपनी आस्था के अनुसार अपना धर्म चुनने की स्वतंत्रता है। हम सभी इस पर विश्वास करते हैं, लेकिन झूठे वादे करके और धर्म परिवर्तन करके लोगों में तनाव पैदा किया जा रहा है और इससे देश का सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ेगा। यह कोई निरीह कदम नहीं है। ये विशाल आयोजन आयोजकों द्वारा स्वयं बड़े प्रचार के साथ किए जा रहे हैं, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद के लोग स्वयं दावा कर रहे हैं कि फलां व्यक्ति पहले से ही धर्मांतरित हिंदू हैं। यह उनके एजेंडे का स्पष्ट संकेत है। विहिप के नेताओं के आक्रामक भाषण भी धर्मनिरपेक्ष लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री केशव प्रसाद मौर्य (फूलपुर): आप बार-बार विश्व हिन्दू परिषद का नाम क्यों ले रहे हैं?...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री के. सी. वेणुगोपाल: महोदय, मैं उद्धृत कर रहा हूँ। ... (*व्यवधान*)

आप बस सुनिए मैं उद्धृत कर रहा हूं। ... (*व्यवधान*)

महोदय, आपको मेरी सुरक्षा करनी चाहिए। ... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: आप जो कहना चाहते हैं उस पर आइए।

... (*व्यवधान*)

श्री के. सी. वेणुगोपाल: महोदय, मैं एक वक्तव्य उद्धृत कर रहा हूं जिसमें कहा गया है कि पूरी दुनिया हिंदुओं द्वारा बसाई गई है। विहिप नेता ... * ने घोषणा की कि दक्षिणपंथी संगठन यह सुनिश्चित करेगा कि देश में हिंदुओं की जनसंख्या 82 प्रतिशत से बढ़कर 100 प्रतिशत हो जाए। यह क्या है? यह वक्तव्य विहिप नेता ...[4*]ने दिया है।

[4*] कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

माननीय उपाध्यक्ष: नाम रिकॉर्ड में नहीं जा सकता।

… (*व्यवधान*)

श्री के. सी. वेणुगोपाल: महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से एक विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूँ। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यहां बैठे हैं। क्या मंत्री जी इस वक्तव्य की निंदा करेंगे? क्या सरकार इस वक्तव्य की निंदा करेगी? पिछले सप्ताह माननीय श्री वेंकैया नायडू ने इस सभा से कहा था 'मुझे संघ परिवार का सदस्य होने पर वास्तव में गर्व है।' महोदय, पिछले सप्ताह माननीय मंत्री जी ने गर्व के साथ कहा था कि उन्हें *संघ परिवार* का हिस्सा होने पर गर्व है। … (*व्यवधान*) इसलिए आपको इसकी निंदा करनी चाहिए। … (*व्यवधान*) आपका कुछ कर्तव्य होना चाहिए ... (*व्यवधान*) महोदय, मुझे पूरा करना है। … (*व्यवधान*)

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, पहले मेरी बात सुन ली जाए, उसके बाद मंत्री जी का जवाब हो। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) : आप बैठिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, *शून्य काल* के दौरान समय सीमा होती है। उन्होंने अपनी बात रखी है। … (*व्यवधान*) वह सरकार से उत्तर चाहते थे। यदि सदस्यों को अपनी बात रखने का अधिकार है, तो सरकार का भी यह कर्तव्य है कि वह अपनी बात कहे और फिर सदन को जानकारी दे। … (*व्यवधान*) मेरी बात बहुत सरल है। … (*व्यवधान*) जो लोग सदन में मौजूद नहीं हैं, उनके नाम न लें। … (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: मैंने पहले ही उनके नाम हटा दिए हैं।

… (*व्यवधान*)

श्री एम. वेंकैया नायडू: इसलिए, उन्हें हटाया जाना चाहिए। … (*व्यवधान*)

दूसरी बात, सरकार का इससे कोई लेना-देना नहीं है। … (*व्यवधान*) सरकार का इससे कोई लेना-देना नहीं है। ... (*व्यवधान*) यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है और यदि कोई कानून का उल्लंघन करता है, तो कानून को अपना काम करना चाहिए। … (*व्यवधान*)

केरल में, श्री वेणुगोपाल के राज्य में, कांग्रेस की सरकार है। … (*व्यवधान*) (व्यवधान) यदि कांग्रेस सरकार कार्रवाई करना चाहती है तो उसे कार्रवाई करने से किसने रोका है? … (*व्यवधान*) आप यह भी जानते हैं कि कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा की जानी है। केरल में एक राज्य सरकार निर्वाचित है जो दुर्भाग्य से श्री वेणुगोपाल की पार्टी की है। … (*व्यवधान*) उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। … (*व्यवधान*)

दूसरी बात, सरकार ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि सरकार स्वयं को धर्मांतरण या पुनः धर्मांतरण में शामिल नहीं करती है। … (*व्यवधान*) पूरे देश में शांति है और लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से रह रहे हैं। … (*व्यवधान*) ऐसा न करें . . . (*व्यवधान*) वे कुछ कहना चाहते हैं और फिर वे सरकार को सुनना नहीं चाहते हैं। … (*व्यवधान*) यह क्या तरीका है? आप जो कहना चाहते हैं, कहते हैं और फिर आप सरकार की बात सुनना नहीं चाहते। ... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: ठीक है, उन्हें कहने दीजिए।

… (*व्यवधान*)

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): आपको पहले हमारी बात सुननी चाहिए। ... (*व्यवधान*)

श्री एम. वेंकैया नायडू: कितना समय ... (*व्यवधान*) हमने आपकी बात सुन ली है। … (*व्यवधान*) पूरे देश में शांति है। … (*व्यवधान*) कुछ लोग इससे नाखुश हैं। हम क्या कर सकते हैं? … (*व्यवधान*) पूरे देश में शांति है। कुछ लोग इसे पसंद नहीं कर रहे हैं। हम क्या करें? अनावश्यक रूप से देश में तनाव पैदा न करें। … (*व्यवधान*)

सरकार धर्मांतरण या पुनः धर्मांतरण का समर्थन नहीं करती है। ... (*व्यवधान*) अगर आप कोई राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं, तो आप इसे बाहर राजनीतिक मुद्दा बना सकते हैं। … (*व्यवधान*) यदि आप इसे

राजनीतिक बनाना चाहते हैं ... (*व्यवधान*) मैं स्वयं इन सभी लोगों को जवाब दे सकता हूं। आप इस बात की चिंता न करें। … (*व्यवधान*)

मैं अकेला इनको संभाल सकता हूँ, आप चिन्ता मत करिये जो भी होगा। ...([हिन्दी] व्यवधान) आप लोग हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं तो हम क्या करें? हमको देश ने चुना है। जनता ने हमें चुना है। देश पर शासन करना हमारा कर्तव्य है और हम इसे प्रभावी ढंग से चला रहे हैं। ... (*व्यवधान*) जनता हमारे साथ है और जनता खुश है। … (*व्यवधान*) लेकिन आप हम पर आरोप लगाते नहीं रह सकते। … (*व्यवधान*) यह पद्धति नहीं है। आपने 50 साल राज किया। आप इस तरह से ऐसा नहीं कर सकते। ऐसी पद्धति नहीं है। आपने जो भी कहना है कह दिया, हमने जो जवाब देना है दे दिया। ...(व्यवधान)

<u>अपराह्न 01.24 बजे</u>

इस समय श्री राजेश रंजन आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

माननीय उपाध्यक्ष: इसकी अनुमति नहीं है। केवल नेता को ही अनुमति है, बस इतना ही।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : उपाध्यक्ष महोदय, हर दिन, हर रोज़ सोशल मीडिया में, सभी अखबारों में और सभी जगह यह बात चल रही है और घर वापसी की बात को सरकार इनडायरैक्टली सपोर्ट कर रही है। ...(व्यवधान) आज हमारी सब बात सुनने के बाद सरकार का यह कर्तव्य होता है कि इसका रिप्लाई करें। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: सदन की कार्यवाही अपराह्न 02.25 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

<u>अपराह्न 01.25 बजे</u>

इसके बाद लोक सभा अपराह्न दो बजकर पच्चीस मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 02.28 बजे

लोक सभा मध्याहन भोजन के पश्चात् अपराह्न दो बजकर अट्ठाईस मिनट पर पुन: समवेत हुई।

(माननीय उपाध्यक्ष *पीठासीन हुए*)

… (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: श्री महेश गिरी, सभा अब नियम 377 के अधीन मामलों पर विचार करेगा।

… (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: श्री वेणुगोपाल पहले ही बोल चुके हैं और इसका उत्तर दिया जा चुका है। आप इससे ज्यादा क्या चाहते हैं? आप इसे 'शून्य काल' के दौरान छह बजे के बाद उठा सकते हैं।

… (*व्यवधान*)

अपराह्न 02.28½ बजे

इस समय श्री राजेश रंजन, श्री राजीव सातव, श्री कल्याण बनर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

… (*व्यवधान*)

अपराह्न 02.28 3/4 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

माननीय उपाध्यक्ष: श्री महेश गिरी, सभा अब नियम 377 के अधीन मामलों पर विचार करेगा।

… (*व्यवधान*)

(एक) दिल्ली में किराये की व्यावसायिक संपत्तियों के विवादास्पद मुद्दे का समाधान किये जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री महेश गिरी (पूर्वी दिल्ली) : उपाध्यक्ष जी, मेरे अपने क्षेत्र में गांधी नगर और दिल्ली में कई ऐसे क्षेत्र हैं।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको केवल अनुमोदित पाठ ही पढ़ना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री महेश गिरी : उपाध्यक्ष महोदय, देश के विभाजन के समय काफी लोग दिल्ली में आ कर बस गए थे। विभाजन के बाद भारत आए शरणार्थियों ने देश के विभिन्न भागों में शरण ले कर अपने जीविकोपार्जन हेतु साधन ढूंढ़ने शुरू किए। उसी दौरान दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर बसे हुए शरणार्थियों ने जीविका हेतु पगड़ी की व्यवस्था के तहत बड़े ही अनोखे ढंग से कमर्शियल प्रापर्टी का लेन-देन किया। इस व्यवस्था के तहत दुकान लेने वालों को मासिक आंशिक मूल्य भी देना होता है जिसे " रेंट " कहा जाता है। दो-तीन पीढ़ी पहले दुकान लेने व देने वालों के वारिसों के लिए यह व्यवस्था काफी उलझ गई और विवाद का विषय बन गई है। दिल्ली के गांधी नगर, चांदनी चौक, कमला मार्केट जैसे कई बड़े बाजारों में व्यवसाय करने वाले लोगों की मानसिक स्थिति इस विवाद से प्रभावित है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करके प्रभावित लोगों को राहत प्रदान की जाए।

(दो) मध्य प्रदेश के बैतूल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बोरदेही रेलवे स्टेशन पर पातालकोट एक्सप्रेस का ठहराव उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता।

श्रीमती ज्योति धुर्वे (बैतूल) : उपाध्यक्ष जी, मैं अपने संसदीय क्षेत्र बैतूल (मध्य प्रदेश) के बोरदेही रेलवे स्टापेज के लिए चलने वाली पातालकोट एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव की मांग करती हूं। क्षेत्र की 50 ग्राम पंचायतों के लिए बोरदेही सबसे बड़ा प्रमुख केंद्र है। इस ट्रेन की सुविधा से इन 50 ग्राम पंचायतों की जनता को सबसे ज्यादा लाभ होगा और साथ ही साथ रेलवे को राजस्व प्राप्त होगा।

अतः सदन के माध्यम से मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि पातालकोट एक्सप्रेस ट्रेन का बोरदेही रेलवे स्टेशन, बैतूल (मध्य प्रदेश) में ठहराव किया जाए।

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): महोदय, मैं कुछ कह रहा था लेकिन अचानक सभा स्थगित हो गया।

माननीय उपाध्यक्ष: वेणुगोपाल जी ने एक मुद्दा उठाया था। माननीय मंत्री जी ने उस मुद्दे का उत्तर दिया। आप आगे क्या चाहते हैं?

… (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: इससे पूरे देश में कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो जाएगी। (*व्यवधान*) वे कानून व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। … (*व्यवधान*)

सर, इस देश में हर राज्य में धर्म वापसी के नाम से लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है।...(व्यवधान)

श्री एम. वेंकैया नायडू: महोदय, चर्चा समाप्त हो गई है।… (*व्यवधान*) इस बारे में कोई और बात नहीं कर सकता। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : सर, उनको इंडोर्समेंट देना, उनको घर देने का वायदा करना, मकान देने का वायदा करना, ऐसे वायदे करके उनको वापस ला रहे हैं।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: डॉ. भोला सिंह – उपस्थित नहीं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : संविधान के मुताबिक हर एक को आधिकार है कि जो लोग अपने जिस रिलीजन में विश्वास रखते हैं, वे वह रिलीजन फॉलो कर सकते हैं।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

(तीन) राजस्थान के नागौर संसदीय क्षेत्र में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल परियोजना के अंतर्गत पेयजल उपलब्ध कराने हेतु विशेष पैकेज उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री सी.आर.चौधरी (नागौर) : महोदय, मैं आपके द्वारा मेरे संसदीय क्षेत्र की गम्भीर समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।...(व्यवधान) नागौर संसदीय क्षेत्र राजस्थान के अरावली पर्वत श्रेणियों के पश्चिम में अर्द्ध मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है।...(व्यवधान) यहां पर वर्षा कम होने के कारण पीने के पानी की समस्या हमेशा से रही है।...(व्यवधान) कुओं एवं ट्यूबवेल्स का पानी फ्लोराइड युक्त होने के कारण पीने योग्य नहीं है।...(व्यवधान) केन्द्र सरकार द्वारा 2013 में फ्लोराइड मुक्त पानी देने हेतु जापान के सहयोग से 'जायका कम्पनी' को कार्य दिया गया।...(व्यवधान) उद्घाटन के पश्चात अभी तक इस दिशा में कोई कार्य नहीं हुआ है।...(व्यवधान) नागौर जिले में पानी 600 से 700 फीट गहराई पर है एवं ट्यूबवेल्स में पानी की भारी कमी आ गयी है।...(व्यवधान) आदिकाल से ही लोग तालाबों का पानी पीने के काम में लेते रहे हैं।...(व्यवधान) वर्षा की कमी के कारण तालाबों में पानी नहीं है।...(व्यवधान) माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे जी ने आज़ादी के बाद पहली बार इन्दिरा गांधी नहर के पानी को अपने पूर्व कार्यकाल में नागौर शहर तक बड़े पाइपों के द्वारा पानी को लिफ्ट कर पहुंचाया।...(व्यवधान) जनता उनकी आभारी है।...(व्यवधान) पांच वर्ष अर्थात 2008 से 2013 तक उक्त योजना पर कोई कार्य नहीं हुआ।...(व्यवधान) अब वर्तमान सरकार में कार्य पुनः आरम्भ हुआ है।...(व्यवधान) सम्पूर्ण जिले में इन्दिरा गांधी नहर के पानी को पहुंचाने में पांच वर्ष लगेंगे।...(व्यवधान) पांच वर्षों तक कस्बों एवं ग्रामों में पीने के पानी की भारी समस्या आ रही है।...(व्यवधान)

अतः मैं आपके मार्फत माननीय ग्रामीण विकास, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह नागौर जिले में जब तक नहर का पानी नहीं पहुंचे, तब तक राज्य सरकार को सहायता हेतु 'नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट' में से नागौर जिले के लिए विशेष पैकेज स्वीकृत करे ताकि नये ट्यूबवेल्स खोदकर अस्थायी रूप से पीने की समस्या का समाधान हो सके।...(व्यवधान) साथ ही 'जायका कम्पनी' को निदेरशित किया जाए कि वह शीघ्र कार्य प्रारम्भ करे।...(व्यवधान)

(चार) देश में विशेषकर बिहार के दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भारत संचार निगम लिमिटेड की मोबाइल टेलीफोन सेवा में सुधार लाये जाने की आवश्यकता।

श्री कीर्ति आज़ाद (दरभंगा) : महोदय, भारत संचार निगम लिमिटेड के द्वारा उपभोक्ताओं की दी जाने वाली सेवाओं का स्तर निम्न से निम्नतर होता जा रहा है।...(व्यवधान) मोबाइल कनेक्टिविटी में निरंतर खराबी आ रही है।...(व्यवधान) 3जी सेवाओं में 2जी का लाभ प्रदान किया जा रहा है।...(व्यवधान) दरभंगा सहित सम्पूर्ण बिहार में निगम की सेवाओं से जनता परेशान हो रही है एवं भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का परित्याग कर अन्य निजी कंपनियों की सेवाओं को लेने पर मजबूर हैं।...(व्यवधान) भारत संचार निगम लिमिटेड के बी.टी.[हिन्दी] एस. कई जगह काम ही नहीं कर रहें आपितु अत्यन्त दयनीय स्थिति में पड़े हैं।...(व्यवधान) आधिकारियों की उदासीनता के कारण निगम को भारी नुकसान हो रहा है।...(व्यवधान)

अतः सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि नागरिकों की सुविधाओं के लिए सेवाओं में आ रही बाधा को आतिशीघ्र दूर किया जाए एवं दोषी आधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए।...(व्यवधान)

(पाँच) उत्तर प्रदेश में सहारनपुर या मेरठ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

श्री राघव लखनपाल (सहारनपुर) :महोदय, उत्तर प्रदेश भारत का सवारधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है। लगभग 20 करोड़ की जनसंख्या के लिए न्याय पाने का साधन इलाहाबाद में स्थापित उच्च न्यायालय है। इलाहाबाद की सहारनपुर व पश्चिम उत्तर प्रदेश के जनपदों से दूरी 600-700 किलोमीटर के आसपास है व पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को इलाहाबाद पहुँचने में एक से डेढ़ दिन लग जाते हैं। प्रतिवर्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लगभग 50 हजार केस दर्ज होते हैं, जिनमें से 52 प्रतिशत केस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के होते हैं और वर्ष 2009 तक का लगभग 14 लाख 50 हजार केस लम्बित पड़े हुए हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की भी कमी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इलाहाबाद उच्च न्यायालय की दूरी व खर्चा देखते हुए कई लोग न्याय पाने से वंचित रह जाते हैं। एक लोकतान्त्रिक देश का अहम कर्तव्य लोगों को सस्ता एवं सुलभ न्याय दिलाना है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा सरकार अनुरोध करता है कि उच्च न्यायालय की एक आतिरिक्त बेंच की स्थापना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर या जनपद मेरठ में की जाए ताकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को न्याय मिल सके। धन्यवाद।

(छः) मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 और 7 की मरम्मत और रखरखाव किये जाने की आवश्यकता।

श्री गणेश सिंह (सतना) : महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का ध्यान राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 75 जो झांसी से छतरपुर, पन्ना, सतना, सीधी, सिंगरौली होकर हाथीनाले तक तथा दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 जो जबलपुर से कटनी, सतना, रीवा बनारस होकर रांची तक जाता है, इन दोनों सड़कों की हालत बहुत खराब है। शायद इन दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों को 4 लेन बनाने का निर्णय सरकार ने ले लिया है, किन्तु इन दोनों सड़कों में कुछ जगह तो थोड़ा सा काम होते दिखाई दे रहा है लेकिन कार्य की गति अत्यंत धीमी है। ये दोनों सड़कें मेरे लोक सभा क्षेत्र से निकलती हैं। अभी हाल ही में दिनांक 12 दिसम्बर से 16 दिसम्बर के बीच में सतना, सिंगरौली से बनारस इन दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों से होकर निकला तो सड़कों की हालत देखकर अत्यंत कष्ट हुआ। जगह-जगह गड्ढों में फंसी गाड़ियां तथा कई किलोमीटर तक जाम में फंसी गाड़ियां देखी गईं। चुरहट से सिंगरौली के बीच की 150 किलोमीटर की दूरी पूरी करने में 8 घण्टे से ज्यादा समय लगता है। इसी तरह सिंगरौली से बनारस जो 200 किलोमीटर है, 8 से 10 घण्टे लगते हैं। पूरा क्षेत्र जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखण्ड तथा बिहार राज्यों की सीमा में हैं, करोड़ों की आबादी है जो इस कष्ट को सहने के लिए मजबूर है।

अतः आपके माध्यम से भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी जो बहुत ही सक्रियता के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग सुधारने का कार्य कर रहे हैं, उनसे आग्रह है कि इन दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों में शुरू होने के स्थान से लेकर आन्तिम स्थान तक देखने लिए एक केन्द्रीय दल को भेजकर अध्ययन करायें तथा तत्काल इन सड़कों के निर्माण की गति बढ़ाकर समय सीमा तय करें।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री सुमेधानन्द सरस्वती - उपस्थित नहीं

(सात) असम के जोरहाट जिले के मरियानी रेलवे जंक्शन में एक बाईपास रेलवे लाईन का निर्माण किये जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री कामाख्या प्रसाद तासा (जोरहाट): जोरहाट असम का एक महत्वपूर्ण शहर है और गुवाहाटी के बाद दूसरे स्थान पर है। इस शहर के लिए रेलवे संपर्क बहुत खराब है। जोरहाट के लोग मरियानी शाखा स्टेशन जिसे जोरहाट टाउन स्टेशन कहते हैं, का उपयोग करते हैं जो ऊपरी असम और यहां तक गुवाहटी स्टेशन से भी जुड़ा नहीं है। जोरहाट टाउन स्टेशन फुरकेटिंग जंक्शन स्टेशन से भी जुड़ा है जो वहां से 87 कि.मी. की दूरी पर है। गोलाघाट रेलवे स्टेशन भी जोरहाट के लिए एक संपर्क बिंदु है। चूंकि ये दोनों स्टेशन ब्रांच लाइन में हैं, इसलिए कोई भी लंबी दूरी की ट्रेन इस रूट से नहीं गुजरती। जिसके कारण जोरहाट के यात्रियों को मरियानी जंक्शन पर देर रात में महत्वपूर्ण गाड़ियों को पकड़ना पड़ता है। इसलिए, मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि यद्यपि आप मारियानी जंक्शन पर बाईपास लाइन का निर्माण करें, जो कि राजधानी जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनों को चलाने के लिए केवल 641 मीटर है। काफी अनुरोध और मांग के बावजूद एनएफ रेलवे और रेल मंत्रालय ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इसलिए, संबंधित मंत्रालय से इस मामले को देखने और उपचारात्मक कदम उठाने का आग्रह किया जाता है।

(आठ) बिहार में पूर्वी चंपारण जिले में छौड़ादानों में सीमा शुल्क विभाग की चौकी स्थापित किये जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण) : उपाध्यक्ष महोदय, छौड़ादानो, जिला - पूर्वी चम्पारण (बिहार) भारत-नेपाल सीमा पर अवस्थित है। भारत-नेपाल व्यापार संधि के और प्रगाढ़ होने से दोनों देशों का व्यापार काफी बढ़ रहा है। रक्सौल से व्यापार काफी बढ़ रहा है। रक्सौल से बैरगनिया के मध्य में कोई कस्टम का चेकपोस्ट नहीं है। छौड़ादानो में कस्टम के पदाधिकारी की पदस्थापना है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि छौड़ादानों में शीघ्र कस्टम का चेकपोस्ट बनाया जाए जिससे दोनों देशों के व्यापार में बढ़ोतरी हो तथा अवैध रूप से सामग्री के आवाजाही पर रोक लग सके।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री विंसेंट पाला।

(नौ) मुल्लापेरियार बांध मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के अंतिम निर्णय को लागू किये जाने की आवश्यता।

[अनुवाद]

श्री ए. अनवर राजा (रामनाथपुरम): उपाध्यक्ष महोदय, मुल्लापेरियार बांध का जलस्तर बढ़ाने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी ने लगातार प्रयास किए। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अंतिम फैसले में तमिलनाडु की वास्तविक दलील को स्वीकार किया तथा नये बांध के निर्माण को भी अस्वीकृत कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त मूल्यांकन दल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मुल्लापेरियार बांध को कोई खतरा नहीं है, भले ही जलस्तर 142 फीट तक बढ़ा दिया जाए और यहां तक कि इसे इसके पूर्ण स्तर 152 फीट तक भी बढ़ाया जाए। इस बांध का निर्माण इस प्रकार किया गया कि इसका अधिकांश जलग्रहण क्षेत्र और कमान क्षेत्र तमिलनाडु में स्थित है। लेकिन फिर भी केरल सरकार एक नए बांध के निर्माण के लिए उत्सुक है और उसने नए बांध के लिए प्रस्तावित स्थल का सर्वेक्षण करने के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से अनुमति मांगी है। कानून के शासन को बनाए रखने के लिए, केंद्र का यह कर्तव्य है कि वह अंतरराज्यीय जल विवादों में सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम फैसले को लागू करे, जिन्हें बातचीत के माध्यम से हल नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैं केंद्र सरकार से इस मामले में सकारात्मक हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूँ।

धन्यवाद।

(दस) केन्द्र सरकार की नौकरी में भर्ती के लिये अधिकतम आयु सीमा बढ़ाये जाने तथा सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष किये जाने की आवश्यकता।

श्री तापस पॉल (कृष्णानगर): उपाध्यक्ष महोदय, यह देखा गया है कि पिछले 20 वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी किए गए लगभग सभी विज्ञापनों में रोजगार के लिए लगभग सभी पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, शारीरिक रूप से विकलांगों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पाए जाते हैं। इस प्रकार, अपेक्षित शिक्षा प्राप्त सामान्य वर्ग के लोगों को विज्ञापित पदों के लिए आवेदन करने का कोई अवसर नहीं मिला। परिणामस्वरूप वे अधिक आयु के हो गए हैं और केन्द्रीय सेवाओं में किसी भी प्रकार की नौकरी से वंचित हो गए हैं।

इसलिए, इस स्थिति से बाहर निकलने का एक तरीका यह है कि सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा को 30 वर्ष तक बढ़ाया जाए, क्योंकि पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में यह 40 वर्ष है। इसके साथ ही, सेवानिवृत्ति की ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाकर 62 वर्ष किया जा सकता है।

इसलिए, मैं आपके माध्यम से भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस प्रस्ताव पर विचार करें ताकि सामान्य श्रेणी के लोगों को परेशानी न हो।

धन्यवाद।

(ग्यारह) ओडिशा के कालाहांडी जिले के भवानी-पटना कस्बे में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या .26 के बाईपास के निर्माण किये जाने की आवश्यकता।

श्री अर्का केशरी देव (कालाहाण्डी):उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या .26 भवानी-पटना शहर से होकर गुजरता है जो ओडिशा में कालाहाण्डी जिले का मुख्यालय है। उक्त शहर की लगातार बढ़ती आबादी और सभी दिशाओं में विस्तार के कारण वाहनों और लोगों की नियंत्रित निर्बाध आवाजाही आवश्यक हो गई है। दिन के व्यस्ततम समय में यहां भारी ट्रैफिक जाम रहता है और अधिकतर दुर्घटनाएं व्यस्ततम समय और शाम के समय होती हैं। इसलिए, वहां पर एक बाईपास सड़क के निर्माण की मांग की जा रही है जो एक ओर राष्ट्रीय राजमार्गसंख्या-26 को जोड़ेगा और दूसरी और जूनागढ़ रोड को जोड़ेगा। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उक्त बाईपास का निर्माण चालू वित्त वर्ष के दौरान किया जाए।

धन्यवाद।

(बारह) मराठी भाषी बहुल बेलगाम जिले को महाराष्ट्र में शामिल किये जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 58 वर्षों से महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद का कोई हल नहीं निकल पाया है। सीमा पर लगे 865 गांव ऐसे हैं जहां सिर्फ मराठी भाषी लोग ही रहते हैं। पुरा बेलगांव जिला मराठी भाषी है। आए दिन यहां के लोग आंदोलन करते हुए महाराष्ट्र राज्य में शामिल किए जाने की मांग करते हैं। बेलगांव नगरपालिका में भी कई बार प्रस्ताव पास किया गया कि पूरे 865 गांवों को महाराष्ट्र में शामिल कर दिया जाए। परन्तु कर्नाटक सरकार बेवजह इस विवाद को आगे बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। कोर्ट के निर्णय का हम सभी सम्मान करते हैं। परन्तु बेलगांव की जनता की इच्छाओं और मराठी भाषी लोगों की बहुसंख्या का ख्याल करके हुए केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद का तुरंत हल करने पर हस्तक्षेप करना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है।

(तेरह) आंध्र प्रदेश में गुंटूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मंगलागिरि और पेदाकाकनी में रेलवे स्टॉपेज को स्थायी स्टॉपेज बनाये जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री जैदेव गल्ला (गुंटूर): प्रायोगिक ठहराव से उस क्षेत्र के लोगों को मदद मिलती है और गुंटूर रेलवे डिवीजन के अंतर्गत मेरे निर्वाचन क्षेत्र में दो ऐसे ठहराव - मंगलगिरी और पेडकाकानी स्टेशनों की पहचान की गई है।

ट्रेन संख्या 17201/17202, गोलकुंडा एक्सप्रेस जो गुंटूर-विजयवाड़ा के बीच चलती है, बड़ी संख्या में मौसमी यात्रियों को सेवा प्रदान कर रही है और सरकार एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या .17643/17644) एकमात्र ट्रेन है जो चेन्नई और मंगलागिरी को जोड़ती है, जो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी का निकटतम रेलवे स्टेशन है।

मैं इस बात से सहमत हूं कि कुछ प्रायोगिक ठहराव व्यावसायिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं हैं और यदि वे मानदंडों के अनुरूप नहीं हैं तो रेलवे उन्हें हटाने का प्रस्ताव कर रहा है। रेलवे हर चीज को व्यावसायिक दृष्टि से नहीं सोच सकता। जहां तक मंगलागिरी और पेदाकाकनी स्टेशनों का सवाल है, वे इस श्रेणी में नहीं आते हैं। इन स्टेशनों के लिए, मानक का दूसरा भाग लागू होता है। इसमें कहा गया है, "यदि स्टेशन के अंदर और आसपास कोई नया विकास कार्य हो रहा है, जैसे कोई अतिरिक्त मानदंड हैं..."

आंध्र प्रदेश को विभाजित किया गया था और राज्य सरकार ने अंततः अपनी नई राजधानी का चयन किया और दोनों स्टेशन आंध्र प्रदेश की नई राजधानी में और उसके आसपास आते हैं। इसलिए, न केवल राज्य में बल्कि स्टेशनों और इसके आसपास नए विकास हुए हैं। चूंकि ये स्टेशन राजधानी के अंदर और बाहरी क्षेत्र में स्थित हैं, इसलिए इन स्टेशनों पर भारी भीड़ होगी। दूसरा, आगामी विधानसभा सत्र आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय में होने जा रहा है, जो इन दोनों स्टेशनों से केवल कुछ किलोमीटर दूर है। इसलिए, ये दोनों स्टेशन गुंटूर और विजयवाड़ा के बीच केन्द्र तथा राजधानी के निकटतम रेलवे स्टेशनों के रूप में काम करेंगे।

इसलिए, राज्य की बदली हुई जनसांख्यिकी को देखते हुए इन ठहरावों को स्थायी ठहराव के रूप में जारी रखने की आवश्यकता है।

(चौदह) तेलंगाना के करीमनगर जिले में रामागुंडम उर्वरक संयंत्र का पुनरुद्धार किये जाने तथा इसे फिर से चालू किये जाने की आवश्यकता।

श्री बलका सुमन (पेड्डापल्ली): मैं इस सम्मानित सभा का ध्यान तेलंगाना के करीमनगर जिले में रामागुंडम उर्वरक इकाई खोलने की अत्यंत आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि सीमित तेल संसाधनों और प्रचुर मात्रा में कोयला भंडार के कारण वर्ष 1971 में रामागुंडम, करीमनगर जिले में कोयला आधारित उर्वरक संयंत्र की स्थापना की गई थी, जहां सिंगरेनी खानों में आवश्यक कोयला उपलब्ध था, रामागुंडम थर्मल स्टेशनों पर बिजली उपलब्ध थी, नदी गोदावरी में पानी उपलब्ध था और करीमनगर और आसपास के जिलों में यूरिया की भारी खपत थी। यह संयंत्र स्थानीय पिछड़े क्षेत्र, तेलंगाना में रोज़गार प्रदान करने के लिए भी स्थापित किया गया था। संयंत्र का वाणिज्यिक उत्पादन नवंबर, 1980 में शुरू हो सकता है। रामागुंडम में उर्वरक संयंत्र प्रति दिन 1500 मीट्रिक टन की क्षमता के साथ डिज़ाइन किया गया था। लेकिन प्रौद्योगिकी की सीमा के कारण, संयंत्र प्रति दिन 1000 मीट्रिक टन तक यूरिया का उत्पादन कर रहा था। इस प्रकार 1-4-1982 से संयंत्र की क्षमता घटाकर 1000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दी गई। डी-रेटिंग के बाद, एफसीआई संयंत्र को 1981-82 के दौरान परिचालन लाभ हुआ। हालांकि, नियमित बिजली कटौती और गलत रेटेड क्षमता के कारण संचित घाटे के कारण संयंत्र की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई, जिसके परिणामस्वरूप रामागुंडम संयंत्र को बीमार इकाई घोषित कर दिया गया और इसे बीआईएफआर को भेज दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 5000 से अधिक परिवारों का रोजगार छिन गया। भले ही रामागुंडम उर्वरक संयंत्र ने 31-03-1999 तक 25,15,594 मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन किया, फिर भी सरकार ने 1-4-1999 से उत्पादन निलंबित कर दिया। सरकार यूरिया के आयात पर भारी विदेशी मुद्रा खर्च कर रही है। तेलंगाना के करीमनगर के आसपास के जिलों में यूरिया की मांग प्रति वर्ष 10 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। यद्यपि भारत सरकार ने एन.एफ.एल. और ई.आई.एल. के माध्यम से रामागुंडम उर्वरक संयंत्र के पुनरुद्धार की घोषणा एक वर्ष से अधिक समय पहले की है, परंतु आज

तक कोई प्रगति दर्ज नहीं की गई है। मैं यह भी समझता हूं कि प्रस्तावित आंध्र प्रदेश श्रीनगर गैस लाइन भी धीमी गति से प्रगति कर रही है।

मैं माननीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जी से अध्यक्ष के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि वे रामागुंडम उर्वरक संयंत्र को पुनः चालू करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं ताकि जल्द से जल्द वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया जा सके।

माननीय उपाध्यक्ष: श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर। ... (*व्यवधान*)

श्रीमती गीथा कोथापल्ली – उपस्थित नहीं ... (*व्यवधान*)

श्री राजेश रंजन

... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: नहीं, आपको अपनी सीट पर वापस जाना होगा और पढ़ना होगा। अन्यथा, कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: अब हम अगली बार विधायी कार्य पर जाएंगे। आइए हम विधेयकों पर विचार और पारित करने के लिए विचार करें।

... (*व्यवधान*)

शहरी विकास मंत्री, आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैया नायडू): उपाध्यक्ष महोदय, विधायी कार्य पर जाने से पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि पूरा देश देख रहा है। सभा में जो कुछ भी कहा जाए, निंदा की जाए या नारेबाजी की जाए, उसे रिकॉर्ड में नहीं रखा जाना चाहिए और प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए। सदन की यही परंपरा रही है। उन्होंने सदन में उपस्थित नहीं रहने वाले लोगों के खिलाफ नारे लगाए। यह रिकॉर्ड में नहीं जाना चाहिए। पप्पू जी, कुल सुबह आठ बजे बजे से काऊंटिंग शुरू होगा, आपको जवाब मिलेगा, चिंता मत कीजिए। ...(व्यवधान)।

माननीय उपाध्यक्ष: अब हम अगले विषय पर आएंगे – डॉ. जितेन्द्र सिंह।

... (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): यदि हमने कोई असंसदीय शब्द बोला है, तो इस सभा में चिल्लाने या विरोध करने का ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। यह सभा या अधिवेशन की मिसाल नहीं है। अगर हमने ऐसा कुछ

कहा तो आप कह सकते हैं कि यह असंसदीय है। आपने कई बार ऐसा किया है। आपने तो सौ बार किया है। ...(व्यवधान)

श्री एम. वेंकैया नायडू: सदन में जो कुछ भी कहा जाएगा, वह रिकार्ड में नहीं जाएगा। यह पूर्वोदाहरण है।

[हिन्दी] श्री

मल्लिकार्जुन खड़गे : अगर हम एक बार ऐसा करते हैं, आप हर बात को निकालना चाहते हैं। यह अच्छा नहीं है, यह हम नहीं मानेंगे। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एम. वेंकैया नायडू: हम सभा में हैं और यही परंपरा रही है। ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : पार्लियामेंट के अंदर प्रोटेस्ट करने का राइट है। अगर आप एक्पन्ज करेंगे तो यह ठीक नहीं होगा, हमारी बात भी रखिए, वे जो कहते हैं उनकी बात भी मानिए। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया अपनी सीट पर बैठें। मैं बताता हूँ। उन्होंने जो कुछ भी कहा वह रिकार्ड में दर्ज होगा। यदि कोई विवाद है तो उसे दूर कर लिया जाएगा। अन्यथा, अन्य रिकॉर्ड में होंगे और कोई समस्या नहीं होगी। विरोध प्रदर्शन करना और नाम लेना रिकार्ड में दर्ज नहीं किया जाएगा। यही वह है।

अब, माननीय मंत्री जी।

… (*व्यवधान*)

<u>अपराह्न 02.54 बजे</u>

लोकपाल और लोकायुक्त और अन्य संबंधित कानून (संशोधन) विधेयक, 2014

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेंद्र सिंह): माननीय महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 को संशोधित करने तथा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 को और संशोधित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, पहले प्रस्तुत विधेयक में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 में कुछ संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। संक्षेप में, महोदय, संशोधनों में से एक में लोक सभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को चयन समिति के सदस्य के रूप में शामिल करने का प्रावधान करने का प्रस्ताव है, जब उस सभा में विपक्ष के नेता के रूप में कोई मान्यता प्राप्त नेता न हो। … (*व्यवधान*)

एक अन्य प्रावधान यह है कि प्रतिष्ठित विधिवेत्ता को तीन वर्ष की अवधि के लिए नामित किया जाएगा तथा वह पुनः नामित होने के लिए पात्र नहीं होगा। संशोधन में यह भी प्रावधान किया गया है कि खोज समिति में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या खोज समिति की कार्यवाही केवल चयन समिति में किसी सदस्य के रिक्त होने या अनुपस्थिति या खोज समिति में किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति के कारण अवैध नहीं होगी।… (*व्यवधान*)

यह भी प्रावधान किया गया है कि लोकपाल के सचिव का पद अतिरिक्त सचिव से कम नहीं होना चाहिए और अधिनियम की धारा 3.1.3 धारा 16(1)(एफ) में एक और संशोधन किया गया है, जिसमें संशोधन का प्रस्ताव है ताकि लोकपाल का मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) दिल्ली में कहीं भी हो सके।

संशोधनों में विभिन्न श्रेणियों के लोक सेवकों, अर्थात् संसद सदस्यों, सरकारी कर्मचारियों, सांविधिक निकायों के कर्मचारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, गैर सरकारी संगठनों आदि द्वारा अधिनियम के प्रावधानों

के तहत परिसंपत्तियों और देनदारियों के बारे में सूचना दाखिल करने से संबंधित प्रावधानों को प्रत्येक श्रेणी पर लागू प्रासंगिक कानूनों, नियमों और विनियमों के प्रावधानों के साथ सुसंगत बनाने का भी प्रावधान है, जैसे कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (आर.पी.ए.), अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए नियम आदि। (*व्यवधान*)

धारा 4(ख)(क) में एक अन्य महत्वपूर्ण संशोधन सीबीआई में अभियोजन निदेशक की नियुक्ति के लिए योग्यता का प्रावधान करता है, जिसके तहत संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी सीआरपीसी के तहत विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

खंड (क) में निर्दिष्ट किसी पात्र अधिकारी की अनुपस्थिति में, ऐसा व्यक्ति भी पात्र माना जाएगा जो कम से कम 15 वर्ष से अधिवक्ता के रूप में व्यवहार में रहा है और उसे भ्रष्टाचार अधिनियम, 1982 के उपबंध के अधीन अपराधों से संबंधित सरकार की ओर से मामलों को संभालने का अनुभव है। ... (*व्यवधान*)

जहां तक धारा 6(क) का संबंध है, जिसके तहत संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के स्तर के किसी भी अधिकारी के खिलाफ जांच के लिए सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है और एक रिट याचिका के बाद इस धारा को खारिज कर दिया गया था, संशोधन अधिनियम से धारा 6(क) को हटाने का प्रयास करता है।

इसमें एक अन्य महत्वपूर्ण संशोधन यह है कि सी.बी.आई. निदेशक और प्रस्तावित अभियोजन निदेशक के बीच मतभेद की स्थिति में, मामला भारत के महान्यायवादी को उनकी सलाह के लिए भेजा जाएगा और ऐसी सलाह बाध्यकारी होगी। अभियोजन निदेशक की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन विधि और न्याय मंत्रालय में निर्धारित तरीके से दर्ज और रखी जाएगी।... (*व्यवधान*)

<u>अपराह्न 03.00 बजे</u>

इसमें अभियोजन निदेशक की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन की रिकॉर्डिंग के संबंध में नियम बनाने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डी.ओ.पी.टी.) को शक्ति प्रदान करने हेतु एक नई धारा 7 को सम्मिलित करने की भी परिकल्पना की गई है।

महोदय, मैं इस विधेयक पर विचार करने के लिए प्रस्ताव करता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 को संशोधित करने तथा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 को और संशोधित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

डॉ. शशि थरूर बोलेंगे।

… (*व्यवधान*)

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी, एवीएसएम (गढ़वाल): माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।...(व्यवधान) यह बिल बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे देश में कई वर्षों से लोकपाल बिल बनाने की चर्चा हो रही थी। पिछली लोक सभा में बहुत कठिनाई के बाद, अन्ना हजारे जी के आंदोलन के बाद, अनेक प्रकार के धरने और प्रदर्शन के बाद लोकपाल बिल बनाया गया और आज सरकार ने उसके संशोधन की चर्चा की है।...(व्यवधान) भारतवर्ष में, हमारे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल के बारे में बहुत चिंता है, यह सर्वमान्य है। आज विश्व में भारत भ्रष्टाचार से ग्रस्त देशों में गिना जाने लगा है। यह हमारी ऐतिहासिकता और पृष्ठभूमि के अनुरूप नहीं है।...(व्यवधान) मैं सभी लोगों से प्रार्थना करता हूं कि इस बिल का समर्थन करें। मंत्री जी ने अच्छी तरह और विस्तार से वर्णन किया है, इसके आधार पर अमेंडमेंट दिए हैं।...(व्यवधान)

मेरा सौभाग्य रहा कि जब मैं उत्तराखंड का मुख्यमंत्री था, तब बहुत अच्छा और मजबूत बिल वहां पास किया गया था, जिसे पूरे देश ने सराहा था। मैं कांग्रेस के साथियों को बताना चाहता हूं कि उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने इस बिल का समर्थन नहीं किया था। इस बिल का इतिहास इस प्रकार है। एक नवम्बर को उत्तराखंड विधान सभा ने सर्वसम्मति से एक बिल पास किया था। कांग्रेस में विपक्ष के लोग थे, सबने इसका समर्थन किया था। ...(व्यवधान) यह बहुत शक्तिशाली बिल था। इसके पारित होने के बाद वहां के गवर्नर ने भी तुरंत इसे पास किया था। इसके बाद इसे केंद्र सरकार के पास भेजा गया। केंद्र सरकार, यूपीए ने डेढ़-दो साल तक अपने पास रखा और आगे नहीं बढ़ाया। जब केंद्र को बहुत चर्चा के बाद इसमें कोई खामी नहीं मिली तो महामहिम राष्ट्रपति जी के पास इसे भेजा गया। महामहिम राष्ट्रपति जी ने करीब 18 महीने बाद बिल को पास किया। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: सदन की कार्यवाही अपराह्न 03.10 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

<u>अपराह्न 03.04 बजे</u>

इसके बाद लोक सभा तीन बजकर दस मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 03.10 बजे

लोक सभा अपराह्न तीन बजकर दस मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(माननीय उपाध्यक्ष *पीठासीन हुए*)

… (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

अपराह्न 03.10 1/4 बजे

इस समय श्री राजेश रंजन, श्री कल्याण बनर्जी, श्री रवनीत सिंह, श्री पी. करुणाकरण और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

माननीय उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं तीन बजे जो हुआ उसका उल्लेख करना चाहता हूं। मैं माननीय सदस्य श्री राजेश रंजन द्वारा किए गए कार्य के तरीके पर कड़ी आपत्ति व्यक्त करता हूं। वह मेरे ऊपर कागज फेंक रहा था। यदि आप इस प्रक्रिया को स्वीकार कर रहे हैं, तो आपको निर्णय लेना होगा।

… (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: मुझे इसके लिए बहुत खेद है। आपको अपने गुस्से को जाहिर करने का अधिकार है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपने तो कागज़ मुझ पर फेंक दिया। आपने मुझ पर क्यों फेंका?

अपराह्न 03.11 बजे

इस समय श्री राजेश रंजन अपने स्थान पर वापस चले गए।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): नहीं, महोदय … (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: यह बहुत बुरा है। आपने बहुत बुरी मिसाल कायम की है। यह सही नहीं है क्योंकि आपको सदन का सम्मान करना होगा। आपने इसे मेरे ऊपर फेंका है। इसके लिए मुझे बहुत खेद है। यह इस सदन में व्यवहार करने का तरीका नहीं है। मेरे ऊपर कागज फेंकना सही तरीका नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या

यह लोकतांत्रिक तरीका है? क्या सदस्य इसे स्वीकार करते हैं? क्या अध्यक्ष पर कागज फेंकना सही है? आपने यह किया। आपने मेरे ऊपर कागज फेंका है।

… (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: मैं कह रहा हूं कि आपने जो किया है, वह बहुत बुरा है। मैं इस पर कड़ी आपत्ति जताता हूं। इसके लिए मुझे बहुत खेद है। आप अध्यक्ष पर कागज नहीं फेंक सकते। आप अपनी आपत्ति उठा सकते हैं। यह अलग है। आपने मेरे ऊपर कागज फेंका है। इसीलिए, मैंने सदन को स्थगित किया। माननीय सदस्य की ओर से यह उचित नहीं है। अध्यक्षपीठ को सम्मान न देना सही नहीं है। आपको कहने का अधिकार है, लेकिन आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। मुझे इसके लिए खेद है। आपने मेरे ऊपर कागज क्यों फेंका?

… (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया अपने स्थान पर वापस जाएं। यह तरीका नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ। आप पीछे भाग रहे हो।

… (*व्यवधान*)

अपराह्न 03.14 बजे

लोकपाल और लोकायुक्त तथा अन्य संबंधित कानून (संशोधन) विधेयक, 2014—जारी।

माननीय उपाध्यक्ष: मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) बी.सी. खंडूरी अब बोलेंगे।

[हिन्दी]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी, एवीएसएम (गढ़वाल): महोदय, मैं बता रहा था कि उत्तराखण्ड विधान सभा में एक सशक्त लोकपाल बिल पारित किया गया था। कांग्रेस के सदस्य भी उत्तराखण्ड विधान सभा में थे, उन्होंने सर्वसम्मति से यह बिल पास किया था। उस बिल को भी लागू नहीं करने दिया गया, उसे राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी, उसके बाद कांग्रेस सरकार उत्तराखण्ड में आई। उन्हीं सदस्यों ने, जिन्होंने उसका समर्थन किया था, सर्वसम्मति से पारित किया था, उन्होंने उसे निरस्त कर दिया है। जहां तक इस बिल का सवाल है।...(व्यवधान)

अपराह्न 03.14 ½ बजे

इस समय श्री राजेश रंजन आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

माननीय उपाध्यक्ष: आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं। हम आपके प्रति बहुत सम्मान रखते हैं। आप सबसे वरिष्ठ नेता हैं। आपको सभा और संसदीय लोकतंत्र में भी बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त है। हम आपका सम्मान करते हैं। हमारा अध्यक्षपीठ का अपमान करने का कोई इरादा नहीं है। हमारा गुस्सा सिर्फ सरकार के प्रति है क्योंकि वे हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, वे हर चीज़ पर बुलडोजर चला रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, यहां तक कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी खुलेआम कहा था: "मैं संघ परिवार का आदमी हूं।" मुझे इस पर गर्व है। मैं आर.एस.एस. का आदमी हूं। मुझे इस पर गर्व है।" वह सभा में व्यवधान डालने तथा कार्यवाही को सुचारू रूप से न चलने देने के लिए ऐसे खीझ पैदा करने वाले बयान दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि कार्यवाही सुचारू रूप से चले क्योंकि हम अपनी सीमाओं को भी जानते हैं। इसीलिए, हम व्यवसाय की प्रक्रिया एवं आचरण के नियमों

के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। लेकिन वे धमकी दे रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने धमकी देते हुए कहा है, ''कल जम्मू-कश्मीर और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। आप जाइए और परिणाम देखिए तब आपको पता चल जाएगा।'' यह जानबूझकर नहीं किया जाता है। अगर किसी बात से तुम्हें ठेस पहुंची है तो मुझे खेद है। इसीलिए कृपया इसे गंभीरता से न लें।

माननीय उपाध्यक्ष: आपने पहले ही खेद व्यक्त कर दिया है। यह सब ठीक है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: उन्हें अपना तरीका सुधारना चाहिए। उन्हें अपना अहंकार नहीं दिखाना चाहिए; उन्हें अपनी शक्ति नहीं दिखानी चाहिए। यदि वे इसी तरह कहते रहेंगे तो एक दिन *बस्मासुर* उनके पास आएगा। (*व्यवधान*)

<u>अपराह्न 03.15 बजे</u>

इस समय श्री रवनीत सिंह और अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

… (*व्यवधान*)

शहरी विकास मंत्री, आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैया नायडू): *भस्मासुर* मूर्ख लोगों पर आएगा; हम बुद्धिमान लोग हैं। चिंता करने की कोई बात नहीं। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी, एवीएसएम: उपाध्यक्ष जी, ऐसे महत्वपूर्ण बिल के बारे में भी विपक्ष व्यवधान पैदा कर रहा है, यह ठीक नहीं है। मैं विपक्ष से प्रार्थना करता हूं कि यह महत्वपूर्ण बिल है, इस पर गंभीरता से चर्चा करें।

मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से उत्तराखंड में सर्वसम्मति से बिल पास हुआ था, लेकिन सरकार बदलने के बाद, कांग्रेस के जिन लोगों ने समर्थन किया था, उन्होंने उसे निरस्त करवा दिया, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां तक वर्तमान पार्लियामेंट का सवाल है, तो माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह किन कारणों

से दिया गया है, तथा स्टेट ऑफ ऑब्जैक्शन-रीजन में बहुत अच्छी तरीके से अमेंडमेंट क्यों किया गया है, उसका विवरण दिया गया है। मैं समझता हूं कि इसमें ऐसी कोई गंभीर बात नहीं है। ...(व्यवधान)

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : जो बोलना था, माननीय खड़गे जी ने बोल दिया, आप क्यों चिंता करते हो, छोड़ दो। यह महत्वपूर्ण बिल है, पूरा देश आपकी ओर देख रहा है। आपने जो बोलना है, बोलिये।...([अनुवाद] व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: यह भाजपा सरकार नहीं है; यह मोदी सरकार है। (*व्यवधान*)

श्री एम. वेंकैया नायडू: यह राष्ट्रीय सरकार है। मोदी *जी* भारत के प्रधान मंत्री हैं। … (*व्यवधान*) वह अब विश्व नेता बन रहे हैं।

पूरी दुनिया उनकी प्रशंसा कर रही है।

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: वह भारत के प्रधानमंत्री हैं और हम उनसे एक वक्तव्य चाहते हैं। उन्हें बताने दीजिए। इस बारे में वह क्या बताने जा रहे हैं? … (*व्यवधान*) आकर कहें क्योंकि उन्हीं के नाम से आप सब चुनकर आये हैं, दूसरा कोई नहीं है। जब वे देश चलाने वाले हैं तो उन्हीं को आकर बोलने दो। ...(व्यवधान)

श्री एम. वेंकैया नायडू: मंत्रीगण सक्षम हैं। चिंता मत कीजिए। आपकी पार्टी में भी आपके बाद दूसरे लोग बोलते हैं। मेरी पार्टी में यदि एक मंत्री जी बोल दे तो वह पर्याप्त है। हमारी व्यवस्था ऐसी है कि मंत्री जी सक्षम हैं। कृपया सभा को चलने दें। हम एक महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। आप 50 वर्षों से सत्ता में हैं। कृपया सभा को चलने दीजिए।... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: मैं उन्हें बोलने की अनुमति दूंगा। कृपया अपने स्थानों पर जाएं।

… (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: सदन की कार्यवाही अपराह्न 03.30 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 03.20 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न तीन बजकर तीस मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 03.30 बजे

लोक सभा अपराह्न तीन बजकर तीस मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(माननीय उपाध्यक्ष *पीठासीन हुए*)

श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, डॉ. ए. संपत को अस्पताल ले जाया गया है। इसलिए बेहतर होगा कि सभा की कार्यवाही कम से कम एक घंटे के लिए स्थगित कर दी जाए। ... (*व्यवधान*)

शहरी विकास मंत्री, आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैया नायडू): महोदय, हम सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित करते हैं। ... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: सदन की कार्यवाही अपराह्न 04.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 03.30 3/4 बजे

तत्पश्चात लोक सभा अपराह्न चार बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 4.00 बजे

लोक सभा अपराह्न चार बजे पुनः समवेत हुई।

(माननीय उपाध्यक्ष *पीठासीन हुए*)

… (*व्यवधान*)

शहरी विकास मंत्री, आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैया नायडू): महोदय, मैं संसद भवन एनेक्सी में गया था और माननीय सदस्य डॉ. ए. संपत से मिला था, जो थकान के साथ-साथ खांसी से भी पीड़ित थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टरों ने उनकी जांच की और पाया कि यह थकान और आराम की कमी के कारण हुआ था। अब वह सामान्य है और उसे घर वापस जाने को कहा गया है; वह अपने घर वापस जा रहे हैं। यही वह जानकारी है जिसे मैं सदन के साथ साझा करना चाहता था।

अपराह्न 04.01 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन...जारी।

(3) देश में धर्मान्तरण पर प्रधानमंत्री के वक्तव्य देने की मांग

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : महोदय, हम सुबह से यह प्रयास कर रहे हैं, हमारी डिमांड है कि आज जो हर जगह घर वापसी के नाम से कार्यक्रम चल रहा है, इसके लिए हम यह चाहते थे कि प्रधानमंत्री जी खुद इस हाउस में आकर अपना स्टेटमेंट दें। ...(व्यवधान) हमारा कहना है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहीं भी अगर जाते हैं तो अपने नाम से ही वे वोट मांगते हैं। यह मोदी सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं है। ...(व्यवधान) मोदी जी अगर आकर यह कहें, क्योंकि ...(व्यवधान) लास्ट टाइम जब यहां पर चर्चा हुयी थी तो उनकी पार्टी में भी यह चर्चा हुयी कि कोई भी मंत्री अगर इस कन्वर्जन के बारे में या समाज में अशांति का वातावरण फैलाने की जो भी कोशिश करते हैं, यह अच्छी बात नहीं है। उन्होंने यह हिदायत दी थी। उसके बावजूद भी उनके मंत्रीगण, उनके

एमपीज, उनकी पार्टी के जो विभिन्न-विभिन्न संगठन हैं, यहां तक कि उनके एनजीओज भी यही बात करते हैं कि घर वापसी लाओ और सबको बदलो। ...(व्यवधान)

वैंकैय्या साहब ने दो-तीन बार अपने विचार यहां प्रकट किए। बात यह है कि वैंकैय्या जी की बात भी, कहां किस हद तक इस सरकार में चलती है, मुझे मालूम नहीं है। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। लेकिन क्योंकि मोदी साहब, अपने नाम से इतने लोग आए हैं, तो वे अपना रिट चलाना चाहते हैं और उनकी रिट ही चल रही है। ...(व्यवधान) हम यह जानना चाहते हैं कि जितने भी संघ परिवार के लोग हैं, आप ...[5] सभी लोग बोल रहे हैं। ...(व्यवधान) सब कोई बोल रहे हैं, आपको इतना टाइम मिलेगा...([अनुवाद] व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष: नाम कार्यवाही वृतांत में नहीं जाएंगे।

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्री, आवास, गरीबी उन्मूलन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैया नायडू): हम उन्हें सम्मानपूर्वक सुन रहे थे। लेकिन अगर वह प्रधानमंत्री और सभी के खिलाफ आरोप लगाते रहेंगे तो यह उचित नहीं है। वह बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं।

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : ठीक है, ...(व्यवधान) अगर अनपार्लियामेंट्री है, कन्वेंशन नहीं है तो निकाल देंगे, डिप्टी स्पीकर साहब चेयर पर हैं। आप बार-बार नहीं उठिए। ...(व्यवधान) सीट में थोड़ा स्प्रिंग है, मैं समझता हूं कि उस सीट पर थोड़ा स्प्रिंग है। ...(व्यवधान) मेरा कहना यह है कि इन लोगों को कंट्रोल करने की एक ही शक्ति है, वह प्राइम मिनिस्टर हैं। प्रधानमंत्री जी, जब तक यहां पर आकर यह नहीं कहते हैं कि उसको रोक देना चाहता हूं, उसके आगे कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता है, यह मेरी जिम्मेदारी है। अगर वह कहेंगे तो उसी वक्त यह हाउस चलेगा, नहीं तो, यह गलत मैसेज देश मे जा रहा है और विदेश में भी यह जा रहा है, भारत में यह क्या हो रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी चुप बैठे हैं।...(व्यवधान) वह बात नहीं कर रहे हैं। ...(व्यवधान) दूसरे,

[5] कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उनके शाखा के मैम्बस और उनके मंत्रीगण...(व्यवधान) देश-विदेश में यह गलत प्रचार हो रहा है। उसको रोकने के लिए हम सब एक हैं। अगर आप उसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बढ़ावा देंगे,...(व्यवधान) बाहर तुम करते जाओ, हम ऐसा बोलते जाते हैं।...(व्यवधान) यह ऐसा हो रहा है। मै म्हारे जैसा करूंगा, आप रोए जैसा करो।...(व्यवधान) यह नीति चल रही है। उसको रोकने के लिए वह खुद आकर स्टेटमेन्ट दें और इस वातावरण को समाप्त करें। ...(व्यवधान)

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : मेरा कहना है कि देश में पूरी शांति है। दूसरा, मैं विनम्रता से बताना चाहता हूं कि धर्म परिवर्तन ऐच्छिक है। अगर लोग धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, तो वे धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। यह अधिकार संविधान में है। धर्मांतरण या पुनः धर्मांतरण में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। पार्टी का इन कार्यक्रमों से कोई लेना-देना नहीं है। लोग कार्यक्रम चला रहे हैं। यदि कोई उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश या किसी अन्य राज्य में कानून का उल्लंघन करता है, तो कानून बहुत स्पष्ट है और वह अपना काम करेगा। सरकार में मोदी जी का ही रीट चल रहा है। हम लोग क्या हैं? हम मंत्री हैं। हम भी जिम्मेदार हैं। हमारे पास समान शक्तियां हैं। हमारे पास प्रधानमंत्री जी के बराबर शक्तियां हैं। प्रधानमंत्री जी हम सबकी सुनते हैं। वह हमसे चर्चा करते हैं और फिर हम निर्णय लेते हैं। हम एक सामूहिक टीम हैं। हमारे नेता नरेन्द्र मोदी हैं लेकिन सामूहिक निर्णय कैबिनेट में लिए जाते हैं। पूरा देश जानता है और हमारे देश के लोग भी इसके बारे में जानते हैं। इसलिए, खड़गे जी, मैं आपका पूरा सम्मान करता हूं। मेरा कहना यह है कि जब भी आपको कुछ कहने की इजाजत मिलती है, आप मेरे नेता और मेरी पार्टी पर टिप्पणी कर रहे होते हैं। उनका रिट ही चल रहा है, वे चाहते हैं कि उनका रिट ही चले। यह कमेन्ट नहीं है तो क्या है? मुझे थोड़ी-सी जानकारी है। आपके पास जितना अनुभव है, उतना मेरे पास अनुभव नहीं है।...(व्यवधान) हमें एक-दूसरे का सम्मान करना चाहिए। किसी ने कहा कि आप बार-बार क्यों उठ रहे हैं? कल से अगर आप कहेंगे कि सरकार को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है तो मैं बैठ जाऊंगा। मुझे कोई समस्या नहीं है। मेरे मित्र मुझसे पूछ रहे हैं कि 'शून्यकाल' में सरकार को जवाब नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी आप जवाब दे रहे हैं। मैंने कहा कि हम एक सक्रिय, संवेदनशील सरकार हैं, हमें माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर प्रतिक्रिया देनी होगी। इसलिए, हम जवाब दे रहे हैं। बार-बार जो लोग खड़े होकर कुछ न कुछ

बोल रहे हैं, उनको जवाब देने के लिए क्या हम लोगों को शौक है? मैंने सोचा कि लोकतंत्र में यह अच्छी पद्धति होगी, इसलिए हम यह कर रहे हैं।

चौथा, मैं बताना चाहता हूं सरकार ने इसे बहुत स्पष्ट कर दिया है और इसकी कोई भूमिका नहीं है। यदि कुछ हो रहा है, तो इसके लिए कानून है और राज्य हैं, उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। खड़गे जी, पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि आप लोगों को नारे लगाने की अनुमति दे रहे हैं। ... * देश में बहुत भारी बहुमत से जीतने वाले प्रधानमंत्री जी हैं और .. [6*] व्यक्तिगत टिप्पणी न करें। यह आप पर उल्टा प्रभाव डालेगा। बहुत बुरी तरह, इसका आप पर बुरा असर पड़ेगा। यह उलटफेर करने वाला है। इसका आगे भी उल्टा असर होगा। मैं नहीं चाहता कि आप और कमजोर हो जाएं। मैं एक प्रभावी विपक्ष चाहता हूं और मैं एक मजबूत विपक्ष भी चाहता हूं। ... (*व्यवधान*) जब आप टिप्पणी करते हैं, तो आपको विरोधी पक्ष का दृष्टिकोण भी सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए, इसे ही लोकतंत्र कहा जाता है। महोदय, इस मुद्दे को यहीं छोड़ना होगा। मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ। हम लोकपाल जैसे महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। पूरा देश हमें देख रहा है। आइये हम विधेयक पर विचार करें और फिर आगे बढ़ें। यह मेरा अनुरोध है।

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : वह इस देश के प्रधानमंत्री हैं। इस सदन के नेता है उसके बारे में कोई भी ऑब्जैक्शन नहीं है और उनके बारे में ऐसा नहीं बोला गया है कि वह इस सदन के नेता नहीं हैं और देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री खंडूरी

... (*व्यवधान*)

[6*] अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया ।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: लेकिन विषय यह है कि आपने खुद ही बोला कि एक मंत्री होते हुए मुझे आरएसएस पर गर्व है। ... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: यह खत्म हुआ।

... (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मेरी बात सुनिए। इसका मतलब है कि आप उनके विचारों से सहमत हैं। हम आपसे न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? हम इसकी उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ... (*व्यवधान*)

श्री एम. वेंकैया नायडू: आपको परिवार पर गर्व है। मुझे अपने परिवार पर गर्व है। आपको अपने परिवार पर गर्व है और हमें अपने परिवार पर गर्व है। ... (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: इसीलिए मैं यह पूछ रहा हूं। जब वह ऐसा कहते हैं तो हम यह कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि अकेले श्री मोदी ही इसे साफ कर सकते हैं? केवल प्रधानमंत्री जी ही इसे स्पष्ट कर सकते हैं। ... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित में नहीं जाएगा।

(व्यवधान) ... [7*]

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: यह आप पर छोड़ दिया गया है। यह आपकी राय है। आपने जो भी मुद्दा उठाया, उन्होंने उत्तर दिया।

... (*व्यवधान*)

[7*] कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

<u>अपराह्न 04.11 बजे</u>

इस समय श्री राजेश रंजन, श्री रवनीत सिंह, श्री कल्याण बनर्जी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

… (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: श्री खंडूरी।

श्री एम. वेंकैया नायडू: जो लोग सदन में नहीं हैं, क्या वे सदन में उनके खिलाफ नारे लगा सकते हैं? कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाना चाहिए। … (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में नहीं जाएगा।

(व्यवधान) ...[8*]

[8*] कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

<u>अपराह्न 04.12 बजे</u>

लोकपाल और लोकायुक्त तथा अन्य संबंधित कानून (संशोधन) विधेयक, 2014—जारी।

[हिन्दी]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी, एवीएसएम (गढ़वाल): उपाध्यक्ष महोदय, अगर हाउस इसी तरह चलना है तो कृपया मेरा भाषण पढ़ा हुआ माना जाए। यदि वे मेरी बात नहीं सुनना चाहते तो इस हंगामे और अराजकता में मेरी बात का कोई मतलब नहीं है। इसे पढ़ा हुआ ही मान लिया जाए। ... (*व्यवधान*) उपाध्यक्ष जी, इस महत्वपूर्ण बिल के बारे में बहुत चर्चा हो गई है।...(व्यवधान) यहां जिस प्रकार का वातावरण बना है, यह ठीक नहीं है। ...(व्यवधान) जितने भी संशोधन दिए हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं।...(व्यवधान) मैं सिर्फ एक बिन्दु पर कहना चाहता हूं, क्योंकि स्टेटमैंट ऑफ रीजन्स में काफी अच्छी तरह समझा दिया गया है।...(व्यवधान) उपाध्यक्ष जी, इसमें अच्छी तरह कारण बता दिए गए हैं कि क्यों संशोधन लाए गए हैं।...([हिन्दी] व्यवधान) मुझे एक ही संशोधन पर टिप्पणी करनी है। माननीय सदस्य श्री महताब ने सजैस्ट किया है कि अगर कोई सदस्य गैर हाजिर है तो वह अमान्य होना चाहिए।...(व्यवधान) मेरी आपसे प्रार्थना है कि यह एक सदस्य को वीटो पावर देने की बात है, इसलिए नहीं देना चाहिए।...(व्यवधान) इसलिए मैं इस संशोधन का समर्थन नहीं करता।...(व्यवधान) मैं बिल का समर्थन करके अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री बी. सेनगुट्टुवन (वेल्लोर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, "लोकपाल और लोकायुक्त तथा अन्य संबंधित कानून (संशोधन) विधेयक, 2014" जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूं। इस विधेयक का उद्देश्य लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अध्याय 1 में कुछ संशोधन तथा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के अध्याय 2 में कुछ और संशोधन करना है।

पिछले पचास वर्षों में लोकपाल विधेयक लाने के कई प्रयास हुए। लेकिन इसमें कोई सफलता नहीं मिली। आख़िरकार, लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक दिसंबर 2013 में संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम को 1 जनवरी, 2014 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई तथा यह 16 जनवरी, 2014 को प्रभावी हुआ।

यह विधेयक तत्कालीन सरकार की उदारता के कारण नहीं, बल्कि अनिवार्य आवश्यकता के कारण पारित किया गया था। तत्कालीन सरकार पर भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उसे जनता की कड़ी निंदा का सामना करना पड़ा। अन्ना हजारे ने तब अनशन शुरू किया था कि जब तक लोक विधेयक पारित नहीं हो जाता, वे अनशन नहीं छोड़ेंगे। इससे सरकार को संसद के दोनों सदनों से विधेयक को रिकॉर्ड समय में पारित कराने में मदद मिली। संभवतः विधेयक पारित करने में की गई जल्दबाजी के कारण विधेयक की कई कमियां नजर नहीं आईं और अब इस संशोधन के माध्यम से उन्हें दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। यह लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, लोकपाल नामक एक लोकपाल के रूप में एक तंत्र स्थापित करता है, जो इसमें उल्लिखित ऐसे लोक सेवकों के विरुद्ध लगाए गए भ्रष्टाचार और कुकृत्यों के आरोपों की जांच करेगा।

पहला संशोधन मूल अधिनियम की धारा 4(1)(ग) से संबंधित है। धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ग) में "लोगों के घर में विपक्ष का नेता" कहा जाएगा। यह परम्परा है कि जहां किसी भी विपक्षी दल के पास सभा की कुल सदस्य संख्या का 10 प्रतिशत नहीं है, वहां सभा विपक्ष के नेता के बिना होगा। अभी इस सभा में विपक्ष

का कोई नेता नहीं है। इसलिए यह संशोधन अब बहुत प्रासंगिक है। संशोधन में धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ग) को निम्नलिखित शब्दों से प्रतिस्थापित करने का प्रावधान है:

> "… लोक सभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त या जहां ऐसा कोई विपक्ष का नेता नहीं है, वहां उस सभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता … "

इस संशोधन का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरा संशोधन धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ङ) से संबंधित है जो प्रख्यात विधिवेत्ता को कार्यकाल प्रदान करता है जिसे चयन समिति द्वारा नामित किया जा सकता है। जब प्रधानमंत्री जी, लोक सभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल निश्चित होता है, तो अधिनियम में प्रतिष्ठित न्यायविद का कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है। इसलिए, अब प्रावधान में बिना पुनः नामांकन के उनके कार्यकाल को तीन वर्ष की अवधि तक सीमित करने का प्रावधान शामिल किया गया है।

तीसरा संशोधन धारा 4 की उपधारा (2) में प्रस्तावित है कि "चयन समिति में किसी रिक्ति के कारण ही किसी सभापति या सदस्य की नियुक्ति अवैध नहीं होगी"। प्रस्तावित चौथा संशोधन धारा 4 की उपधारा 3 के दूसरे परंतुक के बाद एक परंतुक है, जो इस प्रकार है: "यह भी प्रावधान है कि खोज समिति में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या खोज समिति की कार्यवाही केवल चयन समिति में किसी सदस्य के रिक्त होने या अनुपस्थिति या खोज समिति में किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति के कारण अवैध नहीं होगी, जैसा भी मामला हो।" इसका कारण यह है कि नियुक्तियों में केवल इसलिए देरी नहीं की जाएगी या उन्हें अवैध नहीं ठहराया जाएगा क्योंकि सदस्य का पद रिक्त था या वह किसी अन्य कारण से अनुपस्थित था।

प्रस्तावित पांचवां संशोधन मूल अधिनियम की धारा 10 में "भारत सरकार के सचिव" शब्दों के स्थान पर "भारत सरकार के अपर सचिव" शब्द रखे जाने का है।

प्रस्तावित सातवां संशोधन मूल अधिनियम की धारा 23 में से "या दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 6क" वाक्यांश को हटाने के लिए है।

आठवां संशोधन मूल अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (2) में किया जाना प्रस्तावित है। यह लोक सेवक द्वारा परिसंपत्तियों की घोषणा से संबंधित है। जबकि पूर्ववर्ती उप-धारा लोक सेवक द्वारा अपनी, अपने पति या पत्नी तथा अपने आश्रित बच्चों से संबंधित परिसंपत्तियों और देनदारियों की घोषणा तक ही सीमित थी, यह संशोधित प्रावधान इसके दायरे को बढ़ाने का प्रयास करता है। नया प्रावधान धारा 44 की उप-धारा 2 को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करता है जिसके द्वारा एक लोक सेवक उस तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर, जिस दिन वह अपना पद ग्रहण करने के लिए शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है, सक्षम प्राधिकारी को अपनी परिसंपत्तियों से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करेगा, जिसमें शामिल हैं:

(1)उसके स्वामित्व वाली अचल संपत्ति, या उसे विरासत में मिली या अर्जित की गई या उसके द्वारा पट्टे या बंधक पर रखी गई, या तो उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर;

(2)उसके द्वारा विरासत में प्राप्त या उसके स्वामित्व में या उसके द्वारा अर्जित या धारित चल संपत्ति;

(ख) उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिए गए सभी ऋण और अन्य देयताएं…"

इसका दायरा बढ़ाने की कोशिश में, इससे कई समस्याएं पैदा हो जाएंगी। मूल अधिनियम के प्रावधान उसके, उसके जीवनसाथी तथा उसके आश्रित बच्चों के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों से संबंधित हैं। दूसरी ओर, संशोधन का उद्देश्य न केवल लोक सेवक की संपत्ति को अपने दायरे में लाना है, बल्कि उसके परिवार के सभी सदस्यों तथा किसी भी अन्य व्यक्ति की संपत्ति को भी अपने दायरे में लेना है। मैं समझता हूं कि धारा 44 की उपधारा 2 के खंड [क] का उपखंड [1] जहां तक यह "उसके परिवार के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर" से संबंधित है, पूरी तरह से अनुचित है। मूल प्रावधान अपने आप में काफी व्यापक है: संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि लोक सेवक केवल उन्हीं संपत्तियों की घोषणा करेगा जो उसके अपने नाम पर, उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर हैं।

तार्किक व्याख्या के अनुसार, इस संशोधन के अनुसार, पति या पत्नी तथा उसके परिवार के अन्य सदस्यों या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति घोषित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यदि संपत्ति उसके पास नहीं है।

दूसरे शब्दों में, संशोधित प्रावधान को बेनामी संपत्ति का खुलासा करने की आवश्यकता है। आखिरकार, बेनामी लेनदेन [निषेध] अधिनियम, 1988 की धारा 6 के प्रावधानों के तहत बेनामी लेनदेन निषिद्ध है। कोई भी व्यक्ति किसी भी बेनामी लेनदेन में शामिल नहीं होगा। ऐसा करने पर उसे तीन वर्ष के कारावास का दंड दिया जाएगा। बेनामी संपत्तियों को बिना मुआवजा दिए अधिग्रहण किया जा सकता है। ऐसी किसी भी बेनामी संपत्ति को वापस पाने के लिए कोई मुकदमा या दावा नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में, क्या कोई लोक सेवक अन्य व्यक्तियों के नाम पर रखी गई सम्पत्ति को अपनी बेनामी सम्पत्ति घोषित करने के लिए आगे आएगा? इसलिए इस विशेष संशोधन पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है और मैं संबंधित मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वे इस पर अधिक उचित ढंग से विचार करें। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 45 में घोषणा न करने या त्रुटिपूर्ण घोषणा के लिए दंड का प्रावधान है। लोक सेवक पर मुकदमा चलाये जाने का खतरा रहता है। इसलिए, इस संदर्भ में उप-धारा में संशोधन पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।

अन्य संशोधन निःसंदेह केवल दिखावटी प्रकृति के हैं। जिस समय लोकपाल विधेयक पारित किया गया था और जब इसे प्रवर समिति को भेजा गया था, उस समय हमारे पार्टी सदस्यों ने पार्टी प्रमुख के विचारों से सहमति जताते हुए कहा था कि यह विधेयक पूर्णतः सही नहीं है। हमारे सदस्यों के माध्यम से, हमारे पार्टी प्रमुख ने विधेयक में मौजूद कई खामियों की ओर ध्यान दिलाया तथा इसके लिए उचित कार्रवाई का सुझाव दिया। तथापि, हमारे द्वारा दिए गए सुझावों पर ध्यान नहीं दिया गया है। अब केंद्र सरकार इन कॉस्मेटिक संशोधनों को इस तरह लेकर आई है मानो ये सार्वजनिक स्थानों पर भ्रष्टाचार के लिए रामबाण इलाज साबित होंगे। हमारी पार्टी का यह लगातार रुख रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री जी और राज्य के मुख्यमंत्री जी दोनों को क्रमश: लोकपाल और लोकायुक्त द्वारा की जाने वाली जांच और अन्वेषण के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए, क्योंकि

यदि लोकपाल और लोकायुक्त द्वारा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जी के विरुद्ध *सद्भावनापूर्ण* या *दुर्भावनापूर्ण* आधार पर कोई जांच शुरू की जाती है, तो इससे प्रभावी शासन पर असर पड़ेगा।

यह हमारी पार्टी का रुख नहीं है कि वे अभियोजन के लिए पूरी तरह से प्रतिरक्षित हैं। दूसरी ओर, हमारा यह मानना है कि मौजूदा कानून उनकी ओर से किसी भी प्रकार के दुराचार या दुर्भावना के मामले में उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त हैं। यदि वर्तमान प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के विरुद्ध कोई जांच की जाती है, तो इससे निश्चित रूप से उनकी प्रतिष्ठा कम होगी तथा उन पर अनुचित कलंक लगेगा; और अंततः नुकसान जनता का होगा, क्योंकि शासन का कार्य ढीला और उदासीन हो जाएगा। वे अधीनस्थों में अनुशासन लागू करने में सक्षम नहीं होंगे। इसीलिए हमारी पार्टी केंद्र और संसदीय समिति से आग्रह कर रही है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को क्रमशः लोकपाल और लोकायुक्त की जांच से छूट दी जाए।

यद्यपि वर्तमान अधिनियम, धारा 14 के अंतर्गत प्रधानमंत्री को सीमित छूट प्रदान करता है, परंतु यह पर्याप्त नहीं है। यह हमारी पार्टी का रुख है कि प्रधानमंत्री जी को लोकपाल की जांच के दायरे में नहीं आना चाहिए। हमारी पार्टी का यह दृढ़ मत है कि लोकायुक्त के गठन का निर्णय राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जाना चाहिए तथा राज्य सरकारें जनता के हित में जैसा आवश्यक समझें, उपयुक्त कानून बना सकती हैं; तथा मुख्यमंत्री जी का कार्यालय लोकायुक्त की जांच के दायरे से बाहर होना चाहिए।

हमारी पार्टी का मानना है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 तथा इस विषय पर अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत मंजूरी के मामले में लोक सेवक को प्रदान की गई सुरक्षा को इतनी आसानी से समाप्त नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे केवल पक्षपात तथा राजनीतिक प्रतिशोध को बढ़ावा मिलेगा। नीति यह है कि ईमानदार लोक सेवकों को राजनीतिक प्रतिशोध और झूठे अभियोजन का शिकार नहीं बनाया जाना चाहिए। यही कारण है कि हमारी पार्टी यह सुझाव देती है कि अपराध और दंड से संबंधित अध्याय 14 की धारा 46 के तहत झूठे आरोप लगाने और शिकायत करने पर दंड का प्रावधान बढ़ाया जाना चाहिए।

अधिनियम की धारा 46 (1) के तहत प्रावधान है कि झूठा आरोप लगाने वाले को दोषसिद्ध होने पर एक वर्ष तक के कारावास और 1 लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 46 (1) के तहत महत्वपूर्ण सजा को तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना 10 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है ताकि केवल सही नीयत वाले ही लोकपाल से संपर्क करें और हस्तक्षेप करने वाले एवं प्रचार चाहने वाले उच्च व्यक्तियों और सार्वजनिक सेवकों के खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज करने से हतोत्साहित हों।

इन शब्दों के साथ, मैं संशोधनों का स्वागत करता हूं और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रवीन्द्र कुमार जेना (बालासोर): महोदय, लोकपाल एवं लोकायुक्त तथा अन्य संबंधित कानून (संशोधन) विधेयक, 2014 पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

मैं अपनी पार्टी के नेताओं को भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे इस बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का मौका दिया।

यह संशोधन 16वीं लोक सभा की वर्तमान संरचना के कारण आवश्यक हो गया था, जहां हमारे पास विपक्ष का कोई नेता नहीं है। इसलिए, इस विधेयक का एक प्राथमिक उद्देश्य सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को चयन समिति के सदस्य तथा भ्रष्टाचार विरोधी निकायों के सभापति एवं सदस्यों के रूप में शामिल करना है।

चयन समिति में लोक सभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके अधिकृत प्रतिनिधि, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता शामिल होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति या विपक्ष के नेता के अलावा किसी अन्य सदस्य द्वारा नामित किया जा सकता है। यह संशोधन वस्तुतः लोकपाल अधिनियम को केन्द्रीय सतर्कता अधिनियम, 2003 और आरटीआई अधिनियम, 2005 के अनुरूप लाता है। पैनल में प्रतिष्ठित विधिवेत्ता को तीन वर्ष की अवधि के लिए नामित किया जाएगा तथा वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। संशोधन विधेयक में सीबीआई में अभियोजन निदेशक की नियुक्ति की योग्यता और उसकी कार्यात्मक स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। महोदय, मैं 'कार्यात्मक स्वतंत्रता' शब्द को रेखांकित करता हूं तथा सरकार और मंत्री जी का ध्यान इस विशेष मुद्दे की ओर आकर्षित करता हूं। मैं बाद में इससे निपटूंगा।

प्रधानमंत्री, संसद सदस्य और सिविल सेवक इस विधेयक के दायरे से बाहर रहेंगे। जो तर्क दिया जा रहा है वह यह है कि यह विशेष अधिनियम जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और सिविल सेवा अधिनियम के साथ टकराव में है। इन दोनों अधिनियमों में परिसंपत्तियों और देनदारियों की घोषणा का प्रावधान है। हम संसद सदस्य के रूप में अपना नामांकन दाखिल करने से पहले अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों के संबंध में विवरण दाखिल करते हैं। निर्वाचित होने के बाद हम तीन महीने के भीतर संसद में अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों के बारे में विवरण भी दाखिल करते हैं।

इतना कहने के बाद, मैं दो बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणियों पर आना चाहूंगा और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान एक बहुत ही प्रासंगिक बिंदु की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। निदेशक (अभियोजन) के चयन के लिए कार्यात्मक स्वतंत्रता के बारे में विशेष रूप से और स्पष्ट रूप से कहा गया है, लेकिन यदि आप थोड़ा और आगे जाएं तो अधिनियम यह भी कहता है कि निदेशक (अभियोजन) की वार्षिक निष्पादन प्रतिवेदन विधि और न्याय मंत्रालय में दर्ज और रखी जाएगी। आइए 'अभिलेखित और अनुरक्षित' शब्दों के शाब्दिक अर्थ पर नजर डालें। यदि हम इसे रिकॉर्ड करते हैं और इसे बनाए रखते हैं, तो प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि हम इसका रिकॉर्ड रख रहे हैं, या फिर यह सीबीआई की स्वतंत्रता से चुपचाप और धीरे-धीरे प्रस्थान है। क्या हम उस परिदृश्य को देखेंगे, जहां 15वीं लोक सभा के दौरान एक बड़ी बहस हुई थी, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यहां तक कहा था कि प्रमुख जांच एजेंसी सीबीआई, सरकार के हाथों में पिंजरे में बंद तोता बन गई है। उस समय आज सरकार में बैठे माननीय सदस्यों ने इसका पुरजोर विरोध किया था। आज हम स्वतंत्रता, समानता, न्याय और पारदर्शिता के सिद्धांत की वकालत कर रहे हैं। ऐसा कहकर क्या हम पुनः उसी स्थिति में पहुंच रहे हैं जहां सीबीआई और अभियोजन निदेशक पुनः विधि एवं न्याय मंत्रालय के हाथों का उपकरण बन जाएंगे? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या हम इसकी अनुमति दे सकते हैं? क्या हम उस मूल सिद्धांत से समझौता नहीं कर रहे हैं जिसके आधार पर यह स्वतंत्र एजेंसी काम कर रही है? यह इस विशेष मुद्दे पर स्थायी समिति की प्रतिवेदन के निष्कर्ष के बिल्कुल विपरीत है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से बहुत गंभीरता से आग्रह करूंगा कि इस विधेयक को इस मुद्दे पर स्थायी समिति को वापस भेजा जाए और इसकी जांच की जाए। हमें इस सिद्धांत को खत्म नहीं करना चाहिए जिसके द्वारा हम सीबीआई को फिर से इतना अधिकार दे रहे हैं कि वह फिर से सरकार के हाथों का एक उपकरण बन जाए। आज आप सरकार में हैं। कल हम शिकार हो गए। कल आप भी इसका शिकार बन सकते हैं। कृपया इसे खत्म करें। सरकार को मेरा सुझाव और आग्रह है कि कृपया इसे स्थायी समिति को भेजें, इस पर विचार करें और फिर सदन में इस पर निर्णय लें। यह एक बहुत ही प्रासंगिक बिंदु है जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं।

दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अवलोकन यह है कि प्रस्तावित विधेयक में यह प्रावधान है कि समिति के सदस्य के पद रिक्त होने या अनुपस्थिति के कारण ही कोई नियुक्ति अवैध नहीं होगी। ऐसा करके, संशोधन विधेयक वस्तुतः एक गणपूर्ति की आवश्यकता को समाप्त कर रहा है। जब गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं है, तो क्या हम फिर से न्याय और पारदर्शिता के सिद्धांत की वकालत कर रहे हैं? इसलिए, मैं सरकार से पुनः आग्रह करूंगा कि वह इस पर जोर न दे तथा यह सुनिश्चित करे कि चयन के समय समिति के सभी सदस्य उपस्थित रहें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और एक बार फिर आग्रह करता हूँ कि इस विधेयक को स्थाई समिति को भेजा जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। धन्यवाद, महोदय।

माननीय उपाध्यक्ष: अब डॉ. रविन्द्र बाबू बोलेंगे।

डॉ. रविन्द्र बाबू (अमलापुरम): महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं... (*व्यवधान*)

शहरी विकास मंत्री, आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैया नायडू): महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। इससे पहले भी देश भर में आंदोलन हुए हैं। इस विधेयक पर पहले भी एक समिति द्वारा चर्चा की गई थी और उन्होंने कुछ सिफारिशें की थीं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार यह कानून लेकर आई है... (*व्यवधान*)

अब मुख्य विपक्षी दल चर्चा में भाग नहीं ले रहा है और फिर कुछ अन्य दल भी कह रहे हैं कि इस पर गहन चर्चा और आगे बहस की आवश्यकता है। जहां तक सरकार का सवाल है, हम सीबीआई को पूरी तरह से स्वतंत्र बनाना चाहते हैं और हम पूरी तरह से पारदर्शी होना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में यदि सभा की इच्छा हो कि हम इसे पुनः स्थायी समिति को भेजें तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। महोदय, आप इसे एक बार फिर स्थायी समिति को भेज सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष: यदि सदन को लगता है कि इस विधेयक को स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए तो इसे भेजा जा सकता है। इसलिए हम इस विधेयक को स्थाई समिति के पास भेज रहे हैं।

अपराह्न 04.36 बजे

प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (संशोधन) विधेयक, 2014

माननीय उपाध्यक्ष: अब हम मद संख्या 31 पर विचार करेंगे।

वित्त राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा): महोदय, श्री अरुण जेटली की ओर से मैं प्रस्ताव रखता हूं[9*]:

"कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 को और संशोधित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (संशोधन) विधेयक, 2014 का उद्देश्य, *अन्य बातों* के साथ-साथ, पूंजी आधार को मजबूत करने तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की समग्र क्षमताओं में सुधार लाने के लिए सुधार लागू करना है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के तहत 'सहकारी ऋण संरचना' के लिए एक वैकल्पिक चैनल बनाने और ग्रामीण और कृषि क्षेत्र के लिए पर्याप्त संस्थागत ऋण सुनिश्चित करने के लिए आरआरबी की स्थापना की गई थी। आरआरबी का स्वामित्व भारत सरकार, संबंधित राज्य सरकार और प्रायोजक बैंकों के पास संयुक्त रूप से होता है तथा आरआरबी की जारी पूंजी क्रमशः 50 प्रतिशत, 15 प्रतिशत और 35 प्रतिशत के अनुपात में साझा की जाती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की बढ़ती भूमिका, भौगोलिक दृष्टि से समीपस्थ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का एकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा समय-समय पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को दी जाने वाली पुनर्पूंजीकरण सहायता सहित हाल के दिनों में हुए विकास को देखते हुए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 में संशोधन की आवश्यकता महसूस की गई है।

[9*] राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संरचनात्मक समेकन की शुरुआत 2005 में एक ही बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एक राज्य में एकीकृत करके की गई थी, जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था, बेहतर ग्राहक सेवाएं, बेहतर बुनियादी ढांचे, परिचालन का बड़ा क्षेत्र, बढ़ी हुई ऋण सीमा और विविध बैंकिंग गतिविधियों को बढ़ावा देना था।

ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन में आरआरबी की भूमिका को ध्यान में रखते हुए तथा उनकी कार्यप्रणाली में सुधार और प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए कई कदम उठाए गए हैं। आरआरबी ने कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) लागू कर दिया है तथा राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली में शामिल हो गए हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ई-गवर्नेंस के लिए आवश्यक कार्रवाई करने तथा बैंकिंग सुविधाओं से वंचित तथा अल्प बैंकिंग वाले क्षेत्रों को कवर करने के लिए ठोस शाखा विस्तार योजना बनाने की सलाह दी गई।

आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन को ध्यान में रखते हुए, आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग को अनुकूलतम बनाने तथा ऊपरी व्यय को न्यूनतम करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के और अधिक समेकन की आवश्यकता महसूस की गई। इसलिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, संबंधित राज्य सरकार और प्रायोजक बैंकों के परामर्श से सरकार द्वारा राज्य में भौगोलिक दृष्टि से सन्निहित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एकीकरण की पहल की गई।

यह संशोधन इस तथ्य के मद्देनजर आवश्यक हो गया है कि भौगोलिक दृष्टि से समीपस्थ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन और समय-समय पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रदान की गई पुनर्पूंजीकरण सहायता के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि कुछ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में उनकी शेयर पूंजी जमा राशि 500 करोड़ रुपये को पार कर गई है, जो उक्त अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकृत पूंजी की 5 करोड़ रुपये की सीमा से कई गुना अधिक है।

प्रस्तावित संशोधनों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक के अलावा अन्य स्रोतों से भी पूंजी जुटाने का प्रावधान है। लेकिन यह इस शर्त के अधीन है कि (1) किसी भी

स्थिति में केन्द्र सरकार और प्रायोजक बैंक की संयुक्त शेयरधारिता 51 प्रतिशत से कम नहीं होगी; और (2) यदि उसकी शेयरधारिता 15 प्रतिशत से कम हो जाती है तो संबंधित राज्य सरकार से परामर्श किया जाएगा।

केन्द्र सरकार, राज्य और प्रायोजक बैंक के अलावा अन्य स्रोतों से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा निजी पूंजी जुटाने के प्रस्तावित प्रावधानों के मद्देनजर, (1) शेयरधारकों द्वारा निदेशकों का चुनाव करने; (2) एक व्यक्ति एक से अधिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बोर्ड में निदेशक नहीं हो सकता; और (3) यदि आवश्यक समझा जाए तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बोर्ड में केन्द्र सरकार के किसी अधिकारी की नियुक्ति के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।

इसलिए, मैं इस सम्मानित सभा के सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इस विधेयक का समर्थन करें।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 को और संशोधित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

… (*व्यवधान*)

श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू (चेन्नई उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 में संशोधन करने संबंधी इस अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।… (*व्यवधान*)

महोदय, जैसा कि हम सभी जानते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 मुख्य रूप से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निगमन विनियमन और समापन का प्रावधान करता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने तथा सहकारी ऋण संरचना के लिए एक पूरक चैनल बनाने के उद्देश्य से की गई थी, ताकि ग्रामीण और कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण का विस्तार किया जा सके। (*व्यवधान*) आरआरबी मुख्य रूप से ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों से जमा स्वीकार करते हैं तथा मुख्य रूप से छोटे एवं सीमांत किसानों, कृषि मजदूरों, ग्रामीण कारीगरों तथा प्राथमिकता क्षेत्र के अन्य वर्गों को ऋण एवं अग्रिम प्रदान करते हैं। … (*व्यवधान*)

उद्देश्यों और कारणों के विवरण में, माननीय वित्त मंत्री जी ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पूंजी आधार को मजबूत करने और उनकी समग्र क्षमताओं में सुधार करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 में संशोधन की आवश्यकता का उल्लेख किया है।

संशोधन विधेयक में मेरे प्रस्ताव निम्न प्रकार हैं: मेरा पहला प्रस्ताव पांच वर्ष से आगे प्रबंधकीय सहायता देने तथा प्रायोजक बैंकों को आरआरबी को प्रारंभिक पांच वर्ष की अवधि से आगे भी वित्तीय और प्रबंधकीय सहायता जारी रखने की अनुमति देने के संबंध में है। ... (*व्यवधान*)

महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी के विचार से विनम्रतापूर्वक असहमत हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आरआरबी की स्थापना के उद्देश्य के रूप में हमेशा आरआरबी के कामकाज को प्रायोजक बैंकों से अलग करने की आवश्यकता महसूस की गई थी, न कि उन्हें पहले से मौजूद प्रायोजक बैंकों के विस्तार या प्रॉक्सी पहचान के रूप में कार्य करने की अनुमति देना, बल्कि 'छूटे हुए' लोगों के लिए अब तक उपेक्षित या यहां तक कि 'अछूते हितों के क्षेत्रों' तक पहुंचना था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना के पांच वर्ष के बाद प्रायोजक बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता देना समझ में आता है। लेकिन प्रायोजक बैंकों से नियुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के उच्च स्तरीय प्रबंधकों के माध्यम से पांच वर्ष से अधिक समय तक प्रबंधकीय सहायता स्वीकार्य नहीं है।

मेरी राय में, इससे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्वायत्तता बाधित होती है। वैकल्पिक रूप से, एक अच्छा प्रस्ताव जी.आई.सी., सेल, कोल इंडिया लिमिटेड की तर्ज पर नाबार्ड जैसे आर.आर.बी. के लिए एक 'शीर्ष कॉर्पोरेट संरचना' स्थापित करना हो सकता है। प्रायोजक बैंक से प्रबंधकीय सहायता के स्थान पर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के शीर्ष निकाय में अनुभवी अधिकारियों का एक समूह हो सकता है, जिन्हें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में प्रतिनियुक्त किया जा सकता है।

यहां मैं यह बताना चाहूंगा कि वित्त मंत्रालय द्वारा फरवरी, 2012 में जारी निर्देशों के अनुसार, शाखा स्तर के कर्मचारियों की नियुक्ति और... (*व्यवधान*)

अपराह्न 04.45 बजे

इस समय श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने स्थानों पर चले गए।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मेरा माइक बंद होता, मेरी आवाज बंद होती है, ...[10*]

[अनुवाद]

महोदय, हम बार-बार अनुरोध कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस मामले में जवाब दें। यह केवल मेरी पार्टी का अनुरोध नहीं है, बल्कि टी.एम.सी., सी.पी. आई., सी.पी.आई. (एम), आर.जे.डी., जे.डी. (एस), जे.डी. (यू), आप, एन.सी.पी. और अन्य सभी दलों का अनुरोध है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि सरकार इस पर क्यों अड़ी हुई है। हमने श्री वेंकैया नायडू को कई बार सुना है। यह सवाल इसलिए उठा है क्योंकि उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि वह उस संगठन का हिस्सा हैं। ... (*व्यवधान*) इसलिए हम प्रधानमंत्री जी से जवाब चाहते हैं क्योंकि वह नियंत्रण प्राधिकारी हैं। मास्टर चाबी उसके पास है। इसलिए, हमने आपसे एक अनुरोध किया है। लेकिन वे हार नहीं मान रहे हैं। ... (*व्यवधान*) वॉकआउट भी करते हैं, कुश्ती भी करते हैं, दोनों करते हैं। उनका जो रवैया है, उनका जो एटीट्यूड है, उसको हम कनडैम करते हैं और हम वॉकआउट करते हैं।...(व्यवधान)

अपराह्न 04.46 बजे

तत्पश्चात श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू: महोदय, फरवरी, 2012 में जारी वित्त मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार, 2012-13 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के शाखा स्तर के कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्तियां बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान अर्थात् आईबीपीएस द्वारा आयोजित एक सामान्य लिखित परीक्षा के माध्यम से की जाती हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के समान है। जबकि निचले स्तर के कर्मचारियों के मामले में यही स्थिति है, तो फिर हम प्रायोजक बैंकों की प्रबंधकीय सहायता के माध्यम से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को क्यों

[10*] अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

नियंत्रित करना चाहेंगे, जिसका वास्तव में मतलब प्रायोजक बैंकों द्वारा रिमोट कंट्रोल से है? यदि हम उद्देश्यों और कारणों के विवरण में उल्लिखित समग्र क्षमताओं में सुधार करना चाहते हैं, तो सही तरीका यह है कि वित्तीय संस्थानों से लिए गए अधिकारियों के एक समूह से प्रबंधकीय सहायता प्राप्त की जाए, जिसका रखरखाव प्रस्तावित शीर्ष निकाय द्वारा किया जाएगा।

दूसरा प्रमुख बिन्दु पूंजी मानदंड है, जिसमें अधिकृत पूंजी को बढ़ाकर 2,000 करोड़ रुपये किया जाएगा, तथा न्यूनतम निश्चित पूंजी 1 करोड़ रुपये होगी, तथा न्यूनतम जारी पूंजी भी 1 करोड़ रुपये निर्धारित की जाएगी। यह एक अच्छा प्रस्ताव है, क्योंकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक पूंजी की मात्रा बहुत अधिक है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आरआरबी के लिए पूंजी में वृद्धि का मतलब है कि उनके पास ग्रामीण ऋण में वृद्धि होगी। मैं इस कदम का पूरा समर्थन करता हूं।

तीसरा बिन्दु शेयरधारिता पैटर्न है, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को केन्द्र और राज्य सरकारों के अलावा अन्य स्रोतों से पूंजी जुटाने की अनुमति देता है, तथा प्रायोजक बैंकों को इस शर्त के साथ कि ऐसे मामले में केन्द्र सरकार और प्रायोजक बैंक की संयुक्त शेयरधारिता 51 प्रतिशत से कम नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त, यदि आरआरबी में राज्य सरकार की हिस्सेदारी 15 प्रतिशत से कम हो जाती है, तो केन्द्र सरकार को संबंधित राज्य सरकार से परामर्श करना होगा। मैं इस प्रस्ताव से भी सहमत नहीं हूं। राज्य सरकारों के पास पहले से ही केवल 15 प्रतिशत हिस्सा है और इसे कम करने की आवश्यकता नहीं है। शेयरधारिता में कोई भी कटौती शेष 85 प्रतिशत से हो सकती है, जो कि केन्द्र सरकार और प्रायोजक बैंक की संयुक्त हिस्सेदारी है। लेकिन, किसी भी कीमत पर केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक की कुल शेयरधारिता 51 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।

यहां मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि हमारी प्रिय नेता पुरात्ची थलाइवी अम्मा ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं के शेयरधारिता पैटर्न को कभी भी कमजोर नहीं होने दिया जाना चाहिए, जो आम आदमी के हितों के लिए हानिकारक हो। एक उत्कृष्ट उदाहरण यह है कि जब सार्वजनिक क्षेत्र के पांच प्रतिशत शेयरों, नेवेली लिग्नाइट निगम का विनिवेश करने की मांग की गई थी, तो गरीब जनता के हमारे

प्रिय नेता पुरात्ची थलाइवी अम्मा ने केंद्र सरकार और अन्य नियामक अधिकारियों के साथ बातचीत की और तमिलनाडु सरकार द्वारा शेयरों की खरीद सुनिश्चित की ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों के बड़े उद्देश्यों और कानूनी अधिकारों और श्रमिकों को दूर के भविष्य में भी नुकसान न हो।

चौथा प्रमुख बिन्दु निदेशक मंडल के संबंध में है, जिसमें केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक के अलावा अन्य स्रोतों से निदेशकों का चुनाव किया जाता है। विधेयक में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी आरआरबी का निदेशक है, वह किसी अन्य आरआरबी के निदेशक मंडल में शामिल होने के लिए पात्र नहीं है। यह एक अच्छा उपाय है और मैं इस कदम का समर्थन करता हूं।

विधेयक में शेयरधारकों द्वारा निदेशकों का चुनाव करने का प्रावधान भी जोड़ा गया है, जो ऐसे शेयरधारकों को जारी की गई इक्विटी शेयर पूंजी की कुल राशि के आधार पर होगा। निजी पूंजी बढ़ाने के प्रस्तावित प्रावधान को देखते हुए, ऐसे शेयरधारकों में से निदेशक का चुनाव समझ में आता है। जिन लोगों को 10 प्रतिशत तक इक्विटी शेयर पूंजी जारी की गई है, उनके लिए एक निदेशक, 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक इक्विटी शेयर पूंजी के लिए दो निदेशक तथा 25 प्रतिशत और उससे अधिक इक्विटी शेयर पूंजी जारी होने पर तीन निदेशक एक उचित कदम है और मैं इस पहल का समर्थन करता हूं। साथ ही, राज्य सरकार द्वारा नामित दो गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति का नया प्रावधान किया जाना चाहिए।

जबकि एक निजी इक्विटी शेयरधारक को निदेशक के रूप में नियुक्त करने की अनुमति है, यह उचित है कि राज्य सरकार को दो गैर-सरकारी निदेशकों को नामित करने की भी अनुमति दी जानी चाहिए, जो राज्य सरकार के अधिकारी नहीं हैं, जैसा कि केंद्र सरकार के मामले में अनुमति दी जा रही है। केंद्र सरकार दो गैर-सरकारी निदेशकों को नामित करती है। यह उचित होगा यदि संबंधित राज्य सरकार को भी बोर्ड में दो गैर-सरकारी निदेशकों को नामित करने की अनुमति दी जाए। इससे बोर्ड में गैर-अधिकारियों की नियुक्ति में मदद मिलेगी, जो अन्यथा बोर्ड में जगह पाने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हैं और वे अपने ज्ञान और अनुभव के साथ बोर्ड में मार्गदर्शन प्रदान करने में सक्षम होंगे।

संशोधन विधेयक में एक अन्य प्रस्ताव यह है कि केन्द्र सरकार को आरआरबी के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए निदेशक मंडल में केन्द्र सरकार के एक अधिकारी को नियुक्त करने का अधिकार दिया जाएगा। राज्य सरकार के अधिकारियों के क्षेत्र स्तर के अनुभव को ध्यान में रखते हुए, प्रस्ताव में केन्द्र सरकार या राज्य सरकार से बोर्ड में अधिकारी की नियुक्ति को सक्षम बनाया जाना चाहिए और यदि ऐसी नियुक्ति केन्द्र सरकार से की जाती है, तो राज्य सरकार से भी परामर्श किया जाना चाहिए तथा राज्य सरकार की सहमति के बाद ही ऐसी नियुक्ति की जानी चाहिए। मैं यह बात बहुत स्पष्ट रूप से इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि किसी भी समय, केन्द्र सरकार के किसी अधिकारी की नियुक्ति की आड़ में किसी भी आरआरबी को रिमोट-कंट्रोल करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए।

पांचवां प्रमुख बिन्दु वार्षिक खाता बंद करने की तिथि के बारे में है। वित्तीय वर्ष में एकरूपता लाने के लिए वार्षिक लेखा समापन की तिथि 31 दिसंबर से बदलकर 31 मार्च करने के मामले में मैं माननीय वित्त मंत्री जी से सहमत हूं।

महोदय, तमिलनाडु में हमारे पास दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, अर्थात् पल्लवन ग्राम बैंक और पांडियन ग्राम बैंक। वे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। सामान्य तौर पर, आरआरबी ने उन्हें दिए गए सीमित जनादेश के बावजूद अच्छा काम किया है। उनके नेटवर्क को बर्बाद नहीं किया जा सकता है। हम आरआरबी के लिए एक शीर्ष निकाय बनाकर, उन्हें प्रायोजक बैंकों से अलग करके कार्यात्मक स्वायत्तता देकर और बोर्ड में दो गैर-आधिकारिक सदस्यों की नियुक्ति की अनुमति देकर बोर्ड में विशेषज्ञ मार्गदर्शन के लिए मार्ग प्रशस्त करके उनका सर्वोत्तम उपयोग कर सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा।

हमारी प्रिय नेता पुराची थलाइवी अम्मा जी हमेशा ग्रामीण आबादी और विशेष रूप से उन लोगों के वर्गों के उत्थान के लिए है जो किसी भी समर्थन और मार्गदर्शन, दलित, कमजोर और हाशिए पर पड़े लोगों से रहित हैं। शासन के एक कल्याणकारी मॉडल के माध्यम से जरूरतमंदों की सेवा के उनके दृष्टिकोण और राष्ट्र के समग्र विकास को सबसे अच्छा प्राप्त किया जाएगा यदि हमारे सुझाव, जो बहुत ही उचित हैं, प्रस्तावित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (संशोधन) विधेयक, 2014 में शामिल किए जाते हैं।

इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं फिर से सभापीठ को धन्यवाद देता हूँ और अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस फार-रीचिंग लेजिस्लेशन के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं जो आज के समय की आवश्यकता है क्योंकि जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है, यह पुराना चल रहा है। 1400 बी.सी. की यदि हम बात करेंगे तो पूरी दुनिया में जब लोग बैंक की बात नहीं सोचते थे तो हम बैंक की बात सोचते थे। यहां तक बुद्धिज्म स्कल्पचर की बात यदि करेंगे तो जातिकाज में इन चीजों का जिक्र है और चाणक्य ने अपनी थ्योरी में कहा है कि

<u>अपराह्न 04.54 बजे</u> (श्री अर्जुन चरण सेठी *पीठासीन हुए*)

इसका मतलब यह है कि समय समय पर इस देश में परिवर्तन हुए, उसमें बैंक्स का रोल धीरे-धीरे बदला है, चीजें बदली हैं। अभी जो वैंकटेश बाबू जी कह रहे थे, उनके कुछ ऑबजेक्शंस थे। समय के साथ अपने को बदलने की आवश्यकता है। वर्ल्ड बैंक था, आईएमएफ था, एशियन डवलपमेंट बैंक था लेकिन अभी पहले के प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी और उसके बाद हमारे प्रधान मंत्री जी ने जो इनीशिएटिव लिया, इसके कारण ब्रिक्स बैंक की स्थापना का एक मार्ग प्रशस्त हुआ। इसका मतलब यह है कि वर्ल्ड बैंक काम नहीं कर रहा है। आईएमएफ काम नहीं कर रहा है, एशियन डवलपमेंट बैंक काम नहीं कर रहा है और दूसरे बैंक्स की आवश्यकता है और इसके लिए ब्रिक्स बैंक की स्थापना हुई।

उसी तरह से प्रधान मंत्री जनधन योजना को देखेंगे तो प्रधान मंत्री जन धन योजना यह कहती है कि इस देश में जितने गरीब लोग हैं, जितने गांवों में रहने वाले लोग हैं, जितने ऐसे लोग हैं, जिनका एकाउंट अभी तक नहीं खुला है, उनके एकाउन्ट्स खोलने हैं और इन एकाउंट्स को खोलने के लिए जो आवश्यकता है, वह आवश्यकता यह है कि बैंक्स अपना काम, चाहे वे कमर्शियल बैंक, प्राइवेट बैंक्स या रीजनल, रूरल बैंक्स हो वे अपना काम बढ़िया से नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इस देश मे, जैसे अभी तृणमूल कांग्रेस के हमारे दोस्त चले गये, यदि वह यहां रहते तो बड़ा अच्छा होता। अभी यहां शारदा चिट फंड की बात हुई है, रोजवैली की बात हुई है, बंगाल में इसके पहले पीयरलैस की बात हुई थी, यदि आपको याद हो। तथागत बाबू यदि आपको ध्यान हो,

क्योंकि ओडिशा भी इस स्कैम में फंसा हुआ है। तो ये जो चिट फंड कंपनियां एक्टिव हुई हैं, वे लालच के कारण एक्टिव हुई हैं और चूंकि हम बैंकिंग सिस्टम अपने लोगों को नहीं दे पा रहे हैं और इस कारण से इस तरह के चिट फंड के इंस्टीट्यूशंस डैवलप हो रहे हैं। खासकर ईस्टर्न इंडिया में बहुत ज्यादा डैवलप हो रहे हैं और इसलिए रीजनल रूरल बैंक को स्ट्रैन्थन करने की आवश्यकता है। रीजनल रुरल बैंक के पास जो सिचुएशन है, रीजनल रूरल बैंक बना, जिसके लिए चर्चा हो गई कि पचास परसैन्ट सैंट्रल गवर्नमैन्ट को देना था, 35 परसैन्ट स्पांसर्ड बैंक्स को देना था और 15 परसैन्ट राज्य सरकार को देना था और इस कारण से जब इक्विटी इनफ्यूज होने की बात आती है, चक्रवर्ती कमेटी बनी, चक्रवर्ती कमेटी ने आर.आर.बी. के लिए 2010 में कुछ रिक्मैंडेशंस किये, उन रिक्मैंडेशंस में उसने रीकैपिटलाइजेशन की बात की कि आप रीकैपिटलाइजेशन कीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जायेगी और उसके आधार पर भारत सरकार ने अभी तक 2200 करोड़ रुपया रीकैपिटलाइजेशन किया है। लेकिन जो बोरोविंग है, वह बोरोविंग मैं आपको बताऊं कि जो 2013 की रिपोर्ट हैं, उसमें आज की बोरोविंग 38286 करोड़ है और इनवैस्टमैन्ट लगभग 1लाख दस हजार करोड़ के आसपास हो गया है। बोरो हमने 40 हजार करोड़ के करीब किया है और इनवैस्टमैन्ट 1 लाख 10 हजार करोड़ के आसपास हो गया है। लोन आपने 1,39 837 करोड़ रुपये का दिया है और टोटल एनपीए जो आपका लॉस है, यह लॉस 1333 करोड़ रुपये का हुआ है और एनपीए आपका इतना बढ़ा है कि कई एक आर.आर.बी. ऐसे हैं, जिनका पांच परसैन्ट से ज्यादा एनपीए बढ़ गया है। इस सिचुएशन में बैंक में बासिल फ्रीनार्ब साहब को पता है कि कमर्शियल बैंक्स में लागू हो गये हैं और प्राइवेट बैंक्स इक्युटी ला रहे हैं, आर.आर.बीज. में फंड इनफ्यूजन की आवश्यकता है और इस इनफ्यूजन के लिए जो करना है, क्योंकि आज जो गांवों की स्थिति हो गई है, गांवों की स्थिति अब पहले वाली नहीं रह गई है। गांवों की स्थिति में काफी आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। पहला परिवर्तन गांवों में यह हुआ है कि जो सर्विस सैक्टर है, जैसे शहर में अर्बन सैक्टर में सर्विस सैक्टर बढ़ा है, वैसे ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी सर्विस सैक्टर बढ़ा है। वहां भी मोबाइल की दुकानें आपको नजर आती हैं। वहां काफी शाप्स भी खुल गई हैं, वहां जो गांवों की रोड के किनारे जो पहले चाय बेचा करते थे, अब उन्होंने भी सब जगह चाय बेचनी शुरू कर दी। पहले हम लोग ईंटों पर बैठकर जो अपने बांल और दाढ़ी कटाते थे, अब वे लोग भी सैलून खोल रहे हैं, वे

भी पंखा लगा रहे हैं। इसके लिए उन्हें अब क्रेडिट की आवश्यकता महसूस हो रही है। पहले लोग कहीं भी चाय पी लेते थे, कहीं भी दाढ़ी बनवा लेते थे, कहीं भी परचून की दुकान खोल लेते थे। लेकिन अब बड़ी-बड़ी शाप्स आ रही हैं, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया आदि कंपनियां आ गई हैं, चूकिं सब लोग मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, अन्यथा पहले गांवों में फोन नहीं हुआ करते थे। इस तरह से सर्विस सैक्टर का जो इनक्रिमैन्ट हुआ है, उसमें आर.आर.बी. को बढ़ाने की आवश्यकता है।

इसके अलावा दूसरा पहलू सामने यह आया है कि पहले जो रूरल और अर्बन एरियाज के बीच में डिफरेंसिज थे, वे अब कहीं न कहीं कम होते आ रहे हैं, जैसे प्रधान मंत्री जी की आदर्श ग्राम योजना है। यह आदर्श ग्राम योजना क्या कहती है कि वहां लोगों को कनेक्टिविटी दो, रोड्स बहुत अच्छे बन रहे हैं। उसी तरह से यदि लोग शहरो में फ्रिज यूज कर रहे हैं तो गांवों के लोगों को भी लग रहा है कि हमें फ्रिज यूज करना है। अभी बिजली एक बड़ी समस्या है। आपको पता है कि राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में सारे ग्रामीणों को और हमारे जैसे मैम्बर ऑफ पार्लियामैन्ट और एम.एल.एज. को सबसे बड़ी असुविधा यह है कि ट्रांसफार्मर जल जाता है तो ट्रांसफार्मर लगाना पड़ता है तो लोगों की अपेक्षाएं बढ़ रही हैं, रूरल और अर्बन का जो डिफरेंस पहले हुआ करता था, मान लीजिए उन्हें ए.सी. लेना है तो वह कहीं न कहीं से क्रेडिट लेने की बात करेंगे। अगर फ्रिज लेना है तो कहीं न कहीं उन्हें क्रेडिट चाहिए। उन्हें बिजली का बल्ब खरीदना है तो उतने पैसे की आवश्यकता है।

तीसरा सवाल क्या है कि जो एग्रीकल्चर है, पहले एग्रीकल्चर क्या था, पहले एग्रीकल्चर यह था कि पहले हम बटांईदारी में अपनी जमीन को दे देते थे।

<u>अपराह्न 05.00 बजे</u>

मान लीजिए कि हम खेती नहीं कर पा रहे हैं तो बटाईदारी में उस जमीन को दे दिया करते थे। लेकिन अब कैश क्रॉप बढ़ गयी हैं। जैसे कहीं कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ गया, कहीं फल-सब्जी का प्रोडक्शन बढ़ गया। हमारे यहां अरहर और अरंडी बहुत अच्छा होता है तो हमने उसको दे दिया। कैश क्रॉप में अब हम बटाईदारी पर नहीं जा

रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कि तुमको इस फसल का इतना पैसा हमें देना है। वह कमर्शियलाइज़ेशन हो गया है। जो बटाईदार है, जिसके पास अपना कोई साधन नहीं है, उसको कहीं न कहीं से क्रेडिट चाहिए, वर्ना वह खेती कैसे करेगा, कॉटन कैसे उपजाएगा, फसल कैसे उपजाएगा, सब्जी कैसे उपजाएगा, क्योंकि हमको तो कैश चाहिए। हम समान बंटवारा नहीं चाहते हैं तो कमर्शियलाइज़ेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया है। इसके लिए आर.आर.बीज. की आवश्यकता है।

उसके बाद जो चौथा सवाल है कि जैसे पहले सब्जी का यूज़ था, अब ऐसे ही पॉल्ट्री फॉर्म स्टार्ट हो गया है। आप समझिए कि कोई फिश की खेती कर रहा है, कोई मुर्गी की खेती कर रहा है। हमारी बगल में गिरिराज साहब बैठे हैं, ये पशुपालन मंत्री रहे हैं, बार-बार ये ऐमू प्लांटेशन के लिए ज्यादा चिंतित रहते थे। यदि कोई पॉल्ट्री फॉर्म खोलेगा, फिश की खेती करेगा, तो उसके लिए भी क्रेडिट की आवश्यकता है।

पांचवां पॉइंट यह है कि जहां पहले क्रेडिट था, उसमें महाजनी प्रथा की बात मैं आपको बताउंगा। सन् 1976 का बजट कैसा था, आज ही कोई बता रहा था कि विदर्भ में अभी-भी कुछ किसान मर रहे हैं। किसान अंत में मरता है। किसान सबसे ताकतवर आदमी होता है। किसान की जो विल पॉवर है, वह सबसे ज्यादा मज़बूत होती है। जब किसान को लगता है कि अब कहीं से भी कोई रास्ता नहीं बचा है तो उसके क्रेडिट के लिए जो है, कोई बड़ा मापदंड है, सरकार किसान क्रेडिट कार्ड खूब खोलने का प्रयास करती है। अब जैसे प्रधान मंत्री जन-धन योजना में उसको छह महीने बाद पांच हज़ार रूपये मिलेंगे, लेकिन उसकी आवश्यकता यहां महसूस होती है। ...(व्यवधान) यदि जिसने अकाउंट खुलवाने के बाद छह महीने तक बढ़िया से अकाउंट चलाया तो बाद में उसको पांच हज़ार रूपये मिलेंगे। अभी शायद उसको तीन महीने करने की बात चल रही है। ...(व्यवधान)

इसके अलावा जो छठा पॉइंट है, जो लार्ज वर्क फोर्स है, अब बहुत ज्यादा लोग काम करना नहीं चाहते हैं। खेती पर जो निर्भरता है, वर्क फोर्स की जो निर्भरता है, वह कहीं न कहीं कम हो रही है। अब वे अलग-अलग काम करते हैं, कोई प्लंबर का काम करने लगा है, कोई इलैक्ट्रिशियन का काम करने लगा है। मतलब यह है कि आप देखिए कि गांव की इकोनॉमी कैसे बदल रही है। गांव का चेहरा बदल रहा है, इसलिए आर.आर.बीज़. में इस कैपिटल इंफ्यूज़न की क्या आवश्यकता है। कोई केबल टैलिविज़न का काम कर रहा है, कोई प्लंबिंग का

काम करेगा, तो उसको पेचकस की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं, उसको हथौड़े की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? यदि ट्रैक्टर खरीदने की बात होगी तो उसकी आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? इसके बाद सवाल यह है कि कई सीज़नल एम्प्लॉएमेंट होते हैं। एग्रीकल्चरल लेबरर हमेशा काम नहीं करता है। जब खेती चलती है, चाहे खरीफ का सवाल हो या रबी का सवाल हो, उस वक्त एग्रीकल्चरल लेबरर काम करते हैं। लेकिन इसके बाद यदि उनको कोई दूसरे काम की आवश्यकता है तो उसके लिए उनको व्यापार की आवश्यकता है। इसके लिए उसको क्रेडिट की आवश्यकता है।

चौथा सवाल यह है कि गरीबों का जो इतना एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, आप ट्राइबल्स की बात करते है, आप शिड्यूल कास्ट्स की बात करते हैं, जैसे हमारे यहां जाति नहीं होती थी, काम के आधार पर बंटवारा होता था, जैसे कुम्हार की बात कीजिए, लोहार की बात कीजिए, सुनार की बात कीजिए या कहार की बात कीजिए। इस तरह के जो लोग थे, उन्होंने भी अपनी अलग-अलग एक्टिविटीज़ बना ली हैं। वे भी टैक्नोलॉजी के साथ अपने आपको एडजस्ट करने की बात करते हैं। मार्केट में यदि कंपीट करना है तो उसके लिए उनको टैक्नोलॉजी की आवश्यकता है। इस कारण से भी उनको एक क्रेडिट की आवश्यकता है। सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल है, हम और महताब साहब लगातार लड़ाई लड़ते हैं कि जो सीडी रेश्यो जो है, क्योंकि, जब सन् 1976 में यह बिल आ रहा था, तो कहा गया कि गांव का पैसा गांव में रहेगा, जो मेन मोटो था, जो मेन लोगो था कि गांव का पैसा गांव में ही रहेगा। सभापति महोदय, आप भी जहां से आते हैं, जिले में जब डी.एल.सी.सी. की मीटिंग करते हैं तो सीडी रेश्यो मान लीजिए कि दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु जैसे राज्य में यदि 110 पर्सेंट के आस-पास है तो हमारे यहां सीडी रेश्यो 30 प्रतिशत है, 32 प्रतिशत है या 33 प्रतिशत है। हमारा पैसा है, उसको बैंक के आधार पर आप कह सकते हैं कि सीडी रेश्यो कहीं उन्होंने बढ़ा कर दिया है, लेकिन हमारा जो पैसा है, वह पैसा कहीं न कहीं दूसरी जगह यूज़ हो रहा है और हमारे जो गांव के, गरीब किसान लोग हैं, उनको नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए जब तक आर.आर.बी. मज़बूत नहीं होगा, इसकी आवश्यकता हमेशा बनी रहेगी और इस कारण से इसकी आवश्यकता है।

महोदय, हमारे कांग्रेस के मित्र यदि उपस्थित होते तो मुझे सुनाने में बड़ा अच्छा लगता। अभी वे प्रधानमंत्री जी से बहुत जवाब माँग रहे हैं कि काले धन का क्या हुआ, धर्मांतरण का क्या हो रहा है, क्या चीजें हो रही हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि जब बैंकों का राष्ट्रीकरण 1969 में हो रहा था, तब बड़ा लम्बा-चौड़ा भाषण दिया गया कि गरीबों के लिए यह कर दिया, वह कर दिया, यह एक बहुत बड़ा फार रीचिंग लेजिस्लेशन है। अच्छा है कि बैंकों का नेशनलाइजेशन हो गया, इस देश के लिए अच्छी बात हो गयी, लेकिन उसे लागू करने में कांग्रेस पार्टी को कितना वक्त लग गया, यह आप देखिए।

वर्ष 1948 में ए.आई.सी.सी. का यह रिजोल्यूशन था, उन्होंने 1948 में ए.आई.सी.सी. में यह रिजोल्यूशन पास किया कि बैंक और इंश्योरेंस सेक्टर का नेशनलाइजेशन होना चाहिए। वह नेशनलाइजेशन वर्ष 1969 में हुआ। 21 साल उनको अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन लागू करने में लग गये, जिसके आधार पर उन्होंने आजादी पाई। उस नेशनलाइजेशन की कहानी यह है कि मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी में कितने डिफरेंसेज थे। मोरारजी देसाई को इस्तीफा देना पड़ा। उन्हें सिर्फ इस्तीफा ही नहीं देना पड़ा, उस वक्त के जनरल सेक्रेटरी माननीय चन्द्रशेखर जी, जो सदन के सदस्य थे, उन्होंने चार लोगों की कमेटी बनायी, जिसमें माननीय मनमोहन सिंह जी भी सदस्य थे। उसमें था कि इसका सोशल कंसालिडेशन होगा या इसका नेशनलाइजेशन होगा। उसकी बड़ी लड़ाई चली, मैं उसकी पूरी चर्चा में नहीं जाना चाहता। सबसे बड़ी इंपोर्टेंट बात यह है कि बैंक नेशनलाइजेशन फाइनली कांग्रेस ने किया। क्यों किया, इसलिए किया कि उस वक्त दो-दो प्रधानमंत्रियों का अचानक देहान्त हो गया था, 1962 के चाइना वार में हम हार गए थे, 1965 के वार में ऐसी सिचुएशन हो गयी थी कि हम लोगों को पूरा पेट खाना खिलाने की स्थिति में भी नहीं थे। आपको याद है कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान-जय किसान का नारा दिया। यह सारा कुछ आर.बी.आई. का डाक्यूमेंट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ।

इंदिरा जी जब वर्ष 1969 में राष्ट्रीयकरण लागू कर रही थीं, तो उन्होंने उसमें कहा कि इसका उद्देश्य सबसे गरीब लोगों का वोट और समर्थन था और इसे प्राप्त करने का साधन बैंकों का राष्ट्रीयकरण था और उसमें उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया।

मैं आपको यह कह रहा हूँ कि इस देश में इतने नारे बनते हैं, इतनी चीजें बनती हैं, तो आप वर्ष 1948 में कांग्रेस पार्टी का रिजोल्यूशन लाते हैं कि बैंक नेशनलाइज करेंगे, इंश्योरेंस सेक्टर को नेशनलाइज करते हैं और 21 साल लगा देते हैं। गरीबी हटाओ का नारा इसी पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा, तत्कालीन वित्त मंत्री ने कहा। आज भी आप बतायें कि वर्ष 1969 के बाद आज 44-45 साल के बाद क्या गरीबी हट गई? इस तरह से सिचुएशन को, लोगों को बरगलाकर, देश को बरगलाकर चीजों को ऐसा करने से काम नहीं चलता। ये पूरे डाक्यूमेंट्री प्रूफस हैं कि क्या-क्या हुआ।

फाइनली, मैं आपको बताता हूँ कि इन्दर मल्होत्रा की एक किताब है, उस किताब में, मिसेज गाँधी की क्लोज फ्रेन्ड पुपुल जयकर थीं। पुपुल जयकर ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उनके निर्णय के उत्कृष्ट समय की सराहना की। श्रीमती गांधी ने अपने जवाब में कहा कि: “समय का चयन उन्होंने नहीं, बल्कि उनके विरोधियों ने किया था। उन्होंने मुझे मुश्किल में डाल दिया और मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं छोड़ा।"

केवल पॉलिटिक्स, इस देश में केवल आप पॉलिटिक्स करेंगे और पॉलिटिक्स के बल पर आपको लगता है कि आप देश को जितना गुमराह करना चाहते हैं, आप गुमराह कर लेंगे। अब आप देखिए कि जब रीजनल रूरल बैंक बनाया गया, उसके ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस क्या थे? उसका ऑब्जेक्ट एंड रीजन था, जब प्रणब मुखर्जी साहब ने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने इस पार्लियामेंट में यह कहा,

[अनुवाद]

> "मैं प्रस्ताव करता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, व्यापार, वाणिज्य, सिंचाई, उद्योग और अन्य उत्पादक क्रियाकलापों के विकास, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों, कृषि मजदूरों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करने तथा तत्संसक्त और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने की दृष्टि से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निगमन, विनियमन और समापन का उपबंध करने के लिए एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।" "

[हिन्दी]

मैं यह कह रहा हूँ कि 1976 में आर.आर.बी. इस कारण से बनाया गया। इसको बनाए हुए 40 साल हो गए। क्या आज भी फार्मर्स सुसाइड नहीं कर रहे हैं? मैं जिस राज्य से आता हूँ, वहाँ खेतों में केवल 10 परसेंट सिंचाई का साधन है। 90 परसेंट लोग आज भी सिंचाई के बिना खेती कर रहे हैं। मैं जिस राज्य से आता हूँ और शायद ईस्टर्न इंडिया के सारे राज्यों के लोग आते हैं, आज भी 70 परसेंट लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, 70 परसेंट बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, 70 परसेंट महिलाएँ आज भी एनीमिक हैं और आज भी देखिये कि वहाँ से मज़दूरों का पलायन हो रहा है। यदि पलायन किसी का हो रहा है तो ईस्टर्न इंडिया में सारे मज़दूरों का हो रहा है। वह सभी जो एग्रीकल्चर चलाते थे, जो मार्जिनल फार्मर्स थे, एग्रीकल्चरिस्ट थे, वे आज लेबरर हो गए हैं। वे आज दिल्ली और मुम्बई जैसे शहरों में कहीं ड्राइवरी का काम कर रहे हैं, कहीं खलासी का काम कर रहे हैं, कहीं गार्ड का काम कर रहे हैं। 10x10 के एक एक कमरे में 20-25 लोग रह रहे हैं। उसी के आगे मैं आपको बताऊँ कि जो डिबेट हुई, उसमें कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता थे, नाथूराम मिर्धा साहब ने इस डिबेट में भाग लिया था। उन्होंने कहा और मैं आपको बता रहा हूँ कि यह देश कैसे गुमराह हो रहा है और किस चीज़ की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यह बैंक एक शुरूआत है और 1977 के बाद एक एक आदमी जो करोड़ों आदमियों के बराबर हैं, उनको डील करने में बड़ी मुश्किल हो रही है। गाँवों के साहूकार इन लोगों को आज भी अपने नौकर की तरह यूज़ कर रहे हैं और उनका शोषण कर रहे हैं। जल्दी ही इन सरकारों की उद्देश्य पूर्ति के लिए हम ऐसी क्रैडिट व्यवस्था लाएँगे, जिसकी आर्डिनैन्स की आवश्यकता हो गई कि इस स्तर पर इन बैंकों का विकास होगा और इनके लिए गरीब छोटे लोगों के खेतों की उन्नति होगी, कारोबारियों को उद्योग चलाने में साधनों की आवश्यकता होगी तो वह पूर्ति की जाएगी। इस एक व्यवस्था से ज्यादा से ज्यादा गरीब लोग गरीबी रेखा के नीचे हो जाएँगे और इन बैंकों से इनका फायदा हो जाएगा - यह नाथूराम मिर्धा साहब ने कहा। मैं हमेशा कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी देर करती नहीं है उनसे देर हो जाती है। इसके लिए अलग अलग कमेटियाँ बनीं कि रीजनल रूरल बैंक का क्या होना चाहिए। ...(व्यवधान) सभापति जी, हमारी पार्टी के पास डेढ़ घंटे का समय है।

सबसे पहले 1975 में नरसिम्हन कमेटी बनी, जिसके आधार पर आर.आर.बी. 1976 में आई। कांग्रेस का एक स्वभाव है कि वह कमेटियाँ बहुत बनाती है। 1977 में जाते-जाते उन्होंने एक दांतेवाला कमेटी बनाई, जिसकी 1978 में रिपोर्ट आई। उसने कहा कि अमीर और गरीब के बीच क्रैडिट गैप को कैसे कम करें। उसके कुछ रेकमंडेशन हैं। उसने कहा कि कामर्शियल बैंक की जो फंक्शनिंग है, उसको आर.आर.बी. में प्रोग्रैसिव तौर पर लागू करना चाहिए। उसने कहा कि 60 परसेंट का जो लोन और एडवांस है वह स्माल फार्मर्स के लिए, रूरल आर्टिसन्स के लिए और रूरल पूअर के लिए ईयरमार्क्ड होना चाहिए। उसने कहा कि आर.आर.बी. का जो आपरेशनल आस्पैक्ट है उसको नाबार्ड को समय-समय पर देखना चाहिए और शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन को देखना चाहिए। यह 1978 की रिपोर्ट है, वह रिपोर्ट आई और चली गई। इसके बाद जब फिर से कांग्रेस पार्टी सरकार में आई तो उन्होंने फिर से एक कमेटी बनाई। 1981 में, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण की व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए एक और समिति का गठन किया गया था। उसने भी कुछ रिकमंडेशंस किये। मैं आपको बताऊँ कि कमेटी बनती है, रिकमंडेशंस होते हैं, लेकिन जब उनके इंप्लीमैंट होने की बात आती है तो कुछ नहीं होता है। उसने कहा कि उसमें प्रपोर्शन ऑफ शेयरहोल्डिंग में थोड़ा बहुत बदलाव करने की आवश्यकता है। ऐसे नहीं चलेगा। उसने कहा कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए एक अलग पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है और उसने कहा कि दांतेवाला कमेटी की जो रिकमंडेशनंस हैं कि दांतेवाला समिति की सिफारिशें हैं जो संपूर्ण नियंत्रण, विनियमन, संवर्धन या विकास की जिम्मेदारी लेती हैं। आर.[हिन्दी] बी. की है, वह कहीं न कहीं नाबार्ड को ट्रांसफर कर देनी चाहिए। यह 1978 के बाद 1981 में आया। इसके बाद वर्किंग ग्रुप ऑन रीजनल रूरल बैंक्स की एक केलकर कमेटी बनी। मैं केवल आपको बता रहा हूँ कि आर.आर.बी. के साथ किस तरह से फुटबाल खेलने वाली बात हो रही है कि कमेटी बना देते हैं, कोई परेशानी हुई तो कमेटी की रिपोर्ट आएगी।

आप देखेंगे कि तीन-तीन साल के गैप के बाद कांग्रेस सरकार लगातार इस बारे में एक कमेटी बनाती गई। वर्ष 1981 में भी कमेटी बनी। इसके बाद केलकर कमेटी वर्ष 1984 में बनाई गई। उसने कहा कि एस.सी., एस.टी. ओपरेशन में कहीं न कहीं आर.आर.बी. सक्षम नहीं हो रहा है। उस समिति ने कहा कि अनइकोनोमिक

आर.आर.बी.ज़. को मर्ज कर दीजिए, क्योंकि एक समय 196 आर.आर.बी.ज़. हो गए थे, अब उनकी संख्या 70 के आस-पास हो गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके केपिटल इन्फ्युज़न के लिए बहुत रिक्मेंडेंशन किए गए। फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग के लिए इन्होंने यह बात कही कि मीटिंग के लिए जो एस.एल.आर. रिक्वायरमेंट्स हैं, उनका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए स्पोंसर बैंक को जिम्मेदार बनाना चाहिए। इसके बाद एक और कमेटी बनाई गई। मैं केवल बता रहा हूं कि गांवों के साथ, गरीबों के साथ, पिछड़ों के साथ इस देश में किस तरह का अन्याय होता है, उसका सबसे बड़ा प्रमाण आर.आर.बी. है। एग्रीकल्चर क्रेडिट रिव्यु कमेटी वर्ष 1989 में बनी। उस समिति की अनुशंसाएं यही थीं कि आर.आर.बी. की फंक्शनिंग ठीक नहीं हो रही है। उस समिति ने फिर से कहा कि विमेन, एससी और एसटी, आर्टिजन्स के लिए और स्माल फार्मर्स के लिए जो चीजें की जा रही हैं, वे सक्सेसफुल नहीं हो रही हैं और इसमें चेंज करने की आवश्यकता है।

सभापति जी, इसके बाद वर्ष 1991 में जब माननीय मनमोहन सिंह जी देश के फाइनेंस मिनिस्टर बने, तो उन्होंने एक नरसिह्मन कमेटी बना दी। उस समिति ने कहा कि आर.आर.बी. की वायबिलिटी को ठीक करने के लिए सरकार को उपाय सोचना चाहिए और इसके लिए केपिटल इन्फ्यूज़न एक बड़ा मुद्दा था। उन्होंने कहा कि आर.आर.बी. का लोकल करेक्टर के साथ कैसे फाइनेंशियल इन्क्लूज़न कीजिएगा या उसमें कैसे पैसे डालिएगा या लोकल लोगों का जुड़ाव कैसे कीजिएगा, यह महत्वपूर्ण रिक्मेंडेशन नरसिह्मन कमेटी की थी। उस रिपोर्ट से भी सरकार संतुष्ट नहीं हुई। कोई भी रिपोर्ट लागू नहीं हो रही है। इसके बाद वर्ष 1994 में भंडारी कमेटी बनी और भंडारी कमेटी ने कहा कि 49 आर.आर.बी.ज़. ऐसे हैं, जिन्हें इम्मीडिएट रीस्ट्रक्चर करने की आवश्यकता है। यदि रीस्ट्रक्चर नहीं करेंगे तो लोगों का पैसा डूब जाएगा और रीजनल सोच प्रभावित हो जाएगी। उस समिति ने ऑगमेंटेशन की बात कही, एमलगमेशन की बात कही, जिसकी बात माननीय वित्त मंत्री जी कर रहे हैं। उस समिति ने वर्ष 1994 में कहा कि स्पेशल इनफेसिस इसकी अपग्रेडेशन पर देना चाहिए। इस बारे में आज प्रधानमंत्री जी चिंतित हैं, स्किल डेवलपमेंट के बारे में प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं क्योंकि, उन्हें लगता है कि गांवों में स्किल की कमी होती जा रही है, इसीलिए आर.आर.बी.ज़. को स्किल अपग्रेडेशन के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीतिज्ञों को नहीं बल्कि बोर्ड में प्रोफेशनल्स को लाइए। जैसे एन.डी.एम.ए.

में प्रधानमंत्री जी प्रोफेशनल्स को लाए हैं। इसके बाद वर्ष 1995 में मिश्रा कमेटी बनी। इस समिति ने कहा कि आर.आर.बी.ज़. की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ग्रेजुएटिड इंवेस्टमेंट होनी चाहिए और इंवेस्टमेंट मैनेजमेंट को स्ट्रैंथनिंग करनी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि पांच परसेंट से ज्यादा एनपीए आर.आर.बी.ज़. के हैं, जबकि कमर्शियल बैंकों के एन.पी.ए. दो-तीन परसेंट पर हैं। उन्होंने कहा कि ओपरेशनल सैट-अप को मजबूत करना चाहिए। इसके बाद वर्ष 1996 में बासु कमेटी बनी। कमेटी के बाद कमेटियां बनाई जाती रहीं। भंडारी कमेटी ने जो 49 आरआरबीज़ के रीस्ट्रक्चरिंग की बात कही थी, बासु कमेटी ने वर्ष 1996 में 68 आर.आर.बी.ज़. के रीस्ट्रक्चरिंग की बात कही। आर.आर.बी.ज़. की पोजीशन इतनी खराब होती गई कि उसे सम्भालने की स्थिति नहीं रही और इनकी संख्या दो सालों में 49 से 68 हो गई। उस समिति ने कहा कि शेयर होल्डर्स के रोल को इसमें बढ़ावा देना चाहिए और कहा कि आर.आर.बी.ज़. की एप्रोच पोजिटिवली स्टैंड एलोन नहीं होनी चाहिए।

इसके बाद एक और कमेटी बनी। उस कमेटी का नाम था, थिंगालिया कमेटी। यह वर्ष 1997 में बनी। वर्ष 1976 से लेकर 1978 के बाद जितनी कमेटियां बनीं, वे सब एक ही चीज़ के ऊपर प्रश्न कर रही हैं कि आपने आर.आर.बीज़. बनाया है, आपकी बड़ी अच्छी सोच है, आप बड़ा अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं इसमें समस्या है। इसे आप स्ट्रेंथेन करें और आर.आर.बी. को कन्सॉलिडेट करें। उन्होंने यह भी कहा कि आर.बी.आई., नाबार्ड और स्पॉन्सर बैंक के रोल ओवरलैप कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन तीनों के बीच कहीं कोई जुड़ाव नहीं है।

इसके बाद फिर नरसिम्हन कमेटी बनी। फाइनली दो और कमेटियां बनीं, व्यास कमेटी और अग्रवाल कमेटी। रूरल क्रेडिट के लिए एक्सपर्ट कमेटी ऑन रूरल क्रेडिट।...(व्यवधान) इसका मतलब एक कमेटी वर्ष 2000 में बनी, एक कमेटी वर्ष 2001 में बनी और एक कमेटी वर्ष 2004 में डॉ. व्यास की अध्यक्षता में व्यास कमेटी बनी और एक थोरॉट कमेटी बनी, जिसकी वर्ष 2010 में रिपोर्ट आयी। इसके आधार पर इन लोगों ने जो कुछ भी किया, आज सरकार के पास इनके अलावा कोई विकल्प नहीं है। सरकार जो काम कर रही है, सरकार

आम लोगों के लिए चिंतित है और आम लोगों के लिए काम करना चाहती है। उन आम लोगों के लिए काम करने के लिए इनको री-स्ट्रक्चर करने की आवश्यकता है, इसलिए ये इतना अच्छा बिल लेकर आए हैं। इसमें मेरे कुछ सजेशंस हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इनका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है, वह बहुत छोटा है। इसमें जो टारगेट ग्रुप का एक्सपोजर है, वह बहुत हाई रिस्क है। वह पैसा लौटेगा, नहीं लौटेगा, यह गरीबों के ऊपर है। जो एन.पी.ए. है, जो माउंटिंग लॉसेस हैं, वे लगातार बढ़ रहे हैं। इंवेस्टमेंट बैंकिंग का जो स्विच ओवर है, वह इससे कहीं न कहीं प्रभावित हो रहा है। स्पॉन्सर्स बैंकों के ऊपर हमारी निर्भरता दिन-प्रति-दिन बढ़ रही है। कस्टमर को पता नहीं है कि उन्हें कहां से लोन मिलेगा, कहां से सब्सिडी मिलेगी, इसमें बैंकों का जो रोल होना चाहिए, वह नहीं है। उसमें जो स्टाफ है, उन्हें कम पैसे मिल रहे हैं। इसमें स्किल्ड स्टाफ नहीं रखा जाता है। ट्रेजरी मैनेजमेंट और प्रॉफिट ओरिएंटेशन का जो स्किल है, वह कम हो रहा है, एक्सपोज़र ऑफ स्किल बहुत कम है, एक्सेलेंस ऑफ स्टाफ के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

इसीलिए, मेरा आपके माध्यम से सजेशन है कि गवर्नमेंट को यह इनकरेज करना चाहिए कि रूरल डेवलपमेंट के लिए इसकी क्या आवश्यकता है, इसमें आर.आर.बीज का क्या रोल होना चाहिए। जो प्रधान मंत्री जन-धन योजना है, उसमें आर.आर.बीज़. का क्या रोल होगा जिससे कि ये जो चिट-फंड कंपनियां इतनी बढ़ रही हैं, वे कम से कम कैसे बढ़ें? इसके बाद हम स्मॉल बौरोअर्स को नॉन इंटेरेस्ट कॉस्ट ऑफ क्रेडिट कैसे दे पाएं? उन्हें हम कम से कम दर पर इंटेरेस्ट कैसे दे पाएं, तभी आर.आर.बी. का फायदा होगा। जो वीकर सेक्शंस हैं, जिनके पास दस किलो मीटर, पन्द्रह किलो मीटर, बीस किलो मीटर की दूरी पर बैंक नहीं है, उनके लिए ओपेनिंग ऑफ मोर ब्रांचेज कैसे हों? उन्हें हम टेक्नॉलोजी के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? यह होना चाहिए। इसके बाद जो प्रोडक्टिविटी है, उनकी जो कंट्रोलिंग कॉस्ट और इंक्रीज़िंग इन्कम है, उसे कैसे बढ़ा पाएं, इसके बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद जो पार्टिसिपेशन कॉस्ट है, सब्सिडी है, उसको कैसे हम ट्रांजैक्शन में जोड़ सकते हैं? इसके अलावा, जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, उनके लिए वेविंग ऑफ लोन नहीं होना चाहिए, उनसे पैसे वापस होने चाहिए। लोगों में यह भावना पैदा करनी चाहिए कि ये जो आपको पैसे मिल रहे हैं, ये आपको हमें लौटाने

के लिए मिल रहे हैं। उनका इंवेस्टमेंट का जो डिसीज़न है, वह कैसे होगा? माइक्रो क्रेडिट स्कीम को हम कैसे इन्करेज कर पाएंगे। को-ऑपरेटिव सोसायटी को क्या हम स्पॉन्सर कर सकते हैं, को-स्पॉन्सर कर सकते हैं या कॉमर्शियल बैंक के इस्टैबलिस्मेंट में इन तीनों - आर.आर.बी., कॉमर्शियल बैंक और को-ऑपरेटिव बैंक का क्या रोल होगा, इसके बारे में सोचना चाहिए। रूरल एक्टीविटीज के लिए जो क्रेडिट पॉलिसी है, उसे कैसे हम बढ़ा सकते हैं? लैंडिंग का रिलैक्सेशन हम कैसे कर सकते हैं, यदि हम इन आठ-दस चीजों पर कहीं न कहीं काम कर पाए तो मुझे लगता है कि यह जो बिल आ रहा है, जिसे एक बड़े अच्छे स्वभाव, मिजाज के साथ यह सरकार लाई है, प्रधानमंत्री जी की जन-धन योजना के अनुरूप इसे लाया गया है, उसमें हम कुछ कन्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार इस बिल का समर्थन करते हुए धन्यवाद करता हूँ। जय हिन्द, जय भारत।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी ने जो विधेयक पेश किया है, उस पर हो रही चर्चा में भाग लेने के लिए मैं यहां खड़ा हुआ हूँ। हमारे अच्छे मित्र, जयंत सिन्हा जी भी यहां हैं। शायद, वह चर्चा का जवाब देंगे।

जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता, निशिकांत दुबे जी ने कहा है, यह विधेयक लंबे समय से प्रतीक्षित था। बेशक, वह 1948 तक इस मुद्दे पर रहता था, वर्ष 1969 में आया और 1976 से चूक गया जब, वास्तव में, आरआरबी बिल पेश किया गया था और अधिनियमन किया गया था। इसके बाद, उन्होंने विभिन्न क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एकीकरण पर विचार किया, तथा बताया कि इसकी आवश्यकता क्यों और कैसे पड़ी।

प्रारम्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे समक्ष प्रस्तुत यह विधेयक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 में संशोधन करने के लिए है। कहा जा रहा है कि इन संशोधनों से उनके पूंजी आधार को मजबूत करने के लिए अधिकृत और जारी पूंजी में वृद्धि होगी तथा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक के बीच शेयरधारिता में लचीलापन आएगा। केंद्र द्वारा नियुक्त गैर-सरकारी निदेशक का कार्यकाल तीन वर्ष से अधिक नहीं होगा। मैंने

इस संबंध में एक संशोधन प्रस्तुत किया है। यह भी कहा गया है कि इन संशोधनों से आरआरबी की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित होगी, जिससे वे वित्तीय समावेशन और ग्रामीण क्षेत्रों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में बड़ी भूमिका निभा सकेंगे। विधेयक पर अमल करते समय कहा गया है कि आरआरबी बोर्ड को मजबूत बनाया जाएगा। क्या हम यह नहीं जानते कि आर.आर.बी. पर केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक का संयुक्त स्वामित्व है, जिनकी जारी पूंजी क्रमशः 50 प्रतिशत, 15 प्रतिशत और 35 प्रतिशत है?

<u>अपराह्न 05.27 बजे</u> (माननीय उपाध्यक्ष *पीठासीन हुए*)

मुझे ऑल-केरल ग्रामीण बैंक स्टाफ फेडरेशन की एक टिप्पणी मिली है। इसमें कहा गया है कि आरआरबी अधिनियम, 1976 में प्रस्तावित संशोधन देश में आरआरबी के निजीकरण का मार्ग प्रशस्त करेगा, क्योंकि संशोधन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अधिकृत पूंजी को मौजूदा 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने के लिए था। इसके अलावा, विधेयक में केंद्र सरकार के हिस्से को कम करने का प्रस्ताव है और मौजूदा 85 प्रतिशत से 51 प्रतिशत समर्थन की मांग की गई है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह संबंधित राज्य सरकारों के साथ उनकी मौजूदा हिस्सेदारी को 15 प्रतिशत से कम करने के लिए परामर्श करेगा। इससे स्पष्ट है कि विधेयक से निजी एकाधिकारियों और कॉरपोरेटों को लाभ होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि निशिकांत जी इस विधेयक के पक्ष में हैं। क्या आपके पास यह जांचने के लिए कोई प्रणाली है कि क्या ये आरआरबी अपने अधिदेश का उल्लंघन करते हैं? क्या यह सच नहीं है कि आरआरबी की कुल कारोबारी कमाई 3.5 लाख करोड़ रुपये या 5 लाख करोड़ रुपये थी और उनका कुल लाभ 2,500 करोड़ रुपये से अधिक था?

अब निजी एकाधिकार कंपनियां भी उसमें हिस्सा चाहती हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि आरआरबी संशोधन विधेयक का उद्देश्य आरआरबी का पूंजी आधार 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये करके उनमें उत्साह भरना है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था, पूंजी अब पूरी तरह से केन्द्र, संबंधित राज्य सरकार और

प्रायोजक बैंक द्वारा वहन नहीं की जाएगी। उनकी शेयरधारिता 51 प्रतिशत तक सीमित होगी और शेष निजी निवेशकों से जुटाई जाएगी।

अखिल भारतीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ ने निजी निवेश की आवश्यकता पर सवाल उठाया है। मैं कहूंगा कि यह केवल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों की ही चिंता नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि यह पूरे देश की चिंता है कि आप आरआरबी का निजीकरण क्यों कर रहे हैं, और वह भी एक घुमावदार तरीके से।

आर.आर.बी. के निरीक्षण के बाद से

माननीय उपाध्यक्ष: महताब जी, कृपया थोड़ी देर रुकिए।

आधे घंटे की चर्चा के बारे में क्या?

श्री एम. वेंकैया नायडू: जब माननीय सदस्य सभा में नहीं होंगे, तो मैं सभा से अनुरोध करूंगा कि इस विधेयक पर चर्चा की जाए तथा इसे सायं 6 बजे या 6.30 बजे तक अनुमोदित कर दिया जाए, ताकि सभा चाहे तो हम सभा की कार्यवाही स्थगित कर सकें।

माननीय उपाध्यक्ष: संबंधित मंत्री जी वहां है। उन्हें यही कहना है।

श्री एम. वेंकैया नायडू: सदस्य की अनुपस्थिति में, मुझे नहीं लगता कि यह उचित है।

युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सर्बानंद सोनोवाल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि इस मुद्दे को आधे घंटे की चर्चा के लिए उठाने वाले माननीय सदस्य अन्य माननीय सदस्यों के साथ वहां नहीं हैं, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस मामले को विस्तृत चर्चा के लिए अगले सत्र में उठाए जाने की अनुमति दी जाए। धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष: ठीक है।

माननीय सदस्यगण, यह आधे घंटे की चर्चा अगले सत्र में की जाएगी।

अब, श्री महताब अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा था, पूंजी अब पूरी तरह से केन्द्र या संबंधित राज्य या प्रायोजक बैंक द्वारा वहन नहीं की जाएगी। उनकी शेयरधारिता 51 प्रतिशत तक सीमित होगी और शेष निजी निवेशकों से जुटाई जाएगी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना के बाद से सरकार ने उनकी वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करने तथा उन्हें पुनर्जीवित करने के उपाय सुझाने के लिए कम से कम दस विशेषज्ञ समितियां नियुक्त की हैं। अधिकांश समितियों ने घाटे में चल रहे आर.बी.आई. को या तो पड़ोसी व्यवहार्य आरआरबी या उनके प्रायोजक बैंकों के साथ विलय करने की सिफारिश की है। कुछ लोगों ने इनके परिसमापन की भी सिफारिश की, लेकिन सरकार ने 1981 से 2005 तक कोई कार्रवाई नहीं की। उस वर्ष, घाटे में चल रहे आरआरबी को लाभ कमाने वाले आरआरबी के साथ मिलाने से उन्हें आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाना शुरू हुआ। ओडिशा में भी कई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय किया गया। गंजम और कोरापुट जिला आर.बी.आई. का विलय कर दिया गया। कटक और बालासोर जिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय कर दिया गया और इसका नाम कलिंग ग्राम्य बैंक रखा गया। इसी प्रकार, उत्कल ग्राम्य बैंक, नीलाचल ग्राम्य बैंक और सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक गठित किये गये।

अप्रैल 2013 तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या मात्र 62 रह गई, जबकि 2004 में इनकी संख्या 196 थी। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर श्री के.सी. चक्रवर्ती की अध्यक्षता वाले पैनल की सिफारिशों के बाद सरकार ने घाटे में चल रहे 40 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में पूंजी प्रवाह बढ़ा दिया। इसने सिफारिश की थी कि केंद्र, राज्य सरकारों और प्रायोजक बैंकों को इन बैंकों को बचाने के लिए 2,200 करोड़ रुपये जारी करने चाहिए। इस पूंजी निवेश का प्रभाव जमीनी स्तर पर दिखने लगा है। आरबीआई की नवीनतम प्रतिवेदन से पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रवाह में सुधार हुआ है।

मैं यहां यह उल्लेख करना चाहूंगा कि उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता है और आर.बी.आई. को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस संबंध में यही वास्तविक कुंजी है। अर्थशास्त्री और बैंकिंग विशेषज्ञ विश्व स्वरूप मिश्रा, आरआरबी के खराब प्रदर्शन के लिए इसके हितधारकों को दोषी मानते हैं, जिन्हें मैं उद्धृत करता हूँ:

"यदि प्रायोजक बैंकों ने उनका मार्गदर्शन करने में सक्रिय भूमिका निभाई होती तथा राज्य सरकारों ने अनुकूल बैंकिंग वातावरण उपलब्ध कराया होता, तो आर.बी.आई. बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे।"

2004 में घाटे में चल रहे आधे से अधिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक चार राज्यों - बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा में थे। जब मैं 2004 कहता हूं तो मेरा मतलब है कि उस समय मध्य प्रदेश और बिहार का विभाजन हो चुका था। इन राज्यों ने न तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उचित बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया और न ही प्रबंधकीय कौशल प्रदान किया।

1998 में, आर.बी.आई. के पूर्व गवर्नर एम. नरसिम्हन ने बताया था कि सीमित परिचालन क्षेत्र और लक्ष्य समूहों के कारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिक लाभ नहीं कमा पा रहे हैं। हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान में ग्रामीण ऋण एवं विकास बैंकिंग केन्द्र के प्रमुख बी.के. स्वैन कहते हैं, " आर.बी.आई. कर्मचारियों का वेतन ढांचा पर्याप्त रूप से प्रेरक नहीं है।"

अर्थशास्त्री और सिंडिकेट बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक श्री एन. के. थिंगालया ने कहा है: " आर.बी.आई. को निजी निवेश के बिना भी व्यवहार्य बनाया जा सकता है।" नाबार्ड के पूर्व सभापति श्री वाई.सी.नंदा का कहना है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एकीकरण से इसकी स्थानीय भावना और भूमिका प्रभावित हुई है। निजी शेयरधारिता से ग्रामीण लाभार्थी और अधिक वंचित हो जाएंगे। मैं उनकी बात को दोहराना चाहूँगी। उन्होंने कहा, "मैं आर.बी.आई. के खराब प्रदर्शन से अवगत हूं।" लेकिन मुद्दा यह है कि हम उन उद्देश्यों से दूर जा रहे हैं जिनके लिए आर.बी.आई. की स्थापना की गई थी।"

यहां, मैं केवल यह उल्लेख करना चाहूंगा कि 1993-1994 में अपनी चौथा प्रतिवेदन में स्थायी समिति ने क्या कहा था। इसमें कहा गया है कि: “समिति आरआरबी की दुखद स्थिति पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करती है। इन बैंकों की वित्तीय स्थिति खराब होती जा रही है और सरकार इन बैंकों की व्यवहार्यता सुधारने के प्रति उदासीन प्रतीत होती है। अब जो उत्तर और उपाय आया है, वह दी जाने वाली दवा से भी बदतर है। मैं यह

इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि यहां यह निजी हाथों में जा रहा है। मैंने अभी 1993-1994 के वित्त की स्थायी समिति के बारे में उल्लेख किया था।

आरआरबी का अधिदेश क्या है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की स्थापना 26 सितम्बर 1975 को जारी अध्यादेश तथा आरआरबी अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के अंतर्गत वर्ष 1975 में की गई थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करना तथा सहकारी ऋण संरचना के लिए एक पूरक चैनल का निर्माण करना था, ताकि ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में संस्थागत ऋण का विस्तार किया जा सके। यदि यह अधिदेश है, तो मैं प्रतिवेदन के उस पहलू पर आऊंगा कि आज हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति क्या है तथा वास्तव में हमारी ग्रामीण शाखाओं या ग्रामीण लोगों या कृषि में लगे लोगों के पास कितना धन प्रवाहित हो रहा है।

आरआरबी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे और सीमांत किसानों, कृषि मजदूरों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करना है। आरआरबी कितने सफल रहे हैं, यह हम सभी देख सकते हैं। लेकिन निजी निवेश की अनुमति देने से यह आदेश कितना लागू होगा, इस पर मुझे संदेह है। कोई भी आरआरबी में निवेश क्यों करेगा, जो ग्रामीण गरीबों और सीमांत किसानों को ऋण देता है?

डॉ. वी. एस. व्यास समिति की सिफारिशों के अनुसार, भारत सरकार ने नाबार्ड, संबंधित राज्य सरकारों और प्रायोजक बैंकों के परामर्श से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू की। प्रथम चरण की शुरुआत राज्य में प्रायोजक बैंकवार 2005 में की गई थी। वर्ष 2012 के दौरान राज्य के भीतर प्रायोजक बैंकों में आगे एकीकरण के लिए दूसरा चरण शुरू किया गया। विलय के बाद 31 मार्च 2014 तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या घटकर 57 रह गई है और बताया गया है कि सभी लाभ कमा रहे हैं। फिर भी, एक राय यह है कि चूंकि आरआरबी की स्थापना संसद द्वारा पारित एक विशेष अधिनियम के तहत की गई थी, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर आरआरबी के एकीकरण के निर्णय को संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है, जो कि अभी तक नहीं किया गया है और जो अभी किया जाना है और ऐसा करने के लिए, पहले एकीकरण को समाप्त करना होगा,

लेकिन क्या इससे और अधिक भ्रम पैदा नहीं होगा? फिर भी, मैं कहूंगा कि औचित्य की मांग है कि संसद को आरआरबी के विलय का अनुमोदन करना चाहिए।

विलय के बाद, 31 मार्च 2014 तक देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 57 हो गई, जिनकी 19,082 शाखाओं का नेटवर्क 26 राज्यों और संघ शासित प्रदेश पुडुचेरी के 642 अधिसूचित जिलों को कवर करता है। वर्ष 2013-2014 के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अनंतिम वित्तीय परिणामों से पता चलता है कि सभी 57 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने कुल मिलाकर 2,833 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया है। लेकिन मैं दोहराना चाहूंगा कि बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा की जाती रही है। मैं 'दोहराएं' इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये आरबीआई के शब्द हैं। उप-गवर्नर श्री के.सी. चक्रवर्ती ने पिछले अगस्त में यह कहा था, और मैं उद्धृत करता हूँ:

> "ग्रामीण शाखाओं की संख्या 1994 में कुल शाखाओं के 54 प्रतिशत से घटकर 37 प्रतिशत रह गयी है। ग्रामीण जमाराशि बैंक जमाराशि का मात्र 9.1 प्रतिशत है, जो पहले 15.1 प्रतिशत थी। ये सभी बातें इस बात का संकेत हैं कि बैंकों के परिचालन कुशल होने के बावजूद आबंटन दक्षता नहीं आई है। बैंकों का प्रयास ग्रामीण क्षेत्रों में विविधता लाना होना चाहिए। क्या आबंटन दक्षता के बिना वित्तीय प्रणाली पर्याप्त है?

महोदय, जैसा कि मैंने बताया, ग्रामीण शाखाओं में गिरावट आई है और यह 37 प्रतिशत रह गई है। ये सभी बातें इस बात का संकेत हैं कि बैंकों के परिचालन कुशल होने के बावजूद आबंटन दक्षता नहीं आई है। तो फिर, क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभी भी प्रासंगिक हैं? मैं कहूंगा कि वास्तव में प्रासंगिकता बढ़ी है। आधी से अधिक आबादी अभी भी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है तथा कृषि ऋण की कमी बनी हुई है। इसलिए, ग्रामीण ऋण प्रणाली को मजबूत करने के लिए प्रयास किए जाने का आह्वान किया गया है। आज बैंकिंग क्षेत्र में हावी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, ग्रामीण बैंकिंग में अनिच्छुक भागीदार बन गए हैं। क्या इसका कारण कोई निश्चित नीतिगत दिशा का अभाव है? ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग बुनियादी ढांचे के विस्तार को जारी रखने की आवश्यकता को नरसिम्हन समिति ने भी स्वीकार किया था, लेकिन वास्तव में ग्रामीण वित्तीय बुनियादी ढांचे का महत्व पृष्ठभूमि में चला गया है। मेरा मानना है कि आरआरबी में निजी कंपनियों को लाने से यह और भी

अधिक पृष्ठभूमि में चला जाएगा तथा ग्रामीण निवेश प्राथमिकता नहीं रह जाएगा। क्या इससे ग्रामीण बैंकिंग पर दबाव पड़ेगा? मैं हाथ जोड़ता हूँ।

यहाँ, मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि स्थायी समिति ने 1993-94 में क्या उल्लेख किया था:

> "ग्रामीण बैंक का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के कमजोर वर्गों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना है। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की जानी चाहिए और सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को इसके नियंत्रण में लाया जाना चाहिए।

यह एक सुझाव है जो 1993-94 में दिया गया था। क्या अब समय नहीं आ गया है कि भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक के गठन के प्रभावों पर विचार किया जाए? नाबार्ड निश्चित रूप से बड़ी भूमिका निभा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक जैसी एक संस्था द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पहलुओं पर विचार करने से हम अपने देश के ग्रामीण गरीबों के लिए एक बड़ी सेवा कर रहे होंगे।

मुझे विधेयक से संबंधित कुछ संशोधन प्रस्तुत करने हैं। विधेयक पारित होने के समय मैं यह मुद्दा उठाऊंगा। धन्यवाद।

श्रीमती कविता कलवकुंतला (निजामाबाद): महोदय, अवसर देने के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे लगता है कि श्री निशिकांत दुबे और श्री महताब ने जो कहा है, उसके बाद कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचा है। मेरे लगभग सभी नोट्स इसी के बारे में हैं। लेकिन फिर मैं जो कुछ भी जोड़ सकती हूं, उसे जोड़ने का प्रयास करूंगी ।

महोदय, इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रेरणा से 2 अक्टूबर 1975 को एक अध्यादेश के द्वारा की गई थी; बाद में इसे परिवर्तित कर दिया गया और 1976 में अधिनियम बना। जैसा कि गांधी जी ने कहा था, ग्रामीण भारत ही वास्तविक भारत है और ग्रामीण विकास ही भारत का वास्तविक विकास है। इसलिए, प्रत्येक जिले में एक ग्रामीण बैंक खोलने पर जोर दिया गया, लेकिन किसी कारणवश ऐसा नहीं हो सका और अंततः हमारे पास केवल 200 से अधिक ग्रामीण बैंक ही रह गए। बाद में, प्रबंधन के मुद्दों या प्रायोजित बैंकों तथा केन्द्र और राज्य सरकारों की रुचि की कमी के कारण, उन्हें पुनः एकीकृत कर दिया गया और संख्या घटकर 57 ग्रामीण बैंक रह गई।

जब हमने ये 57 ग्रामीण बैंक बनाए, विशेष रूप से मैं अपने क्षेत्र की बात करूंगा, तो चार या पांच बैंकों को एक ग्रामीण बैंक में मिला दिया गया और परिणामस्वरूप, एक दक्कनी ग्रामीण बैंक अस्तित्व में आया। बाद में, जिन छोटे या सीमांत किसानों को इन ग्रामीण बैंकों से मदद मिलनी थी, उन्हें मदद नहीं मिल रही थी।

मूल अधिनियम में वस्तुतः यह कहा गया है:-

> "इसका उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और अन्य उत्पादक गतिविधियों में मदद करना है।"

मैं विधेयक के मूल सिद्धांतों के बारे में विशेष रूप से क्यों बात कर रही हूँ? हमें इस बारे में गंभीरता से सोचने की जरूरत है। इस विधेयक का उद्देश्य मौलिक संस्था को बदलना है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगी। इस विधेयक में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र को ऋण दिया जाएगा। मैंने विशेष रूप से अपने क्षेत्र के चरवाहों के लिए कुछ ऋण प्राप्त करने का प्रयास किया है। 1200 चरवाहे हैं। उन्हें ऋण की आवश्यकता थी। मैंने डेक्कन ग्रामीण बैंक के इतने चक्कर काटे। उन्होंने सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इन लोगों का कोई

आधार नहीं है। जैसे निशिकांत दुबे जी बोल रहे थे कि आज गांव का स्वरूप बदलकर शहर जैसा हो रहा है। वहां छोटे-छोटे बिजनेस आ रहे हैं। उन लोगों की वित्तीय आवश्यकताओं को कौन पूरा करेगा? यह बहुत महत्वपूर्ण है। आर.बी.आई. की विफलता ने संदिग्ध सूक्ष्म-वित्त को सामने आने के लिए प्रोत्साहित किया। इससे चिट फंड को सामने आने के लिए प्रोत्साहन मिला। यह कुछ भी हो सकता है। किसानों और ग्रामीण लोगों को, जिनके पास छोटी-छोटी जरूरतें हैं, विभिन्न एजेंसियों द्वारा धोखा दिया गया, क्योंकि सरकार या आरबीआई वास्तव में उन्हें बचाने के लिए उनके क्षेत्रों में नहीं जा सके।

इस विधेयक का उद्देश्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार की हिस्सेदारी कम करना है। क्या यह निजीकरण नहीं है? यही मैं पूछना चाहती हूं। बेशक, विधेयक में कहा गया है कि 51 प्रतिशत हिस्सा अभी भी केन्द्र सरकार और प्रायोजक बैंक के पास रहेगा। लेकिन फिर, आपने फिर एक धारा जोड़ दी है जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकारों के पास 15 प्रतिशत होगा जिसे किसी भी समय कम किया जा सकता है। उस स्थिति में केवल राज्य सरकारों से परामर्श किया जाएगा। परामर्श अलग है और सहमति अलग है। कल, राज्य सरकार की सहमति के बिना, यदि आप आगे बढ़कर राज्य सरकार की हिस्सेदारी कम कर देंगे, तो राज्य का हित कैसे कायम रहेगा?

यदि 51 प्रतिशत हिस्सा अभी भी केन्द्र सरकार और प्रायोजक बैंक के पास है, तो प्रबंधन भी काफी हद तक सरकार के पास है। वर्तमान में हमारे पास जो प्रशासनिक संरचना है, उसके साथ आप इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कार्यकुशलता को किस प्रकार बढ़ाने का प्रस्ताव रखते हैं? आप निजी लोगों को सामने आने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। जमीनी स्तर पर हम क्या बदलाव देखेंगे? मैं सचमुच इस विधेयक को समझ नहीं पा रही हूं।

कई छोटे और सीमांत किसान एन.डी.ए. सरकार की ओर देख रहे हैं। विधेयक में समग्र दृष्टिकोण होना चाहिए। यह एक बुनियादी और गंभीर मुद्दा है।

उदाहरण के लिए, हम चीन के बारे में कई पहलुओं पर बात करते हैं। चीन में चीन का एक कृषि बैंक है। इसका एक अलग बैंक है जो इसकी कृषि संबंधी आवश्यकताओं का ध्यान रखता है। क्या यह हमारी

आवश्यकताओं पर ध्यान देने का समय नहीं है? हमें अपने किसानों के बारे में सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें एक अलग से बैंक रखना चाहिए जिसके नीचे ये आरआरबीज काम करें। नाबार्ड जैसी एजेंसी, जो पहले से ही इन सभी बैंकों की नियामक प्राधिकरण है, ने नाबार्ड को इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्यभार संभालने दिया।

जब भी हम इन बैंकों की निधि को अन्यत्र भेजने का प्रयास कर रहे हों, तो क्या राज्य सरकारों को इनकार करने का पहला अधिकार नहीं मिलना चाहिए? राज्य सरकारें हाशिए पर क्यों हैं? राज्य सरकार की सहमति के बिना राज्य सरकार की हिस्सेदारी कम करने का विशेष खंड क्यों है? जब हम सहकारी संघवाद की बात कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि राज्य को सक्षम और सशक्त बनाया जाना चाहिए। मोदी *जी* के दर्शन को बार-बार बताया गया और चुनावों में इसका प्रचार किया गया। आप राज्यों को मात्र परामर्श एजेंट बना देना चाहते हैं तथा उनकी सहमति नहीं ले रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कई राज्य इसे सही भावना से लेंगे।

एक प्रतिवेदन है। निशिकांत दुबे जी ने पूरा बता दिया है, लेकिन जो फोर्टी वीक आरआरबीज थे, उनके लिए गवर्नमैंट ने आलरेडी 2200 करोड़ रुपये दिये हैं। बाकी आरआरबी के लिए आप उन्हें भी समान अवसर कैसे प्रदान करेंगे? सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सशक्त बनाए बिना आप वित्तीय संस्थानों की देखभाल कैसे करेंगे?

आपने वित्तीय समापन तिथि 31 दिसंबर से बदलकर 31 मार्च कर दी है। जब 31 दिसंबर को आरआरबी की वित्तीय समापन तिथि के रूप में रखा गया था, तो यह मौसम और उपज अवधि के साथ तालमेल रखने के लिए था। अब, यदि आप इसमें परिवर्तन कर रहे हैं और इन्हें नियमित वित्तीय संस्थाओं के अंतर्गत ला रहे हैं, तो आप किसानों की चिंताओं का समाधान किस प्रकार करेंगे? अब यदि आप इसमें परिवर्तन कर रहे हैं और इन्हें नियमित वित्तीय संस्थाओं के अंतर्गत ला रहे हैं, तो आप किसानों की चिंताओं का समाधान किस प्रकार करेंगे, यह एक और प्रश्न है जिसका उत्तर देने का मैं आपसे अनुरोध करूंगी।

जब हम विधेयक के बारे में बात करते हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि इस खंड 4 में संशोधन करें। इसमें कहा गया है :

"बशर्ते कि यदि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपनी पूंजी केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या प्रायोजक बैंक के अलावा अन्य स्रोतों से जुटाता है, तो केन्द्रीय सरकार और प्रायोजक बैंक की शेयरधारिता 51 प्रतिशत से कम नहीं होगी।"

इसके अलावा आपने कहा कि परामर्श के बाद ही राज्य सरकार की हिस्सेदारी घटाकर 15 प्रतिशत की जाएगी। कृपया इसे विधेयक में शामिल करें। 'परामर्श' के बजाय, राज्य सरकार की 'सहमति' अनिवार्य है, अगर इसका ध्यान रखा जा सकता है। जैसा कि हमारे मित्र श्री टी. जी. वेंकटेश बाबू ने कहा था कि राज्य सरकार का एक निदेशक भी राज्य के हित को बनाए रखेगा। विशेषकर जब हम *स्वच्छ भारत* की बात कर रहे हैं, जब हम *बेटी बचाओ, बेटी पराओ* की बात कर रहे हैं और विभिन्न अन्य कारणों पर जोर दे रहे हैं, तो मैं विशेष रूप से आपसे *किसान बचाओ* पर गौर करने के लिए कहूंगी क्योंकि आज किसान के लिए बहुत मुश्किल हैं। आप विशेषकर तेलंगाना राज्य में देखिए। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना को इग्नोर किया गया है, बिजली नहीं दी गई है। इसके कारण बहुत आत्महत्याएं हो रही हैं। एक तो किसान को बिजली नहीं मिलती है, दूसरी तरफ क्रेडिट नहीं मिलता है, यूरिया नहीं मिलता है, समय पर बीज नहीं मिलता है। यह बिल कुछ भी एड्रैस नहीं कर रहा है। अगर आप बिल के जरिए बेसिक फंडामेंटल परिवर्तन करना चाहते हैं तो मेरा निवेदन है कि आप इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजिए। स्टैंडिंग कमेटी ने जैसे बताया है, उसके हिसाब से परिवर्तन करने के बाद होलिस्टिक व्यू से किसान के हित में बिल लेकर आइए। धन्यवाद।

श्री आनंदराव अडसूल (अमरावती): माननीय. उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (संशोधन) विधेयक, 2014 पर अपने विचार साझा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार, माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी द्वारा कुछ संशोधनों का सुझाव दिया गया है, जिनका स्वागत है तथा मैं अपने कुछ सुझावों के अधीन उनका समर्थन करता हूँ।

आर.बी.आई. की स्थापना इस महती सदन द्वारा पारित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के अंतर्गत की गई थी। आर.बी.आई. की अवधारणा ग्रामीण लोगों, विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों, बेरोजगार युवाओं और स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। मैं एक बात ध्यान में लाऊंगा। सौभाग्य से वित्त राज्य मंत्री जी यहां मौजूद हैं। यहाँ बहुत सारे बैंक और वित्तीय संस्थान हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं; राज्य सहकारी बैंक हैं; जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक हैं; तथा राज्य भूमि विकास एवं ग्रामीण विकास बैंक भी हैं। इसके साथ ही, अनेक सहकारी ऋण समितियां और सहकारी ऋण कृषि समितियां भी हैं। इन सब बातों के अलावा, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र और ग्रामीण लोगों के विकास के लिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की आवश्यकता थी।

मैं समझ सकता हूं कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की दूरदराज के इलाकों में ज्यादा शाखाएं नहीं हैं। लेकिन हर क्षेत्र में कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं और उनमें से एक बैंक उस क्षेत्र में अग्रणी बैंक के रूप में काम कर रहा है। वह सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक उन सभी बैंकों को नियंत्रित कर रहा है जिनका मैंने पहले उल्लेख किया है। जब भी हम डीपीसी में होते हैं, हम उनके विचार लेते हैं। युवाओं, स्वयं सहायता समूहों और सीमांत व छोटे किसानों के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जो भी कार्यक्रम हैं, दुर्भाग्य से हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? मैंने दिए गए सुझावों को देखा है और मैं उनका स्वागत और समर्थन करता हूं और मेरे पास देने के लिए एक विशेष सुझाव है।

कई वित्तीय संस्थाएं और बैंक हैं, उनमें से कुछ राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित हैं और कुछ केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित हैं। सभी राज्यों में राज्य भूमि विकास एवं ग्रामीण सहकारी बैंक हैं जिनकी स्थापना केन्द्र सरकार की अनुमति से की गई है। सभी राज्य भूमि विकास एवं ग्रामीण सहकारी बैंक अब परिसमापन के रास्ते पर हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां उचित नियामक प्राधिकरण नहीं है और कुप्रबंधन है। यह देखना केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है कि जनता का पैसा बर्बाद न हो, चाहे वह सहकारी क्षेत्र में हो या सार्वजनिक क्षेत्र में। विशेष रूप से पिछले सात, आठ वर्षों में मैंने इसे देखा है।

1998 में तत्कालीन कृषि मंत्री जी द्वारा राज्य भूमि विकास और ग्रामीण सहकारी बैंकों की समीक्षा और सर्वेक्षण के लिए वैद्यनाथन समिति नियुक्त की गई थी। वैद्यनाथन समिति ने सुझाव दिया था कि सभी राज्य भूमि

विकास एवं ग्रामीण सहकारी बैंकों को एकमुश्त 4,500 करोड़ रुपये का आबंटन किया जाए। मैंने वर्षों तक इसका पालन किया लेकिन दुर्भाग्य से मुझे तत्कालीन सरकार से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

यह हमारी सरकार है, जनता की, जनता द्वारा, जनता के लिए सरकार। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह पहले इस मामले पर गौर करे और देखे कि इन संस्थाओं को कैसे प्रभावी ढंग से काम करने के लिए तैयार किया जा सकता है। एक समय के लिए हमें उनकी आर्थिक मदद करनी होगी। तब, वे बैंक निश्चित रूप से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से बेहतर प्रदर्शन करेंगे।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री वरप्रसाद राव वेलागपल्ली (तिरुपति): उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक मुख्यतः अधिकृत पूंजी, निर्गम पूंजी, निदेशकों तथा अन्य चीजों से संबंधित है।

जिस मुख्य उद्देश्य के लिए आरआरबी की स्थापना की गई थी, उसे विधेयक में उचित रूप से संबोधित नहीं किया गया है, क्योंकि जैसा कि पहले वक्ता ने कहा था, निजी खिलाड़ियों को लाने के बाद आरआरबी अधिक वाणिज्यिक हो सकते हैं। पहले से ही गरीब लोग बैंकों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि बैंक सुरक्षा आदि पर जोर दे रहे हैं। इसलिए, जब तक कोटे का एक प्रतिशत कमजोर वर्गों को नहीं दिया जाता, तब तक अमीर और गरीब के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर कभी नहीं पाटा जा सकता।

वास्तव में, गांवों में कमजोर वर्गों को सेवा देने वाले एकमात्र बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। यदि निजी कम्पनियों को इसमें भी पुनः शामिल किया गया तो वे सबसे गरीब लोगों को ऋण उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। इसलिए, मैं अनुरोध करूंगा कि कमजोर वर्गों के लिए ऋण का एक निश्चित प्रतिशत निर्धारित करते हुए एक उचित ऋण नीति अवश्य बनाई जानी चाहिए।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि देश की 10 प्रतिशत आबादी 90 प्रतिशत ऋण का लाभ उठा रही है। इसलिए, मेरा अनुरोध है कि उस समस्या के समाधान के लिए कमजोर वर्गों को वरीयता देने के लिए एक ऋण नीति विकसित की जाए।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष: श्री जैदेव गल्ला, अब आपकी बारी है।

श्री जैदेव गल्ला (गुंटूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कल बोलना चाहूंगा, क्योंकि मेरी बारी पहले ही समाप्त हो चुकी है।

माननीय उपाध्यक्ष: आपके बोलने के बाद मंत्री जी जवाब देंगे। बोलने के लिए कोई अन्य व्यक्ति नहीं है।

सायं 06.00 बजे।

श्री जैदेव गल्ला: महोदय, मैं जमा राशि जुटाने में आने वाली कठिनाइयों से शुरुआत करना चाहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष: अभी छह बजे हैं। श्री वरप्रसाद राव अंतिम वक्ता हैं। इसके बाद मंत्री जी जवाब देंगे। फिर हम शून्यकाल शुरू करने जा रहे हैं। हम इस समय को तब तक बढ़ा सकते हैं जब तक कि यह सारा काम पूरा न हो जाए।

श्री जैदेव गल्ला: आरआरबी को जमा राशि जुटाने में कई व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। ग्रामीण समाज के धनी वर्ग को बाहर रखने वाली प्रतिबंधात्मक ऋण नीति के कारण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जमाराशि बढ़ाने में सक्षम नहीं हैं। ये संभावित जमाकर्ता इन बैंकों में अपना पैसा जमा करने में कम रुचि दिखाते हैं। इसके अलावा, राज्य नागरिक निकाय और उनकी एजेंसियां भी आर.बी.आई. के पास अपनी जमाराशि बनाए रखकर आर.बी.आई. की मदद नहीं कर रही हैं। जमा राशि जुटाने में असफलता का यही मुख्य कारण है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया इन प्रतिबंधों को हटा दें ताकि आर.बी.आई. अधिक स्वतंत्रतापूर्वक विकास कर सकें।

महोदय, यह कोई प्रतिपादित सिद्धांत नहीं है, लेकिन यह सिद्ध है कि यदि आप किसी चीज को बांधते हैं या नियंत्रित करते हैं, तो वह स्वयं को मुक्त या विस्तारित नहीं कर सकती। आर.बी.आई. के साथ बिल्कुल यही हो रहा है। मूल अधिनियम में यह प्रावधान था कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को बैंकों द्वारा प्रायोजित किया जाएगा और प्रायोजक बैंक शेयर पूंजी लगाएंगे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करेंगे तथा पांच वर्षों के लिए प्रबंधकीय और वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि इस विधेयक के खंड 2 के अंतर्गत पांच वर्ष की अवधि को हटा दिया गया है, जिसमें मूल अधिनियम की धारा 3 में संशोधन का प्रस्ताव है। लेकिन प्रायोजित बैंकों की छाया में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपेक्षित तरीके से विकास नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आरआरबी का नियंत्रण नाबार्ड, आरबीआई, केंद्र सरकार और प्रायोजित बैंकों द्वारा किया जाता है। लेकिन 1997 में सरकार ने नाबार्ड और आरबीआई का नियंत्रण हटा लिया, लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण

बैंकों की परिचालन जिम्मेदारियां अभी भी प्रायोजित बैंकों के पास ही रखी गयीं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि अब समय आ गया है कि भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक के गठन के बारे में सोचा जाए, जिसमें राज्य स्तरीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल हों तथा प्रत्येक गांव में इसकी शाखाएं हों, जिससे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को लचीलापन मिलेगा तथा उनकी समग्र क्षमताओं में सुधार होगा।

ऋण वितरण में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वृद्धि दर धीमी है। धीमी प्रगति के कुछ कारणों में संभावित छोटे उधारकर्ताओं की पहचान करने में कठिनाई शामिल है, क्योंकि बैंक कर्मचारियों को इस संबंध में गंभीर और विशेष प्रयास करने की आवश्यकता होती है। अधिकांश छोटे उधारकर्ता बैंक की औपचारिकताएं पसंद नहीं करते तथा वे साहूकारों जैसे अनौपचारिक स्वदेशी वित्त स्रोत से उधार लेना पसंद करते हैं।

ब्याज दरों में भी विसंगति है। आरआरबी 14 प्रतिशत की ब्याज दर लेते हैं जबकि वाणिज्यिक बैंक बहुत कम ब्याज लेते हैं तथा जिला ऋण योजना समिति के अधिकारियों और आर.बी.आई. के बीच समन्वय का अभाव है। जन धन योजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी गरीबों को बैंकिंग सुविधाएं और बीमा लाभ उपलब्ध कराना है। चूंकि अधिकांश गरीब लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, इसलिए इस योजना में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की प्रमुख भूमिका होने की उम्मीद है। लेकिन यदि आंकड़ों पर नजर डालें तो 18 दिसंबर 2014 तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक न केवल जन धन योजना के तहत खाते खोलने में बल्कि रुपे कार्ड जारी करने में भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से पीछे हैं। अब तक खोले गए 9.7 करोड़ खातों में से, आर.बी.आई. का योगदान सिर्फ 1.68 करोड़ है, जिनमें से 1.43 करोड़ खाते ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 25 लाख शहरी क्षेत्रों में हैं। जारी किये गये रुपे कार्डों की संख्या मात्र 49.75 लाख है।

इससे स्पष्ट है कि आर.बी.आई. अभी भी गरीब वर्गों तक पहुंच बनाने में सक्षम नहीं हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि उनका परिचालन सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्र तक ही सीमित है, जो उन्हें सिर्फ एक या दो जिलों तक सीमित करता है। तो मेरा पहला बिंदु यह है कि आरआरबी के क्षेत्र का विस्तार किया जाना चाहिए। प्रत्येक आर.बी.आई. को जहां भी जाना हो, जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे आर.बी.आई. को अपने कार्यों के लिए पूरी छूट दें ताकि उनका आगे का संचालन अधिक से

अधिक गरीब लोगों तक पहुंच सके। आर.बी.आई. की शेयर पूंजी की बात करें तो विधेयक के खंड 3 का उद्देश्य आर.बी.आई. अधिनियम 1976 की धारा 5 में संशोधन करना है, जिससे आर.बी.आई. को केन्द्र सरकार और राज्य सरकार तथा प्रायोजित बैंकों की संयुक्त हिस्सेदारी 51 प्रतिशत रखते हुए बाजार से पूंजी जुटाने की अनुमति मिल जाएगी। अब प्रस्तावित संशोधन में, आर.बी.आई. की शेयर पूंजी को 10 रुपये प्रति शेयर मूल्य के 200 करोड़ इक्विटी शेयरों में विभाजित किया जा सकता है। वर्तमान व्यवस्था की तुलना में, जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 5 करोड़ शेयर पूंजी को 100 रुपये प्रति शेयर मूल्य के 5 लाख शेयरों में विभाजित किया जाता है, सरकार के इस कदम से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पूंजी बाजार से धन जुटाने में मदद मिलेगी। यह आवश्यक है क्योंकि केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों तथा प्रायोजित बैंकों के सामने वित्तीय बाधाएं हैं, तथा उन्हें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में कठिनाई हो रही है।

यहां भी सरकार ने केन्द्रीय, राज्य और प्रायोजित बैंकों की संयुक्त हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से कम न रखकर अच्छा काम किया है। यह सुधार प्रक्रिया का एक हिस्सा है; जैसा कि हम जानते हैं, पिछले महीने सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बाजार से धन जुटाने की अनुमति दी है, जिसमें उनकी हिस्सेदारी 52 प्रतिशत तक रखी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य बैंकों द्वारा बेसल-3 मानदंडों को पूरा करना है।

हमारा अंतिम उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की ग्रामीण क्षेत्रों तक अधिक पहुंच हो। हमारे देश में ग्रामीण ऋण की सफलता काफी हद तक वित्तीय मजबूती पर निर्भर करती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आर.बी.आई. ग्रामीण स्तर पर प्रमुख वित्तपोषण संस्थान हैं, जो विभिन्न प्रकार के ग्रामीण क्षेत्रों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने की जिम्मेदारी उठाते हैं।

वर्तमान में, अधिकांश आर.बी.आई. अतिवृद्धि, विस्तार, बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी, वसूली, एनपीए और अन्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं। यदि हम इन कठिनाइयों पर काबू पाने में सफल होते हैं, तो मुझे विश्वास है कि हम आर.बी.आई. की छवि आम आदमी के बैंक के रूप में स्थापित कर सकेंगे।

मुझे समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

वित्त राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा): उपाध्यक्ष महोदय, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (संशोधन) विधेयक में संशोधनों के बारे में अब तक हुई उत्कृष्ट बहस पर मुझे जवाब देने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं सबसे पहले यह कहना चाहूंगा कि मेरे माननीय सहयोगियों ने हमारे किसानों के प्रति काफी चिंता और सहानुभूति व्यक्त की। जहां तक इस सरकार का प्रश्न है और जहां तक मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है, चूंकि मैं एक बहुत ही पिछड़े ग्रामीण जिले से आता हूं, हम काम कर रहे हैं और हम काम करना जारी रखेंगे तथा अपने किसानों को सुविधाएं, संसाधन और ऋण उपलब्ध कराने तथा उन्हें सभी सेवाएं प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इसलिए, उन्हें हमारी ईमानदारी पर संदेह नहीं करना चाहिए और उन्हें हमारे किसानों को ये सभी सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होने की हमारी प्रतिबद्धता पर भी संदेह नहीं करना चाहिए।

इससे पहले कि मैं उनकी विशिष्ट चिंताओं का उत्तर दूं, मैं संक्षेप में यह बताना चाहूंगा कि हमारे देश में कृषि ऋण किस प्रकार कार्य करता है।

कृषि ऋण विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्रदान किया जाता है, जिनमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी शामिल हैं। कुछ माननीय सदस्यों का मानना था कि कृषि ऋण का बड़ा हिस्सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ही उपलब्ध करा रहे हैं। यह एक भ्रम है। तथ्य यह है कि वे प्रतिवर्ष दिए जाने वाले कुल कृषि ऋण 7 लाख करोड़ रुपये का लगभग 11.6 प्रतिशत प्रदान करते हैं। यह 2009-10 में 4 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर अब 7 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इसलिए, यह अच्छी तरह बढ़ रहा है। वास्तव में, आर.बी.आई. की हिस्सेदारी नौ प्रतिशत से बढ़कर 11.6 प्रतिशत हो गयी है। इसलिए, वे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।

लेकिन वे कृषि ऋण प्रदान करने वाली कई अन्य संस्थाओं में से एक हैं। इसलिए, जब हम कृषि ऋण की बात करते हैं, जब हम अपने किसानों को सुविधाएं, संसाधन और सहायता प्रदान करने की बात करते हैं, तो हमें पूरी तस्वीर को देखना होगा, न कि केवल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अलग से देखना होगा। निश्चित रूप से, मंत्रालय और हमारी सरकार में, हम पूरी स्थिति को देख रहे हैं। आर.बी.आई. महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हम वास्तव में इसे मजबूत बनाना चाहते हैं।

हमारे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कृषि ऋण और अपने किसानों को ऋण देना जारी रखें, क्योंकि वे अक्सर बहुत ही बेईमान चिट फंडों के शिकार हो जाते हैं। और पोंजी योजनाओं के तहत वे उन्हें धोखा देते हैं और उनके लिए वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करना कठिन बना देते हैं। इसलिए, हमारे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को गहन बना सकें। इस विधेयक का यही उद्देश्य है।

हमें यह समझना होगा कि हम लंबे समय से आरआरबी के संपूर्ण मुद्दे पर काम कर रहे हैं - उन्हें मजबूत बनाने और उनमें सुधार लाना। 1976 के बाद एक समय ऐसा भी आया जब इन आर.बी.आई. का गठन किया गया, तब हमारे पास 196 आरआरबी थे। उन्हें पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं की कमी का सामना करना पड़ा; उन्हें खराब प्रबंधन का सामना करना पड़ा तथा उनके पास पर्याप्त प्रौद्योगिकी का अभाव था। अतः, समय के साथ, जो 2002 से शुरू हुआ, तथा 2005 के बाद और तेज हुआ, हमने इन 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को समेकित कर 56 बैंकों में समाहित कर दिया तथा ये 56 बैंक, जैसा कि आर.बी.आई., नाबार्ड तथा अन्य संस्थाओं ने दर्शाया है, वास्तव में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।

यह एक लंबी प्रक्रिया रही है; यह स्थायी समिति से होकर गुजरी है; कई प्रतिवेदनें आई हैं; 1976 के अधिनियम में संशोधन लाने की पूरी प्रक्रिया 2011 से चल रही है। यह संशोधन विधेयक स्थायी समिति के पास गया है; यह संशोधन विधेयक पिछली सरकार द्वारा तैयार किया गया था। हमने इसमें कुछ बदलाव किए हैं और इसे आगे बढ़ाया है, जिससे हमें लगता है कि यह और भी अधिक प्रभावी हो जाएगा।

इसलिए, ऐसा नहीं है कि हम इस विधेयक को किसी भी तरह से जल्दबाजी में पारित कर रहे हैं। इस पर काफी समय से काम चल रहा है; इसे सभी आवश्यक संसदीय जांच से गुजरना पड़ा है।

इन सबमें एक महत्वपूर्ण बात जो हमें याद रखनी है, वह यह है कि जब हम कृषि ऋण के बारे में सोचते हैं, तो हमें एक समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के संदर्भ में सोचना होगा। जैसा कि मैंने कहा, यह सिर्फ एक संस्था नहीं है। कृषि ऋण और विभिन्न प्रकार के उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए कई संस्थाओं को एक

साथ आने की आवश्यकता है। इसलिए, हम पूरी तस्वीर पर गौर कर रहे हैं और विशेष रूप से, आरआरबी वे हैं जिन पर हम अभी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

पिछले 4-5 वर्षों में, विशेषकर समेकन प्रक्रिया के बाद, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहूंगा कि वे इस संशोधन को इसलिए पेश कर रहे हैं क्योंकि वे खराब प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं और हमने ये संशोधन इसलिए पेश किए हैं क्योंकि वे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए, हम उन्हें मजबूत बनाना चाहते हैं, उन्हें अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तथा आपकी बताई जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं, अर्थात वित्तीय समावेशन को गहन बनाना तथा उन्हें ऋण उपलब्ध कराने में सक्षम बनाना। इसलिए, हम वास्तव में उन्हीं लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं जो आप चाहते हैं और जिनकी देश हमसे मांग करता है और जिनकी हमें इस स्तर पर आवश्यकता है। तो, हम यही करने का प्रयास कर रहे हैं।

मैं आपको बता दूं कि अभी हमारे पास क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 19000 शाखाएं हैं जो 42 जिलों को कवर कर रही हैं। हम देश में मौजूद कुल ग्रामीण शाखाओं का 38 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में उनकी कुल जमाराशि काफी बड़ी है। इनका कुल ऋण 2.4 लाख करोड़ रुपये है तथा इनका कुल ऋण 1.6 लाख करोड़ रुपये है। उनका प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए 40 प्रतिशत होना चाहिए, जो कि आरबीआई द्वारा अनिवार्य है, 82 प्रतिशत है तथा उनकी लाभप्रदता मजबूत रही है। अभी शुद्ध ब्याज मार्जिन 0.87 प्रतिशत पर चल रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का शुद्ध एनपीए इस समय लगभग 4 प्रतिशत पर चल रहा है, लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का सकल एनपीए 6 प्रतिशत पर चल रहा है। इसलिए, ये बैंक वास्तव में काफी अच्छा काम कर रहे हैं और क्योंकि वे अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि हम वित्तीय समावेशन का विस्तार करना चाहते हैं; क्योंकि हम ऋण का विस्तार करना चाहते हैं, इसलिए, हमें उन्हें मजबूत करना होगा।

जैसा कि मैंने कहा, उन्हें मजबूत बनाने की यह पूरी प्रक्रिया एक लंबी परामर्श प्रक्रिया से गुजरी है। चक्रवर्ती समिति का गठन किया गया था। इस पर दो वर्षों तक विचार-विमर्श किया गया। नाबार्ड ने एक प्रतिवेदन पेश की

है और इस प्रतिवेदन के आधार पर ही हमने यह सब तैयार किया है। बैंकिंग का एक बुनियादी तथ्य है जिस पर मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य विचार करें। बैंकिंग का एक बुनियादी तथ्य यह है कि यदि वे अपने बैंकों को अच्छी तरह चलाना चाहते हैं और यदि उन्हें अधिक ऋण देना है, तो उन्हें उसके लिए प्रावधान करना होगा। इसलिए, मेरे द्वारा उधार दिए गए प्रत्येक 100 रुपए के लिए, मुझे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए 9 रुपए का प्रावधान करना पड़ता है, जो पूंजी मेरी बैलेंस शीट पर रहती है। इसलिए, यदि मैं चाहता हूं कि ये बैंक आगे बढ़ें और अधिक ऋण दें, तो मुझे पूंजी की आवश्यकता होगी। यह बैंकिंग का मूल सार और प्रकृति है। इसलिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 14 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वे अपनी उपस्थिति बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वे सफल रहे हैं, और एकीकरण के कारण हमें उन्हें पूंजी उपलब्ध करानी पड़ रही है। यही हम करने की कोशिश कर रहे हैं।

अब, जिस तरीके से हम पूंजी उपलब्ध करा रहे हैं, उस पर आपत्तियां उठाई गई हैं। मेरे अच्छे मित्र श्री महताब जी जैसे कुछ माननीय सदस्यों ने निजीकरण के बारे में बात की है। कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने कहा है कि राज्यों को इस प्रणाली से बाहर किया जा रहा है। इसका बहुत ही सरल उत्तर है। हम पूंजी संरचना पर लचीलापन प्रदान कर रहे हैं। हम यह अनिवार्य नहीं कर रहे हैं कि पूंजी संरचना क्या होनी चाहिए। यह निजी पूंजी हो सकती है और यह आपके राज्यों से पूंजी भी हो सकती है। इसलिए, यदि आप चिंतित हैं कि तमिलनाडु में आपका हिस्सा 15 प्रतिशत से नीचे चला जाएगा और आप अपने नागरिकों के कल्याण के बारे में चिंतित हैं, जैसा कि आपको होना चाहिए, तो कृपया अपने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में अधिक धन डालें, अपना हिस्सा बढ़ाएं और उन्हें इस तरह से पूंजीकृत करें। हम यह नहीं कह रहे हैं कि यह निजी पूंजी होनी चाहिए। हम सिर्फ यह कह रहे हैं कि हमें अधिक पूंजी की आवश्यकता है और इस विधेयक में हम लचीले ढंग से पूंजी लाने का अवसर पैदा कर रहे हैं, चाहे वह राज्यों, प्रायोजक बैंक, केंद्र सरकार या निजी पूंजी से आए, यहां विचार लचीलेपन का है। यह ज़रूरी नहीं कि निजीकरण हो। यदि आप आगे आना चाहते हैं, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, माननीय सदस्यगण, कि आप अपनी बात पर अड़े रहें। अपने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में अधिक पैसा लगाएं। उनमें से दो आपके पास तमिलनाडु में हैं। उनमें अधिक धन लगाएं तथा उन्हें वे सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करें जिन्हें आप उन्हें प्रदान करना चाहते हैं, ताकि लचीलापन बना रहे। यह लचीलापन हमने ही प्रदान किया है और इसलिए,

मेरा मानना है कि हमें निजी पूंजी के आने तथा इन बैंकों की सार्वजनिक प्रकृति में बदलाव के बारे में अत्यधिक चिंतित नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन बैंकों को ठीक यही करने का लक्ष्य दिया गया है और यही काम वे इस समय बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं।

एआईएडीएमके की दूसरी चिंता यह थी कि हम इन बैंकों को प्रायोजक बैंकों से बहुत लंबे समय तक बांध रहे हैं। आपने कहा कि हमारे पास पांच वर्ष का प्रावधान था और हम उसका समाधान क्यों हटा रहे हैं और हम यह क्यों कह रहे हैं कि प्रायोजक बैंकों को इन बैंकों के साथ काम करना जारी रखना चाहिए। शेयरधारक स्वामित्व के साथ एक सरल तथ्य जुड़ा हुआ है। प्रायोजक बैंकों के पास इस समय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का 35 प्रतिशत स्वामित्व है और चूंकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का 35 प्रतिशत स्वामित्व उनके पास है, इसलिए उनके लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि वहां क्या हो रहा है और उन्हें जो प्रबंधकीय सहायता और प्रबंधकीय नियंत्रण प्राप्त है, उसे बनाए रखना है। यह उनकी 35 प्रतिशत स्वामित्व को दर्शाता है और हम यह भी समझते हैं कि हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम पीएसयू बैंकों में मौजूद प्रतिभा को लें क्योंकि उनके पास अच्छी प्रणाली है, उनके पास अच्छे प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं और उनके उत्कृष्ट प्रबंधकों को रोटेशन के आधार पर इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में लाया जाए ताकि हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मजबूत कर सकें। इसलिए, यही कारण है कि हम चाहते हैं कि वे प्रबंधन सहायता प्रदान करना जारी रखें जो वे प्रदान कर रहे हैं। मैं नहीं मानता हूँ कि यह हमारे लिए बहुत चिंता का विषय होना चाहिए।

अंत में, हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संबंध में, हमने कहा है और सभा इस बात पर सहमत हुआ है कि हम उनमें सरकारी हिस्सेदारी को घटाकर 51 प्रतिशत तक ला सकते हैं। इस विशेष मामले में भी हम कह रहे हैं कि राज्य सरकार की 15 प्रतिशत की हिस्सेदारी में तब तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा जब तक कि हम उस पर सहमत न हो जाएं और इसके साथ परामर्श की प्रक्रिया न हो। हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि केन्द्र सरकार और प्रायोजक बैंकों का स्वामित्व 51 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए। इसलिए, विधेयक में हमने जो बातें रखी हैं, उनके आधार पर किसी भी तरह से इन बैंकों की सार्वजनिक प्रकृति से समझौता नहीं किया

जाएगा, क्योंकि हम सभी का लक्ष्य एक ही है, वित्तीय समावेशन को बढ़ाना, अपने किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों को सेवाओं में नवीन और नए उत्पाद उपलब्ध कराना।

31 दिसंबर को लेकर अंतिम चिंता थी। हम 31 दिसम्बर को जो करने का प्रयास कर रहे हैं, वह यह है कि इसे देश में वित्तीय वर्ष से जुड़े अन्य सभी बैंकों की मानक प्रतिवेदनिंग और अनुपालन प्रक्रिया के अनुरूप बनाया जाए। इससे उन्हें पूंजी जुटाने, कर दाखिल करने तथा बैंक चलाने में मदद मिलेगी। यह बैंकों को अधिक कुशल बनाने का एक तरीका है, जिससे, मुझे यकीन है, आप भी सहमत होंगे।

इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा तथा मैं माननीय उपाध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कि वे विधेयक को प्रस्तुत करें तथा इसे पारित करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 को और संशोधित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष: सदन अब विधेयक पर खंड दर खंड विचार करेगा।

चूंकि श्री एम.बी. राजेश और प्रो. सौगत राय खंड 3 और 4 पर अपने संशोधन प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित नहीं, इसलिए मैं अब खंड 2 से 4 को सदन में मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 4 विधेयक का हिस्सा हैं।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 5 धारा 9 का संशोधन

माननीय उपाध्यक्ष: श्री के. सुरेश उपस्थित नहीं। श्री भर्तृहरि महताब।

श्री भर्तृहरि महताब: मैं प्रस्ताव करता हूँ:

, --

"(3) केंद्र सरकार, राज्य सरकार के परामर्श से, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बोर्ड में राज्य सरकार के एक अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है, यदि राज्य सरकार सिफारिश करती है कि यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रभावी कामकाज के उद्देश्य के लिए आवश्यक है।" (11)

महोदय, यह सुनना दिलचस्प था कि हमारे युवा मंत्री ने हमें शेयर पूंजी में राज्य सरकारों के निवेश के संबंध में सलाह दी या शिक्षित किया। केंद्र सरकार से यह सुनना संबंधित क्षेत्रीय दलों के लिए कोई नई बात नहीं है।

मेरा संशोधन यह है कि, यदि केन्द्र सरकार आवश्यक समझे तो वह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रभावी कामकाज के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बोर्ड में राज्य सरकार के एक अधिकारी को नियुक्त कर सकती है।

आर.आर.बी. के प्रभावी कामकाज की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजक बैंकों पर है। इस अनुपात को 15 प्रतिशत और 35 प्रतिशत में विभाजित किया गया है। जब माननीय मंत्री जी यह सुझाव दे रहे हैं कि यदि संबंधित राज्य इस बात में इतने इच्छुक हैं कि उनका हिस्सा कम नहीं होना चाहिए, तो उन्हें कितना हिस्सा बनाए रखना चाहिए? क्या यह 15 प्रतिशत है? लेकिन मुख्य हिस्सेदारी केंद्र सरकार और प्रायोजक बैंकों की है, जो 85 प्रतिशत है। और यह विधेयक स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यदि संबंधित राज्य सरकार 15 प्रतिशत भी दे तो भी वे इसे 51 प्रतिशत तक कम कर देंगे। मैं इस विषय पर स्वयं को शिक्षित करना चाहूँगा। यदि राज्य सरकार 15 प्रतिशत तक निवेश करती है तो भी वह अधिकतम सीमा है।

श्री जयंत सिन्हा: आप इसे बढ़ा सकते हैं और हिस्सा ले सकते हैं।... (*व्यवधान*)

श्री भर्तृहरि महताब: तो फिर हमारे पास 50 प्रतिशत, 15 प्रतिशत और 35 प्रतिशत क्यों हैं? यह लचीलापन हमारी चिंता है। यहां लचीलापन यह है कि यदि केंद्र सरकार या संघ सरकार इसे वापस लेना चाहती है और इसे निजी कंपनियों को देना चाहती है, तो वह ऐसा कर सकती है। यही हमारी चिंता है। संबंधित राज्य सरकारें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में अपने हितों की रक्षा कर सकती हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि केंद्र सरकार इसे वापस लेती है और निजी कंपनियों को दे देती है। किसके हित से समझौता किया जा रहा है? ... (*व्यवधान*) मुझे समझाना है। मुझे अपनी बात कहनी है। ... (*व्यवधान*) श्री मेघवाल जी यह इतना सरल नहीं है, क्योंकि अंततः इस पर दस प्रतिवेदनें आईं। वित्त मंत्रालय ने ऐसा निर्णय लेने से पहले दस प्रतिवेदनों पर विचार क्यों किया? राज्यपालों और उप राज्यपालों ने प्रतिवेदन क्यों दी? सरकार निर्णय लेने में असमर्थ क्यों है? आपके

पास जनादेश है और आप आज यह निर्णय ले रहे हैं और आप कहते हैं कि पिछली सरकार भी इस तरह के संशोधन लाने पर विचार कर रही थी। लेकिन उन्होंने ये संशोधन प्रस्तुत नहीं किए। यह आपकी सरकार है जो ऐसा कर रही है। यह सरकार आरआरबी का निजीकरण करने जा रही है। यह मेरा आरोप है। इस पद्धति से आप निजी कंपनियों को ला रहे हैं। आप चाहते हैं कि पैसा आरआरबी में निवेश किया जाए। यह ठीक है और अच्छा है। लेकिन क्या ऐसा करना जरूरी है? इससे पहले, आरआरबी को उन्नत करने के लिए 2,200 करोड़ रुपये का निवेश किया गया था। अब समय आ गया है कि सरकार भी ऐसे उपाय के बारे में सोचे।

मैं अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं। इसलिए, मैं अपने संशोधन पर आ रहा हूँ। खंड 5 में कहा गया है: “दो निदेशक शेयरधारकों में से चुने जाएंगे, जिनमें उप-खंड (एक) में निर्दिष्ट शेयरधारक भी शामिल होंगे।” यह भी कहा गया है: “उप-खंड (एक) और (दो) में निर्दिष्ट शेयरधारकों सहित शेयरधारकों में से तीन निदेशक चुने जाएंगे।” इसलिए, व्यावहारिक रूप से पांच निदेशक हैं। इसके अतिरिक्त, धारा 5 का खंड 3 कहता है, ‘यदि सरकार एक और निदेशक रखना चाहती है, तो वह ऐसा कर सकती है।’ मेरा संशोधन यह है कि यदि राज्य सरकार यह सिफारिश करती है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रभावी कामकाज के लिए यह आवश्यक है तो राज्य सरकार को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बोर्ड में शामिल होने की अनुमति दी जाए। यह मेरा संशोधन है। मैं अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री जयंत सिन्हा: उपाध्यक्ष महोदय, निजीकरण के बारे में मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री महताब की चिंता का जवाब देते हुए, मैं वही बात दोहराना चाहूंगा जो मैंने पहले कही थी। हम यहां लचीलापन प्रदान कर रहे हैं। हम यह नहीं कह रहे हैं कि यह निजी पूंजी होनी चाहिए। वास्तव में, हम यह स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि केन्द्र सरकार और प्रायोजक बैंक, जिनकी आज 85 प्रतिशत, 50 प्रतिशत और 35 प्रतिशत हिस्सेदारी है, को घटाकर 51 प्रतिशत किया जा सकता है। अब, जो 34 प्रतिशत हिस्सा उन्होंने छोड़ा है, उसे कोई भी ले सकता है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि राज्य सरकार की सीमा 15 प्रतिशत है। हम कह रहे हैं कि राज्य सरकार वह 34 प्रतिशत ले सकती है। चूंकि राज्य सरकार इसमें 34 प्रतिशत हिस्सा ले रही है, इसलिए मेरा सुझाव है कि इससे माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत संशोधन निरस्त हो जाएगा। चूंकि उन्होंने इसे 34 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है, इसलिए उनके पास

बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों को रखने का अवसर है। इसलिए, दोनों बातों का ध्यान रखा जाता है। हम लचीलापन पैदा कर रहे हैं। यदि राज्य सरकारें अपने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रति इतनी इच्छुक और सहयोगी हैं, तो उन्हें आगे आना चाहिए और जैसा कि मैंने कहा, अपनी बात पर अमल करना चाहिए। धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष: अब मैं श्री भर्तृहरि महताब द्वारा प्रस्तुत खंड 5 के संशोधन संख्या 11 को सदन के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 6 धारा 10 के लिए नई धारा का प्रतिस्थापन

माननीय उपाध्यक्ष: प्रो. सौगत राय – उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री जयंत सिन्हा: मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक को पारित किया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

यह विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है और विधेयक पारित हो गया है।

माननीय उपाध्यक्ष: अब हम 'शून्य काल' ले रहे हैं।

श्री के. परशुरामन।

[11]***श्री के. परशुरामन (तंजावुर):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय। वणक्कम। मैं मुझे तंजावुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली संसद का सदस्य बनाने के लिए लोगों के मुख्यमंत्री और प्रिय नेता माननीय पुरात्थलाइवी अम्मा को धन्यवाद देता हूं। पिछली यूपीए सरकार ने चेन्नई और तंजावुर के बीच उझवन एक्सप्रेस ट्रेन सेवा की शुरुआत की थी। इस रेल सेवा के शुरू होने के बाद से इस ट्रेन में केवल पुरानी बोगियां ही जोड़ी गई हैं। इसके अलावा उझावन एक्सप्रेस ट्रेन में सफाई का अभाव है। इस ट्रेन में स्वच्छ शौचालयों के रख-रखाव के लिए सफाई कर्मचारियों की कमी है। यहां तक कि कई बार शौचालयों में उपयोग के लिए पानी की पर्याप्त आपूर्ति भी नहीं होती। ट्रेन जर्जर पर्दों और जंग लगे पर्दों के कारण अव्यवस्थित दिखती है। तंजावुर, नागपट्टिनम और तिरुवरुर कई मंदिरों से घिरे हुए हैं। विभिन्न स्थानों से पर्यटक और अन्य लोग तीर्थयात्रा पर जाने के लिए इस उझावन एक्सप्रेस ट्रेन का उपयोग करते हैं। इसलिए मैं रेलवे अधिकारियों से आग्रह करता हूं कि वे उझावन एक्सप्रेस की सफाई के मुद्दे पर ध्यान दें। तंजावुर और पट्टुकोट्टई के बीच रेलवे लाइन 50 वर्षों से अधिक समय से लंबित है। उक्त रेलवे लाइन के संबंध में राजस्व सर्वेक्षण शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए तथा उझावन एक्सप्रेस रेल सेवा को पट्टुकोट्टई तक बढ़ाया जाना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मन्नई एक्सप्रेस, रामेश्वरम एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में भी साफ-सफाई और स्वच्छ शौचालय की सुविधा का अभाव है। मैं आग्रह करता हूं कि रेलवे प्राधिकारियों को इस मुद्दे पर गौर करना चाहिए। धन्यवाद, महोदय।

[11]* मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यह महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने के लिए बुलाया।

हमारे किसानों की कड़ी मेहनत के कारण बागवानी उत्पादन खाद्यान्न और तिलहन के संयुक्त उत्पादन से अधिक हो गया है, जो अनुमानतः 265 मिलियन टन है। खाद्यान्न और तिलहन में इसमें 8.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। लेकिन एकत्रीकरण, भंडारण, परिवहन, शीत श्रृंखला की सुविधाओं की अनुपलब्धता और कृषि उपज के प्रसंस्करण के निम्न स्तर के कारण, 18 प्रतिशत तक की उच्च हानि की सूचना दी गई है। यदि हम अपने किसानों को आपूर्ति श्रृंखला देने में सक्षम हैं, तो इन नुकसान को कम किया जा सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने "मेक इन इंडिया" का नारा दिया है। यदि खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय कृषि प्रसंस्करण उद्योग में बड़े पैमाने पर निजी निवेश को प्रोत्साहित करे तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विकसित हो सकता है जो हमारी अर्थव्यवस्था का अगला विकास इंजन है। हमारे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं।

आजादी के 68 साल बाद भी देश में 38 प्रतिशत परिवारों के पास कोई नौकरी नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार, 10.1 प्रतिशत महिलाएं परिवार की मुखिया हैं, लेकिन उनके पास आय सृजन के लिए कोई संसाधन नहीं हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए ताकि हमारे गांव के लोग प्रगति कर सकें और शहरों की ओर पलायन को रोका जा सके।

श्री सिराजुद्दीन अजमल (बारपेटा): मैं सभा का ध्यान एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिसने इस वर्ष अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में असम को झकझोर दिया तथा राज्य के राजनीतिक परिदृश्य को हिलाकर रख दिया। 28 अक्टूबर 2014 को 'न्यूज़ एक्स' नामक एक अल्पज्ञात समाचार चैनल ने बिना किसी प्रामाणिकता के एक समाचार प्रसारित किया, जिसमें हमारी पार्टी ए.आई.यू.डी.एफ. और जमीयत-उलेमा-ए-हिंद के साथ-साथ हमारे पार्टी नेता मौलाना बदरुद्दीन अजमल पर अल-कायदा द्वारा प्रशिक्षित किए जाने वाले स्वयंसेवकों की भर्ती करने का आरोप लगाया गया।

इस झूठी और निराधार खबर से मेरे भाई मौलाना बदरुद्दीन अजमल की गरिमा और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है, जो इस महती सदन के दूसरी बार सदस्य हैं। वह न केवल ए.आई.यू.डी.एफ.के अध्यक्ष हैं, बल्कि जमीयत सहित कई सामाजिक-आर्थिक, गैर-राजनीतिक संगठनों से भी जुड़े हुए हैं, जिनका देश की आजादी से पहले और बाद में राष्ट्र के लिए काम करने का स्वर्णिम इतिहास रहा है।

इसी प्रकार, इस समाचार ने हमारी पार्टी ए.आई.यू.डी.एफ.की छवि को धूमिल किया है, जो एक लोकतांत्रिक ढंग से काम करने वाली पार्टी है, जो जाति, पंथ और धर्म से ऊपर उठकर नागरिकों के विभिन्न वर्गों के लिए काम करती रही है। इसके अलावा, इसने विभिन्न समुदायों के बीच दुश्मनी और तनाव पैदा किया तथा राज्य में विरोध प्रदर्शन और बंद को बढ़ावा दिया।

समाचार चैनल ने दावा किया कि उसके पास एनआईए की प्रतिवेदन है जिस पर यह खबर आधारित है, लेकिन असम के मुख्यमंत्री और डीजीपी ने खुले तौर पर ऐसे आरोपों का खंडन किया। इसके अलावा, असम सरकार के गृह विभाग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा सत्र में यह स्पष्ट कर दिया कि उसके पास हमारी पार्टी प्रमुख या जमीयत के खिलाफ कोई सबूत या खुफिया प्रतिवेदन नहीं है। हम अपने पार्टी प्रमुख मौलाना बदरुद्दीन अजमल की छवि को खराब करने की एक गहरी साजिश देख रहे हैं, जो लोगों के कल्याण, विशेष रूप से भारत के गरीब और दलित लोगों के लिए अपनी प्रतिबद्धता के कारण सभी वर्गों से प्रशंसा प्राप्त कर रहे हैं।

महोदय, हम आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि राज्य की शांति और सौहार्द को भंग करने वाली झूठी खबरें फैलाने के लिए समाचार चैनल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और साथ ही उन स्थानीय राजनीतिक नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए जो असम के मुख्यमंत्री जी और गृह विभाग के इनकार के बावजूद अपने राजनीतिक और व्यक्तिगत लाभ के लिए हमारी पार्टी और इसके प्रमुख के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं।

[हिन्दी]

माननीय उपाध्यक्ष : एडवोकेट जोएस जॉर्ज (इडुक्की) - उपस्थित नहीं।

श्री लक्ष्मण गिलुवा (सिंहभूम) - उपस्थित नहीं।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) : महोदय, मैं आपका ध्यान और आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक विषय के प्रति आकृष्ट कराना चाहता हूँ और आपने उसके लिए मुझे अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

महोदय, देश भर में 15 राज्यों में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं। उन 15 राज्यों में जो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं, उसमें कुल मिलाकर 1685 सीट्स हैं। उनमें से 11 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में भोपाल से लेकर बंगलौर तक 11 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में 11 परसेंट से लेकर 66 परसेंट तक सीटें राज्य के स्थानीय विद्यार्थियों के लिए आरक्षित है। राजस्थान के जोधपुर में, मेरे लोक सभा क्षेत्र में स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय एकमात्र ऐसा विधि विश्वविद्यालय है, जहाँ राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि स्थापना से लगभग 15 साल बीत जाने के बाद भी राजस्थान के विधि विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए, जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर में एडमीशन लेना चाहते हैं, राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गयी है। शीघ्र ही यह सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, इसके लिए मैं सरकार से माँग करता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष : श्री पी.पी.चौधरी और श्री देवजी एम. पटेल अपने आपको श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत जी के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील (भिवंडी) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र भिवंडी में पावरलूम टैक्सटाइल का बहुत बड़ा कारोबार है जो 150 सालों से वहाँ चल रहा है। पहले तो वह हैंडलूम था लेकिन अभी पावरलूम में तब्दील हुआ है। इस व्यवसाय से कम से कम 7 लाख लोगों को वहाँ रोज़गार मिलता है। इस व्यवसाय में देश के अन्य राज्यों से, जैसे मेरे पीछे बैठे सांसद देवजी पटेल जी के जालौर लोक सभा क्षेत्र से गुजरात, आंध्र प्रदेश,

तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में मालेगाँव, धुले, इचलकरंजी - यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर यह कारोबार चलता है। जिन लोगों ने यह हैंडलूम का व्यापार शुरू किया था, वह अपने घरों में शुरू किया था, छोटे पैमाने पर शुरू किया था, लेकिन आज 150 साल होने के बावजूद भी वे अपना व्यापार घरों से निकालकर बाहर नहीं ला पाए और न उनका आधुनिकीकरण कर पाए। ये गरीब लोग हैं और हमारी जो टैक्सटाइल पॉलिसी है, वह हालांकि अच्छी है, लेकिन उनको उससे कुछ फायदा नहीं मिलता है। आपके माध्यम से मेरी टैक्सटाइल मिनिस्टर से तथा सरकार से विनती है कि देश के कोने-कोने में इस तरह का जो टैक्सटाइल का व्यापार होता है, उसका सर्वे कराकर इन लोगों को अगर इस व्यापार में हमें मुख्य प्रभाव में लाना है तो सर्वे कराकर इनके लिए ऐसी पॉलिसी लाई जाए कि इनको बैनिफिट मिले और इनका व्यापार बढ़े।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, श्री देवजी एम. पटेल और श्री नाना पटोले को श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री हरिनरायन राजभर (घोसी) : मान्यवर, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से कहना चाहूँगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल राज्य के तौर पर स्थापित करने की मांग पहले से ही बार-बार उठती आ रही है क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुकाबले पूर्वी उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश की जो भी सरकारें हुईं, उन्होंने पूर्वांचल के विकास को नज़रंदाज़ किया। इससे पूर्वांचल की जनता किसी न किसी रूप में पूर्वांचल राज्य बनाने की मांग करती आ रही है। क्या भारत सरकार के संज्ञान में यह है कि पूर्वांचल राज्य बनाया जाएगा? यदि है, तो यह कब तक बनेगा?

[अनुवाद]

श्री पी. नागराजन (कोयम्बटूर): उपाध्यक्ष महोदय, *पुरात्ची थलाइवी मक्कल की* मुख्यमंत्री *अम्मा के आशीर्वाद से,* मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं।

कोयम्बटूर शहर को 'दक्षिण भारत का मैनचेस्टर' के नाम से जाना जाता है और कोयम्बटूर निर्वाचन क्षेत्र के लोग पूरे भारत में अपनी उद्यमशीलता और प्रभावकारिता के लिए जाने जाते हैं। यह कपड़ा मशीनरी उत्पादन, औद्योगिक मोटर्स और इंजीनियरिंग उपकरणों के विनिर्माण के लिए प्रसिद्ध है। हमने अपने उत्कृष्ट शिक्षण संस्थानों में बहुत से टेक्नोक्रेट तैयार किए हैं और बहुत सी बहुराष्ट्रीय कंपनियां उनके ज्ञान का उपयोग कर रही हैं। लेकिन कोयम्बटूर में इन लोगों के लिए उच्च वेतन वाले अवसर अपर्याप्त हैं और मेरे निर्वाचन क्षेत्र में उनकी उद्यमशीलता क्षमता, कौशल और उपलब्ध सर्वोत्तम पर्यावरणीय कारकों का उपयोग करने के लिए पर्याप्त उद्योग नहीं हैं।

महोदय, माननीया *पुरैची थलाइवी अम्मा* के कुशल मार्गदर्शन में, कोयम्बटूर शहर को इंडिया टुडे द्वारा निवेश, परिवहन, सार्वजनिक सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा और समग्र सर्वश्रेष्ठ उभरते शहर की श्रेणी में 2014 के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में सम्मानित किया गया है। हमारी माननीया *पुरैची थलाइवी अम्मा* ने इस वित्तीय वर्ष के दौरान मैनचेस्टर शहर में अवसंरचना विकास सहित समग्र विकास के लिए 2,378 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, ताकि अधिक एनआरआई निवेश और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित किया जा सके और अधिक रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकें।

इसलिए, मैं माननीय भारी उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक भारी औद्योगिक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम और बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थापित करने पर विचार करें।

[हिन्दी]

श्री चामाकुरा मल्ला रेड्डी (मलकाजगिरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र मलकाजगिरी में बहुत सारे रेलवे अंडर ग्राउंड ब्रिजेज पुराने और कमजोर हो गए हैं। मलकाजगिरी रेलवे स्टेशन से सफिलगुडा रेलवे स्टेशन तक डेढ़ किलोमीटर की दूरी है और चार लाख की जनसंख्या है। वहां दो रेलवे क्रासिंग गेट्स हैं। यहां से स्कूली

बच्चे, जूनियर कालेज के बच्चे और रेलवे कर्मचारी निकलते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है। यहां आधे-एक घंटे में ट्रेन आती-जाती रहती है।

मेरा आपके माध्यम से रेलवे मंत्री जी से निवेदन है कि इस गंभीर समस्या से निजात दिलाने में हमारी मदद करें। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि नई एमएमटीसी की रेल लाइन बन रही है। उस जगह पर पांच हजार लोग, जो कि पच्चीस सालों से वहां रह रहे हैं, उन्हें निकाला जा रहा है। अगर उन्हें दूसरी जगह घर दे कर वहां से हटा कर नई रेल लाइन बनाई जाए, तो बहुत अच्छी बात होगी।

श्री भगवंत मान (संगरूर): उपाध्यक्ष जी, हमारे देश में लेबर कानून 1936 की क्लाज़ नः 6 में कहा गया है कि मजदूरों को उनकी मजदूरी सिक्के में या करंसी में दी जाए और मांगने पर ही चैक द्वारा भुगतान किया जाए।

महोदय, हमारे देश में अगर मजदूर बैंक द्वारा अपनी सैलरी मांगता है तो उसे नौकरी से निकालने का डर बना रहता है क्योंकि, उन्हें नगद पैसा कम दिया जाता है और हस्ताक्षर ज्यादा एमाउंट पर कराए जाते हैं चाहे कोई टैक्सी ड्राइवर है या भट्टा मजदूर हैं या किसी और तरह के भी काम करने वाले हों। कुछ मजदूर संगठनों ने मंत्री जी को इस संबंध में चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी के जबाव में कहा गया कि सभी मजदूरों के पास बैंक खाते नहीं हैं और लेबर कानून 1936 की क्लाज़ संख्या-6 को बदल नहीं सकते हैं। मैं मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि जन-धन योजना के तहत सभी नागरिक अपना बैंक खाता खुलवा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि मजदूरों को उनकी मजदूरी बैंक के जरिए से दी जाए, चैक द्वारा दी जाए। इससे काले धन की समस्या पर भी रोक लगेगी और मजदूरों को भी उनकी पूरी मजदूरी मिलेगी।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : श्री गणेश सिंह - उपस्थित नहीं।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : महोदय, मैं भारत सरकार और सामाजिक न्याय मंत्रालय से महाराष्ट्र में रहने वाली लोधी जाति को पिछड़ी राष्ट्रीय अनुसूची में जोड़ने के विषय में निवेदन कर रहा हूं। देश के अनेक राज्यों में लोधी जाति के लोग हैं और ज्यादातर कृषि कार्य में लगे हुए हैं। मेरी जानकारी में लोधी जाति उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, गुजरात और कर्नाटक में पिछड़ी जाति में आती है लेकिन महाराष्ट्र में यह जाति पिछड़ी जाति में नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने 18 अगस्त, 2004 को पत्र क्रमांक 1/14(11)/2004 आर.डब्ल्यू./एन.सी.बी.सी. से सूचीबद्ध करके भारत सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है कि इसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की सूची में डाला जाए।

महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से और सामाजिक न्याय मंत्रालय से निवेदन करता हूं कि महाराष्ट्र में लोधी जाति को पिछड़ी राष्ट्रीय सूची में डाला जाए।

श्री नाना पटोले (भंडारा-गोंदिया) : महोदय, मैं अपने आपको श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध करता हूं।

श्री रामचरण बोहरा (जयपुर शहर): महोदय, जयपुर विश्व पर्यटन मानचित्र पर गुलाबी शहर (पिंक सिटी) के रूप में विख्यात है और दिल्ली-जयपुर-आगरा गोल्डन कोरीडोर के रूप में मशहूर है। जयपुर शहर पर्यटन की दृष्टि से देश की छोटी काशी के रूप में प्रसिद्ध है। भारत में आने वाला हर तीसरा विदेशी पर्यटक राजस्थान व जयपुर पिंक सिटी की यात्रा जरूर करता है। राजस्थान के जो प्रसिद्ध किले, दुर्ग, महल, हवेलियां, अभ्यारण्य और रेत का समुद्र है, ये सभी देशी-विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। प्रदेश की कला, संस्कृति, इतिहास और स्थापत्य कला, हस्तशिल्प की भी दुनिया में अलग ही पहचान है। जयपुर शहर वर्ल्ड क्लास एवं स्मार्ट सिटी की ओर अग्रसर हो रहा है। राजस्थान के आर्थिक विकास में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य का जयपुर-जोधपुर, जालौर-सांचोर, जैसलमेर-उदयपुर-अजमेर आदि अनेक ऐसे पर्यटन स्थल हैं, जिनमें देशी-विदेशी पर्यटकों की आवाजाही हमेशा बनी रहती है। दुर्भाग्य से पिछले कुछ वर्षों से जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और आगरा के मध्य हवाई सेवाएं बंद होने से पर्यटकों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इसके

अभाव में पयर्टन से जुड़े व्यवसाय जैसे होटल, श्रमिक और हैंडीक्राफ्ट में काफी कमी हो रही है। प्रदेश के राजस्व पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है।

मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन है कि इस गोल्डन कॉरिडोर में इंडियन एयरलाइंस एवं निजी एयरलाइंस की सेवाएं पुनः चालू की जाएं, जिससे व्यवसाय बढ़ेगा और प्रदेश को राजस्व प्राप्त होगा।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री देवजी एम. पटेल, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत और श्री पी. पी. चौधरी को श्री रामचरण बोहरा द्वारा उठाए गए मुद्दे से जुड़ने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : उपाध्यक्ष जी, यदि मेरी किसी भावना से आप आहत हुए होंगे, मैंने गलती नहीं की, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूं।

उपाध्यक्ष जी, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री जी 'मन की बात' में रेडियो के द्वारा पूरे देश को नशामुक्त करने की बात करते हैं। महोदय, यह नशा की ही बात है। ड्रग्स, अफ़ीम में देश के अरबों-खरबों रुपये बर्बाद हो रहे हैं। छः करोड़ 80 लाख आदमी सिर्फ़ तम्बाकू खाने से मर जाते हैं। आठ लाख लोग गुटखा खाने से होने वाली बीमारियों से पीड़ित हैं। छः करोड़ बीस लाख लोग शराब पीने से मर गए। बीस लाख लोग सालाना अफीम खाने से मर जाते हैं। इस देश के नौजवान शराब, अफीम और ड्रग्स खाने से बर्बाद हो जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज यह पेपर में रोज़ आ रहा है। पंजाब में ई.डी. के द्वारा पदाधिकारियों की इसमें संलिप्तता पायी गयी है। पंजाब प्रदेश के 90% नौजवानों का नाम देश की कुर्बानी के लिए लिया जाता था, वहीं आज 90% पंजाब के नौजवानों का नाम ड्रग्स से पीड़ित में गिना जाता है। पंजाब का पूरा का पूरा नौजवान और परिवार ड्रग्स से बर्बाद हो गए हैं। इसमें कुछ सेना के पदाधिकारियों का भी नाम आया है। इसमें एक मंत्री जी का नाम आया है, जिन्होंने रेजिग्नेशन भी दिया। आज कई मंत्रियों और उसमें से 40% नाम राजनीतिज्ञों के हैं।

मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि यदि आप नशा को बंद करना चाहते हैं तो आप देश के सबसे सशक्त इंसान हैं, आपने गुजरात में जिस तरह से नशा बंद किया, वैसे आप देश में भी नशा बंद कर सकते हैं।

मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि वहां जो सरकार है, उसमें आपकी भागीदारी है। आप वहां के मंत्री जी को रैजिग्नेशन दिलाएं। वहां के राजनेताओं का जो उसमें इंवॉल्वमेंट है, उसकी जांच कराएं। इस देश में जो भी राजनीतिज्ञ इसमें इंवॉल्व हैं, उनकी जांच करा कर उन्हें आविलम्ब गिरफ़्तार करके जेल भेजें। ड्रग्स रैकेट माफिया का इस देश में आविलम्ब पर्दाफाश करके इस देश के नौजवानों को बचाएं। यह मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री भगवंत मान और श्रीमती रंजीत रंजन को श्री राजेश रंजन द्वारा उठाए गए मुद्दे से जुड़ने की अनुमति दी जाती है।

योगी आदित्यानाथ – उपस्थित नहीं।

श्री राम प्रसाद सरमा (तेजपुर): धन्यवाद महोदय। मैं यह कहना चाहूंगा कि तेजपुर पूर्वोत्तर भारत क्षेत्र में असम का एक पर्यटन स्थल है। हमें पूर्व का स्विजरलैंड मिला है, अर्थात अरुणाचल प्रदेश। हमारे यहां धार्मिक पर्यटन, जल पर्यटन, पारिस्थितिकी पर्यटन, औषधीय पौध पर्यटन आदि हैं। चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। शिलौंग को "पूर्व के स्कॉटलैंड" के रूप में जाना जाता है। रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण ने अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र सादिया में किया था। इन स्थानों की उपेक्षा की गई है। इन क्षेत्रों में पर्यटन का विकास नहीं हुआ है। सड़क संपर्क तो है लेकिन रेल और हवाई संपर्क बहुत खराब है। जब भी कोई व्यक्ति उन क्षेत्रों का दौरा करने जाता है, तो वह सिक्किम, दार्जिलिंग, शिलांग और तवांग सहित सभी आठ राज्यों का दौरा कर सकता है। तवांग भारत की सबसे खूबसूरत जगह है। यह हिमालय पर्वतमाला की बर्फ से ढकी पहाड़ियों सहित भारत के किसी भी अन्य पर्यटन स्थल से बेहतर है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन क्लस्टर कार्यक्रम शुरू करें।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बाँका, बिहार एवं बिहार के जिला जमुई तथा सीमावर्ती मुंगेर, झारखंड के पहाड़ी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इन जिलों में नैय्या, खैरा एवं पुझाड़ जाति की अच्छी खासी आबादी है। आज की तिथि में उन्हें अत्यंत पिछड़ा वर्ग में रखा गया है। नैय्या, खैरा एवं पुझाड़ जाति का मुख्य कार्य मजदूरी, जैसे लकड़ी काटना, पत्तल बनाना, मिट्टी काटना, पत्ता बेचना आदि हैं। उनमें शिक्षा का घोर अभाव है। इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत कुछ मकान उन्हें मिल भी जाएं, तो पारिवारिक सदस्य की आकस्मिक मृत्यु के उपरान्त ये आवास छोड़ देते हैं और नये आवास की तलाश में यत्र-तत्र चले जाते हैं। बिहार राज्य में अनुसूचित जनजाति या महादलित जाति की तरह इनकी अत्यंत दुःखदायी स्थिति बनी हुई है। नैय्या और पुझाड़ जाति का खासकर बाँका जिले में बहुत दुःखदायी जीवन है।

अतः मैं भारत सरकार से माँग करता हूँ कि बिहार राज्य के जिला बाँका, जमुई, मुंगेर और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली नैय्या, खैरा एवं पुझाड़ जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए ताकि उनकी माली हालत में सुधार हो सके व उनकी आबादी बच सके। धीरे-धीरे उनकी आबादी लुप्त होती जा रही है, समाप्त होती जा रही है। सरकार की तरफ से भी सरकारी संसाधनों में इनकी हकमारी हो रही है। इसलिए मैंने अपने संसदीय क्षेत्र बाँका में अवस्थित नैय्या, खैरा व पुझाड़ जाति को मुख्य रूप से अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष: श्री रविन्द्र कुशवाहा - उपस्थित नहीं।

श्री राजन विचारे।

[हिन्दी]

श्री राजन विचारे (ठाणे) : महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे सदन में बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। इसका सम्बन्ध देश के ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र के ठाणे से है, जो मेरा संसदीय क्षेत्र है। देश की पहली ट्रेन मुम्बई तथा ठाणे के बीच चली थी।

कल्याण में रहने वाले यात्रियों को नवीं मुम्बई की तरफ जाने के लिए पहले ठाणे आकर वाशी हार्बर रेल लाईन में नवी मुंबई की तरफ जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए लम्बा इंतजार करना पड़ता है, इसमें उनका समय एवं पैसे दोनों बर्बाद होते हैं। इसके लिए मुंबई रेलवे विकास कारपोरेशन लिमिटेड ने 2 किलोमीटर लम्बाई का नया एलिवेटेड रेल मार्ग बनाने का प्रस्ताव तैयार किया था। उस प्रस्ताव को महाराष्ट्र सरकार ने अपनी मंजूरी भी दे दी है। महाराष्ट्र सरकार इस प्रस्ताव को पूरा करने के लिए 50 प्रतिशत अनुदान एम.एम.आर.[हिन्दी] डी. के माध्यम से देने वाली है।

अतः मैं इस सदन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि कलवा तथा एरौली के बीच 2 किलोमीटर लम्बाई का नया एलिवेटेड रेल मार्ग के लिए जल्दी से जल्दी धनराशि उपलब्ध करवाने एवं इसकी प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करवाने का आदेश दे।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: अब मैं उन सदस्यों के नाम बताऊंगा जिनके नाम मतपत्र में नहीं आ सके। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे केवल एक मिनट का समय लें और कहें कि वे क्या कहना चाहते हैं। यदि वे लंबा भाषण देते रहेंगे तो मैं एक मिनट से अधिक का हिस्सा रिकार्ड में दर्ज नहीं होने दूंगा। इसलिए, कृपया बहुत संक्षिप्त रहें।

अब, श्री राजकुमार सैनी।

[हिन्दी]

श्री राजकुमार सैनी (कुरुक्षेत्र) : उपाध्यक्ष महोदय, शून्य काल में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरे पार्लियामेंट क्षेत्र कुरूक्षेत्र जिला कैथल में दिल्ली या चंडीगढ़ के अलावा कोई बड़ा हास्पिटल नहीं है। पिछले दस वर्षों में लगातार ट्रैफिक में हो रही वृद्धि से आए दिन अनेक एक्सीडेंट

हुए, परन्तु उपचार के अभाव में बहुत सारे लोग अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ चुके हैं। अभी हाल ही में कल जो हादसा हुआ, वह बहुत ही दर्दनाक था। इसमें सिर्फ हास्पिटल से दूरी की वजह से दोनों बच्चों की मौत हुई।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जो एम्स स्तर के आठ हास्पिटल बनाए जाने हैं, उनमें से एक कैथल में बनाया जाए।

[अनुवाद]

[12]***श्री के. अशोक कुमार (कृष्णगिरी):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय। वणक्कम, मुझे मेरी मातृभाषा तमिल में बोलने की अनुमति देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। होसुर वन क्षेत्र कृष्णागिरी जिले में लगभग 1,496 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 117 आरक्षित वन हैं। जैसा कि अनुमान है कि इस क्षेत्र में 131 हाथी हैं। ये हाथी अक्सर इस क्षेत्र के गाँवों और उसके आसपास रहने वाले मनुष्यों के संपर्क में आते हैं। मानव-पशु संघर्ष होता है जिसके कारण वर्ष 2011 से 2014 तक 31 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। पुरात्चिथलाइवी अम्मा के कुशल मार्गदर्शन में तमिलनाडु सरकार ने ऐसे मानव-पशु संघर्षों में मारे गए व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजे के रूप में 3-3 लाख रुपये प्रदान किए थे। अब तक कुल 93 लाख रुपये जारी किए जा चुके हैं। कुल 3,110 आवेदन प्राप्त हुए और 1,21,08,025/- रुपये की धनराशि प्रदान की गई। मैं इसका उल्लेख यहां इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा कोई निधि आबंटन नहीं किया गया है। यद्यपि 146 किलोमीटर तक खाइयां और 125.14 किमी तक विद्युत बाड़ लगाई गई है, फिर भी हाथी गांवों में घुस आए हैं और ग्रामीणों के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह मानव-पशु संघर्ष वाले क्षेत्रों की पहचान करे और पीड़ितों तथा उनके परिवारों के लाभ के लिए एक विशेष बीमा योजना शुरू करे। मैं यह भी आग्रह करता हूं कि मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाना चाहिए। धन्यवाद, महोदय।

---

[12]* मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

श्री एम. मुरली मोहन (राजामुन्दरी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आंध्र प्रदेश राज्य को विशेष दर्जा श्रेणी की मंजूरी देने में हो रही देरी के संबंध में केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

संयुक्त आंध्र प्रदेश राज्य का विभाजन करते समय, तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने 21 फरवरी, 2014 को राज्य सभा में आश्वासन दिया था कि 13 जिलों वाले शेष आंध्र प्रदेश राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया जाएगा तथा इसे पांच वर्षों के लिए बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा, 6 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा करते हुए उन्होंने यह भी घोषणा की थी कि पहले ही वर्ष में उत्तरवर्ती राज्य आंध्र प्रदेश में उत्पन्न संसाधन अंतराल की भरपाई 2014-15 के नियमित केन्द्रीय बजट में की जाएगी। यद्यपि अब तक छह महीने बीत चुके हैं, परंतु आंध्र प्रदेश राज्य को विशेष दर्जा देने की अनुमति अभी भी प्रतीक्षित है।

मैं समझता हूं कि आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने के प्रस्ताव को प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाना होगा, जिसमें कैबिनेट मंत्री जी और सभी मुख्यमंत्रियों को शामिल किया जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष: आप आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा चाहते हैं।

श्री एम. मुरली मोहन: हां, महोदय। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह बिना किसी विलम्ब के एनडीसी की बैठक बुलाकर आंध्र प्रदेश राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करे।

[हिन्दी]

श्रीमती पूनम महाजन (उत्तर मध्य मुम्बई) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में अपना विषय सदन में रखना चाहती हूं। यह विषय कुछ महीनों से इस सदन के पटल पर बहुत अच्छी तरह से रखा जा रहा है। कुछ दिनों पहले मैंने एक प्रश्न पूछा था कि भारत की बहुत-सी भाषाएं लुप्त हो रही हैं। उन लुप्त होने वाली भाषाओं के लिए और अपनी प्राचीन संस्कृति के लिए हम क्या कर रहे हैं? हमें भारत सरकार से बहुत अच्छा उत्तर मिला है, सरकार ने अच्छा उत्तर दिया है। वही उत्तर के आधार पर मैं भाषा के बारे में कहना चाहती हूं कि आज हम अपने देश में कुछ भाषाओं को आभिजात्य भाषा का दर्जा देते हैं, उनको क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस देते हैं।

अभी-अभी उनमें उड़िया भाषा को वह दर्जा मिला है, मैं उसका आभिनंदन करती हूं। उसके पहले संस्कृत, तमिल, तेलगु, कन्नड़ और मलयालम, भाषाओं को सम्मान मिल चुका है। मैं मराठी भाषा के लिए इसलिए कहना चाहती हूं कि महाराष्ट्र में 7 करोड़ लोग मराठी भाषा बोलते हैं, इसका मतलब है कि देश की 7 प्रतिशत जनता मराठी भाषा बोलती है। उसको राज्य मान्यता की जरूरत है और उस के लिए 10 जनवरी, 2012 में प्रोफेसर रंगनाथ पठारे की अध्यक्षता एक समिति का गठन किया गया था। 31 मार्च, 2013 में हमने उस समिति की रिपोर्ट केन्द्र सरकार को दी है। जब भाषा प्राचीन हो तो 1500-2000 वर्ष से पहले उस भाषा की स्क्रीप्ट दिखाई देनी चाहिए। 2219 साल पहले ब्राह्मणी स्क्रीप्ट जो मूल रूप से मराठी का स्क्रीप्ट है, पुणे के जुन्नर तालुका के पत्थर पर उस स्क्रीप्ट को लिखा गया था।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: आप चाहते हैं कि मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिले।

श्रीमती पूनम महाजन (उत्तर मध्य मुंबई): मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगी कि मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में लिया जाए। उसे आभिजात्य भाषा का दर्जा बहुत ही जल्द दिया जाए।

श्री जी. हरि (अराकोन्नम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं माननीय नेता पुरात्ची थलाइवी अम्मा को धन्यवाद देना चाहता हूँ।

महोदय, 1905 में अराकोन्नम में स्थापित रेलवे इंजीनियरिंग वर्कशॉप ने इस शहर को भारत के रेलवे मानचित्र में स्थान दिलाया है। यह कार्यशाला रेलवे के पॉइंट्स और क्रॉसिंग के लिए आवश्यक उपकरण, लिफ्टिंग बैरियर गेट्स, गर्डर्स जैसी स्थायी मार्ग सामग्री तथा प्लेटफार्म शेल्टर और रेलवे ओवर-ब्रिज के लिए आवश्यक सामग्री का निर्माण और उत्पादन कर रही थी।

एक समय था जब 5,000 से अधिक पुरुष इस कार्यशाला में काम कर रहे थे। अब कर्मचारियों की संख्या घटकर 800 रह गई है। अब केवल 41 इंजीनियरिंग व्यापार गतिविधियाँ की जा रही हैं। हर अन्य इंजीनियरिंग कार्य को अनुबंध प्रणाली में स्थानांतरित किया जा रहा है। हाल ही में फाउंड्री की दुकान भी बंद कर दी गई है,

जिससे 120 श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। यह इंजीनियरिंग वर्कशॉप, जिसने बड़ी संख्या में श्रमिकों को रोजगार और आजीविका के अवसर प्रदान किए थे, बंद होने की कगार पर है। रेलवे कर्मचारियों की तकनीकी उत्कृष्टता ऐसी थी कि प्रसिद्ध पंबन ब्रिज के लिए आवश्यक गर्डर और सामग्री इसी कार्यशाला से निर्मित की गई थी।

सायं 06.00 बजे

यह चौंकाने वाली बात है कि 1983 से ही कोई नई भर्ती नहीं की गई है। अराकोन्नम शहर की आर्थिक गतिविधि इस कार्यशाला पर निर्भर है। मानवीय और आर्थिक दोनों ही कारकों पर विचार करते हुए, मैं रेल मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि इंजीनियरिंग वर्कशॉप का पुनरुद्धार किया जाए, जिसमें आधुनिक इंजीनियरिंग वर्कशॉप स्थापित करने के लिए अभी भी लगभग 20 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है।

[हिन्दी]

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पूर्व प्रधान मंत्री परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिन 25 दिसम्बर को है। पूरा भारतवर्ष उसे मनाने जा रहा है। आज भी उनके भाषण, विचार, उनकी आवाज कानों में घूमती है। उन्होंने कहा था कि जिस दिन मेरी सरकार बहुमत में आएगी उस दिन मैं धारा 370 इस संविधान से हटाऊंगा। समान नागरिक संहिता शुरू करूंगा और राम मंदिर भी पूर्ण करूंगा। दुर्भाग्यवश आज वे प्रधान मंत्री नहीं हैं लेकिन हमारी सरकार बहुमत में आई है।

उपाध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके समक्ष यह बात लाना चाहता हूं कि आज सरकार बहुमत में आई है, जम्मू कश्मीर की प्रगति नहीं हो रही है। वहां भी उनका मुख्य धारा में समावेश नहीं किया जा रहा है। हमारे पंडित जो जम्मू कश्मीर से आज भी दूर हैं, उन्हें भी जम्मू कश्मीर में लाना है। आज ऐसी सुहानी घड़ी आई है कि हमारे नसीब से एक बलवान, ताकतवर प्रधान मंत्री जी इस देश को मिले हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पूर्व प्रधान मंत्री माननीय वाजपेयी जी का सपना साकार करने की सुहानी घड़ी आई है। हमारी सरकार इस सुहानी घड़ी पर धारा 370 रद्द करे और समान नागरिक कानून लागू करे, ऐसी मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूं।

श्रीमती प्रियंका सिंह रावत (बाराबंकी) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र बाराबंकी प्रधान मंत्री सड़क योजना के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूं। वर्ष 2007 में योजना के दिशा निर्देशों में संशोधित किया गया जिसके अनुसार देश के मैदानी क्षेत्र जिनकी आबादी 500 है और पर्वतीय क्षेत्र जिनकी आबादी 250 है। प्रधान मंत्री जी सड़क योजना के संबंध में मैंने अपने संसदीय क्षेत्र बाराबंकी में भ्रमण के दौरान देखा कि केन्द्र सरकार की यह योजना पूर्ण रूप से सफल नहीं हो रही है और यह चिन्ता का विषय है। यह मेरे संसदीय क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की ऐसी स्थिति है। मैंने भ्रमण के दौरान कुछ ऐसे तथ्य पाए जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। जनपद में शासन के स्तर से निधाररित मानकों एवं गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। किसी भी सड़क को हॉट मिक्स प्लांट से निर्मित नहीं किया जा रहा है। किसी भी निर्माणधीन सड़क पर मानक बोर्ड नहीं लगाए जा रहे हैं। लेपन कार्य मार्ग एक कोट करके छोड़ दिया जाता है। और तो और निर्माण कार्य की गति अत्यंत धीमी है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: आप उन सभी को नहीं पढ़े। आप जो चाहते हैं, वह प्रस्तुत करें।

[हिन्दी]

श्रीमती प्रियंका सिंह रावत : अत: मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि ऐसी स्थिति को संज्ञान में लेते हुए उच्च स्तरीय केन्द्रीय तकनीकी टीम से सत्यापन करवाकर उचित आवश्यक कार्यवाही कराने की कृपा करें।

[अनुवाद]

श्री ए. अरुणमोझीथेवन (कुड्डालोर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मक्कल मुधलवार पुराच्ची थलाइवी, अम्मा को बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपको तमिलनाडु के नेवेली में आवारा मगरमच्छों के लिए अस्थायी बचाव केंद्रों की स्थापना से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

कोल्लिडम नदी, वीरनम झील और इसकी नहरों में आवारा मगरमच्छ बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। जलाशयों में पाए जाने वाले इन आवारा मगरमच्छों के आक्रामक हमले के कारण बहुमूल्य मानव जीवन और पशुओं की हानि की कई घटनाएं हुई हैं। इस मगरमच्छ के खतरे को नियंत्रित करने की तत्काल आवश्यकता है। मैंने अस्थायी बचाव केंद्र की तत्काल स्थापना के संबंध में माननीय पर्यावरण एवं वन मंत्री जी, भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा है। कुड्डालोर के जिला कलक्टर ने भी मामले की पैरवी की है।

इसलिए मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह मेरे निर्वाचन क्षेत्र नेयवेली में आवारा मगरमच्छों के लिए तत्काल एक अस्थायी बचाव केंद्र स्थापित करे और मनुष्यों और पशुओं के बहुमूल्य जीवन की रक्षा करे। धन्यवाद।

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली): उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति घटक योजना के बारे में कहने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रत्येक बजट में, 'विशेष घटक योजना और जनजातीय उप-योजना' शीर्षक के अंतर्गत बजटीय आबंटन किया जाता है। हालांकि, विशेष घटक योजना और जनजातीय उप-योजना के दर्शन के अनुसार, बजट धनराशि पहले से ही जितनी होनी चाहिए, उससे कम है, लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि अगले वर्ष के बजट में एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि इन मदों के तहत राज्यों को हस्तांतरित बजट का उचित उपयोग हो सके। इसकी जांच के लिए एक तंत्र होना चाहिए।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

साध्वी सावित्री बाई फूले (बहराइच) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बहराइच के अंतर्गत घसियारिपुर सालों-साल बरसात के पानी में डूबा रहता है। हर गली में पानी भरा रहता है, पानी का निकास कहीं नहीं है, पानी के निकास न होने के कारण छात्र-छात्राओं को स्कूल आने जाने में दिक्कत होती है। बीमारियों का प्रकोप बना रहता है। करोड़ों रुपये का खर्च है, इसलिए धन के अभाव के कारण जिला प्रशासन, सांसद व विधायक पानी निकालने में अक्षम हैं। ऐसी स्थिति में सिवर के माध्यम से इन मोहल्लों का पानी निकाला जा सकता है। यही स्थिति विकासखंड मैनपुरवा के मैनपुरवा बाजार की है। बगैर सिविर लगाए पानी का निकास नहीं हो सकता है। मैं घसियारिपुर, बक्शीपुर, मिहिनपुरवा बाजार का पानी निकालने के लिए जिला प्रशासन से कार्य योजना तैयार कराकर, विशेष पैकेज देकर, सिविर के माध्यम से पानी निकालने की मैं सरकार से मांग करती हूं।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्ज़ापुर): धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 12 वर्षों से मेरे संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर की जनता द्वारा रावर्टसंगज से मुद्धुपुर, सुकृत, अहरौरा होते हुए मुगलसराय तक रेलवे लाइन की मांग की जा रही है। 10 वर्ष पूर्व रेलवे विभाग द्वारा इसका सर्वे करा कर नक्शा भी उपलब्ध कराया गया था, जिसमें रेलवे

लाइन की दूरी 80 किलोमीटर थी। इसके साथ ही इसकी कुल अनुमानित लागत 500 करोड़ रुपये बताई गई थी। यह क्षेत्र नक्सल प्रभावित है और विकास से पूरी तरह से वंचित है। जिस हिस्से में रेलवे लाइन की निर्माण की बात की जा रही है। वहां बहुत ही प्राचीन मां भंडारी देवी, बेचूबीर बाबा धाम, सम्राट अशोक का शिलान्यास पट्ट भी लगा हुआ है। इसी हिस्से में 300 साल का पुरानी अहरौरा की बाजार है, जहां लाखों की संख्या में पर्यटक आते-जाते रहते हैं। सरकार द्वारा पिछले 10 वर्षों से इस कार्ययोजना को पूरा नहीं किया जा जा रहा है, इस पर विचार नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इसकी लागत 500 करोड़ रुपये है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस क्षेत्र में अगर रेलवे लाइन बन जाए तो विन्धयाचल, मैहर देवी धाम की तरह अहरौरा क्षेत्र का पूर्ण विकास हो जाएगा। दशनार्थियों, यात्रियों और व्यापारियों को आने-जाने में सुविधा हो जाएगी।

श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख) : उप सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र मिश्रिख के कस्बा बालामऊ से होकर लखनऊ-नई दिल्ली मुख्य रेल मार्ग से गुजरता है, जिस पर काफी रेलगाड़ियों का आवागमन रहता है तथा कस्बा बालामऊ में रेलवे ओवरब्रिज न होने के कारण कभी-कभी यहां के रेलवे फाटक एक घंटे तक बंद रहता है। जिसके कारण यहां पर हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। ऐसी स्थिति में जब किसी गर्भवती महिला या अन्य मरीजों को अस्पताल ले जाना होता है लेकिन वह समय से अस्पताल नहीं पहुंच पातीं तथा कई बार लोग रास्ते में दम तोड़ देते हैं।

मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करती हूं कि वहां पर ओवरब्रिज बनाने की आतिशीघ्रता करें।

[अनुवाद]

श्री वी. पन्नीरसेल्वम (सलेम): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि प्रत्येक सांसद को एक गांव गोद लेना चाहिए और लोगों को सभी सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। तमिलनाडु के लोगों को सभी सुविधाएं प्रदान करने के लिए *मक्कल मुदालवर अम्मा* द्वारा इसी तरह की योजना पहले से ही लागू की गई है, जिसमें लोगों को जलापूर्ति, लचीली सड़कें, 24 घंटे बिजली, वृद्धावस्था पेंशन, *थालिकु थंगम*

जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। वह लैपटॉप के जरिए छात्रों की शिक्षा की सभी जरूरतों को भी पूरा कर रही हैं। *अम्मा* लोगों की सभी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए सुविधाएं प्रदान कर रही हैं और गर्भवती महिलाओं के लिए भी शुरुआत से अंत तक सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। नवजात शिशुओं को निःशुल्क दूध की बोतलें, मच्छरदानी और स्वेटर भी दिए जा रहे हैं। इसके अलावा, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुफ्त में गाय, बकरियां आदि उपलब्ध कराई जा रही हैं। ये सब हमारी माननीय *अम्मा* द्वारा दिए गए हैं।

इसलिए, मैं विनम्रतापूर्वक हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे एम.पी.एल. ए.डी. के लिए अधिक धनराशि आवंटित करें या प्रधान मंत्री जी के विशेष कोष से धनराशि उपलब्ध कराएं ताकि यह योजना सफलतापूर्वक कार्यान्वित हो सके। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद) : धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान समान नागरिक संहिता (कॉमन सिविल कोड) को पूरे देश में जल्द से जल्द लागू कराने के संबंध में दिलाना चाहता हूं। समान नागरिक संहिता (कॉमन सिविल कोड) के लिए हमारे संविधान में भी प्रावधान है, आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता में स्पष्ट प्रावधान किया गया है।

देश की अखंडता और एकता के लिए समान नागरिक संहिता जरूरी है, इसलिए इसे तुरंत लागू कराने की जरूरत है। हमारी पार्टी शिवसेना और हमारे अन्य साथी भी इसे लागू करने के पक्ष में हैं। हमारी मांग है कि हिन्दुस्तान में हर धर्म, सम्प्रदाय के लोगों के लिए एक कानून होना चाहिए, इसलिए एक समान नागरिक संहिता जरूरी है। कानून के रास्ते धर्म और सम्प्रदाय विशेष को समान नजर से देखा जाना चाहिए। वर्ष 1986 में शाहबानो मामले में ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप जो कुछ कहना चाहते थे वह आप पहले ही कह चुके हैं।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे : मैं आधे मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। वर्ष 1986 में शाहबानो के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पष्ट और ऐतिहासिक फैसला दिया है, परन्तु तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

कुमारी शोभा करंदलाजे (उडुपी चिकमगलूर): महोदय, कोंकण रेलवे को देश के पश्चिमी तटीय क्षेत्र की जीवन रेखा माना जाता है। कोंकण रेलवे हर साल लगातार परिचालन घाटे में चल रही है और इसका संचित घाटा 3,500 करोड़ रुपये से अधिक है। कोंकण रेलवे की खराब वित्तीय स्थिति का एक कारण यह है कि इस परियोजना का अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किसी भी प्रमुख बंदरगाह से संपर्क नहीं है। थोकुर से मैंगलोर तक पनाम्बूर बंदरगाह सहित मैंगलोर रेलवे नेटवर्क दक्षिणी रेलवे के अधिकार क्षेत्र में आता है।

मैंगलोर डिवीजन की स्थापना से यात्रियों और माल यातायात को अधिक सुविधाएं और लाभ मिलेगा तथा सम्पूर्ण पश्चिमी तट क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। मैंगलोर डिवीजन की स्थापना मैंगलोर सेंट्रल, मैंगलोर जंक्शन, न्यू मैंगलोर पोर्ट, पालाघाट स्ट्रेच और कोंकण रेलवे क्षेत्राधिकार के मौजूदा क्षेत्रों को एक साथ लाकर और कोंकण रेलवे को नियंत्रण देकर संभव है।

कोंकण रेलवे के साथ पनमबुर बंदरगाह की कनेक्टिविटी से इसकी वित्तीय स्थिति इतनी बेहतर हो जाएगी कि बाजार से अधिक धन जुटाए बिना ही पूरे खंड का दोहरीकरण और विद्युतीकरण किया जा सकेगा। कोंकण रेलवे लाइन के निर्माण और परिचालन से संपूर्ण कोंकण क्षेत्र के औद्योगिक, कृषि, आर्थिक और सामाजिक विकास को पर्याप्त बढ़ावा मिला है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्रालय से आग्रह करूंगी कि वह कोंकण रेलवे के नियंत्रण में मैंगलोर डिवीजन की स्थापना के लिए तत्काल निर्णय लें। धन्यवाद, महोदय।

श्रीमती आर. वनरोजा (तिरुवन्नामलाई): धन्यवाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सुगंधित पुष्प की सुगंध की तरह, मैं अब अपने तिरुवन्नामलाई निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की ओर से और हमारी प्रिय नेता डॉ. पुरात्ची थलाइवी अम्मा के नेतृत्व वाली हमारी ए.आई.ए.डी.एम.के. पार्टी की ओर से एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रही हूं।

किल्पेन्नाथुर-अवलुरपेट्टई के *माध्यम से* सानीपूंडी और चेतपेट के बीच 13.40 किमी लंबे सड़क संपर्क को एसएच4ए के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसे जल्द से जल्द दुरुस्त किए जाने की जरूरत है। इसी प्रकार, कल्लाकुरिची और तिरुवन्नामलाई को जोड़ने वाले एसएच6 को भी 9.4 किलोमीटर की लंबाई तक पुनर्निर्मित किया जा सकता है। तिरुवन्नामलाई और अरुर के बीच थानीपदी *से होकर जाने वाली* 12.4 किलोमीटर लंबी एसएच 64 सड़क भी क्षतिग्रस्त स्थिति में है। इन कार्यों को केंद्र द्वारा पुनरीक्षित केंद्रीय सड़क निधि योजना के अंतर्गत उदारतापूर्वक धनराशि जारी करके शुरू किया जाना है।

मैं माननीय केन्द्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी से आग्रह करूंगी कि वे तत्काल धनराशि जारी करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय (चन्दौली) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी 25 दिसम्बर को पंडित मदन मोहन मालवीय जी की 153वीं जयंती है। सौभाग्य है कि हमारे आदरणीय नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी उसी दिन जन्मदिन है, जिसे हम सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी जहां राष्ट्रवादी और देश के स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी नेता रहे, वहीं काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना उनके जीवन का उल्लेखनीय कार्य है, जो देश और दुनिया में मशहूर है। वहां पर उन्होंने अपने नाम से कुछ भी नहीं किया। केवल मालवीय स्मृति भवन ही उनके नाम से है, जो उनके दिवंगत होने के बाद रहा। उनकी प्रेरणा से मिर्जापुर जिले में 1200 एकड़ जमीन पर हिन्दू विश्वविद्यालय का दक्षिणी परिसर, साउथ कैम्प्स बना। उस समय भी यह बात उठी थी कि वह कैम्प्स उनके नाम पर बनाया जाये, लेकिन

पूर्ववर्ती सरकार के समय में वहां के तत्कालीन कुलपति ने केवल ... [13*] वहां कभी जाना भी नहीं हुआ और न ही दर्शन ही हुआ होगा। जिस मदन मोहन मालवीय जी ने देश और दुनिया में इतनी बड़ी कीर्ति बनायी ...(व्यवधान) सबकी मांग है कि मदन मोहन मालवीय जी के नाम पर उस दक्षिणी परिसर का नाम रखा जाये। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: यह एक आरोप है जिसे निष्कासित किया जाएगा। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। नामों को हटा दिया जाना है।

[हिन्दी]

श्री बलभद्र माझी (नबरंगपुर): माननीय उपाध्यक्ष जी, सरकार आदिवासी, हरिजनों, पिछड़े वर्ग के लोगों के विकास के लिए बहुत सी योजनाएं बनाती है। शिड्यूल ट्राइब और अदर ट्रेडीशनल फोरेस्ट डवैलर्स रिकोगनिशन आफ फोरेस्ट राइट एक्ट, 2007 में बना था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अभी पता चला है कि कई राज्यों में यह कानून लागू ही नहीं हुआ है। मैं गर्व से कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने ओडिशा में इसे लागू किया है। वहां जमीन का पट्टा बहुत से लोगों को दिया गया है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि यह कानून सभी राज्यों में लागू हो। केंद्र सरकार के मंत्रालय को इसकी निगरानी रखनी चाहिए, वह भी अपना काम नहीं कर रहा है। कृपया इस ओर ध्यान दिया जाए।

श्री नाना पटोले : माननीय उपाध्यक्ष जी, देश में बौद्ध धर्म स्वातंत्र्य, समता, बंधुता तथा न्याय तत्व पर आधारित है। हिंदू विवाह कानून, पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स कानून, क्रिश्चियन मैरिज वैलीडेशन कानून, मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत कानून) इत्यादि सात मान्यता प्राप्त धर्मों के आधारित कानून आस्तित्व में हैं। देश में बौद्ध

[13*] कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

धर्म के लोगों के लिए बुद्धिष्ट पर्सनल लॉ कानून लागू करने के संबंध में दि लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकार से कई सालों से पत्र व्यवहार करने के बावजूद भी अभी तक यह मांग लंबित है। बुद्धिस्ट लॉ को मान्यता न मिलने के कारण बौद्ध धर्म में हो रही शादियों के मामले में माननीय उच्चतम न्यायलय द्वारा समय-समय पर आदेश दिए हैं और निर्णय में शादियों को अवैध ठहराया है। इससे बुद्धिष्ट समाज को इससे पैदा हुई परेशानियों एवं समस्याओं के संकट को झेलना पड़ रहा है। मेरी मांग है कि इस सार्वजनिक महत्वपूर्ण विषय पर केंद्र सरकार बुद्धिष्ट लॉ बनाने के संबंध में शीघ्रता से कार्रवाई करे।

[अनुवाद]

श्री कराडी सांगन्ना अमरप्पा (कोप्पल): महोदय, एनएच-63 को चार लेन का बनाने के लिए नई निविदाओं से संबंधित इस महत्वपूर्ण मामले पर बोलने के लिए मुझे समय देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

मैं विनम्रतापूर्वक सरकार के ध्यान में एनएच-63 की दयनीय स्थिति लाना चाहता हूं, जिसकी तत्काल मरम्मत की आवश्यकता है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग-63 को दो भागों में विभाजित किया गया है: एक भाग हुबली-होस्पेट से संबंधित है जो 143 किलोमीटर की दूरी तय करता है; और दूसरा भाग होस्पेट-बेल्लारी से संबंधित है जो 95 किलोमीटर की दूरी तय करता है।

इसलिए, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया एनएच-63, विशेष रूप से हुबली-होस्पेट खंड को ईपीसी मोड द्वारा चार लेन में अपग्रेड करने के लिए नए टेंडर को मंजूरी दें। जहां तक होस्पेट-बेल्लारी का सवाल है, निविदा पहले ही जारी हो चुकी है और 25 प्रतिशत हिस्से पर काम शुरू हो चुका है। जहां तक हुबली-होस्पेट खंड का सवाल है, कई बार निविदाएं जारी की जा चुकी हैं, लेकिन किसी न किसी समस्या के कारण इसे निष्पादित नहीं किया जा सका है। मैं आपके ध्यान में यह भी लाना चाहूंगा कि पीपीपीएसी को पीआईयू, होस्पेट द्वारा अग्रेषित किया गया है।

अंत में, मैं केवल इतना कहूंगा कि परियोजना के त्वरित अवलोकन से करोड़ों लोगों को लाभ होगा। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : माननीय उपाध्यक्ष जी, एक अनुमान के मुताबिक भारत के घरों में लगभग 22 हजार टन सोना निष्प्रयोज्य हुआ है। इसके आतिरिक्त कई हजार टन सोना मंदिरों एवं अन्य संस्थानों में भी है। अपने देश में शुरु से सोने के जेवरों का प्रचलन व शौक रहा है तथा कई मौकों पर सोने के जेवरों के आदान-प्रदान के साथ उपहार व मंदिरों में दान व सजावट के रूप में सोने का प्रयोग होता है। लोग बचत के लिए भी सोने का भंडारण करते हैं। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भारत में सोने का ऐसा बड़ा भंडार है जो निष्प्रयोज्य है। राष्ट्रीय स्वर्ण नीति के माध्यम से उक्त स्वर्ण भंडार को बाजार में लाकर आर्थिक प्रगति की रफ्तार बढ़ाई जा सकती है। राष्ट्रीय स्वर्ण नीति के माध्यम से सरकार को गोल्ड एक्सचेंज, गोल्ड सेविंग एकाउंट, आयात निर्यात पर प्रतिबंध के साथ गोल्ड रिफाइनरी, गोल्ड बोर्ड की स्थापना करनी चाहिए। इसके जरिए घरों की तिजोरियों में बंद हजारों टन सोना बाजार में लाया जा सकता है और आर्थिक प्रगति की रफ्तार बढ़ सकती है। यदि बैंक अपने मुद्रा भंडार में सोने को शामिल करने में सफल हो सकें तो पूरे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

[अनुवाद]

श्री बदरुद्दीन अजमल (धुबरी): महोदय, 1964 और 1982 में जारी सेना के नियमों के अनुसार मुसलमानों को दाढ़ी रखने की अनुमति है तथा कई अदालतों ने भी इसके पक्ष में फैसला दिया है। हालाँकि, सेना और वायु सेना में प्रथा इसके विरुद्ध है। एक समाचार पत्र की प्रतिवेदन के अनुसार, दो दिन पहले ही वायुसेना और सेना में दाढ़ी रखने वाले कई मुसलमानों ने आरोप लगाया था कि उच्च अधिकारियों ने उन पर दाढ़ी कटवाने के लिए दबाव डाला था, अन्यथा उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा।

महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। यह मेरा अनुरोध है।

[हिन्दी]

श्रीमती वीणा देवी (मुंगेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे संसदीय क्षेत्र मुंगेर के अंतर्गत जमालपुर रेल खंड है। मैं चाहती हूं कि मुंगेर के जमालपुर रेल खंड और मोकामा में भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को जोड़ा जाए। हमारा संसदीय क्षेत्र बहुत पिछड़ा है, वहाँ रोड भी नहीं है, हॉस्पीटल भी नहीं है, यदि है भी, तो टूटा-फूटा है और वहाँ डाक्टर्स नहीं हैं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

डॉ. रवींद्र बाबू (अमलापुरम): मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद महोदय।

वित्त मंत्रालय में एक सीबीईसी विभाग है जो अब खुशी मना रहा है क्योंकि इसमें काफी पुनर्गठन किया गया है और कई पदों का सृजन किया गया है। निरीक्षकों से लेकर अधीक्षकों, अधीक्षकों से लेकर सहायक आयुक्तों आदि तक कई पदोन्नतियां हुईं। सभी लोग खुश हैं, सिवाय एक वर्ग के, अर्थात् सिपाही वर्ग के, जो पदानुक्रम में सबसे निचले पायदान पर है। उनकी दलीलें कोई नहीं सुन रहा है। वे पूछ रहे हैं कि उन्हें सैन्य और अन्य सेवाओं के सिपाहियों के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। उन्होंने हथियार चलाने का प्रशिक्षण भी लिया है। उन्हें सिपाही/*हवलदार* के पद से निरीक्षक के पद पर पदोन्नति भी दी जानी चाहिए। यह मेरा अनुरोध है महोदय।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा राज (शाहजहाँपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे किसानों के एक ज्वलंत मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज उत्तर प्रदेश में हमारे किसानों को यूरिया की बहुत ही आवश्यकता है, लेकिन हमारा पूरा प्रदेश खाली पड़ा हुआ है। किसान बारिश के बाद परेशान हैं कि वे खाद कहाँ से लाएं। एक तरफ पूरे प्रदेश में खाद की किल्लत है, दूसरी तरफ कालाबाजारी जोरों पर है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से कहे कि वहाँ पर कालाबाजारी तुरंत बंद की जाए और उत्तर प्रदेश के किसानों को यूरिया खाद मुहैया कराए, यह मेरा आपसे विशेष आग्रह है।

[अनुवाद]

श्री भीमराव बी. पाटिल (जहीराबाद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सम्मानित सदन में मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहता हूँ कि तेलंगाना राज्य के निजामाबाद जिले के जुक्कल में स्थित कौलास किले के विकास के लिए वित्तीय सहायता स्वीकृत करने की अत्यंत आवश्यकता है।

अंडाकार आकार का यह किला तेलंगाना की सीमा पर संगारेड्डी-नांदेड़ राजमार्ग पर, कर्नाटक के बीदर और महाराष्ट्र के नांदेड़ के पास, हैदराबाद से 180 किलोमीटर और जिला मुख्यालय शहर निजामाबाद से 100 किलोमीटर दूर स्थित है। कौला का किला पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र हो सकता है।

कौला का इतिहास 15वीं शताब्दी का है। काकतीय राजाओं के शासनकाल के दौरान यह छह वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था और पिछड़े जुक्कल मंडल के एक कोने में स्थित था।

इसका निर्माण अर्ध-द्रविड़ शैली में किया गया है और यह किला एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनने की क्षमता रखता है।

कौलास बांध किले से लगभग 20 किलोमीटर दूर है और सर्दियों के मौसम में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करता है।

कौलास किले की दयनीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मैं माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी से अध्यक्ष के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि वे उस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता स्वीकृत करने के लिए तत्काल कदम उठाएं।

[हिन्दी]

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कॉलेजों में रैगिंग जैसी समस्या पर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। आज रैगिंग की वजह से यह स्थिति हो गयी है कि बहुत से कॉलेजों के छात्र भयभीत हैं। वहाँ छात्रों के साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है, निश्चित ही उसके लिए बहुत से

नियम-कानून बनाये गये हैं, लेकिन वे नियम-कानून इतने निष्प्रभावी हो चुके हैं कि असलियत में उनका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। मेरे ही संसदीय क्षेत्र का एक मामला है। महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी में एक छात्र के साथ रैगिंग द्वारा इतना बुरा बर्ताव किया गया कि वह छात्र आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे कार्यों में संलिप्त लोगों के खिलाफ सदन के माध्यम से सरकार को निदेरशित किया जाए, ताकि ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई की जाए।

[अनुवाद]

[14]***श्री पी. आर. सुन्दरम (नामाक्कल):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय। चेन्नई मीनमबक्कम हवाई अड्डे पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनलों का निर्माण पिछली यू.पी.ए. सरकार के दौरान किया गया था, जिसमें तमिलनाडु राज्य की तत्कालीन अल्पमत डीएमके सरकार सहयोगी थी। पिछले दो वर्षों के दौरान छत, कांच के दरवाजे और खिड़कियों के शीशे गिरने की 31 घटनाएं हुईं, जिनमें 4 लोग घायल हो गए। केंद्र सरकार को हवाई यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए। अन्ना और कामराज हवाई अड्डा टर्मिनलों के अलावा, चेन्नई हवाई अड्डे पर तीसरे नए टर्मिनल के लिए निर्माण कार्य किया जा रहा है। यह काम सावधानी और चिंता के साथ पूरा किया जाना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय। तमिलनाडु की तीसरी बार मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद, पुराचिटलैवी अम्मा ने तमिलनाडु विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर चेन्नई हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का नाम तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री, *भारत रत्न*, पुराचिटलैवी डॉ. एम. जी. आर. के नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित किया था। पुराचिटलैवी अम्मा ने केंद्र सरकार से नए टर्मिनल का नाम डॉ. एम. जी. आर. के नाम पर रखने की मांग की थी। इसलिए मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि चेन्नई मीनमबक्कम हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का नाम मक्कल थिलागम पुराचिटलैवर डॉ. एमजीआर के नाम पर रखा जाए, जैसा कि लोगों की मुख्यमंत्री पुराचिटलैवी अम्मा ने मांग की है। धन्यवाद।

[14]* मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं उठाना चाहता हूं। देश के 73 प्रतिशत किसान आज भी गांवों में रहते हैं, उन किसानों के उत्पादन और उत्पादकता से देश की जी.डी.पी. में आज 18 प्रतिशत योगदान हो रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में रबी की बुवाई के समय किसानों को राज्य की मांग के अनुसार 20.39 लाख मीट्रिक टन यूरिया खाद की जरूरत है, लेकिन केवल 14.50 लाख मीट्रिक टन यूरिया खाद अभी तक मिली है। छः लाख मीट्रिक टन यूरिया की कमी होने के कारण जो यूरिया खाद बाजार में 334 रुपये के भाव में है, वह 550 रुपये के भाव पर किसानों को खरीदने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों को इस समय बुवाई की उत्पादकता के लिए यूरिया की जरूरत है। राज्य की सहकारी समितियों के पास यूरिया खाद उपलब्ध नहीं है।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि अभी यह बात माननीय सदस्या कृष्णा राज जी ने भी उठाई है। यह बात उत्तर प्रदेश के सभी सम्मानित सदस्यों के क्षेत्रों की है, उनकी परेशानी है। यहां सरकार के मंत्री जी बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि रिस्पांड करें। आखिर उत्तर प्रदेश के 80 प्रतिशत किसानों को यूरिया खाद नहीं मिल रही है, उनको ब्लैक में खाद लेनी पड़ रही है। इसके संबंध में राज्य सरकार कोई न कोई कदम उठाए और केन्द्र सरकार वहां पर खाद की सप्लाई सुनिश्चित करे।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्रीमती वीना देवी, श्रीमती प्रियंका सिंह रावत, श्रीमती अंजू बाला, साध्वी सावित्री बाई फुले, श्री हरिनारायण राजभर को श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उठाए गए मुद्दे से जुड़ने की अनुमति दी जाती है।

श्री बी. विनोद कुमार (करीमनगर): महोदय, यह सिकंदराबाद क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। सिकंदराबाद छावनी क्षेत्र और उसके आसपास के लगभग 30 लाख निवासी चिंताजनक स्थिति का सामना कर रहे हैं। सेना के अधिकारियों ने हैदराबाद नगर निगम को एक नोटिस जारी कर कहा था कि वे छावनी क्षेत्र की सभी सड़कें

बंद कर देंगे। इस छावनी क्षेत्र में और इसके आसपास इन निवासियों की बस्तियां पिछले पचास वर्षों से बस रही हैं। उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका के बाद हैदराबाद ग्रेटर नगर निगम ने नई सड़कें बनाने के तरीके के बारे में अध्ययन किया था। अब हैदराबाद ग्रेटर नगर निगम दो साल और चाहता है। इस बीच, वे नई सड़कों को बिछाएंगे। सुरक्षा के नाम पर छावनी अब वाहनों को रोक रही है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगां कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं कि छावनी क्षेत्र में वाहनों का परिचालन बंद न हो।

[15]***श्री आर. के. भारती मोहन (मईलादुथुरई):*** माननीय उपाध्यक्ष महोदय। इस अवसर के लिए धन्यवाद। केंद्र सरकार को कर्नाटक द्वारा मेगेदातु नामक स्थान पर कावेरी नदी पर नए बांध के निर्माण को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। इस संबंध में तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा है। इस आशय का एक प्रस्ताव तमिलनाडु विधानसभा में भी पारित किया गया था। लोगों के मुख्यमंत्री पुरात्थलाइवी अम्मा द्वारा कानूनी मोर्चे पर किए गए निरंतर प्रयासों के कारण, कावेरी नदी जल न्यायाधिकरण का अंतिम निर्णय वर्ष 2013 में यूनियन गजट में प्रकाशित हुआ था। फैसले के अनुसार, कावेरी नदी के जलग्रहण क्षेत्रों से कुल 740 टीएमसी पानी प्राप्त होता है। जिसमें से आबंटन के अनुसार तमिलनाडु को 419 टीएमसी पानी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी को क्रमशः 270 टीएमसी, 30 टीएमसी और 7 टीएमसी कावेरी नदी के पानी को साझा करना चाहिए। मैं केंद्र सरकार से तमिलनाडु के लिए बनाए गए जल संसाधनों की रक्षा के लिए तुरंत आगे आने का आग्रह करता हूँ। धन्यवाद।

[15]* मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

श्री रवीन्द्र कुमार जेना (बालासोर): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस मुद्दे को उठाने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जो पूरे पूर्वी भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

मेरे संसदीय क्षेत्र बालासोर के भोगराई ब्लॉक में भुसंडेस्वर नामक एक स्थान है, जहां पूरे एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थित है। ग्रेनाइट से बना यह मंदिर 14 फीट ऊंचा और 14 फीट चौड़ा है। हर साल न केवल ओडिशा और शेष भारत से बल्कि एशिया के कई देशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस स्थान पर आते हैं। हालाँकि, दुर्भाग्य से इस जगह का लंबे समय से विकास नहीं हुआ है और यहाँ कोई बुनियादी ढांचा भी नहीं है। केंद्र सरकार से मेरी मांग है कि एशिया के सबसे बड़े शिवलिंग वाले इस भुसंडेश्वर मंदिर को राष्ट्रीय और ऐतिहासिक महत्व का स्थान घोषित किया जाए तथा वहां आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाए। धन्यवाद।

श्री सी. गोपालकृष्णन (नीलगिरी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी नेता अम्मा के आशीर्वाद से सरकार से ऊटी के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की अपील करता हूं।

ऊटी अपनी चाय के लिए प्रसिद्ध है। चाय और पर्यटन त्योहार ऊटी में प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक है और इसी तरह मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य भी है। दक्षिण और बॉलीवुड की फिल्म इकाइयों के बीच ऊटी में फिल्मों की शूटिंग करने के लिए प्रतिस्पर्धा है। नीलगिरी की रानी ऊटी फिल्म जगत का नया मक्का बन गई है, क्योंकि हिन्दी फिल्म निर्माता अब मुंबई से ऊटी की ओर फिल्मांकन का स्थान बदल रहे हैं।

ऊटी में थिएटुकल में एक हेलीपैड है। शहर के सबसे नजदीक स्थित थेट्टुकल हेलीपैड को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने बहुत पहले मंजूरी दे दी थी, तथा इसका उपयोग रक्षा उद्देश्यों और वीआईपी सेवाओं के लिए किया जाता है। पवन हंस को बेल 407 हेलीकॉप्टरों के साथ अपनी सेवा शुरू करनी थी।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि ऊटी के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का व्यावसायिक संचालन शुरू करने में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाए। धन्यवाद।

श्री वी. एलुमलाई (अरणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु में आठ योजनाओं के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जाती है जबकि भारत सरकार तीन पेंशन योजनाओं का समर्थन करती है। मई 2011 में तमिलनाडु सरकार ने मासिक पेंशन 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी। भारत सरकार की सहायता प्रति लाभार्थी प्रति माह केवल 200 रुपये से 500 रुपये तक है। राज्य सरकार के लिए प्रति वर्ष कुल वित्तीय प्रतिबद्धता 4,491 करोड़ रुपये है, जबकि भारत सरकार प्रति वर्ष केवल लगभग 600 करोड़ रुपये का योगदान देती है।

हमारी प्रिय नेता पुरात्ची तलैवी अम्मा ने पहले ही माननीय प्रधान मंत्री जी से निम्नलिखित सुझावों पर विचार करने का अनुरोध किया था: (1) केंद्र सरकार की पेंशन राशि को बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति माह करना; (2) तमिलनाडु की तरह पेंशनभोगियों की अधिक श्रेणियों को शामिल करना; और (3) केंद्रीय योजनाओं के तहत लाभार्थियों की संख्या की अधिकतम सीमा को हटाना।

धन्यवाद।

श्रीमती वी. सत्यबामा (तिरूप्पुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वस्त्र उद्योग देश का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है और तिरूप्पुर लगभग 18,000 करोड़ रुपये का निर्यात करता है तथा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लगभग बीस लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है। अगले पांच वर्षों में तिरुपुर का निर्यात कारोबार 1 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का लक्ष्य है, जिसके लिए मैं भारत सरकार से निम्नलिखित क्षेत्रों में सहायता करने का अनुरोध करता हूं। उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए मौद्रिक नीति में परिधान निर्यातकों के लिए बैंकिंग में एक अलग अध्याय की आवश्यकता है और इसके लिए निर्यात क्षेत्र को वर्तमान आधार दर प्रणाली से अलग किया जाना चाहिए।

2014-2019 के लिए नई विदेश व्यापार नीति में वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया जाना चाहिए: बाजार से जुड़ी फोकस उत्पाद योजना, फोकस बाजार

योजना, फोकस उत्पाद योजना, वृद्धिशील निर्यात प्रोत्साहन योजना, और यूरोपीय संघ और कनाडा के साथ मुक्त व्यापार समझौता। धन्यवाद।

डॉ. जे. जयवर्धन (चेन्नई दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय पुरात्ची थलाइवी अम्मा द्वारा माननीय प्रधान मंत्री जी को सौंपे गए ज्ञापन में उठाए गए मुद्दे को सभा के ध्यान में लाना चाहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ममलपुरम को एन्नोर पोर्ट से जोड़ने के लिए चेन्नई पेरिफेरल रिंग रोड (सी.पी.आर.आर.) का प्रस्ताव किया गया है, जिसकी दूरी 162 किलोमीटर होगी। सी.पी.आर.आर ई.सी.आर., आईटी राजमार्ग, एनएच-45, एनएच-205 और एनएच-5 को एन्नोर और कट्टुपल्ली बंदरगाहों से जोड़ेगा। इस परियोजना से न केवल चेन्नई शहर को लाभ होगा बल्कि पुडुचेरी, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के लिए बंदरगाह संपर्क में भी सुधार होगा। भूमि अधिग्रहण सहित परियोजना की लागत लगभग 12000 करोड़ रुपये है। भारत सरकार को परियोजना लागत का कम से कम 40 प्रतिशत उचित रूप में उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे परियोजना की व्यवहार्यता में काफी वृद्धि हो सकेगी।

धन्यवाद।

श्री पी.आर. सेंथिलनाथन (शिवगंगा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गरीब कृषकों की मदद करने वाली धन की कमी से जूझ रही सहकारी समितियों को पुनर्जीवित करने के लिए हमारी नेता पुरात्ची थलाइवी अम्मा को बहुत-बहुत धन्यवाद। अल्पकालिक सहकारी ऋण क्षेत्र के लिए पुनरुद्धार पैकेज की सिफारिश वैद्यनाथन समिति द्वारा की गई थी। तमिलनाडु सरकार ने केंद्र सरकार और नाबार्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। हमारी प्रिय नेता पुरात्ची थलाइवी अम्मा के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने राज्य का हिस्सा 385 करोड़ रुपये पूरी तरह से जारी कर दिया है। केंद्र सरकार ने अभी तक अपना हिस्सा जारी नहीं किया है, 597 करोड़ रुपए अभी भी केंद्र के पास बकाया के रूप में लंबित हैं।

तमिलनाडु की मुख्यमंत्री अम्मा पहले ही केंद्र से सहकारी समितियों को पुनर्जीवित करने के लिए यह निधि जारी करने का अनुरोध कर चुकी हैं। मैं केंद्र सरकार से 597 करोड़ रुपये की शेष धनराशि को जल्द से जल्द जारी करने का आग्रह करता हूँ।

श्री एस.आर. विजय कुमार (चेन्नई केन्द्रीय): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्रिसमस के त्यौहार के दौरान पूरा विश्व नववर्ष का स्वागत करता है। मेरे गृह राज्य के कई परिवार अपने भविष्य के बारे में सोचते हुए समय बिता रहे हैं। दूसरी ओर, तमिलनाडु के मछुआरा समुदाय के कई परिवार अपने उन परिजनों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, जो श्रीलंका में कैद हैं। मैं सभा के साथ तमिलनाडु सरकार द्वारा दिखाई गई विनम्रता को साझा करना चाहूंगा। अम्मा के मुख्यमंत्रित्व काल में तमिलनाडु सरकार ने 22 दिसंबर को मछुआरों को उनकी नावों और मछली पकड़ने के उपकरणों के साथ रिहा करने की पहल की है, ताकि ये लोग अपने परिवारों के साथ क्रिसमस मना सकें। तमिलनाडु सरकार ने श्रीलंका की जेलों में बंद 66 मछुआरों की रिहाई के अनुरोध पर केन्द्र सरकार के साथ सहयोग किया है, जबकि विदेश मंत्रालय ने इस मामले को श्रीलंका सरकार के साथ उठाया है। जब्त की गई नौकाओं और अन्य मछली पकड़ने की सामग्री को छोड़ने के संबंध में स्पष्टता का अभाव है। मैं पुनः केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन मछुआरों को उनकी नौकाओं एवं अन्य सामग्रियों सहित रिहा कराने के लिए उचित माध्यम से सभी आवश्यक कार्रवाई करे।

माननीय उपाध्यक्ष: सदन कल, 23 दिसंबर 2014 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत के लिए स्थगित होती है।

<u>सायं 07.36 बजे</u>

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 23 दिसम्बर, 2014 / 2 पौष, 1936 (शक) को पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2014 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सोलहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित